लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

का शुद्धि-पत्र

विषय सूची पृष्ठ (iii) नीचे से दूसरी पंक्ति में "श्री एच0चन0नन्जे गौड़ा" के स्थान पर "श्री एच0 एन0 नन्जे गौडा" पढ़िये ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 में "श्री डी0 डी0 देशाई" के स्थान पर "श्री डी0 डी0 देसाई" पढ़िये ।

पृष्ठ 35, प्रश्न संख्या 386 के स्थान पर 486 पढ़िये ।

पृष्ठ 58, पंक्ति 7 में "श्री गस0 एम0 कृष्ण" के स्थान पर "श्री एस0एम0कृष्ण पढ़िये ।

पृष्ठ 113, पंक्ति 23 में "श्री नीहार रंजन लास्कार" के स्थान पर "श्री निहार रंजन लास्कर" पढ़िये ।

पृष्ठ 121, पंक्ति 7 में "श्री मोस्कर फर्नान्डीज" के स्थान पर "श्री ओस्कर फर्नान्डीज" पढ़िये ।

पृष्ठ 121, पंक्ति 19 में "तस्कर और विदेशी मुद्रा इल साधक संशोधन विधेयक" के स्थान पर "तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक संशोधन विधेयक" पढ़िये ।

पृष्ठ 145, पंक्ति 20 में "श्री ईस मोहन" के स्थान पर "श्री ईरा मोहन" पढ़िये ।

पृष्ठ 171, पंक्ति 26 में "श्री जेवियर मराकल" के स्थान पर "श्री जेवियर अराकल" पढ़िये ।

अंक 4, गुरुवार, 12 जून, 1980/22 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

विषय

निधन संबंधी उल्लेख :	...	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 और 62	...	2-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 63 से 80	...	16-23
अतारांकित प्रश्न संख्या 467 से 534, 536 से 571 और 573 से 616	...	23-113
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	...	114
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		
विशेषाधिकार इत्यादि के प्रश्न के बारे में	...	116-118
समिति के लिये निर्वाचन	...	118
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के लिए		
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) विधेयक—पुरः स्थापित	...	118
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य		
श्री आर० वेंकटरामन	...	119
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	...	119
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कूओं के निर्माण के लिये सीमेंट की सप्लाई		
श्री केशवराव पारधी	...	119

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) यंत्रीकरण के कारण दियासलाई कुटीर उद्योग को खतरा
श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन ... 119-120

(तीन) दहेज के कारण एक युवती की मृत्यु के सम्बन्ध में भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ द्वारा जांच की माँग
श्रीमती गीता मुखर्जी ... 120

(चार) कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र का बार-बार बन्द होना
श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 120-121

(पांच) कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हुई हानि
श्री ओस्कर फर्नान्डीस ... 121

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) संशोधन विधेयक विचार के लिए प्रस्ताव ... 121-130

श्री मूल चन्द डागा ... 121-123

श्री राम विलास पासवान ... 123-124

श्री मगनभाई वरोट ... 124-130

खण्ड 2,3 तथा 1 पास करने के लिए प्रस्ताव ...

श्री मगनभाई वरोट ... 127-130

श्री सतीश अग्रवाल ... 128-130

संघ लोक सेवा आयोग के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ... 130-155

श्री पी. के. कोडियन ... 130-152

श्री जैनुल बशर ... 134-138

श्री राम विलास पासवान ... 138-145

श्री ईरा मोहन ... 145-149

श्री पी. ए. संगमा ... 147-150

श्री पी. वेंकटा सुब्बैया ... 150-155

अंतर्राज्यीय जल-विवाद (संशोधन) विधेयक ... 156-169

विचार करने का प्रस्ताव

श्री केदार पाण्डे ... 156-157

श्री कुमवुम एन. नटराजन ... 157-158

श्री रामावतार शास्त्री ... 159-160

श्री जेवियर अराकल ... 161-162

श्री एच. चन. नन्जे गौडा ... 162

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 162-164

श्री टी. आर. शमन्ना ... 164-165
खड 2,3 तथा 1 पास करने के लिये प्रस्ताव
श्री केदार पाण्डे ... 165-168
हिन्दुस्तान ट्वैंटर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण)
संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... 169-175
श्री चरणजीत चानना ... 169-174
श्री दीनेन भट्टाचार्य ... 170-174
श्री जेवियर अराकल ... 171-172
श्री विजय कुमार यादव ... 172-173
खंड 2, 3 तथा 1 पास करने का प्रस्ताव ... 174-175
श्री चरणजीत चानना ... 174-175
अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
त्रिपुरा के दो जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना ... 175-186
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ... 175-180
श्री जैल सिंह ... 175-186
श्री चिन्तामणि जेना ... 180-181
श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 182-183
श्री टी. एस. नेगी ... 184-185
श्री के. पी- सिंह देव ... 185-186

लोक सभा

गुरुवार, 12 जून, 1980/22 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, मुझे सदन को अपने तीन सहकर्मियों, नामशः सर्व श्री चन्द्रिकाराम डी० डी० देशाई और ए० जयरामन के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है ।

श्री चन्द्रिका राम 1946-52 के दौरान बिहार से संविधान-सभा और अस्थाई संसद के सदस्य रहे । उसके पश्चात् वह बिहार विधान सभा के सदस्दय बने तथा 1952-57 के दौरान संसदीय सचिव का पदभार सम्भाला और 1957-62 में उपमंत्री रहे । 1964-76 में वे बिहार विधान-परिषद् के सदस्य रहे ।

उन्होंने स्वातन्त्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल गये थे । एक सक्रिय समाज सेवी के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य किया और क्रमशः 1941 तथा 1947 के दौरान बिहार प्रदेश दलित वर्ग संघ के महासचिव और अध्यक्ष रहे । वे हरिजन और पिछड़े वर्गों के उद्धार सम्बन्धी बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के भी सदस्य रहे , 63 वर्ष की आयु में पटना में 15 फरवरी, 1980 को उनका निधन हो गया ।

श्री डी डो० देसाई 1971-79 के दौरान पाँचवी और छठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और गुजरात के खेड़ा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

वे एक विख्यात उद्योगपति थे और विभिन्न पदों पर अनेक औद्योगिक संगठनों से सम्बद्ध रहे । उन्होंने कई उद्योगों के संचालन में सहायता दी । उन्हें भारत का "स्व-निर्मित उद्योगपति" चुना गया और भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 'उद्योग-पत्र' से विभूशित किया । एक शिक्षा शास्त्री और मानवतावादी के रूप में, उन्होंने देश में अनेक शैक्षिक, समाजिक और साहित्यिक संस्थानों की स्थापना में सहायता दी । एक सक्रिय संसदीय के रूप में उन्होंने सभा की कार्य-

वाहियों में गहरी रुचि प्रदर्शित की। वे अनेक विधायकों पर प्रवर समितियों और संसदीय सलाहकार समितियों के सदस्य थे। वे सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा सांसदों की वेतन एवं भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति के भी सदस्य थे। 64 वर्ष की आयु में 9 जून 1980 को जकार्ता में उनका निधन हो गया।

श्री ए० जयरामन वर्ष 1952-57 में प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन मद्रास राज्य के टिंडीवनम चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे एक समाज सेवी थे और उन्होंने हरिजनों के कल्याण के लिए कार्य किया। वे अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के चलाने के कार्य से सम्बद्ध थे और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के सदस्य थे। अपने अन्तकाल के समय में भी वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य थे। 57 वर्ष की आयु में 9 जून, 1980 को उनका निधन हो गया।

हमें इन तीनों मित्रों के निधन का गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवारों को शोक संवेदना भेजने में आप भी मेरे साथ हैं।

अपना शोक प्रकट करने के लिए सदन कुछ क्षण के लिए मौन रहेगा। इसके पश्चात् सदस्य गण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में प्रश्न पूछे जायेंगे

श्री एन० जे० शेजवालकर (ग्वालियर) : इससे पहले कि हम प्रश्नों को लें, मैं आपके द्वारा किये गये निधन सम्बन्धी उल्लेख के बारे में पूछना चाहता हूँ। श्री चन्द्रिकाराम भूतपूर्व लोक सभा सदस्य, का निधन 15 फरवरी, 1980 को पटना में हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आया कि जब आपने 9 जून, 1980 को भी निधन सम्बन्धी उल्लेख किया था। तो उस समय इसका उल्लेख करना सम्भव क्यों न हो सका।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसकी सरकारी तौर पर पुष्टि करनी होती है।

श्री एन० के० शेजवालकर : उनका निधन 15 फरवरी, 1980 को हुआ। क्या पुष्टि कराने में चार मास का समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी ऐसा भी होता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अफगानिस्तान और कम्पूचिया के बारे में भारत का रवैया

*61. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने रवैये के बारे में खुले तौर पर कहा है कि भारत कम्पूचिया में वीएतनाम समर्थित सरकार को उचित अवसर आने पर मान्यता देने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है और भारत ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ मैत्री के बावजूद अफगफानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया;

(ख) क्या इस बारे में कोई भारतीय दल विदेशों का दौरा भी करके आया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क),(ख) और (ग) : भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता के सम्बन्ध आज भी उतने ही घनिष्ट हैं जितने कि पहले थे और अभी पिछले सप्ताह ही सोवियत संघ की मेरी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इसकी पुनः पुष्टि की है। इन सम्बन्धों में यह कभी जरुरी नहीं रहा कि विदेश नीति के मामलों पर दोनों देश समान रूख अख्तियार करें हलांकि अनेक मामलों पर हमारे विचार प्रायः एक जैसे होते हैं।

हेंग सामरिन सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

अफगानिस्तान के बारे में हमारी नीति सर्वविदित है। हम किसी भी देश में विदेशी सैनिकों अथवा अड्डों का समर्थन नहीं करते हैं। अतः हम यह भी महसूस करते हैं कि अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता तथा गुट-निरपेक्षता बनी रहनी चाहिए। अफगानिस्तान को इस बात का आश्वासन भी दिया जाना चाहिए कि उसके विरूद्ध वाह्य हस्तक्षेप समाप्त होगा और कभी नहीं किया जाएगा।

दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिति तनाव पूर्ण है। हमें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि बड़ी शक्तियों के झगड़े के परिणाम स्वरूप यह स्थिति नियन्त्रण से बाहर चली जाएगी। इसीलिए हमारी कोशिश तो यह रही है कि वातावरण में सुधार हो और इस प्रकार की प्रवृति को विपरीत दिशा में मोड़ा जाए। इस उद्देश्य से हमने अनेक विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है। हमारे प्रति निधि भी अनेक देशों में गए हैं। हम अनुभव करते हैं कि हमारी कोशिशें कुछ हद तक सफल रही हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय मन्त्री महोदय ने अन्त में बताया है "हमारे प्रयत्नों को कुछ हद तक सफलता मिली है" इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या मन्त्री महोदय ने हाल ही के रूस के अपने दौरे के समय रूसी नेताओं से अफगानिस्तान के बारे में बात चीत की थी? चूकि सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में डटी हुई हैं तो अफगानिस्तान से उनके वापिस हटाने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सोवियत संघ की अपनी हाल की यात्रा पर वक्तव्य देने के लिए मैंने कुछ समय माँगा है। मेरे विचार से इन मामलों पर उसमें और विस्तार पूर्वक जानकारी दी जायेगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बयान देंगे तो उसके बाद आप हमें सवाल करने की इजाजत नहीं देगें। आज डिस्कशन करना है तो मोशन को लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके वक्तव्य देने के बाद चर्चा की जानी चाहिये। इसमें प्रत्येक व्यक्ति रुचि रखता है।

डा० सुब्रामनियम स्वामी : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सदन के समक्ष यह जिस रूप में भी आता है, मैं प्रश्नो के उत्तर देने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रामनियम स्वामी आप सूचना दे सकते हैं।

सुब्रामनियम : मेरा नोटिस आपके पास सोमवार से अस्थगित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य तो आने दें। (व्यवधान) जब मुर्गी ही न होगी तो अण्डा कहां से आयेगा ?

डा० सुब्रामनियम स्वामी : पहले कौन आया।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात का निर्णय यहाँ कर लेते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने 21 दिन पहले नोटिस दिया था। मुझे कम से कम कुछ तो पता लगना चाहिये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि माननीय सदस्य जोर देते हैं तो में संक्षेप में कह सकता हूं कि अफगानिस्तान के बारे में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है हमने अपनी बात चीत में यह बात उठाई थी और अच्छी तरह से उठाई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गत लोक सभा चुनावों के दौरान कांग्रेस(ई०) दल में अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि वे कम्पूचिया में हेंग सामरिन सरकार को मान्यता देने का प्रण करते हैं। चुनावों को छह मास बीत चुके हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतनी देरी और हिचक के पीछे क्या कारण है ? क्या वह इसलिए कि वे निश्चय नहीं कर सकते कि कम्पूचिया में किसकी सरकार है ? क्या वे अभी भी शांति में बैठकर श्री पोल पाट या श्री नोरोडम सिहनुक के बारे में सोच रहे हैं ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ? कम्पूचिया की सरकार ने देश को प्रभावशाली नियंत्रण में रखा हुआ है। जब सत्तारूढ़ दल ने जनता के समक्ष खुले रुप से मान्यता देने का वचन दिया है तब देरी का कारण क्या है और मान्यता कब दी जायेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये दो करणों का सम्बन्ध है मैं इन दोनों कारणों को अस्वीकार करता हूँ। इसके पहले मैंने सदन को यह सूचित किया था कि मामला सरकार के पास विचाराधीन है। अब मैं सदन को यह सूचित कर रहा हूँ कि मामले पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : विचार और सक्रिय विचार में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : यह गुट निर्पेक्ष और असली गुट निर्पेक्ष की भाँति है। उन्होने ही ऐसा समझा होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम विदेश मंत्रालय के शब्द प्रपंच से अभ्यस्त नहीं है। क्या आप ही कृपया विचार और सक्रिय विचार के अंतर को समझायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बार हमारे नये विदेश मंत्री हैं और हमारे नये शब्द होते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मामला विचाराधीन है इसका मतलब है कि हम मामले की जांच कर रहें है और इस पर निश्चित विचार की क्रिया जारी है। सक्रिया विचारे का मतलब उस स्थिति से है जहाँ हमने विचार कर लिया है।

डा० सुब्रामनियम स्वामी : मुझे मंत्री महोदम की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। उन्होने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। हालांकि हमने लंबे समय से इस देश को एक सामान्य नीति के रुप में ऐसे देशों को मान्यता प्रदान नहीं की है जहाँ विदेशी सेना की सक्रिय उपस्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने अफगानिस्तान एवं वहां की स्थिति के बारे में आज की रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं। इन्डियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों को काबुल के परिसर से बाहर होने के लिये कहा गया है।हमारी समान्य नीति के दृष्टिकोण से उन सरकारों को मान्यता नहीं देना जहाँ विदेशी सेना बड़ी संख्या में मौजूद है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमेरीकी सेनाओं के साथ में युद्ध

डा० सुब्रामनियम स्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार अफगानिस्तान को कूटनीतिक मान्यता वापस लेने के बारे में विचार करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम नहीं समझते कि ऐसा करने की जरूरत है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अफगानिस्तान के मसले को स्थिति को शांत करने के बहाने से रूस समर्थक रवैया को छिपाया जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि रूसी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापिस बुलाये जाने का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने आया और क्या यह सच नहीं है कि हमारे प्रतिनिधि इस संकल्प पर मतदान से अलग हो गये ? यदि ऐसा है, तो क्यों क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार इसे संयुक्त राष्ट्र में, अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के निकलने की मांग से भी तटस्थ होना समझती है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारी नीति का उल्लघंन और क्या हम रुसी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापस जाने के लिये गंभीरता से मांग करते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंहराव : उलंघन तो यह बिल्कुल नहीं बल्कि वह हमारी नीति के बिल्कुल अनुरूप था हम बड़े सूझ के साथ उस प्रस्ताव पर मतदान से अलग हो गए। स्पष्ट कारण यह है कि यदि आप उस संकल्प को पढ़ेंगे तो पायेंगे कि वह कैसा एक तरफा है। हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम उस प्रस्ताव का हमारे विचारानुकूल सुधार करवाते और इसीलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय अलग होने के।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि, अफगानिस्तान के सन्दर्भ में भारत की स्थिति यह है कि हम सभी देशों में विदेशी सेना की उपस्थिति के खिलाफ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना के अलावा क्या किसी और देश की सेना है ? अगर है तो किसकी है ? अगर नहीं है तो भारत सरकार साफ-साफ शब्दों में यह क्यों नहीं कहती कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं को हट जाना चाहिए।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह हम कह चुके हैं। बार-बार प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि सोवियत संघ की सेनाओं का वहाँ रहना इस इलाके में तनाव बढ़ा रहा है, उनको वापिस जाना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : मुख्य प्रश्न सरकार के एक मंत्री के नाम पर है—

अध्यक्ष महोदय : आवश्यक शुद्धि जारी कर दी गई है।

श्रीराम जेठमलानी : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस प्रश्न में अभिहित अभिधारणा को स्वीकार करती है या नहीं अर्थात् कि सोवियत संघ अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने का अपराधी है और इसलिए इसकी यह क्रिया अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आक्रमण करने के बराबर है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इसीलिए न तो मैंने 'हाँ' कहा और न ही 'नहीं'। मैंने विषय का अपना पक्ष अपने उत्तर में दिया है।

श्रीराम जेठ मलानी : आपको या तो 'हां' कहना चाहिए या 'नहीं'।

श्री पी. वी. नरसिंहराव : हम इस सूत्र से सहमत नहीं हैं।

श्री चित्त बसु : बयान से यह पता चलता है कि भारत सरकार की अफगानिस्तान से

सम्बन्धित नीति तीन मुद्दों पर आधारित है, वे हैं : विदेशी सैनिकों की उपस्थिति को अस्वीकार करना या दूसरे देश में अड्डे बनाने की क्रिया को अस्वीकार करना, अफगानिस्तान की संप्रभुता को बरकरार रखना, स्वतंत्र व गुटनपेक्ष स्थिति प्रदान करना और बाहरी हस्तक्षेप को खत्म या बन्द करना। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या दूसरे भी ऐसे राष्ट्र हैं जो मूलभूत इन तीनों अभिधारणाओं से सहमत हैं ? यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ऐसे राष्ट्रों जो इन अभिधारणाओं से सहमत हैं, क्या सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है, जिसमें अफगान समस्या को सुलझाने का सरल तरीका ढुंढ़ निकालें।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह केवल—सम्मेलन बुलाने या प्रस्ताव पारित करने का प्रश्न नहीं है। यह किया जा सकता है और यह किया गया है परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम इस क्षेत्र में होने के कारण इससे हम थोड़ा और भी गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि कोई सघर्ष न हो और उसमें तनाव न हो। पहले हम यह चाहते हैं कि तनाव न बढ़े। कुछ हद तक हमें इसमें सफलता मिली भी है। अब तनाव को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यह संकल्प पारित करने या इस मुद्दे पर समान विचार वाले देशों या सम्मेलन आयोजन करने से नहीं होगा। यह उन देशों के एक जुट प्रयास, जो इससे नजदीक से सम्बन्धित हैं, के कम से कम कुछ सूत्र पर सहमत होने पर हो सकता है। इस समय हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि हमें विशेष दिशा में सफलता मिल रही है। परन्तु अब भी मैं आशान्वित हूँ कि हमें हमारे प्रयास में एक दिन सफलता मिलेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा प्रश्न कम्पूचिया को मान्यता प्रदान करने के बारे में है। मंत्री महोदय ने कहा कि वह सक्रिय रूप से विचाराधीन है। वास्तव में वे ऐसा कुछ समय से कह रहे हैं।

श्री पी. वी. नरसिंहराव : : क्या आप चाहते हैं कि मैं 'बहुत सक्रिय' कहूँ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं चाहता हूँ कि 'हाँ' या नहीं आप 'बहुत सक्रिय' नहीं हैं। आप उन सब अवस्थाओं को पार कर गये हैं। मैं सोचता हूँ कि आप कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे।

वे सभी तत्व जो किसी देश को मान्यता प्रदान करने में आवश्यक है, वे वहाँ हैं और इस बात से भारत सरकार सहमत है इसके बावजूद मैं यह कहता हूँ कि आप चीन से सम्बन्ध बढ़ाने में उत्सुक हैं—क्योंकि चीन का इस पर विचार भिन्न है। वे यह नहीं चाहते कि भारत कम्पूचिया को मान्यता प्रदान करे—अनावश्यक देरी की जा रही है जबकि पूरा सदन कम्पूचिया को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर एकमत हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : चन्द्रजीत जी मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप चीन को इस मुद्दे पर इतना महत्व नहीं दीजिए जितने के वह योग्य नहीं है।

श्री जोवियर अराकल : क्या यह बात है कि कुछ माननीय सदस्यगण उस देश में गए और वहाँ कुछ उद्घोषणाएं की।

श्री पी. वी. नरसिंहराव : क्या उनका मतलब संसद के माननीय सदस्यों से है ?

श्री जोवियर अराकल : जी हां, संसद के माननीय सदस्य गण वे लोग इन देशों में गए हैं और उद्घोषणाएं की हैं। क्या वे उदघोषनाएं इस देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने में सहायक है या उनसे सम्बन्ध बिगड़ेंगे।

श्री पी. वी. नरसिंहराव : महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने माननीय सदस्यों के द्वारा बाहर के देश में की गई उदघोषनाएँ के बारे में विचार नहीं किया है. परन्तु मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो उन्होंने केवल अपने स्वतन्त्र भाषण के अधिकार का ही उपयोग किया है।

इसरायल के भूतपूर्व विदेश मंत्री का दौरा

* 62. श्री के. मालन्ना :

श्री के. प्रधानी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मोशेदयाँ के विवादास्पद दौरे के बारे में फैला सन्देह इस बात की पुष्टि करके समाप्त कर दिया है कि इसरायल के उक्त नेता जनवरी, 1979 में नई दिल्ली आए थे और उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, दो दिन में कुल मिलाकर लगभग पाँच घन्टे तक बातचीत की;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल विहारी वाजपेयी ने भी इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो इसरायली नेता मोशेदयाँ के दौरे से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव (क), (ख) और (ग) : मोशेदयां की भारत यात्रा के सम्बन्ध में पहले-पहल 27 अप्रैल, 1979 को न्यूयार्क के अखबार 'न्यूज एण्ड सिने इन्डिया" में खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि मोशेदयां ने 1978 में भारत की यात्रा की थी। जून 1979 में इजराइल के रेडियो ने यह घोषणा की कि विदेश मंत्री मोशेदायाँ ने 1977 में गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। 14 जून, 1979 को इजरायल के विदेश मंत्रालय ने इस समाचार का खण्डन किया। जब इन खबरों की ओर तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ध्यान आकृष्ट किया गया तो उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव को 18 जून 1979 को यह हिदायत दी कि यदि इस सम्बन्ध में पूछा जाए तो वे इस रिपोर्ट का खण्डन करें और यह कहें कि उन्हें ऐसी किसी गुप्त यात्रा की जानकारी नहीं है।

यह मामला 12 अप्रैल 1980 को उस समय फिर उठा जबकि तेल अवीव से 11 अप्रैल को प्रेषित एक खबर भारत के अखबारों में छपी जिसमें यह कहा गया कि मोशेदायाँ 1978 में गुप्त रूप से विमान द्वारा भारत आए और उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से भेंट की। 13 अप्रैल 1980 को श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। 14 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोशेदायाँ की इस यात्रा को पूर्णतः अस्वीकार किया।

सरकार के पास जो सूचना थी उसके आधार पर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 10 मई को कहा कि मोशेदायां गुप्त रूप से जनता पार्टी के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद जनता तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विभिन्न वक्तव्यों में जिनमें श्री मोररजी देसाई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य भी शामिल हैं, यह स्वीकार किया गया है कि मोशेदायाँ ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार यह यात्रा 1978 में की गई थी। उसी दिन श्री मोरारजी देसाई ने बम्बई में संवाददाताओं को

बताया कि वे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1978 के प्रारम्भ में मोशेदायान से मिले थे। भोपाल में एक वक्तव्य में डा० सुब्रमणियम स्वामी ने मोशेदायाँ की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि यह यात्रा जनवरी 1979 के आसपास की गई थी।

सरकार की सूचना के अनुसार मोशेदायाँ अगस्त 1977 में भारत आए थे और स्पष्टतः श्री मोरारजी देसाई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर। यहां तक कि बम्बई में हवाई जहाज से उतरने के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज द्वारा नई दिल्ली लाया गया था। श्री देसाई और वाजपेयी मोशेदायाँ से 15 अगस्त 1977 की शाम को 1, अकबर रोड पर मिले थे। मोशेदायां 16 अगस्त 1977 को 12·45 बजे पुनः भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा बम्बई लौट गए।

अगस्त 1997 में मोशेदायां की इस दिल्ली यात्रा के सम्बन्ध में यद्यपि हमारे पास पूरी सूचना है, लेकिन जनता तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि सम्भवतः उन्होंने एक से अधिक बार यात्रा की हो यानी एक बार 1977 में, फिर 1978 में और शायद फिर 1979 में।

श्री के. मालन्ना : मैं समझ रहा था कि यह केवल एक ही बार 1978 में भारत की यात्रा है किन्तु माननीय मंत्री के वक्तव्य से विपक्ष के नेताओं के अनुसार तीन बार यात्रा हुई है। मोशेदायान का गुप्त और विवादस्पद आगमन का पता अमरीकन साप्ताहिक समाचार और भूग्वियन 'न्यूज एण्ड सिने' से पता चला जिसका शीर्षक था ! भारत का मध्यपूर्व में समर्थन से इन्कार" तत्पश्चात यह इजरायली पेपरों में यह प्रकाशित हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने जवाब नहीं दिया है। यहाँ इस यात्रा के सम्बन्ध में विवादास्पद विवरण है। जनता सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री ने इस तथ्य को अस्वीकार किया और बताया कि इजरायली समाचार पत्र की रिपोर्ट असंगत है। जनता सरकार के तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने कहा कि उनकी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। इसी बीच डा० सुब्रामनियम स्वामी ने आपत्ति की और प्रधान मन्त्री एवं विदेश मंत्री दोनो का पर्दाफाश किया। तब सत्य का उद्‌घाटन कुछ दूसरे ढंगों से हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री के. मालन्ना : तब विदेश मन्त्री ने कहा कि श्री दायान ने नेपाल से लौटते समय भारत आए थे। तत्कालीन प्रधान मन्त्री के वक्तव्य की प्रेस सम्मेलन में पूर्ण तफसील दी गई थी। जनरल दायान ने 1978 के प्रारम्भ में उन्हें एक संदेश भेजा था—

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूँगा।

श्री के. मालन्ना : ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं।···भारत में काम करने वाले आदमी के माध्यम से वे उनसे भारत-इजरायल शांति के सम्बन्ध में मिलना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है।

श्री के. मालन्ना : मैं प्रश्न अवश्य पूछूँगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच कोई कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं था और हम यह नहीं जानते कि वह मध्यस्त कौन है क्या वह व्यापारी है जिसका सम्बन्ध कांती देसाई से है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूँगा। यह बहुत हुआ। श्री प्रधानी मैं इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ।

श्री के. मालन्ना : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और आप सारा समय ले रहे हैं ।

श्री के. मालन्ना : इस स्थिति में क्या यह सच नहीं कि भारत की साख खत्म हो गई है और भारत के लोगों एवं अन्य देशों में खासकर अरब देशों में संदेह पैदा हो गया है ? क्या यह सच नहीं है कि ऐसे देश विदेश मन्त्री से मिलना जिससे हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं है, यह विश्वासघात के बराबर है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिना किसी प्रारम्भिक टिप्पणी के भी किया जा सकता था । उससे अधिक कुछ नहीं है । आप सीमा से बाहर जा रहे हैं ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : माननीय सदस्य के द्वारा रखे गए प्रश्न पर, मेरा उत्तर सकारात्मक है जिससे हमारी छवी धूमिल हुई है ।

श्री के. मालन्ना : दूसरा पूरक···

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं अनुमति नहीं दे रहा ।

श्री के मालन्ना : क्या यह सच है कि जनता पार्टी और इस्राईल सरकार के मध्य कोई गुप्त समझौता हुआ था और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ? क्या यह भी सच है कि क्या गुप्त समझौते के कारण ऐसा समझा जाने लगा कि भारत ने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति छोड़ दी है और जब तक इस नीति का क्रियान्वित किया जाना था । तब तक उसका प्रभाव यह पड़ा कि लिबिया ने तेल देना बन्द कर दिया तथा अन्य खाड़ी देशों की भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ गए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे किसी गुप्त समझौते की जानकारी नहीं है । यदि कोई गुप्त समझौता हुआ है तो वह इतना गुप्त था कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते । मुझे इतना ही कहना है ।

श्री के प्रधानी : उत्तर में बताया गया है कि मोक्षेदयान भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा दिल्ली आये । समाचार पत्रों में छपा था कि उन्हें 'रा' के अधिकारियों द्वारा बम्बई लाया गया तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरे के अधिकारी उन्हें नई दिल्ली लेकर गए । इससे मैं समझता हूं कि यह सरकारी स्तर की गुप्त यात्रा थी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 'रा' अथवा केन्द्रीय जाँच ब्यूरों के पास कोई रिकार्ड है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं प्रश्न का उत्तर देते समय सभी स्रोतों को प्रकट करूं । मैंने सभा के समक्ष इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध सगत जानकारी दे दी है ।

श्री जगदीश टाईटलर : जो कुछ विदेश मंत्री ने अभी-अभी बताया है उससे श्री बाजपेयी की विश्वासनीयता पर सदेह व्यक्त किया गया है । जो कि उस समय विदेश मंत्री थे । इससे देश को हुई हानि भी प्रकट होती है । यह कुछ जानकारी मैं विदेश मंत्री से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर चाहता हूं ।

(क) मोशेदयान की गुप्त यात्रा किन हालात में हुई ? यह मति विशिष्ट प्रश्न है ।

(ख) कौनसी राजनीतिक बाध्यता-राजनीतिक बाध्यता से मेरा अभिप्राय देश की बाध्यता से नहीं है अपितु उस पार्टी को बाध्यता से है । उस समय जो सत्तारूढ़ थी जिससे उस समय के

प्रधान मन्त्री एव विदेश मन्त्री ने श्री दयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जबकि विशेष रूप से इस्राइल के साथ हमारे सम्बन्ध न तो मधुर थे और न ही औपचारिक ।

(ग) क्या उक्त गुप्त यात्रा के अनुमोदन से तथा उन्हें दिए गए अति विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान से यह प्रकट नहीं होता कि वे गुप्त रूप से इस्राइल को मान्यता देने जा रहे थे ।

(घ) यदि हां, तो किस स्तर पर राजनायिक सम्बन्ध तय हुये ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे भय है विदेश मन्त्रालय में उपलब्ध रिकाड से मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । जो भी जानकारी उपलब्ध है वह मैं उत्तर में पहले ही दे चुका हूँ । जब मैंने बताया कि उनकी यात्रा के बारे में कुछ स्रोतों से जानकारी मिलती है, उनकी जानकारी जब उस समय के विदेश मंत्री को दी गई थी तब उन्होंने बताया उन्हें नहीं मालूम तथा उन्होंने विदेश मत्रालय को यह कहने का अनुदेश दिया कि वह नहीं जानते । इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई तथ्य नहीं है जिस पर अपने प्रश्न को आधारित करें ।

श्री भागवत झा आजाद : क्योंकि विदेश मंत्रालय में बातचीत के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने भूतपूर्व विदेश मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री से जानकारी माँगी है कि उन्होंने क्या चर्चा की है, क्या उन्होंने प्रेम प्रेमालाप किया अथवा राष्ट्रीय हितों पर चर्चा की । हमें उनसे कहना चाहिए कि जो कुछ बात चीत उन्होंने की थी, उसे रिकार्ड करें ।

अध्यक्ष महोदय आप इस निर्णय पर कैसे पहुँचे ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं केवल संभावना का उल्लेख कर रहा हूँ । क्या उन्होंने भारत के हित के अथवा इस्राइल के हित के अथवा अमरीका के हित के मामलों पर चर्चा की । क्या उन्होंने बातचीत का कोई रिकार्ड रखा अथवा नहीं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : किसी भी रिकार्ड के अभाव में श्री भागवत झा आजाद का अनुमान उतना ही सही है जितना की किसी भी अन्य व्यक्ति का । मैं यह कहना चाहता हूँ जब हम किसी विदेशी राजनयिक व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, तब उसका हर एक-एक शब्द रिकार्ड किया जाता है । क्योंकि हर समय के लिए हम याददास्त पर निर्भर नहीं रह सकते । यदि कोई बैठक दस वर्ष पूर्व उस समय के विदेश मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री के साथ हुई हो तो हमारे पास निश्चित रूप से उसका रिकार्ड होता है । परन्तु इस मामले में हमारे पास विदेश मंत्रालय में एक भी शब्द लिखित रूप में नहीं है । जिससे कि हम कुछ भी समझ सकें ।

श्री रामजेठ मलानी : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे : (क) क्या चीनी हमले के समय इस्राइल ने जहाजों से भरपूर एक पेरत का उपहार दिया था जिसे प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया **(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें संगत केवल प्रश्न ही पूछने दें ।...**(व्यवधान)***

श्री रामजेठ मलानी : श्रीमन् आप व्यवधानों से मेरी रक्षा करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध है ?

श्री रामजेठ मलानी : हाँ मैं उसकी संगति के बारे में बताता हूं । **(व्यवधान)**

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मुझे करना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त मन्त्री को उसका उत्तर देने दें ये शोर क्यों मचाते हैं ।

श्री रामजेठ मलानी : इससे प्रकट होता है कि गुप्त बैठके अन्तर्राष्ट्रीय कूट नीति का अग है । । इससे प्रकट होता है जो व्यक्ति उन बैठकों की खुली चर्चा करते हैं वे सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करते हैं कथा राष्ट्र के हितों के विरूद्ध कार्य करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछे । (व्यवधान)

श्री रामजेठ मलानी : वे लोग श्री वाजपेयी की सत्यवादिता की बातें करते जा रहे हैं । परन्तु जब कोई व्यक्ति उनकी पूरी सत्यवादिता दयानतदारी के अभाव की बात करता है तो यह एक प्रकार से व्यवधान पैदा करते हैं ।

मुझे प्रश्न पूछने दें । क्या यह सच है कि चीनी हमले के समय इस्राइल ने भारत को शस्त्रों का लदा एक पोत उपहार में दिया था ।

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रश्न कैसे संगत है ;

श्री रामजेठ मलानी : आपको अभी पता लग जाएगा ।

श्री भागवत झा आजाद : यहाँ शोर न मचायें । यह न्यायालय नहीं है । कृपया शोर···* और असंगत प्रश्न न पूछें ।

श्री राम जेठ मलानी : कृपया शिष्ट भाषा का प्रयोग करें मैं नहीं बोल···*आप बोल रहे हैं*

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछें ।

श्री रामजेठ मलानी : उन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिए *

अध्यक्ष महोदय मैं ऐसी बातों की अनुमति नहीं दूंगा माननीय सदस्यों को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : आपको असगत प्रश्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी जी, आप संगत प्रश्न पूछें । आप इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न पूछें ।

श्री भागवत झा आजाद : ये प्रश्न शस्त्रों से भरे युद्धपोत के बारे में नहीं है ।

श्री राम जेठमलानी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उपहार की स्वीकृति को पूर्ण रुप से गुप्त रखा गया था और जब इसका पता चला, तो प्रत्येक विपक्षी दस ने इसे गुप्त रखने में सहायता दी, और पूछे जाने पर श्रीमती गाँधी ने* बोला कि उन्होंने इसराइल में संस्थापित एक कम्पनी से खरीददारी की थी ···(व्यवधान) ।

श्री भागवत झा आजाद : वह ऐसा नहीं कह सकते* ···

अध्यक्ष महोदय : *···शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दियाजाना चाहिये, यह असंसदीय शब्द है ···(व्यवधान) यह असंगत है, यह असंसदीय है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना ही होगा ।

एक माननीय सदस्य : समूची बात को
कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये (व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री राम जेठमलानी : उन्होंने एक गलत वक्त दिया कि उन्होंने इसराइल में संस्थापित एक कम्पनी से खरीददारी की थी ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विदेशी मंत्री इसका उत्तर देंगे।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : जो भी कुछ असंगत है, उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह उचित ढंग नहीं है। आप इस प्रकार खड़े क्यों हो जाते हैं ? आप बैठते क्यों नहीं हैं ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : खड़े हुए।

श्री राम जेठमलानी : मैं ने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। उन्होंने एक गलत वक्तव्य दिया था कि उन्होंने इसरायल में संस्थापित एक कम्पनी से खरीदारी की थी। यद्यपि इस बारे में पता था कि यह वक्तव्य गलत है, तो भी विरोधी पक्ष के प्रत्येक सदस्य ने उसे बताये रखने में सहायता दी किसी ने भी इसका भण्डा फोड़ नहीं किया क्योंकि राष्ट्रीय हित से इसका छुपाया जाना ही अपेक्षित था। आखिर में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना है कि 1950 और 1955 के बीच ···(व्यवधान)।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : यह संगत नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, आप एक असंगत प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : श्रीमन्, जी कृपया मेरी बात सुनिये। 1950 और 1955 के बीच ···(व्यवधान)

श्री सी. के. जाफर शरीफ : यह असंगत प्रश्न है। जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न के संदर्भ से बाहर कहा है, उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 50, भाग (2) क्या मैं इसे आपकी अनुमति से पढ़ूं।

प्रो मधु डंडवते : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं उनकी बात सुन कर अपना निर्णय दूंगा। इस * भाग को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये। यह असंसदीय है।

श्री राम जेठमलानी : मैं कह रहा हूँ कि वक्तव्य सही नहीं है। आखिरकार क्या यह सही है अथवा नहीं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य के वक्तव्य में (व्यवधान) क्यों डाल रहे हैं ? मंत्री महोदय इसका पूरी तरह उत्तर दे सकते हैं।

श्री राम जेठमलानी : क्या यह बात सही है अथवा नहीं कि गुप्त बैठकें अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का भाग स्वीकृत भाग है जैसाकि पंडित नेहरू ने 1950 और 1955 के बीच विश्व राजनेताओं के साथ कई गुप्त बैठकें की और आखिरकार आस्ट्रेलिया स्वतंत्र हुआ ?

श्री पी. वी. नर सिंह राव : इस प्रकार का सामान्य प्रश्न ठीक नहीं है। यह संगत है यहां कुछ व्यक्तियों के बीच एक विशेष स्थिति में हुई एक विशेष बैठक की बात संगत है। अब सभी मुझ से तथ्य जानना चाहती हैं। मैंने तथ्य बता दिये हैं। यह सभा के लिये है···(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम जेठमलानी : मैं कह रहा हूं, यह विश्वसनीयता का प्रश्न नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्वीकृत भाग है। ···(व्यवधान)

श्री पी. वी. नर सिंह राव : यह उनका विचार हो सकता है। मैं ने तो इस सभा के समक्ष सरकार का विचारित दृष्टिकोण रख दिया है। इस समय हम अपने मित्र अरब देशों के बारे में विचार कर रहे हैं, हम फलस्तीनी मुक्ति संगठन के बारे में विचार कर रहे हैं। वे हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। और हम भविष्य में सदैव इस मित्रता को बनायें रखना चाहेंगे। (व्यवधान) इस संदर्भ में सरकार का विचारित दृष्टिकोण यह है। पर यदि कोई व्यक्ति इस मत से सहमत नहीं होता, तो मैं उसे सहमत होने के लिये विवश नहीं कर सकता।

श्री राम जेठमलानी : उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : एक लज्जाशील कन्या की तरह श्री वाजपेयी ने मोशेदयान आमंत्रित किया और एक गुप्त बैठक की और इसके पश्चात इसका खण्डन कर दिया। कूटनीति के क्षेत्र में वह अपनी उचित गुट-निरपेक्षता को एक टेढ़ंगे तरीके से निपटाने का प्रयास कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि उनके पास समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अतिरिक्त श्री वाजपेयी और श्री मोरारजी के बीच हुये कोई लिखित संदेश भी है। और दूसरी बात यह कि क्या इससे अरब देशों के साथ हमारे संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इससे हमारे संबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। किन्तु इससे हमारे संबधों पर प्रभाव पड़ सकता था। हमने शीघ्र से शीघ्र इसे सुधारने का प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा में सही तरह से इसका भण्डा फोड़ किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक व्यक्तिगत स्पस्टीकरण देना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति दुंगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यद्यपि सहयोग से अथवा कभी कभी समय समय पर गुप्त बैठकें होती ही रहती हैं तो भी इतिहास में हमें कभी भी एक देश के विदेश मंत्री को दूसरे देश के जिन के बीच राजनयिक संबंध न हों प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री के बीच हुयी गुप्त बैठक का पता नहीं चला है। यह नीति है···।

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्य को बताने वाले वक्तव्य हैं। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिये। ···(व्यवधान) कृपया उनके वक्तव्य में व्यवधान मत डालिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : साक्ष्य से पता लगता है किअरब देशों को समाप्त करने के सादात इसरायली षड़यंत्र का समर्थन करने का प्रयास था। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार और मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और विशेषतः मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और अपने आपको संतुष्ट करेंगे कि इस देश में, विशेषकर कि उनके मंत्रालय में इसरायल समर्थक

लाबी को जो इससे संबंधित था, जिसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ, यदि पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाता, तो उस पर नियंत्रण रखा जायेगा ? हम यह नहीं चाहते कि मंत्री महोदय बदला लेने वाली नीति अपनाये किन्तु हम यह चाहते हैं कि मन्त्री महोदय अपने मन्त्रालय में और अन्यत्र भी इसराइल समर्थक लाबी को नियंत्रण में रखें, ताकि अरबों के साथ हमारे संबंधों पर कुप्रभाव न पड़े ।

श्री पी. वी. नर सिंह राव : मैं मन्त्रालय में किसी ऐसी लाबी को नहीं जानता जो इस अथवा उसकी समर्थक है । वे सभी मन्त्रालय के अधिकारी हैं । जहाँ भी उन्हें कहा जाता है, वहां वे कार्य करते हैं और उन्हें राजदूत अथवा अन्य अधिकारी के रूप में किसी भी देश में भेजा जाता है, वे जाते हैं । जिस बात के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, मैं यह ही कह सकता हूँ कि मुझे किसी ऐसी बात का पता नहीं है, किन्तु यदि कोई भी बात मेरे नोटिस में आयेगी, तो मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सवाल-जवाब के दौरान कई बार मेरा नाम लिया गया है । (व्यवधान) मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्री मोशेदयाँ किसी निमंत्रण पर भारत नहीं आये । वह अपनी इच्छा से आये थे, भेस बदल कर आये थे । ...(व्यवधान) उनकी यात्रा एक गुप्त यात्रा थी । अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसी गुप्त यात्राएँ होती हैं—पहले भी हो चुकी हैं । अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री के नाते मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, मगर देश-हित सर्वोपरि है । नंदादेवी में न्युक्लियर डिवाइस, प्लूटोनियम पावर-पैक, रखा गया, जनता सरकार को इसका पता था । हमने इसकी पुष्टि तब तक नहीं की, जब तक यह मामला सदन में नहीं उठा । लेकिन हमने उसका राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नही की । मोशेदयाँ की गुप्त यात्रा से अरबी के साथ भारत के सम्बन्धों को नुकसान नहीं हुआ । (व्यवधान) मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ । मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ । ...(व्यवधान) मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ । मुझे स्पष्टीकरण देने का अधिकार है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये । मैंने इस का निर्णय करना है ...(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं एक उदाहरण देता हूँ । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों नहीं बैठ रहे हैं ? यह तरीका नहीं है । नियम 357 के अंतर्गत एक सदस्य अध्यक्ष के अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है जबकि सभा के समक्ष कोई प्रश्न न हो । ...(व्यवधान)

आप अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण लाइये, मैं आपको अनुमति दे दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब श्री ललित नारायण मिश्र ने अपना व्यक्ति स्पष्टीकरण देने की अनुमति मांगी थी तो उन्हें तुरन्त अनुमति दे दी गयी थी । ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठीक है । मैं अब व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं दूंगा । लेकिन क्या आप मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ?

मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण बाद में दूँगा । अगर आप की इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं ।

क्या यह सच नहीं है कि मोशेदयान की गुप्त यात्रा से भारत की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगा... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धक्का लगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा की मर्यादा को बनाये नहीं रखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : धक्का इनको लग रहा है। धक्का तब लगा जब प्रधान मंत्री ने कूटनीति के सारे नियमों को ताक पर रख कर गुप्त यात्रा को सार्वजनिक यात्रा बना दिया।

क्या मंत्री महोदय चाहेंगे, विदेश मंत्री के नाते बहुत सी जो गुप्त बातें मैं जानता हू क्या उनका रहस्योद्घाटन किया जाना वह पसन्द करेंगे ?

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : भारत की प्रतिमा को तो उसी वक्त धक्का लगा जबकि पहली रिपोर्ट न्यूयार्क के किसी अखवार में निकल चुकी थी। अब रही यह बात कि अटल जी धमकी दे रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ा मसाला मौजूद है, वह कुछ उसका भण्डाफोड़ करना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री एडूआर्डो फैलोरो : उठ खड़े हुए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं न कि आप।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : उनके औचित्य के बारे में वह समझे, सोचें, जो चाहें करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : अब यह बात तो सच है कि मोशेदयान इस देश में आये, वे भी भारतीय वायुसेना के विमान में। इस का अभिप्राय यह हुआ कि इस का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी अतिरिक बैठक प्रधान मंत्री के राजकीय आवास पर हुई। (व्यवधान)। चूंकि यह बैठक प्रधान मंत्री के राजकीय आवास पर हुई, इस लिये संदेह पैदा होता है। इससे पता चलता हे कि यह एक राजनीतिक यात्रा थी। और भारत सरकार भी इसमें हिस्सेदार थी इसने उनके लिये एक विमान की व्यवस्था की और वह प्रधान मंत्री के राजकीय आवास पर मिले। किन्तु इस बैठक का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि अन्य देशों के साथ इस देश के राजनीतिक संबंध तथा वास्तव में देश की विश्वसनीयता गिरी है। अब हमारी प्रतिमा को धब्बा लग चुका है। क्या मंत्री महोदय कृपा करके ये बतायेंगें कि क्या वह किसी भी तरह, जैसा वह चाहे इसराइल की सरकार से सम्पर्क स्थापित करेंगें और इस बात का पता लगायें जो कि वह गुप्त बैठक किस बारे में हुई थी और उस बैठक में किस मामले पर चर्चा की गयी थी क्यों कि बम्बई में उनका वाणिज्य दूतावास है और इसमें एक बहुत ही गम्भीर मामले का सम्बध है और जब कि इस बैठक का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है ?

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : हम पता लगायेंगे, किसी माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये ढग से नहीं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : श्री बाजपेयी ने अभी अभी यह कह कर पूछा है कि मोशेदयान सरकार के किसी निमंत्रण पर यहां नहीं आये थे और वह स्वयं ही यहां आये थे। स्टेटस्मैन में श्री बाजपेयी के द्वारा यह कहा गया बताया गया है मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा नहीं

कि मोशेदयान भारत में गुप्त रुप से स्वयं तथा विदेश मंत्री के पूर्व जानकारी के विना आये । अब मैं यह जानना चाहता हूँ चूंकि मंत्री महोदय ने अपने मुख्य उत्तर में यह बताया है कि मंत्रालय के रिकार्ड इस बात का अनुमान अथवा कल्पना का आधार बनाते हैं कि मोशेदयान भारत में केवल एक बार नहीं प्रत्युत तीन बार अर्थात 1977, 1978 और 1979 में आये थे ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने वैसा नहीं कहा मैंने तो यह कहा था कि जहां हमारे पास मोशेदयान की अगस्त 1977 में हुई यात्रा के बारे में पूरी सूचना है वहां जनता तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों में भिन्न भिन्न तिथियां दी गयी हैं । और मेरे पास उनकी स्मृति पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं । इसलिये इससे सम्भावना का संकेत मिलता है कि उनकी एक से अधिक यात्रायें हुई ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान् जी, मैंने अपने प्रश्न को पूरा नहीं किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय में कोई भी ऐसा प्रमाण है जो श्री वाजपेयी अथवा जनता सरकार के किसी अन्य मंत्री की इस धारणा को बल देता हो कि मोशेदयान की यात्रा का भारत सरकार को पहले से पता नहीं था । कि उन्होने उन्हें निमत्रण नहीं दिया था कि वह अपने आप आये थे । वह गुप्त रुप से आये थे और सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था । आप का रिकार्ड क्या बताता है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं किसी अन्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच सरकार के अन्तर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जहां तक विदेश मंत्रालय का सबंध है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उस विशेष पहलु से जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री से मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्रकट होने, वाले समाचारों और उनके द्वारा दिये गये विदेशों के बारे में पूछा गया था बढ़ कर मंत्रालय के पास किसी प्रकार का प्रमाण अथवा रिकार्ड नहीं है, किन्तु, यह स्पष्ट ही है कि चूँकि मोशेदयान हमारे अपने भारतीय वायु सेना के विमान में आये, इस लिए भारत सरकार के कार्यकर्ताओं को उनके बारे में पहले से ही पता था । मैं इहीं कह सकता कि सरकार इस प्रकार की अनभिज्ञता व्यक्त कर सकती है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : श्रीमान् जी इस प्रकार की गुप्त यात्राओं की हमें कोई जानकारी नहीं है श्रीमती गाँधी 1979 में किसीजर को मिलने तेहरान गयी थी । क्या मंत्री महोदय हमें बताने की कृपा करेंगें चूँकि इस मामले को सभा पटल पर लाया गया है, इस लिए मोशेदयान से क्या विशिस्ट सुझाव प्राप्त हुये थे और दूसरा तत्कालीन सरकार तथा प्रधान मंत्री ने मोशेदयान को क्या उत्तर दिया था ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे पास उस संबध में कोई सूचना नहीं है । इस बारे में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । इन रिकार्डो के न होने से, मैं बातों के बारे में कल्पना करके सभा को नहीं बता सकता । मैंने विस्तृत रुप से बता दिया है कि उस पहलू के सबंध में किसी प्रकार का रिकार्ड आदि उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय सीमाओं में बांगला देश के लोगों की घुसपैठ

*63. **श्री अजय विश्वास :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष त्रिपुरा में बेलोनिया उपमण्डल के मुहरी गरलैण्ड में बांगला देश के लोगों ने कितनी बार घुसपैठ की है; और

(ख) क्या बांगला देश सरकार ने प्रभावित लोगों को कुछ क्षतिपूर्ति दी है ?

विदेश मंत्री श्री बी० पी० नरसिंह राव : (क) बीस बार।

(ख) जी, नहीं।

रेल कर्मचारियों के लिए आवास

*64 **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनों और यार्डों से लगती हुई रेलवे भूमि रेल कर्मचारियों को अपने घर बनाने के लिए पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो कर्मचारियों के आवास की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या योजनाएं हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए घर का प्रबंध अपने आप क्वार्टरों का निर्माण करके करती हैं, जिनकी संख्या विभिन्न स्टेशनों की आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता पर आधारित होती है।

दक्षिण भारत में संसद के सत्र का आयोजन

*65 **श्री अमर राय प्रधान** :

श्री के० लकप्पा : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा संसद का सत्र दक्षिण भारत में करने का है ? और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मार्च 1980 में 433 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक प्रतिवेदन दिया जिसमें संसद का अगला सत्र बंगलोर में करने के लिए निवेदन किया गया था। संसद का एक सत्र प्रतिवर्ष बंगलोर में करने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता सरकार के विचाराधीन है।

जाली टिकटों तथा वारन्टों के लिए रेल कर्मचारियों के घरों पर छापे

*66. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन और दानापुर में जाली टिकटों तथा वारन्टों आदि के बारे में कुछ रेल कर्मचारियों के घरों पर छापे मारे गये थे,

(ख) यदि हां, तो कब और वहां से कितने जाली टिकट आदि प्राप्त किये गये,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटना जंक्शन पर अनुमानतः कितना घाटा हुआ,

(घ) इस मामले में कुल कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का हाथ पाया

गया है और क्या उनके द्वारा अर्जित सम्पतियों के उनकी आय के हिसाब ले अधिक होने के बारे में जांच कार्य पूरा कर लिया गया है,

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं, और

(च) सरकार द्वारा इस बात को सुनिनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि जाँच का कार्य पक्षपात रहित और अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त हो और पूरे तथ्य प्रकाश में आ जाएं ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ ।

(ख) 29. 12. 79 और 29. 1. 80 को घरों पर छापे मारे गये थे । कोई जाली टिकट बरामद नहीं हुआ । लेकिन छापे में एक कर्मचारी के घर पर 8 रेलवे वारंट पाये गये थे, जिन पर गुप्तचर विभाग, आसूचना शाखा, बिहार और बिहार मिलिटरी पुलिस बटेलियन नं० 7 की मुहरें लगी हुई थीं ।

(ग) इस समय आय की हानि का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अभी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(घ) इस मामले में चार अराजपत्रित कर्मचारियों के लिप्त होने का संदेह नही है । किसी राजपत्रित अधिकारी के लिप्त होने का संदेह नहीं है । इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति की खरीद के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल शुरू की गई है ।

(ङ) सम्पत्ति के मामले की छान-बीन की जा रही है।

(च) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा उचित और निष्पक्ष रूप से जाँच-पड़ताल की जा रही है जो रेल प्रशासन से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी है ।

सरदार स्वर्ण सिंह की पाकिस्तान यात्रा

*67. **श्री राम गोपाल रेड्डी :**

श्री अमरसिंह बी० राठवा : क्या विदेश मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में सरदार स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस से पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध और अधिक सामान्य बनाने में कितनी सहायता मिली है ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) जी, हां । सरदार स्वर्ण सिंह ने 11 से 14 अप्रैल, 1980 तक पाकिस्तान की यात्रा की थी ।

(ख) पाकिस्तानी नेताओं के साथ सरकार स्वर्ण सिंह की बात-चीत से विभिन्न द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अपनी-अपनी स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझाने में मदद मिली है और उम्मीद है कि इसमें दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी ।

अण्डल-सेथिया सेक्शन में रेल गाड़ियां चलाना

*68. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डल-सेथिया सेक्शन में अधिक रेल गाड़ियां चलाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाइन क्षमता की तंगी और अंडाल-साइथिया खंड में कोयला पायलटों के संचलन के कारण, इस खंड में कोई अतिरिक्त यात्री गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

कार्यानुसार मजूरी के कारण न्यूनतम मजूरी अधिनियम का व्यर्थ हो जाना

*69 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सबसे नीची श्रेणी के श्रमिकों को लाभ पहुँचाने हेतु बना सांविधिक न्यूनतम मजूरी कानून समूचे देश में उद्योगों तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए कार्यानुसार मजूरी के कारण व्यर्थ हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी अंजय्या : (क) और (ख) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में "काल-दर" या "उजरती दर" के रूप में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संरक्षण के उपाय शामिल हैं। अधिनियम के उपबंधों से बचने के विशिष्ट मामले हो सकते हैं। अब ऐसे मामले ध्यान में आते हैं, तब समुचित सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती हैं।

क्षेत्रीय बैठक के लिए बांगला देश का सुझाव

* 70 **श्री चित्त बसु** :

श्री जर्नादन पुजारी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाँगलादेश के राष्ट्रपति ने हाल ही में इस क्षेत्र के देशों की एक शीर्षस्थ बैठक बुलाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) बांगलादेश के राष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया में, देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग करने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया है कि इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का एक तरीका यह हो सकता है कि एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाए।

(ख) सिद्धांतः हमें यह सुझाव अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस प्रकार के सहयोग को लाभदायक बनाना है तो अच्छी तरह तैयारी करके इसे शुरू किया जाना चाहिए।

राजधानी के सरकारी अस्पतालों में हड़तालें

* 71. **श्री एस. एम. कृष्ण** :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्र सरकार के तीन प्रतिष्ठित अस्पतालों में किसी न किसी कारण को लेकर रेजिडेंट डाक्टरों तथा अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों की बार-बार हड़तालें हुई हैं

जिसके फलस्वरूप समूची अस्पताल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं और रोगियों को काफी परेशानी हुई है; और

(ख) इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को रोकने और अस्पताल सेवाओं में सुधार के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) इन अस्पतालों में अधिकतर रेजिडेंट डाक्टरों द्वारा हड़तालें की गई हैं। इन हड़तालों के दौरान अस्पतालों की सेवाओं पर आंशिक रूप से असर पड़ा था। फिर भी वरिष्ठ डाक्टरों और संकाय के सदस्यों की सहायता से अस्पतालों के काम काज में होने वाली अव्यवस्था और जनता की परेशानियों को काफी कम किया गया। इमरजेंसी सेवाएं बराबर दी जाती हैं।

(ख) सरकार इस समस्या से पूर्णतया अवगत है और इस मामले में आवश्यक कदम उठा रही है।

समुद्री जहाजों की मरम्मत

* 72. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जहाजों की मरम्मत के लिए एक योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और वागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं होता।

प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना

* 73. **श्री चित्त महाटा :**

श्री छोटूभाई गामित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को उस परिवार के जीविकोपार्जन हेतु रोजगार प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) और (ख) 1980-85 योजना के सूत्रीकरण के संदर्भ में यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

भर्ती करने वाली एजेन्सियों में कदाचार

* 74. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य राष्ट्रों को श्रमिक भेजने वाली श्रमिकों की भर्ती करने वाली कुछ एजेन्सियां विशेषकर वे एजेंसियां जो महानगरों में स्थित है उन श्रमिकों से भारी धनराशि लेती हैं जिन्हें वे विदेश भेजती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) सरकार को समय-समय पर भर्ती एजेन्सियों के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्टें मिलती रही है कि भर्ती एजेंसियां इच्छुक उत्प्रवासियों से भारी धनराशि वसूल करती हैं। इस प्रकार की रिपोर्टों को जाँच तथा कार्रवाई के लिए सक्षम पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 8 भर्ती एजेंसियों तथा 120 व्यक्तियों के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) उत्प्रवासियों से सम्बद्ध एक नए कानून के प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर बिचार हो रहा है और यह उम्मीद की जाती है कि उत्प्रवासियों की भर्ती से सम्बद्ध सभी पक्ष इसके अंतर्गत आ जायेंगे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की शुद्धि करने के बारे में रथ समिति का प्रतिवेदन

* 75. श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

श्री के. राममूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की शुद्धि करने के बारे में रथ समिति का प्रतिवेदन गत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का तत्संबधी निर्णय क्या है ?

श्रम मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) जी हाँ।

(ख) आशा है कि संसद का बजट सत्र समाप्त होने से पहले निर्णय ले लिया जाएगा।

चलती गाड़ियों में डकैतियाँ

* 76. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के विभिन्न भागों में चलती गाड़ियों में डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर दिलाया गया है।

(ख) क्या यह सच है कि गत पाँच वर्षों की तुलना में इस वर्ष ऐसी घटनाएं अधिक हुई हैं; और

(ग) गाड़ियों में डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। राज्य पुलिस प्राधिकारियों से मिली सूचना के अनुसार 1975, 1976, 1977, 1978 और 1979 में चलती गाड़ियों में डकैती और लूट-पाट के क्रमश: 299, 179, 278 223 और 253 मामले हुए। चालू वर्ष में अप्रैल, 1980 तक चलती गाड़ियों में डकैती और लूट-पाट के 74 मामले हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि चालू वर्ष में रूख कमी की ओर है।

(ग) पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और सविधान के अनुसार यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत सरकारी रेलवे पुलिस का है। विभिन्न राज्यों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उन्होंने अपना दायित्व प्रभावी ढग से निभाने में कठिनाई व्यक्त की थी। रेल

मंत्रालय ने राज्यों की सरकारी रेलवे पुलिस का खर्च 50 : 50 के हिसाब से वहन करना स्वीकार कर लिया है। राज्यों से भी कहा गया है कि वे इसे स्वीकार कर लें और सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव भेजें। रेलवे सुरक्षा दल का काम रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करना है लेकिन रेलों में अपराधों की रोक-थाम में वह रेलवे पुलिस की सहायता भी करता है। इसके अलावा, रेलें अपनी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई भी करती हैं :—

(1) रेलें सभी स्तरों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों से निकट संपर्क रखती हैं।

(2) सवारी डिब्बों के गलियारेदार दरवाजे 22·00 और 6·00 बजे के बीच बन्द कर दिये जाते हैं।

(3) चल टिकट पर परीक्षकों/परिचरों/कंडक्टरों से कहा गया है कि वे आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने में सतर्क रहें।

(4) जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में अपराध अधिक होने लगते हैं, तो रेल यात्रियों की अधिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है और जब कभी आवश्यकता होती है, उन्हें अपेक्षित सहायता दी जाती है।

(5) इसके अलावा, अपराधों की रोक-थाम और यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल के लगभग 2000 कर्मचारी यात्री गाड़ियों में मार्ग रक्षा के लिए तैनात किये गये हैं।

(6) रेलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने और उसमें सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की जा रही है।

श्री गौनसाल्वस का दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के देशों की राजधानियों का दौरा

* 77. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय के सचिव श्री गौनासाल्वस ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी एसियाई राष्ट्र संघ के देशों की राजधानियों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दौरे का उद्देश्य क्या था ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग के मामलों पर प्रथम भारत–'एसियन' संवाद पर तथा पारस्परिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श करना था।

कलकत्ता में एक क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना

* 78. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कलकत्ता में एक क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता पहले ही 1975 से पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसंधान कार्य के लिए रोगियों का प्रयोग

* 79. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री पी. एम. सईद : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दाखिल हुए रोगियों को अनुसंधान कार्य के लिए गिनीपिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसंधान के लिए औषधियों का प्रयोग 'हैपेटाइट्स एमेवायोसिस' के रोगियों पर किया जाता है; और वे उनके जीवन के लिए घातक हो सकती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार का अमानवीय कार्य करने के लिए डाक्टर विवश हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हाँ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया की नौगम्यता

*80. **श्री नीरेन घोष** नौवहन और परिवाहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बलारी बार के फैलने से हल्दिया की नौगम्यता पर प्रभाव पड़ रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नौहवन और परिवहन पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हाँ ।

(ख) विदेशी विशेषज्ञों ने नमूने के आधार पर अध्यन करने के लिए जो सुझाव दिए थे उनके अनुसार अध्यन करने का काम पुणें में पूरा किया जा चुका है लेकिन विदेशों में होने वाला गणितीय नमूना अध्ययन का काम अभी भी हो रहा है। इन अध्ययनों के पूरे हो जाने बाद ही इस बारे में अन्तिम रूप से कोई विचार निश्चित किया जायगा।

अखिल भारतीय मजदूर वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

467. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या श्रम मंत्री यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय मजदूर वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100) के अनुसार गत दस माह के माह-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उसके बारह मासिक औसतों के माह-वार तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) तथा बारह मासिक परिवर्ती औसत आधार : 1960 =100

मास	मासिक सूचकांक	12 मासिक परिवर्ती औसत
1979		
जून	345	355.50
जुलाई	353	337-42

अगस्त	360	339.83
सितम्बर	363	342.08
अक्टूबर	365	344.17
नवम्बर	368	346.50
दिसम्बर	374	349.75
1980		
जनवरी	371	353.00
फरवरी	369	356.33
मार्च	373	359.75

टिप्पणी : अप्रैल और मई, 1980 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिम बगाल में राष्ट्रीय राजपथों के लिए धनराशि

468. **श्री रूप चन्द पाल :** क्या नौहवन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों के विकास मरम्मत/निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है,

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि माँगी थी, और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए इसी प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि की माँग की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मन्जूर की गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) उपलब्ध साधनों और सारे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1980 81 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी (मूल) निर्माण कार्यों के लिए फिलहाल 500 लाख रुपये नियत किये गए हैं जो संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर निर्भर है । राज्य सरकार ने 654.51 लाख रुपये की माँग की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे निर्माण कार्य भी शामिल किए गए हैं जिनको अभी-अभी मन्जूर किया जाना है ।

उपलब्ध साधनों और सारे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों की मांगों के आधार पर अनुरक्षण और मरम्त के विभिन्न कार्यों जैसे मामूली मरम्मत, नवीकरण बाढ़ के कारण होने वाली टूट-फूट की मरम्मत, विशेष मरम्मत के लिए धनराशि दी जाती है । वर्ष 1980-81 में पश्चिमी बंगाल के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 81 लाख रुपये दिए जा चुके हैं । इन कामों के लिए समय-समय जो भी माँग की जायेगी उसके अनुसार इन कामों के स्वीकार किए जाने पर राज्य सरकार को और भी धनराशि दी जायेगी ।

विवरण

(क) और (ख) :

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य			राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत	
	बजट अनुमान में शुरू में की गई व्यवस्था	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि (अंतिम रूप से प्रस्तुत	धनराशि के उपलब्ध होने और खर्च में प्रगति के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत धनराशि	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि (अन्तिम रूप से प्रस्तुत आवश्यकताएं)	धनराशि के उपलब्ध होने और खर्च में प्रगति के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत धनराशि
				(लाख रुपये)	
1977-78	450.00	516.00	503.00	273.22	156.16
1978-79	502.00	410.00	410.00	310.64	221.95
1979.80	539.00	450.67	400.00	342.10	213.16

जंगीपुर और बंगाल की खाड़ी के बीच गंगा से गाद हटाया जाना

469. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जंगीपुर और बंगाल की मुहाने के बीच गंगा से गाद हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है।

नौवहन और परिवहन मंत्री तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) निकर्षण कर नदी के तल में जमने वाली मिट्टी हटायी जा रही है और मिट्टी को कुछ नदी संरक्षण कार्यों के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है।

निकर्षण कार्य मोटे तौर पर 4 भागों में बॉटा जा सकता जैसे :—

(I) नदी के ऊपरी भाग में निकर्षण, अर्थात कलकत्ता पत्तन के ऊपर की ओर नदी तल का निकर्षण, जिसका आशय मिट्टी के बहाव को अवरूद्ध करके इसे वहां से हटाना है ताकि वह बह कर नीचे कलकत्ता की ओर न आ जाए।

(II) गोदी निकर्षण अर्थात कलकत्ता और हल्दिया में गोदियों के अन्दर निकर्षण करना।

(III) नदी निकर्षण अर्थात कलकत्ता से वलारीवार तक नौगम्य जलमार्ग का निकर्षण करना।

(IV) नदी के मुहाने पर तल का निकर्षण, अर्थात हल्दिया तक नौवहन जलमार्ग का निकर्षण।

हुगली नदी में नौवहन के लिए अपेक्षित जल स्तर को बनाए रखने के लिए पत्तन के पास कलकत्ता/डेंजरों का एक बेड़ा है जिससे कलकत्ता के ऊपर के ओर तल में जमा होने वाली मिट्टी को हटाने का काम लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त कमजोर किनारों को सुरक्षित रखने के कार्य और कुछ नदी संरक्षण कार्य भी किए जा रहे है जिससे कि नदी के नौगम्य भाग में मिट्टी जमा न होने पाये।

अमरीका द्वारा दिस्यों गार्सिया में सैनिक अड्डे का विस्तार

470. **श्री कमला मिश्र मधुकर**

श्री ए० नीलालो हियादसन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने दिस्यों गार्सिया में अपने सैनिक अड्डे का विस्तार करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि अमरीका की यह कार्यवाही भारत की सुरक्षा को और खतरे में डाल रही है; और

(ग) यदि हां तो इस सर्वेध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राय) : (क) हमारी सूचना के अनुसार अमरीकी रक्षा विभाग में घोषणा की है कि 1981 के बजट में, जो कि अक्तूबर, 1980 में शुरू होगा, दिएगो गार्सिया में पत्तन विभाग उड़ा करने के स्थान और हवाई पट्टी के और रनवे तथा ईंधन भंडारण सुविधाओं के लिए राशि माँगी जाएगी।

(ख) और (ग) हिन्द महासागर में बाहरी शक्तियों की निरन्तर लड़ती हुई सैनिक उपस्थिति के प्रयत्नों, जैसे कि दिएगो गार्सिया में में सैनिक अड्डे का बिगाड़ पर भारत सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। हमारी चिंता से संयुक्त राज्य अमरीका को अवगत करा दिया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिन्द महासागर मे शान्ति का क्षेत्र स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर ध्यान देने की वजाय इन चेष्टाओं से बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता और मुकाबले की संभावनाएं बढ़ेंगी।

आसनसोल मार्ग पर डेबल-डेकर कोचों का चलाया जाना

471. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल मार्ग पर डबल डेंकर कोच चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग)

हावड़ा-आसनसोल खंड पर दो-मंजिले सवारी डिब्बे चलाने का प्रस्ताव सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इस समय इस खंड पर इस्तेमाल के लिए फालतू दो-मजिले डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं।

बोनस पेपर मिल, फरीदाबाद द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राशि जमा किया जाना

472 **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 50 न्यू इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, फरीदाबाद ने गत तीन वर्षों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि के अंतर्गत कितनी राशि जमा की है; और इसकी कितनी राशि अभी बकाया है; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या)

(क) बीनस पेपर मिल्स, फरीदाबाद (बोनस पेपर मिल्स नामक कोई प्रतिष्ठान नहीं है) से बकाया राशि की वसूली करने संबंधी स्थिति, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सूचित की गई है, इस प्रकार है :—

कर्मचारी भविष्य निधि बकाया राशि

1,06,443.00 रुपये की धन राशि जमा करा दी गई है और कोई राशि बकाया नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशि

78,720.50 रुपये की धन-राशि जमा करा दी गई है और 1,038,49 रुपये की राशि बकाया है। बकाया धन राशि को वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही की गई है।

(ख) जी नहीं।

कोयले का लदान

473. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण रेलवे द्वारा कोयले के लदान कार्य में ढील की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) रेलवे को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) :

बंगाल बिहार सेक्टर के कोयला लदान क्षेत्रों में बिजली के बार-बार तथा लम्बे समय तक बन्द रहने के कारण अप्रैल-मई, 1980 के दौरान बंगाल-बिहार क्षेत्रों से कोयले के लदान में पिछले दो महीनों की तुलना में कमी हुई। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने लिए ऊर्जा मन्त्रालय को लिखा गया है।

मेघालय में सड़क संचार का विकास

474. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मेघालय में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 24 किलो मीटर पर सड़क है जबकि देश में 34.4 किलोमीटर है,

(ख) यदि हां, तो राज्य में सड़क संचार का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) क्या सरकार के पास मेघालय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ एक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। स्थिति इस प्रकार है :—

	प्रति एक लाख की आबादी पर सड़क की लम्बाई (किलोमीटर)	प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क की लंबाई (कि.मी)
मेघालय	348	16
अखिल भारतीय	260	48

(ख) और (ग) : राज्य में केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़क कार्यक्रमों तथा राज्य की योजना के तहत सड़क संचार व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़क कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों आदि के अधीन 890 किलोमीटर तक सड़कों के विकास को शामिल किया गया है और इन सड़कों पर 1978-83 के दौरान सुधार के अनेक कार्यों को शुरू करने का विचार किया गया है। यह कार्यक्रम उन निर्माण कार्यों के अतिरिक्त शुरू किया गया है जो राज्य सरकार राज्य की योजना के तहत शुरू कर रही है। 580 किलोमीटर लम्बी सड़क में एक सीधी सड़क मेघालय में मानकचार (पश्चिम की ओर का सीमान्त स्थल) से बलत तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ पहले से ही बनी हुई है। कुछ छूटे हुए भागों को छोड़कर जिन की लंबाई 135 किलोमीटर है, बलत से सोनपुर (पूर्व की ओर का सीमान्त स्थल) तक एक और सड़क भी है। सड़क के जो भाग छूटे हुए हैं वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक अन्य मार्गों से पहुँचा जा सकता है।

बम्बई बन्दरगाह से माल को अन्यत्र ले जाया जाना

475. **श्री के० टी० कोसल राम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1979 के दौरान कोचीन बंदरगाह पर कान्फ्रेंस लाइन्स द्वारा कॉलिंग में काफी कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बम्बई बन्दरगाह से माल अन्यत्र ले जाने के लिये बी० आर० मेहता समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) यह सच है कि कान्फ्रेंस लाइनों के जहाजों का कोचीन पत्तन पर आना पिछले वर्षों के मुकाबिले 1979 में कम हो गया। कान्फ्रेंस लाइनों के कई जहाज कोचीन पत्तन पर आ रहे हैं और सम्बन्धित कान्फ्रेंस लाइने वाणिज्यिक आधार पर किसी खास पत्तन पर आने के बारे में स्वयं ही निर्णय करती है। इसलिए जहाजों के आने में कमी के सटीक कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद यह विभिन्न कान्फ्रेंस लाइनों में आपस में अच्छे समन्वय होने के कारण हो।

(ख) और (ग) माल को मोड़ने के बारे में मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मन्त्रालय द्वारा एक अन्तरमन्त्रालय समिति (शक्ति प्राप्त समिति) गठित की गई थी। इन

सिफारिशों पर अन्तर मन्त्रालयी समिति की मार्च, 1979 की बैठक में विचार किया गया। इन सिफारिशों को जितना सम्भव हो सका है लागू कर दिया गया है।

इस्लामी सम्मेलन

476. **गा फारुक अब्दुल्ला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1980 में पाकिस्तान में इस्लामी सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में काश्मीर के मसले पर भी बातचीत हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत ने इस पर आपत्ति की थी;

(घ) क्या भारत ने इस मसले पर अन्य भाग लेने वाले मुख्य देशों से बातचीच की है और उनसे काश्मीर के मसले के बारे में सम्मेलन में उनके द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा है।

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या विचार थे और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी; और

(च) क्या पाकिस्तान को यह सूचित कर दिया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही से देशों के सम्बन्ध सुधारने में कोई सहयोग नहीं मिलेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) इस्लामी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का ग्यारहवाँ अधिवेशन इस्लामाबाद में 17 मई से 21 मई, 1980 तक हुआ।

(ख) और (ग) जी नहीं। लेकिन काश्मीर प्रश्न का उल्लेख पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने 17 मई को अपने उद्घाटन भाषण में किया था। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान राजदूतावास को अपना आपत्ति सन्देश भेजा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हाँ।

पश्चिम बंगाल को रेलवे रैक की आवश्यकता

477. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के लिये रेलवे के रैकों की प्रतिमास, कितनी अवश्यकता पड़ती है, और

(ख) गत तीन वर्षों में, महीनेवार, कच्चे माल की ढुलाई के लिये वास्तव में कितने रेक सप्लाई किये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल अथवा अन्य राज्यों के लघु उद्योगों को कच्चे माल की कितनी आवश्यकता है और उन्हें कितना माल ढोया गया, इसकी सूचना रेलें संकलित नहीं करती और इसे तत्काल इकठ्ठा करना कठिन है। बहरहाल, संबंधित रेल प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश हैं कि जो उद्योग अपेक्षित कच्चे माल की ढुलाई के लिए सहयोग देने का अनुरोध करें, उन्हें सहयोग दिया जाय।

रेलवे में विद्युत रेल-पथ

478. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में विद्युत रेल पथ लागू करने के लिये अपनाये गये मानदंड क्या हैं ?

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत रेल पथ लागू करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) विद्युतीकरण के लिए भारी प्रारम्भिक निवेश करना पड़ता है और वित्तीय दृष्टि से उसका औचित्य यातायात के भारी घनत्व वाले केवल उन खडों पर होता है जहां भाप कर्षण से यातायात को सम्हाला नहीं जा सकता और जहां विद्युत कर्षण डीजलीकरण से सस्ता पड़ता है।

(ख) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल सुरक्षा बल का बोनस

479. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बोनस देना स्वीकार कर लिया गया है,

(ख) रेलवे सुरक्षा बल विभाग में कार्यरत रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और

(ग) इन कर्मचारियों को भी बोनस योजना के अतर्गत लाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) लगभग 65,500

(ग) (i) 1979-80 के दौरान अन्य रेल कर्मचारियों के समान 15 दिन की मजूरी का तदर्थ भुगतान। 1.48 करोड़ रु०

(ii) आधार वर्ष 1977-78 के राजस्व उपार्जक यातायात मी० टन किलोमीटर के अनुसार कार्य-निष्पादन के आधार पर 25 दिन की मजूरी के बराबर उत्पादकता सम्बद्ध बोनस 2.46 करोड़ रु०

पश्चिम बंगाल में फाउन्ड्री उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति

480. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुल तथा फाउन्ड्री उद्योगों को दुर्गापुर बर्नपुर क्षेत्र से कच्चे माल की आपूर्ति के लिए रेलवे रेकों की सप्लाई किये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो रैकों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्लामी सम्मेलन

481. **श्री गुलाम उसूल कोचक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

मई, 1980 में पाकिस्तान में आयोजित इस्लामी सम्मेलन के परिणाम के बारे में भारत सरकार की धारणा क्या थी ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : पाकिस्तान में मई, 1980 में आयोजित इस्लामी सम्मेलन के अन्तिम प्रलेस भारत सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। लेकिन भारत सरकार को पता चला है कि एक निर्णय यह भी लिया गया था कि अफगानिस्तान और उसके आस-पास की स्थिति के बारे में आने की आवश्यक कार्यवाही पर विचार-विमर्श करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाए . सरकार इस प्रस्ताव को विचार के योग्य समझती है।

482. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 से कोयले की ढुलाई के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई नहीं किये गये,

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक कितने माल डिब्बे माँगे गये तथा कितने सप्लाई किये गये, और

(ग) पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : जनवरी और मई, 1980 के बीच कोयले का दैनिक औसत लदान पिछले 5 महीने के 8762 माल-डिब्बों से बढ़कर 8981 माल-डिब्बे हो गया।

देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना

483. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, राज्य वार कुष्ठ रोग संबंधी आँकड़े क्या हैं;

(ख) सरकारी तथा सरकारी-सहायता प्राप्त अस्पतालों में अन्तरंग तथा बहिरंग रोगी विभाग में इसके इलाज के लिए क्या सुविधायें हैं; और

(ग) कुष्ठ रोग के निवारण तथा इलाज के कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों को क्या सहायता दी गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) 31 दिसम्बर, 1979 तक प्रत्येक राज्य में जितने कुष्ठ रोगियों का पता चला और जितने रिकार्ड किए गये उनकी संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुष्ठ रोगियों का बहिरंग उपचार कुष्ठ रोग नियंत्रण यूनिटों, सर्वेक्षण शिक्षण उपचार केन्द्रों तथा नगरीय कुष्ठ रोग केन्द्रों आदि के जरिये किया जाता है तथा अंतरंग उपचार जरुरतमन्द अथवा गम्भीर रुप से बीमार अथवा जटिल कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोग अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों अथवा चिकित्सा संस्थाओं से सम्बद्ध अस्थायी वार्डों में भर्ती कर दिया जाता है। कुष्ठ रोग से कुरुप हो गये जिन कुष्ठ रोगियों के रोग पर काबू पा लिया गया है उनकी कुरूपता को ठीक करने के लिए उनका उपचार कुष्ठ रोग अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों के पुनर्रचनात्मक शल्य चिकित्सा यूनिटों में फिजियोथेरापी द्वारा किया जाता है। ये सभी यूनिट सरकार तथा सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों दोनो के अधीन कार्य करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोग रोधी कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठन सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशों पर इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत सहायता के पेटर्न के अनुसार भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1971 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या (लाखों में)	1979-80 के दौरान पता लगाए गए नए रोगी (लाखों में)	अब तक जितने रोगियों का पता चला (लाखों में)	रोग की अनुमानित दर प्रति हजार
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	435·03	0·509	4·645	14·45
2.	असम	146·25	—	0·045	0·82
3.	बिहार	563·53	0·152	1·681	6·02
4.	गुजरात	266·98	0·090	0·516	2·02
5.	हरियाणा	100·37	केवल 6	0·001	0·10
6.	हिमाचल प्रदेश	34·60	0·002	0·061	4·34
7.	जम्मू व कश्मीर	46·17	0·002	0·051	1·08
8.	कर्नाटक	292·99	0·124	1·184	5·94
9.	केरल	213·47	0·038	0·371	3·51
10.	मध्य प्रदेश	416·54	—	0·234	0·77
11.	महाराष्ट्र	504·12	0·429	2·869	5·55
12.	मणिपुर	10·73	0·003	0·054	5·59
13.	मेघालय	10·12	—	0·017	5·93
14.	नागालैण्ड	5·16	केवल 48	0·019	9·69
15.	उड़ीसा	219·45	0·165	1·310	10·80
16.	पंजाब	135·51	—	0·006	0·15
17.	राजस्थान	257·66	0·007	0·051	0·39
18.	सिक्किम	2·09	केवल 22	—	7·67
19.	तमिल नाडु	411·99	0·619	7·070	19·01
20.	त्रिपुरा	15·56	0·003	0·029	6·43
21.	उत्तर प्रदेश	883·41	0·264	2·468	1·90
22.	पश्चिम बंगाल	443·12	—	1·766	8·58
	संघ शासित क्षेत्र				
23	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1·15	0·001	0·00·5	8·70
24.	अरुणाचल प्रदेश	4·68	—	0·008	2·14

1	2	3	4	5	6
25.	चण्डीगढ़	2·57	—	—	—
26.	दादर तथा नगर हवेली	0·74	केवल 23	0·005	1·35
27.	दिल्ली	40.66	0·002	0·046	0·25
28.	गोवा दमण व दीव	8·58	0·002	0·013	5·83
29.	लक्षद्वीप	0·32	केवल 2	0·005	31·25
30.	मिजोरम	3·32	0·001	0·003	3·01
31.	पांडीचेरी	4·72	0·007	0·129	40·25
	अखिल भारत	5481· 9	2·422	24·662	5·93

सीशेल्स के राष्ट्रपति की यात्रा

* 484. **श्री सुभाष चन्द्र बोष अल्लूरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीशेल्स के राष्ट्रपति ने मई, 1980 में भारत की यात्रा की थी और सरकार के विभिन्न अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : (क) जी, हां । सीशेल्स के राष्ट्रपति ने 2 मई से 11 मई, 1980 तक भारत की राजकीय यात्रा की थी .

(ख) यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मसलों और द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विनिमय हुआ । माही में भारत का एक रिहायशी राजनयिक मिशन खोले जाने की उम्मीद है जिसके कि पारस्परिक निकट सम्बन्धों को विकसित किया जा सके । आशा है कि दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जाएगी ।

नकली दवाइयों पर रोक लगाने के लिये उपाय

485. **श्री जय नरायण सेन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकली दवाइयों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी तथा समन्वित उपाय किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन उपायों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ? और

(ग) राज्य-स्तर पर नियत्रण-तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा क्या नकली दवाई बनाने वालों के विरुद्ध निवारक निरोध अधिनियमको प्रयुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनयम के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के अधीन दवाओं के निर्माण तथा बिक्री पर राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस पद्धति तथा निर्माण और बिक्री के स्थानों का निरीक्षण करके नियंत्रण रखा जाता है । कुछेक राज्यों के औषधि नियंत्रण संगठनों ने नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए अलग से कानूनी तथा आसूचना कक्ष स्थापित किए हैं नकली दवाओं के निर्माण तथा बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गये हैं वे इस प्रकार हैं

1. नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री करने पर दण्ड को जुर्माने सहित तीन वर्ष से

10 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 1964 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित किया गया था। न्यायालाओं से अनुरोध किया गया था कि यदि वे एक वर्ष से कम की सजा देना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष कारण लिखित रूप में रिकार्ड करें।

2. 1964 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें प्रत्येक दुकानदार अथवा किसी निर्माता के एजेन्ट से यह अपेक्षा की गई कि वह औषध निरीक्षक को उस व्यक्ति का नाम, पता तथा अन्य ब्यौरा बताये जिससे उसने औषधियां अथवा प्रसाधन सामग्री खरीदी हैं।

3. 1964 में एक ऐसी व्यस्वथा की गई थी जिसके तहत यदि नकली दवाइयों के निर्माण अथवा उनके वितरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है तो उन दवाओं के स्टाक को जब्त किया जा सकता है। ऐसी दवाओं के निर्माण, बिक्री अथवा वितरण में प्रयुक्त मशीनरी के साज-समान और ऐसे पात्रों, बडलों अथवा कवरों को जिनमें ये नकली दवाइयां रखी गई हों, और इन दवाइयों को ले जाने वाली गाड़ियों, पशुओं, यानों अथवा अन्य वाहनों को भी जब्त किया जा सकता है।

4. बिना लाइसेंस प्राप्त किए औषधियों का निर्माण करने वालों को जो प्राय: नकली औषधियों का निर्माण व बिक्री करते हैं, इस व्यवसाय से हटाने के अभिप्राय से लाइसेंस प्राप्त औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है और इसे अद्यतन कर दिया गया है। इस सूची को सभी राज्यों औषधि नियत्रकों तथा औषधि निर्माताओं और विक्रेताओं की मुख्य एसोशियेसनों को भी परिपत्रित कर दिया गया है।

5. राज्यों को सलाह दे दी गई है कि वे नकली दवाइयों के प्रति गहन अभियान चलाने के लिए पुलिस अधिकारियो के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करें।

6. जब भी केन्द्रीय औषधि मानक नियत्रकसंगठन में नकली दवाओं के निर्माण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह घोटाला अन्तर्राज्य किस्म का होता है तो संबंधित राज्यों को तुरन्त सचेत कर दिया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे राज्य पुलिस की सहायता से आवश्यक कार्यवाही करें।

7. दवा निर्माताओं और विक्रेताओं के हित को देखने वाले संघों का सहयोग प्राप्त किया गया है और प्राप्त किया जा रहा है ताकि निर्माण और बिकी अच्छी प्राणाली का पालन सुनिश्चित किया जा सके। नकली दवाओं के विरुद्ध अभियान में भी उनका सहयोग मांगा जा रहा है।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकें जोनल राज्य औषधि नियंत्रकों की बैठकें आयोजित करके तथा जोनल अधिकारी राज्य औषध नियंत्रकों से विचार विमर्श द्वारा तथा पत्राचार के माध्यम से राज्य के औषध नियंत्रण संगठन के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

9 राज्यों से औषध सलाहकार बोर्डों का गठन करने का अनुरोध किया जा चुका है जिनमें निर्माताओं, विक्रेताओं, चिकित्सा व्यवसाय तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए जो राज्य सरकारों औषधि एवं प्रसाधन समाग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए उपाय सुझाये।

10. केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता, केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद और केन्द्रीय अनुसधान संस्थान, कसौली में उपलब्ध जांच

सुविधाएं राज्यों को सौंप दी गई हैं। अब 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र इन जाँच सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

11. केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए तथा सारे देश में इस अधिनियम को एकरूपता से लागू करने के लिए केन्द्रय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जोनल कार्यालय, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गाजियाबाद में खोल दिए गए हैं। इन जोनल कार्यालयों के साथ औषधि निरीक्षक भी सम्बद्ध है और ये निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधियाँ औषध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानको के अनुसार ही तैयार की जा रही है, राज्य प्राधिकारियों के साथ मिल कर औषधि निर्माताओं के अहातो में संयुक्त निरीक्षण करते हैं।

12. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त औषध निरीक्षकों की तकनीकी क्षमता को केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा अद्यतनिकतम बनाया जाता है और जिसके लिए वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। यह एक क्रमिक कार्यक्रम है और राज्य सरकारें इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद, जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं, समय समय पर सुझाव देती रही है कि राज्य सरकारों को औषध नियंत्रण अधिनियम लागू करने वाली अपनी मशीनरी को मजबूत तथा पुनर्गठित करने के उपाये करने चाहिए। केन्द्रीय स्वाथ्य परिषद द्वारा जो विशेष सिफरिशें की गई वे इस प्रकार हैं।

राज्यों को चाहिए कि वे अपनी औषध नियंत्रण मशीनरी को पुनर्गठित करें ताकि उसमें

(1) एक पूर्ण कालिक अधिकारी उसका इंचार्ज हो जिसे औषधि निर्माण तथा जाँच करने का पूरा पूरा ज्ञान हो।

(2) अच्छे वेतन पर पर्याप्त मात्रा में औषधि निरीक्षक हो,

(3) एक सुसज्जित विश्लेष्णात्मक प्रयोगशाला हो जिसमें सभी प्रकार की दवाओं के नमूनो की जांच की जा सके।

(4) एक कानून तथा आसूचना कक्ष हो जो पुलिस प्रशासन की मदद से नकली दवाओं की समस्याओं से निपटने तथा मुकदमें चलाने के लिए पूर्णत: समक्ष हो।

औषध और प्रसाधन समाग्री अधिनियम के उपबन्धों तथा उनके अधीन बने नियम नकली दवाएं बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है। अत: नकली दवाएं बनाने वालों के विरुद्ध निवारक नजर बन्दी अधिनियम का इस्तेमाल करने का कोई विचार नहीं है।

बांकुरा-आसनसोल लाइन

386. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांकुरा और पुरुलिया जिले को आसनसोल से रेल लाइन द्वारा जोड़ने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : पुरुलिया और बांकुरा दोनों आसनसोल के साथ बड़ी लाइन से पहले से सम्बद्ध हैं। पूर्व में इन जिलों को बड़ी आमान की लाइन से सम्बद्ध करने के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए हैं :—

(i) **बांकुरा-मेशिया-रानीगंज बड़े आमान का नया रेल सम्पर्क :**

मेशिया कोयला क्षेत्रों से कोलाघाट ताप बिजलीघर के लिए कोयले की ढुलाई करने

के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध और लागत पर इस रेल सम्पर्क का 1977 में सर्वेक्षण किया गया था। इस योजना के सम्बन्ध में, जिसमें दामोदर नदी के ऊपर एक बहुत बड़े पुल का निर्माण करना शामिल है, मेशिया कोयला क्षेत्रों के उपयोग के लिए स्थाई योजनायें और वहाँ से सम्पर्क व्यवस्था उपलब्ध होने पर, आगे विचार किया जा सकता है।

(ii) पुरुलिया-कटोशिला छोटे आमान की लाइन का बड़े आमान की लाइन में बदलाव :

इस लाइन के बदलाव के लिए पहले किए गए इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(iii) बेलिस्तोर के रास्ते बांकुरा से दुर्गापुर तक बड़ी लाइन का निर्माण

बेलिस्तोर के रास्ते बांकुरा से दुर्गापुर तक बड़ी लाइन के आर्थिक औचित्य की अभी तक जांच नहीं की गई है। मोटे मूल्यांकन के अनुसार नयी बड़ी लाइन लगभग 45 कि०मी० लम्बी होगी और इस पर लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत आयेगी जिसमें दामोदर नदी के ऊपर बहुत बड़े पुल का निर्माण करना भी शामिल है जिस पर 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आयेगी।

मैसूर-बेंगलौर रेल लाइन का बदला जाना

487. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर-बंगलौर लाइन तथा बंगलौर-गुन्टकल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने में शीघ्रता करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी के. जाफर शरीफ) (क) जी हां, धनराशि की उपलब्धता के अनुसार इन निर्माण कार्यों की प्रगति हो रही है।

(ख) मैसूर बंगलूरु आमान-परिवर्तन परियोजना का काम शुरु हो चुका है, और पुलों को मजबूत किया जा रहा है।

बंगलूर -गुन्तकल्लु आमान-परिवर्तन परियोजना की समग्र प्रगति 61% हुई है।

अफगान संकट को हल करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक कराना

488. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अफ्गान संकट को हल करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की एक बैठक कराने की सम्भावना पर बैलग्रेड में प्रश्न उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों की प्रक्रिया क्या थी; और

(ग) क्या सोवियत और अफगान सरकारों ने इसका समर्थन किया था ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) राष्ट्रपति टीटो की अन्त्येष्टि के सिलसिले में बैलग्रेड में उपस्थित गुट-निरपेक्ष देशों के कुछ नेताओं ने अनौपचारिक सलाह मशविरे के दौरान बिगड़ी हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बातचीत करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की एक बैठक बुलाने के प्रश्न को सामान्य रूप से उठाया था।

(ग) गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक बुलाने के बारे में अफ्गान सरकार का रवैया ज्ञात नहीं है। सोवियत संघ गुट-निरपेक्ष अन्दोलन का सदस्य नहीं है।

नई जलपाइ गुड़ी से सियालदाह तक नार्थ बंगाल एक्सप्रैस का चलाया जाना

489. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई जलपाई गुड़ी से सियालदाह तक नार्थ बंगाल एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की माँग करते हुए अनेक संसद सदस्गों से एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि नार्थ बंगाल एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की माँग न केवल उत्तरी बंगाल की जनता की ही है अपितु यह माँग सिक्किम और पड़ोसी भूटान तथा दूसरे हिमालयी क्षेत्रों की जनता की भी है और इस सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों ने कई अभ्यावेदन दिए हैं; और

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर सरीफ) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के बीच के यात्रियों की माँगों को पूरा करने की दृष्टि से 20-4-80 से माल्दाटाउन और सियालदह के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली 53/54 गौड़ एक्सप्रेस चलाई गई है । माल्दाटाउन न्यू जलपाईगुड़ी खन्ड पर क्षमता प्रतिबन्ध और न्यू जलपाईगुड़ी पर अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के कारण यह गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से/तक नहीं चलाई जा सकी । तथापि, इस गाड़ी के आरम्भ हो जाने से सियालदह और माल्दाटाउन के बीच इसके चालू होने के प्रारम्भिक दिनों में ही पर्याप्त मात्रा में यातायात आकर्षित कर लिया है इसके फलस्रूप न्यु जलपाईगुड़ी और कलकत्ता के बीच वर्तमान गाड़ियों पर न्यू जलपाईगुड़ी के लिए सीधे यातायात का भार कम हो गया है ।

माल्दाटाउन-न्यू जलपाईगुड़ी खण्ड पर क्षमता बढ़ाने और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि करने के भी उपाय किये जा रहे हैं ।

किनिया में भारतीय परिवार की हत्या

490. **श्री अहमद एम. पटेल :**

श्री डी. पी. जदेजा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैरोबी में एक एशियाई परिवार की घर में हत्या की गई है;

(ख) कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है;

(ग) इस हत्या के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बारे में कीनिया सरकार द्वार कोई जाँच कराई गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा; और

(च) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कीनिया सरकार को कोई विशेष पत्र भेजा है ।

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी नरसिंह राव) : (क) और (ख) नैरोबी में 10 अप्रैल, 1980 को तीन एशियाई व्यक्ति मृत पाए गए थे । ये लोग थे श्री जे. पी. पटेल, उनकी पत्नी और उनकी भतीजी । उनके पास कीनियाई और ब्रिटिश पासपोर्ट हैं ।

(ग) सन्देह है कि हत्या का उद्देश्य डकैती करना था ।

(घ) और (ङ) जी, हाँ । कीनियाई प्राधिकारी उनकी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता; क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट धारी नहीं था ।

लघु उद्योगों के लिए रैक

491. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में महीने-वार, लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की ढुलाई, राज्यवार, कितने रैक अलाट कि गये ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के जाफर शरीफ) : लघु उद्योगों को कच्चे माल की ढुलाई से सम्बन्धित सूचना रेलों द्वारा संकलित नहीं की जाती और इसे तत्काल इकट्ठा करना कठिन है। बहरहाल, सम्बन्धित रेल प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश हैं कि जो उद्योग अपेक्षित कच्चे माल की ढुलाई के लिए सहयोग देने का अनुरोध करें उन्हें सहयोग दिया जाय।

कोरबा से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का चलाया जाना

492. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को बिलासपुर की बजाय कोरबा से चलाने की मांग की गई है;

(ख) इस बारे में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस सुझाव को कार्यरूप देने के लिए सरकार को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो कितना अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 137/138 हजरत निजामुद्दीन-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को कोरबा तक/से बढ़ाने का यातायात सम्बन्धी कोई औचित्य नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) 137/138 हजरत निजामुद्दीन-बिलासपुर छत्तीसगढ़ को कोरबा तक/से बढ़ाने के यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इससे प्रतिदिन 7000 रुपये से अधिक की अनुमानित हानि होगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में अन्तर्द्वीपीय नौका सेवा

493. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में अन्तर्द्वीपीय नौका सेवा बहुत ही असंतोषजनक है और पिछले तीन वर्षों से सरकार तीन 'येरवा' जैसे अन्तर्द्वीपीय जहाजों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है,

(ख) यदि हां, तो क्या शिपयार्ड को आदेश दे दिए गए हैं और यदि हां, तो आदेश किस को और कब दिया गया था और जहाजों के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है, और

(ग) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त उस प्रस्ताव की जानकारी है जिसमें विदेशों से पुराने यात्री जहाजों को खरीदने की अनुमति मांगी गई है, जिससे कि अविलम्ब यातायात की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में यात्रियों और माल के यातायात में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए इस द्वीप समूह में चलने वाली इंटर आइलैंड फेरो सर्विस में प्रयुक्त मौजूदा बेड़े को पुष्ट करने का निर्णय किया गया है। इस सर्विस पर चलने के लिए दो पेसेन्जर व कारगो वेसेल खरीदने के बारे में हाल ही में लोक निवेश बोर्ड ने अनुमोदन दिया है। इन जहाजों को खरीदने के लिए शिपयार्ड को आर्डर आदि देना मन्त्रिमंडल के निर्णय पर निर्भर है।

(ग) जी नहीं।

अखिल भारतीय प्रशिक्षु संघ की मांगें

494. श्री के. ए. राजन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रशिक्षु संघ के पाँच सदस्यों ने अपनी माँगें मनवाने के लिए आमरण अनशन किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी माँगों का ब्यौरा क्या था और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) अखिल भारतीय प्रशिक्षु संघ के प्रतिनिधि श्रम-मन्त्रालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे थे न कि अमरण भूख हड़ताल।

(ख) अखिल भारतीय प्रशिक्षु सघ की माँगें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को संबंधित विभाग/निगमों में खपाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(2) खपाए जाने के समय जो प्रशिक्षित प्रशिक्षु ऊपरि आयु सीमा पार कर जाते हैं, वे इस प्रयोजन के लिए 'अधिक आयु' वाले न माने जाए।

(3) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 22 (1) संशोधित की जानी चाहिए ताकि नियोजकों के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि वे प्रशिक्षित-प्रशिक्षुओं की व्यवसाय उन्मुख कार्य दें।

(4) छात्रवृति की निर्धारित न्यूनतम दर को रु० 130/-से बढ़ा कर रु० 300/- कर दिया जाना चाहिए।

(5) संगठनों में कार्य करते समय प्रशिक्षुओं को चिकित्सा, मकान किराया वाहन तथा बैठने की व्यवस्थाओं जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(6) प्रशिक्षित शिक्षुओं को रोजगार कार्यालय को संदर्भ किए बिना या किसी अन्य स्पष्टीकरण के बिना खपाया जाना चाहिए।

इन माँगों पर सरकार अति चिन्ताशील तथा सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार कर रही है। प्रयास यह होगा कि प्रशिक्षण बेकार न जाए और यथा संभव प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार मिले। स्वास्थ, सुरक्षा, एवं श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित कारखाना अधिनियम, के कुछ उपबन्ध प्रशिक्षु अभिनियम, 1961 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं पर पहले ही लागू होते हैं। सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने की गुंजाइश तथा छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के प्रश्न पर केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

अखिल भारतीय प्रशिक्षु संघ के अध्यक्ष को की जाने वाली कार्यवाहियों से अवगत कराया गया है और उन्हें आन्दोलनात्मक दृष्टिकोण को त्यागने की सलाह दी गई है।

एरोड-कोयम्बतूर रेल लाइन

495. **श्री सी. चिन्नासामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और वाणिज्य के विकास में सहायता कराने के लिए तमिलनाडु क्षेत्र में एरोड, गोबीचेट्टी पलापटम सत्य मंगलम कोयम्बतूर मार्ग पर नई रेल लाइन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक कार्य करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) साधनों की अत्यन्त तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू नहीं किया जा सकता।

के. के. एक्सप्रेस और महालक्ष्मी एक्सप्रेस का देर से चलना

496. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई गाड़ियाँ, विशेषत: के. के. एक्सप्रेस (बंगलौर-दिल्ली), और महालक्ष्मी एक्सप्रेस (बंगलौर-बम्बई) निरपवाद रूप से देर से चल रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने का विचार है कि गाड़ियां समयानुसार गन्तव्य स्थानों को पहुँच जाए ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 125/126 के. के. एक्सप्रेस और 203/204 बेंगलुरु-मिरज मी. ला. और इनसे मेल लेने वाली 303/304 मिरज-बम्बई ब. ला. महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं है। समय-पालन की स्थिति संतोषजनक न होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—खतरे की जंजीर का खींचा जाना, इन्जनों की खराबी, सिगनलों की खराबी, दुर्घटनाएं और जन-आन्दोलन आदि।

(ख) 125/126 के. के. एक्सप्रेस और 203/204 और इनसे मेल लेने वाली 303/304 महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ियों के संचालन पर दिन-प्रतिदिन नजर रखी जा रही है और समय-पालन में सुधार के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं तथा गाड़ियों के रुकने के परिहार्य मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक विवादों के परिणामस्वरूप जन दिवसों की हुई हानी और इससे प्रभावित श्रमिक

497. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977, 1978 और 1979 के दौरान देश में, राज्यवार और संघ क्षेत्रवार, औद्योगिक विवादों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) राज्यवार और संघ क्षेत्रवार इससे कुल कितने श्रमिक प्रभावित हुए और उपरोक्त अवधि के दौरान हड़तालों और तालाबन्दी के परिणामस्वरूप कितने जन दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) : वर्ष 1977, 1978 और 1979 में हुए औद्योगिक विवादों, प्रभावित हुए श्रमिकों और इनमें नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1977, 1978 और 1979 में हुए औद्योगिक विवादों, इनसे प्रभावित हुए श्रमिकों और इनके कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या			प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या			नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या		
	1977	1978	1979 (अ)	1977	1978	1979 (अ)	1977	1978	1979 (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	116	206	351	74,304	115,285	178,589	694,067	618,601	664,432
2. असम	8	18	16	10,008	18,940	20,734	10,739	55,937	30,624
3. बिहार	264	306	296	197,357	148,624	394,796	1,706,147	1,045,104	1,710,786
4. गुजरात	165	181	223	45,639	68,270	55,551	302,660	445,184	544,103
5. हरियाणा	99	107	89	37,565	22,781	22,292	583 722	620,130	860,812
6. हिमाचल प्रदेश	4	11	9	1,558	1,499	1,173	3,724	8,622	12,315
7. जम्मू और कश्मीर	3	4	1	2,041	586	93	7,150	4,913	1,730
8. कर्नाटक	90	92	67	59,489	70,093	53,381	721,768	575,657	945,684
9. केरल	184	146	136	156,267	84,492	197,622	2,110,823	2,055,114	3,770,383
10. मध्य प्रदेश	168	199	251	144,550	112,219	181,305	1,068,597	485,333	1,199,765
11. महाराष्ट्र	553	318	302	500,069	288,501	267,270	3,093,225	3,716,319	2,976,875
12. मणिपुर	1	—	2	125	290	496	1,175	580	2,477
13. मेघालय	—	—	—	—	428	—	—	356	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. नागालैंड	—	—	1	—	287	—	—	574	4,675
15. उड़ीसा	85	47	35	49,047	22 522	35,438	224,039	176,194	91,332
16. पजाव	65	106	117	45,118	35,170	19,091	294,471	217,318	74,984
17. राजस्थान	165	144	100	72.692	44,948	22 326	1,006,076	569,512	128,511
18. सिक्किम	—	1	1	—	323	284	—	158	5,012
19. तमिल नाडु	316	394	343	286,487	216,129	294,116	2,910,513	2,365,417	8,405,305
20. त्रिपुरा	3	8	7	209	7,314	1,518	2,429	1,006	5,774
21. उत्तर प्रदेश	195	247	175	107,643	161.862	211,009	1,602,821	2,717,085	1,280,223
22. पश्चिम बंगाल	480	549	418	307,344	416,804	839,040	8,4 8,654	12,044.897	18,076,150
23 अण्डमान और निकोबार द्वीप	16	6	11	4,126	2,068	4,628	10,622	2,449	12,842
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	209	—	—	418	—
25. चण्डीगढ़	7	6	5	2,191	1,408	1,237	21,731	2, 877	16,166
26. दादर और नागर हवेली	2	1	—	288	100	—	2 360	2,200	—
27. दिल्ली	512	46	60	29,484	32,231	39,972	101,606	332 786	2,440,363
28. गोवा, दमन और द्वीप	47	25	33	15,729	10,041	14,603	92,078	138,848	160,234
29. लक्षद्वीप	2	—	—	73	—	—	1,618	—	—
30. मिजोरम	—	—	—	—	158	—	—	316	—
31. पाडिचेरी	27	19	19	43,812	32,021	22,463	257,357	135,824	443,570
जोड़	3,117	3,187	3,063	2,193,215	1,915,603	2,879,105	25 320,072	28,340,199	43,365,277

कालेज आफ मैडिकल साईंसेज में छात्रावास की सुविधाओं का अभाव

498. श्री पी. जे. करियन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से सम्बद्ध यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडीकल साइसेज के छात्रों को छात्रावास की सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें छात्रावास की उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हाँ।

(ख) यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साईंसेज के निकट कुछ बैरकों की मरम्मत करवा दी गई है तथा जब तक छात्रों को शाहदरा में बन रहे मेडिकल कालेज और अस्पताल के कम्पलैक्स में नियमित छात्रावास की सुविधा नहीं मिल जाती तब तक के लिए इन बैरकों को कालेज के अधिकारियों को छात्रावास के रूप में इनका इस्तेमाल करने के लिए सौंप दिया गया है।

भारतीय समुद्री सीमा

499. श्री नीलालोहिथादसन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय समुद्री सीमा की दूरी क्या है;

(ख) यदि अपनी समुद्री सीमा के बारे में भारत का कोई अधिकार और विशेषाधिकार है तो वे क्या हैं; और

(ग) इस समय ऐसे अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) भारतीय समुद्र-क्षेत्र आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है।

(ख) भारतीय समुद्र-क्षेत्र, इसके समुद्र तल और अवभूमि तथा इस जल-क्षेत्र के ऊपर के नभ-क्षेत्र पर भारत की पूर्ण प्रभुसत्ता है, लेकिन सभी विदेशी जहाजों को (युद्ध पोतों को छोड़कर जिनमें पनडुब्बियाँ और अन्य अन्तः समुद्री वाहन भी शामिल हैं) भारतीय समुद्री-क्षेत्र से निर्दोष पारामन का अधिकार है। विदेशी युद्ध-पोत, जिनमें पनडुब्बी और अन्य अन्तःसमुद्री वाहन भी शामिल हैं, केन्द्र सरकार को पूर्व सूचना देने के पश्चात् भारतीय समुद्री-क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं अथवा उक्त क्षेत्र से होकर जा सकते हैं।

(ग) भारतीय नौसेना, तट-रक्षक संगठन और सीमा शुल्क विभाग के समुद्री समाहर्ता का कार्यालय समुद्री क्षेत्र में क्रमशः सुरक्षा से सम्बद्ध मामलों, संसाधनों एवं अन्य पहलुओं और सीमाओं एवं वित्तीय विषयों से सम्बद्ध हमारे हितों की देखभाल करते हैं।

बादशाह खान का इलाज

500. प्रो. मधु दंडवते : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बादशाह खान का इलाज सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) बादशाह

खान को 26 मार्च, 1980 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में दाखिल किया गया था तथा सन्तोषजनक इलाज के बाद उन्हें पहली जून, 1980 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

लापता जाहज

501. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में सात भारतीय जहाज जिनका कुल बीमा मूल्य 14·56 करोड़ रुपये था और जिन पर 111 व्यक्ति सवार थे, लापता हो गये हैं !

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में जाँच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो जाँच के निष्कर्ष क्या निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ। लेकिन इन सात जाहजों का बीमा मूल्य कुल मिलाकर 14·57 करोड़ रुपये और जो व्यक्ति लापता हुए उनकी सं० 120 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीयों की संख्या

502. **श्री जर्नादन पुजारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-1979 और 1980 की प्रथम तिमाही के दौरान भारतीय मूल के कितने लोगों को श्रीलंका से प्रत्यावर्तित किया गया; और

(ख) प्रत्यावर्तन की गति में तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : (क) 1978, 1979 और 1980 की प्रथम तिमाही के दौरान श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारत मूलक के लोगों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

	लेखाबद्ध व्यक्ति	स्वाभाविक वृद्धि	कुल
1978	20,281	9,157	29,438
1979	15,942	7,852	23,794
1980 (30 अप्रैल तक)	3,335	1,784	5,119

(ख) प्रत्यावर्तन की गति धीमी रहने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(1) भविष्य निधि, उपदान का भुगतान, विदेशी मुद्रा नियंत्रण आदि जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में श्रीलंका में विलम्ब।

(2) श्रीलंका में चाय बागानों में परिस्थितियों में सुधार से प्रेरित होने पर प्रत्यावर्तितों द्वारा प्रस्थान में विलम्ब।

(3) श्रीलंका में भारत मूलक के राष्ट्रिक ताहीन लोगों की नागरिकता एवं प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की पुनः जाँच के लिए सुझाव।

हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजपथ

503. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश से होकर जाने वाले उन राष्ट्रीय राजपथों के नाम क्या हैं जो इस समय निर्माणाधीन हैं, और

(ख) प्रत्येक मामले में निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है और उनके किस-किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-(क), 21 और 22 हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। इन राजमार्गों पर सड़क को सुधारने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य जैसे सड़क के स्तर को ऊँचा करना, पुनःरेखन, चौड़ा करना, मजबूत करना, बरसाती पानी के आर-पार निकलने के लिए नालियों का निर्माण, नालों और खड्डों पर पुल आदि बनाने का काम विभिन्न स्तरों पर पूरा किया जा रहा है। इन कामों को मार्च, 1983 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक ऐसा काम है जो निरन्तर होता रहता है। इन राजमार्गों पर ये विकास कार्य साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार करने के बाद शुरू किये जाते हैं।

उत्तर रेलवे में करुणामूलक आधार पर रोजगार

504. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आवेदकों ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में मंडलवार अपने माता/पिता/पतियों की ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदन किया;

(ख) उनमें से कितने आवेदकों को रोजगार दे दिया गया है;

(ग) उनमें से कितने आवेदकों के आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिए गए तथा अस्वीकृती के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष मामलों में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सख्या और मंडल	इस वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वालों की कुल संख्या	उनमें से जिनको नियुक्ति दी गई, उनकी संख्या	जिन मामलों को रद्द कर दिया गया, उनकी संख्या	बकाया मामलों की संख्या
	क	ख	ग	घ
1. फिरोजपुर	379	290	24	65
2. मुरादाबाद	771	424	255	92

3. जोधपुर	262	160	51	51
4. दिल्ली	752	543	58	151
5. लखनऊ	755	217	55	483
6. इलाहाबाद	776	677	24	75
7. बीकानेर	217	259	3	9

नोट : 1. कालम 'ग' में दिए गए मामले वर्तमान नियमों और आदेशों के अन्तर्गत अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की परिधि में नहीं होते।

2. कालम 'ख' में अनपढ़ और बहुत कम पढ़ी-लिखी विधवाओं के मामले शामिल हैं जिनकी नियुक्ति के लिए उपलब्ध पदों की संख्या बहुत सीमित होती है। उन्हें हर वर्ष गर्मियों के मौसम में तब तक नैमित्तिक पानी वालों के रूप में तैनात कर दिया जाता है जब तब कि उन्हें नियमित जगह नहीं मिलती। बाकी मामलों में कार्रवाई हो रही है और जल्दी ही अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा।

रेलगाड़ी की छत से गिरने पर छात्रों की मृत्यु

505. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 मई, 1980 के 'स्टेट्समेन' (दिल्ली सँस्करण) में 'रेलगाड़ी की छत से गिरने पर तीन छात्रों की मृत्यु' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कारगर और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि रेल नियमों का इस तरह उल्लंघन न किया जाए; और

(ग) इस तरह के उल्लंघन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 (2) के अन्तर्गत अपराध है। लाउडस्पीकरों पर घोषणाओं आदि के द्वारा आम जनता की जानकारी के लिए यह प्रचारित किया जाता है कि गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना न केवल दंडनीय अपराध है वरन् यह उनके जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। लोगों को छत पर यात्रा करने से रोकने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और टिकट जाँच कर्मचारी तैनात किये जाते हैं। इस आशय के अनुदेश भी हैं कि यदि मेलों आदि के दौरान छत पर यात्रा करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों को बेकाबू भीड़ को छत से नीचे उतारने अथवा उतरने के लिए राजी करने के प्रयास असफल हो जाते हैं तो सम्बन्धित गाड़ी को शिरोपरि अतिलघनकारी संरचना से पहले रुक जाना चाहिए, फिर चेतावनी स्वरूप सीटी बजाने के बाद अत्यन्त धीमी गति से आगे बढ़ना चाहिए और सामान्य गति तभी पकड़नी चाहिए जब पूरी गाड़ी उस अतिलंघनकारी संरचना को पार कर ले।

(ग) वर्ष	यात्रियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया।
1977-78	2944*
1978-79	2777*
1979-80	2897*

* इनमें उत्तर रेलवे पर जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है उनकी संख्या शामिल नहीं है क्योंकि इस रेलवे से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

तूफान एक्प्रेस में बम विस्फोट से मृत्यु

506. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 अप्रैल, 1980 को उत्तर रेलवे के दिलदार नगर रेल स्टेशन के निकट तूफान एक्प्रेस में बम विस्फोट से कुछ व्यक्ति मर गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बम विस्फोट के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 14-4-1980 को, जब 7 अप तूफान एक्सप्रेस दरौली और दिलदार नगर स्टेशनों के बीच चल रही थी, पांच व्यक्तियों ने पिस्तोल दिखाकर दूसरे दर्जे के डिब्बे में डाका डाला था। दो यात्रियों ने डाकुओं का प्रतिरोध किया, इस पर डाकुओं ने बम फेंके जिसके परिणामस्वरूप दो यात्रियों की मृत्यु हो गई जो जानवरों के व्यापारी थे। पांच यात्री गम्भीर रूप से घायल हुए और अन्य पांच यात्रियों को मामूली चोटें आयीं। मुगलसराय में गाड़ी पहुँचने पर, सरकारी रेलवे पुलिस मुगलसराय ने डिब्बे का निरीक्षण किया और घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया।

डाकुओं द्वारा डिब्बे में छोड़े दो भरे कारतूसों सहित दस रिवाल्वरों और अविस्फोटित बमों के साथ-साथ मृतकों के पास की 61800 रु० की राशि सरकारी रेलवे पुलिस मुगलसराय ने अपने कब्जे में ले ली। सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलसराय में धारा 395/396 भा. द. स. के अन्तर्गत अपराध सं० 99 दिनांक 14-4-1980 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और इसकी छान-बीन की जा रही है। अभी तक चार डाकू पकड़े जा चुके हैं। इस क्षेत्र में गाड़ियों में पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

बनाही स्टेशन पर मालगाड़ी का लूटा जाना

507. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल के महीने में पूर्वी रेलवे के बनाही स्टेशन पर एक मालगाड़ी को लूट लिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो लूटे गए माल का ब्यौरा और उसका अनुमानित मूल्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन, 14-4-1980 की बनाही और बिहिया रेलवे स्टेशनों के बीच मालगाड़ी नम्बर डी. सी. 289 के एक मालडिब्बे से चावल के दो बोरों की चोरी हुई थी, जिनका मूल्य 450 रुपये है।

झेलम एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

508. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झेलम एक्सप्रेस, जो पुणे और जम्मू तवी के बीच चलती है, हमेशा ही देर से चलती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के जाफर शरीफ) : (क) पिछले कुछ समय से 177/178 झेलम एक्सप्रेस का समय-पालन सही नहीं हो रहा है। असन्तोषजनक समय-पालन के कारण मुख्यत: जंजीर खींचने, रेल इंजन की त्रुटियां/खराबियां, गाड़ी के पटरी से उतर जाने सम्बद्ध रेकों के देरी से पहुँचने और भयकर गर्मी की घटनाएं आदि हैं।

(ख) 177/178 झेलम एक्सप्रेस के चालन पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर निगरानी रखी जा रही है और उसके समय-पालन में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा गाड़ी रुके रहने के परिहार्य मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मद्रास होटल और पश्चिम पुरी, दिल्ली के बीच बस सेवा

509. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास होटल और पश्चिम पुरी के बीच एकमात्र रूट संख्या 910 अनियमित है और यात्रियों को दोपहर में बस के लिए ढाई घटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जब कोई बस आती है तो बीच के बस-स्टापों पर खड़े यात्री पहले से अत्यधिक भीड़ वाली बस में चढ़ने की स्थिति में नहीं होते हैं,

(ख) यदि हां, तो सेवा में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(ग) इस रुट पर अनियमित सेवा के बारे में यात्रियों ने कितनी शिकायतें की है, और

(घ) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) माद्रस होटल और पश्चिम पुरी के बीच बस सेवा अधिकतम यातायात के समय हर 26 मिनट पर और सामान्य यातायात के समय हर 52 मिनट पर चलती है। सामान्य यातायात के समय बस खराब हो जाने पर कभी-कभी बस सेवा अनियमित हो जाती है।

(ख) बस सेवा में सुधार करने के लिए नीचे लिखे उपाय अपनाये गये हैं :—

(i) 9 जून 1980 से मद्रास होटल से पश्चिम पुरी तक 2.40 दोपहर के समय एक स्पेशल बस शुरू की गई है जिससे यात्रियों को बस का काफी देर तक इन्तजार नहीं करना पड़े और बसों में भीड़ को कम किया जा सके।

(ii) नियमित सेवा को बस के खराब हो जाने पर दूसरी बस के चलाने की व्यवस्था करने के बारे में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को निर्देश दिये गये हैं।

(iii) इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस रुट पर अपेक्षाकृत नई बसें लगाई जांय जिससे बस सेवा पर निर्भर रहने वाले यात्रियों को अधिक इन्तजार नहीं करना पड़े।

(ग) और (घ) : इस रूट पर बस सेवा की अनियमितता के बारे में पिछले छ: महीनों में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर जो कार्यवाई की गई वह ऊपर (ख) भाग में उल्लिखित है।

बस रुठ संख्या—910

510. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुट सख्या 910 पश्चिमपुरी-पंजाबी बाग-जनरल स्टोर-राजा गार्डन-मोतीनगर केन्द्रीय सचिवालय से मद्रास होटल तक है,

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों का समय बचाने के लिए इस रुट को बदल कर पश्चिमपुरी पंजाबी बाग-मोतीनगर (फायर स्टेशन के निकट) केन्द्रीय सचिवालय मद्रास होटल करने का है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रस्तावित बस-सेवा को हाल ही बनी सड़क पर से होकर जो लिंक रोड को नजफगढ़ रोड से जोड़ती है, जाना होगा। यह सड़क शहर के बाहर-बाहर भारी गाड़ियों के यातायात के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई है। इसके अलावा नजफगढ नाले पर जो पुल बना हुआ है वह इतना चौड़ा नहीं है कि जिस पर से दिल्ली परिवहन की बसें आ-जा सकें। इसी लिए जिन बस सेवाओं के बारे में सुझाव दिया गया है उन्हें तब तक शुरू करना संभव नहीं है जब तक कि इनके लिए उपयुक्त सड़क और पुल आदि तैयार नहीं हो जाय।

बेलग्रेड में प्रधानमंत्री की विदेशी प्रतिनिधियों से भेंट

511. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री मगन भाई बरोट :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलग्रेड में टीटो की अन्त्येष्टि के समय वहाँ की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री बहुत से विदेशी प्रतिनिधियों से मिली थीं;

(ख) यदि हाँ, तो वह कितने विदेशाध्यक्षों और प्रतिनिधियों से मिली थीं; और

(ग) इन विचार-विमर्शों का क्या परिणाम रहा था;

विदेश मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) बेलग्रेड में अपने अल्प प्रवास के दौरान वे 13 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों/प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं से मिली।

(ग) इन विचार-विमर्शों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार किया गया और संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी संक्षिप्त विचार-विमर्श हुआ।

प्रधान मंत्री की रूस के विदेश मंत्री के साथ बात-चीत

512. **मधु दण्डवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के विदेश मंत्री के साथ हुई प्रधान मंत्री की बातचीत के दौरान भारत तथा सोवियत संघ दोनों ने यह माना है कि रुसी सेनाओं का अफगानिस्तान में प्रवेश तथा पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र सहायता से उत्पन्न तनाव को समाप्त करने के लिये परस्पर मिल कर उपायों पर विचार किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो तनाव तथा शीत युद्ध के वातावरण को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) : भारतीय प्रधान मंत्री और सोवियत विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको के बीच 12.2.80 को हुई बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श हुआ था। अफगानिस्तान और उससे आसपास की घटनाओं के बारे में भारत की चिन्ता से सोवियत पक्ष को अवगत करा दिया गया था। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि इस क्षेत्र में तनाव दूर करने के लिए अविलम्ब कदम उठाना आवश्यक है।

इस बातचीत के परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट उपाय तैयार नहीं किए गए हैं। लेकिन शीत युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तनाव कम करने की आवश्यकता को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया।

तीन वर्षीय बालिका की ठीक अखां निकाल देना

513. श्री अर्जुन सेठी :

श्री के. मालन्ना : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को पता है कि एक रोगी के पेट के अन्दर कैंची, रुई आदि रह जाने के मामले हुए हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जिसमें एक तीन वर्षीय बालिका की कैंसर ग्रस्त आंख को निकालने के बजाय उसकी ठीक आंख निकाल देने के कारण वह लड़की आजीवन दृष्टिहीन हो गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा डाक्टरों को अधिक सतर्क रहने के बारे में निदेश जारी किए गए हैं और ऐसे नियम कौन से हैं जिनका किसी रोग के आपरेशन करने से पूर्व ठीक ठीक पालन किया जाना चाहिए ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जी हां।

(ख) जी हां। एक ढ़ाई वर्षीय लड़की नसरीन वानू की 13 फरवरी, 1980 को बायीं आंख के ट्यूमर को निकालने के लिए सरोजनी देवी नेत्र अस्पताल हैदराबाद में भर्ती किया था, परन्तु गलती से सर्जन ने उसकी दायीं ठीक आंख को निकाल दिया। उसे राज्य सरकार द्वारा अमेरिका में उपचार के लिए भेज दिया गया था।

(ग) चिकित्सकों को मेडिकल कोड में पहले ही हिदायतें दी हुई हैं।

कतार में भारतीय आप्रवासी

514. श्री अर्जुन सेठी :

श्री आर० पी० यादव :

श्री एस० आर० ए० एस० अप्पला नायडू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की ओर दिलाया गया है कि कि डोहा स्थित भारतीय मिशन को उनके मन्त्रालय ने कहा है कि कातार में भारतीय आप्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए तुरन्त कदम उठाए जायें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने सम्बद्ध रिपोर्ट अखबार में देखी है। यह सूचना प्राप्त होने पर कि कातार की सरकार प्रवासी कामगारों के बारे में नए नियम लागू करने का इरादा रखती है और उसने यह अधिसूचना जारी की है कि सभी विदेशी कामगारों को, जो अपने मूल नियोक्ताओं इतर नियोक्ताओं के साथ काम कर रहे हैं, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियोजन बदलने को नियमित करने के लिए आवेदन-पत्र एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करने चाहिए, दोहा-स्थित भारत के राजदूतावास को यह अनुदेश दिया गया है कि वह इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कातार की सरकार के समुचित प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करें कि संदर्भगत भारतीय कामगारों को कोई अनुचित कष्ट न हो। भारतीय राजदूतावास से यह अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, कि नये नियोजन को नियमित करने के लिए दिया गया समय अपर्याप्त है और मूल नियोक्ता से कार्य-मुक्त प्रमाण-पत्र प्रदान करने की आवश्यकता से मूल नियोक्ता द्वारा कामगारों का शोषण किया जा सकता है, कातार की सरकार ने कागजात नियमित करने के लिए दी गई अवधि को बढ़ाकर तीन महीने कर दी है जो 10 सितम्बर 1980 को समाप्त होगी और उन मामलों में मूल नियोक्ताओं से कार्य-मुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटा दी है जहाँ श्रमिक नए नियोक्ता के साथ एक वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं।

सैलसबरी में प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत

अर्जुन सेठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :क्या भारत के प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की दोनों देशों के बीच आपसी सम्बन्ध और अफगानिस्तान की घटनाओं से इस क्षेत्र में पैदा हुई स्थिति पर सैलीसबरी में हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के अधिकृत प्रवक्ताओं ने भारत की प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता को लाभदायक बताया है। आशा की जाती है कि भारत की प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात चीत से द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामले के बारे में एक दूसरे के विचारों को ज्यादा अच्छी तरह समझने में योगदान मिलेगा।

इस्लामी विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन

516. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० होरो : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दूतावास का प्रतिनिधि इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह से विमुख रहा क्योंकि उसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उनके विदेशी मामलों के सलाहकार द्वारा काश्मीर का उल्लेख किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस इस्लामी सम्मेलन में भाग लिया ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

1. अल्जीरियाई जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य;

2. बरहरीन राज्य;
3. बंगला देश लोक गणराज्य;
4. संयुक्त केमरुन गणराज्य;
5. कोमारों संघीय इस्लामी गणराज्य के कोमारो द्वीप;
6. इजिबूती गणराज्य;
7. गेबोन गणराज्य;
8. गेम्बिया गणराज्य
9. गिनी क्रांतिकारी गणराज्य
10. गिनी-बिसाउ गणराज्य!
11. इन्डोनेशिया गणराज्य
12. ईरान इस्लामी गणराज्य;
13. ईराक गणराज्य;
14. जार्डन की हाशमी सलतनत;
15. कुवैत राज्य
16. लेबनान गणराज्य;
17. लिबयाई समाजवादी लोकतांत्रिक अरब जमाहारिया
18. मलयेशिया;
19. मालदीव गणराज्य
20. माली गणराज्य
21. मोरितानिया इस्लामी गणराज्य;
22. मोरक्को राज्य;
23. नाइजर गणराज्य;
24. ओमान सलतनत;
25. पाकिस्तान इस्लामी राज्य;
26. फिलस्तीन;
27. कातार राज्य;
28. सउदी अरब राज्य;
29. सेनेगल गणराज्य;
30. सोमालिया लोकतांत्रिक गणराज्य;
31. सूडान लोकतांत्रित गणराज्य
32. सीरियाई अरब गणराज्य;
33. ट्यूनीसिया गणराज्य;
34. तुर्की गणराज्य;
35. उगांडा गणराज्य;
36. संयुक्त अरब अमीरात
37. अपर वोल्टा गणराज्य;

38. यमन अरब गणराज्य;

39. यमन लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य;

निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधियों ने प्रेक्षक के रूप में भाग लिया :—

1. नाइजीरिया गणराज्य;

2. केबरिस के तुर्की संघ राज्य

गोदी कर्मचारियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले लाभों का पुनरीक्षण

517. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री के० ए० राजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोदी कर्मचारियों के वेतन तथा उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों की पुनरीक्षण करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बड़े-बड़े पोर्ट ट्रस्टों में काम करने वाले तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के आलावा डाक वर्क्स (रेगुलेशन आफ इम्प्लायमेंट) एक्ट, 1948 के अधीन किसी भी योजना के तहत रजिस्टर्ड या सूचीकृत कामगरों और डाक लेबर बोर्डों और उनके प्रशासनिक निकायों में काम करने वाले और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में मौजूदा वेतन ढांचे में संशोधन करने के बारे में परस्पर बातचीत करने के लिए द्विदलीय मजदूरी समझौता समिति का 14 मई, 1980 को गठन किया है। इन समिति के विचारार्थ विषयों में वह विषय भी शामिल है जिन पर पत्तन और गोदी कर्मचारियों के वेतन की संशोधन समिति विचार कर चुकी है। यह समिति अन्य सबद्ध विषयों पर भी विचार करेगी। इस समिति में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि बराबर-बराबर की संख्या में रखे गये हैं यह नया मजदूरी समझौता न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट को छोड़कर 1-1-1980 से लागू होगा। न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट पर यह समझौता 1-4-80 से जब से यह पोर्ट ट्रस्ट बना है, लागू होगा।

प्रधान मंत्री की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात

518. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री चित्त वसु
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री के० पी० सिंह देव
श्री एन० ई० होरो : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) और चीनी विदेश मंत्री तथा चेयरमैन हुआ गुओ फेंग के बीच हाल ही में सेली सबरी और बेलग्रेड में मुलाकात हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो इस मुलाकात का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) जी हां।

(ख) ये बैठकें शिष्टाचार के नाते हुई थीं और इस अवसर पर किसी प्रकार का विस्तृत विचार विमर्श नहीं होता। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों को सुधारने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चीनी प्रधान मंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। भारतीय प्रधान मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सद्भावना और संकल्प हो तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो सुलझ न सकती हो।

भारतीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए गुट-निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है अपितु प्रत्येक मामले में अपने राष्ट्रीय हितों के तथा विश्व-शान्ति के हितों के प्रकाश में उसके गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने की स्वतन्त्रता है।

इस्लामी सम्मेलन

519. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने इस वर्ष इस्लामाबाद में हुए इस्लामी मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है।

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी नहीं।

(ख) इस्लामी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन इस्लामी देशों के संगठन के तत्वाधान में होता है। इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में केवल इस्लामी देशों के संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री ही भाग ले सकते हैं। चूंकि भारत इस्लामी देशों के संगठन का सदस्य नहीं है अतः इस वर्ष इस्लामाबाद में हुए इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में भारत के भाग लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामपुर रेल फाटक पर उपरि पुल

520. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री श्री रामपुर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल के बारे में 27 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामपुर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : पूर्व रेलवे के श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन पर समपार सं० 5 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करना व्यावहारिक पाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले अस्थायी परिवर्तित मार्ग और पुल के पहुँच मार्गों के नक्शे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उन्होंने अस्थायी परिवर्तित मार्ग के नक्शे भेज दिए हैं और इस समय रेलवे द्वारा इनकी जाँच की जा रही है। परिवर्तित मार्ग के नक्शे अन्तिम रूप से तय हो जाने के बाद, रेलवे और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपरी सड़क पुल से संबंधित अपने-अपने हिस्से के काम के नक्शे और अनुमान तैयार करने का काम शुरू किया जायेगा।

श्री लंका से तमिल लोगों का प्रत्यावर्तन

521. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका से तमिल लोगों के देश प्रत्यावर्तन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्री लंका में नागरिता रहित कुल कितने तमिल लोग हैं जिनका देश प्रत्यावर्तन किया जाना है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) और (ख) : जी हां। संभवतः निम्न लिखित कारणों से प्रत्यावर्तन की गति धीमी रही है :—

1. भविष्य निधि तथा उपदान के भुगतान और विदेशी मुद्रा नियंत्रण आदि से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने में श्रीलंका में विलम्ब।
2. श्रीलंका में चाय बागानों की परिस्थितियों में सुधार के घलस्वरूप प्रत्यावर्तियों द्वारा प्रस्थान में विलम्ब ।
3. श्रीलंका में राष्ट्रिकता विहीन भारतीय-मूल के लोगों की नागरिकता एवं प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की पुनः जांच के लिए सुझाव।

(ग) 1964 और 1974 के करारों के अंतर्गत 30 जून, 1980 को 3, 41, 240 व्यक्ति और उनके बच्चे भारत प्रत्यावर्तित किए जाने थे।

पुलिस कर्मचारियों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निः शुल्क यात्रा

522. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या नोवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारी दिल्ली परिवाहन निगम को बसों में निःशुल्क यात्रा करते हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निःशुल्क यात्रा सुविधा को अवेध घोषित किया है,

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे कि दिल्ली पुलिस कर्मचारी दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा न करें ?

नौवहन और परिवाहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) जेब कटने, उपद्रव करने वाले व्यक्तियों के अभद्र व्यवहार और बसों के चलाने वाले कर्मचारियों को मारने पीटने की घटानाओं को रोकने के दिल्ली परिवाहन निगम और दिल्ली पुलिस के बीच अप्रैल, 1965 में एक समझौता हुआ था कि दिल्ली परिवान की बसों में पुलिस की निचली श्रेणी के कर्मचारीयों जैसे कांस्टेबुलों और हेड कांस्टबुलों को वर्दी में मुफ्त यात्रा करने की इजाजत दी जाय जो इस बात पर निर्भर करेगा कि एक समय में एक बस में पुलिस के दो से अधिक उक्त कर्मचारी नहीं होंगे, अगर बाकी पैसेंजर खड़े हों तब ये कर्मचारी सीटों पर नहीं बैठेंगे, ये कर्मचारी नियमित बस स्टाप पर ही बसों में चढ़ेंगे व उतरेंगे तथा फुट बोर्ड पर खड़े होकर बस में सफर नहीं करेंगे, आदि आदि।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम और पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ उसमें दिल्ली परिहवन की बसों में पुलिस के कर्मचारियों द्वारा मुफ्त यात्रा करने की इजजात देने की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। 20 मई 1980 को दिल्ली के एक सब जज ने दिल्ली

परिवहन की बसों में पुलिस के कर्मचारियों को मुक्त यात्रा करने के निर्देशों को गलत घोषित किया। सब जज ने कहा है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथारिटी एक्ट और अन्य व्यवस्थाएं जिनके तहत में निर्देश जारी किए गए उनके अधीन दिल्ली परिवहन निगम को 'पास' जारी करने का तो अधिकार है लेकिन मुफ्त यात्रा करने की इजाजत देने का अधिकार नहीं है।

(ग) इस निर्णय को प्रमाणित प्रति के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसके मिलने पर ही निर्णय का पूरा पूरा ब्यौरा मिलेगा और कारवाई की जायगी।

अधिक भारतीय नागरिकों की सेवाओं में ईराक की रुचि

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक सरकार ने अधिक भारतीय तकनी शियनों, इंजीनियरों और डाक्टरों की सेवाओं में रूचि व्यक्ति की है ,और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारतीय कार्मिक की भर्ती करने में इराक बहुत दिलचस्पी लेता रहा है। 18 अप्रैल से 21 अप्रैल, 1980 तक नई दिल्ली में आयोजित भारत इराक संयुक्त आयोग के छठे अधिवेशन में इराकी सह अध्यक्ष ने इराक में कार्य कर रहे भारतीय कार्मिकों के कार्य पर अपनी सरकार की ओर से संतोष व्यक्त किया और कहा कि जब भी आवश्यकता होगी वे भारतीय विशेषज्ञों और तकनीशियनों की सेवाओं के लिए भारत से अनुरोध करेंगे।

(ख) इराक ने विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक 270 से अधिक अध्यापकों और लगभग 455 इंजीनियरों आदि की भर्ती में दिलचस्पी दिखाई है।

अंडल रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई

524 **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क)पूर्वी रेलवे के अंडल रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : बिजली की कमी और सूखे के कारण अपेक्षित पानी की सप्लाई में सुधार/वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं

(1) रेल इंजनों की आवश्यकताओं के लिए पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए स्थानीय कोयला खान गर्त में तीन डीजल पम्प लगाये गये हैं। उपरी टंकी में पानी पहुचाने के लिए पम्प की क्षमता तथा पाइप लाइन के आकार में वृद्धि की गयी है।

(2) बिजली की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए तीन डीजल जनित्र सेट लगाये गये हैं।

(3) दामोदर नदी के आर पार एक अस्थायी बंधारा का निर्माण किया गया है और पानी निकालने के लिए तीन पम्प लगाये हैं। नदी के किनारों पर दो अतिरिक्त नल कूप लगाये गये हैं।

(4) कारखाना कम्पलेक्ष क्षेत्र में एक नया नल कूप लगाया गया है। कारखना कम्पलेक्ष क्षेत्र से ट्रैफिक कालोनी तक एक पाइप लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव है।

आसनसोल के शंटिंग केबिन एन्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन का ज्ञापन

525. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल, पूर्वी रेलवे के आल इंडिया शंटिंग केबिन एण्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन का कोई ज्ञापन अथवा मांग पत्र प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) (क) जी हाँ।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित माँगों सहित बहुत सी मांगे की गयी है।

(I) पदोन्नति सरणि में सुधार,

(II) वेतन-मानों का संशोधन,

(III) कठिन ड्यूटी भत्ते का भुगतान,

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी अभ्यावेदनों पर उचित ढंग से विचार करके उन पर कार्रवाई की जाती है। असनसोल की आल इंडिया शंटिंग केबिन एण्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में की गयी मांगों पर इस नीति के अनुसार कार्रवाई की गयी है।

बंगलादेश संघर्ष के दौरान राहत सामग्री में घोटाला

526. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में बांलादेश संघर्ष के दौरान राहत सामग्री में घोटाले के बारे में जांच के लिये नियुक्त सतर्कता आयोग ने कई करोड़ रुपये की अनियमिताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रतिवेदन में निकाले गये निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत सरकार द्वारा कोई सतर्कता आयोग नियुक्त नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अफगानिस्तान में स्थिति

527. **श्री चित्त बसु** :

श्री चित्त महाटा :

श्री पी.के. कोडियन:

श्री हरीनाथ मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगानिस्तान में स्थिति का नवीनतम जायजा क्या है तथा उसके सम्बन्ध में सरकार की स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अफगानिस्तान की स्थिति भारत सरकार के लिए चिन्ता का विषय रही है और बनी है।

सरकार ने इस क्षेत्र में तनाव दूर करने के तरीके और साधन खोजने के उद्देश्य से और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, जिससे अफगानिस्तान से

सोवियत सैनिक हटाना सुविधाजनक बने, कई देशों के साथ लाभदायक परामर्श किये हैं। हमें विश्वास है कि हमारे परामर्शों से संबद्ध मसलों को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में और इस सिलसिले में प्रस्तुत कई प्रस्तावों पर विचार करते हुए, हम समझते है कि संबद्ध दलों की यह एक हार्दिक इच्छा है कि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। हम यह आशा करते हैं कि सबद्ध सभी देश इस तरह के लिए तेजी से प्रयास करेंगे।

विदेश सचिव की अफगानिस्तान की यात्रा

528: **श्री एस.एम. कृष्ण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सचिव अफगानिस्तान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से रुसी सेना के वापस लौटने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए दिनांक 16 मई, 1980 को विमान से कावुल गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) विदेश सचिव ने 16 से 19 मई, 1980 तक कावुल की यात्रा की थी। वे अफगान सरकार के नेताओं से मिले और उनके साथ इस क्षेत्र में स्थिति और द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने अफगान नेताओं से 14 मई, 1980 को अफगान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जो कि इस क्षेत्र की स्थिति के राजनितिक समाधान के लिए अफगान रुपरेखा है और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अफगान-पाकिस्तान और अफगान-ईरान वर्ताओं के बीच सीधे द्विपक्षीय संपर्क की व्यवस्था और अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी और उसकी गारंटी की भी व्यवस्था है।

(ख) : अफगान नेताओं ने अपने प्रस्तावों को विस्तार से समझाया और बताया कि वे पाकिस्तान और ईरान की सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) : ईरान अथवा पाकिस्तान ने अफगान प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। दूसरी ओर इस्लामी विदेश मत्री सम्मेलन के निर्णय के अनुसार, व्यापक समाधान खोजने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गयी है जिसके पाकिस्तान और ईरान सदस्य हैं। अभी यह देखना है कि इस्लामी पहल कैसी होती है।

सेल्सबरी में पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग दिखाने वाले मानचित्रों का वितरण

529. **श्री ए.एस.एम. कृष्ण** : क्या विदेश मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति जिय-उल-हक की सेल्सबरी की यात्रा के दौरान पाकिस्तान द्वारा सेल्सबरी में ऐसे मानचित्र वितरित किए गए थे जिनमें जूनागढ़ को पाकिस्तान का भू-भाग दिखाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ इस मामले पर बात-चीत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर पाकिस्तानी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को "लैण्ड एण्ड पीपल आफ पाकिस्तान" नामक एक पुस्तक भेंट की जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त एक नक्शा भी है जिसमें जूनागढ़ को पाकिस्तान के एक भाग के रूप में दिखाया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस पुस्तक की प्रतियाँ अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों को भी दी गई थीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है।

जुबरन छुट्टी करने और औद्योगिक गृहों को बन्द करने के लिये जन-दिवस हानि तथा श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव

530. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि।

(क) पृथक-पृथक प्रत्येक राज्य में 1 जनवरी, 1979 के बाद प्रत्येक तिमाही के दौरान जबरन छुट्टी के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई तथा कितने श्रमिक प्रभावित हुये और गृहों औद्योगिक को बन्द करने के कारण कितने श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(ख) जबरन छुट्टी कम करने तथा औद्योगिक गृहों को बन्द किये जाने के संबंध में कमी करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

दिल का दौरा रोकने में दही प्रभावकारी

531. श्री रामअवतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दही का सेवन करने से दिल का दौरा पड़ने की सम्भावन कम हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) महामारी रोग तथा राव परीक्षा प्रमाणों से यह पता चलता है कि मसाई नामक एक अफ्रीकी कबीले में ऐथिरोस्कलेरोसिस और हृदय रोग कम होते हैं। मसाई लोगों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे केवल खमीर वाले दूध और दही का सेवन करते हैं। वालेंटियर्स पर किये गए अध्यन से पता चलता है कि दही खाने से रक्त में कोलेस्टराल की मात्रा कम हो जाती है। अप्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि दही खाना लाभकारी हो सकता है। फिर भी यह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि दही खाने से दिल का दौरा पड़ने की सम्भावना कम होती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पाठ्यक्रमों का स्तर ऊंचा करने की योजना

532. श्री रामावतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पाठ्यक्रमों के स्तर को ऊंचा करने की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पाठ्क्रमों के स्तर को ऊँचा करने की कोई योजना तैयार नहीं की है । यह संस्थान एक स्वायन्तशासी, सांविधिक संस्था है जिसे संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसलिए संस्थान के नए पाठ्क्रमों के प्रस्तावों पर तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्तरों को ऊंचा करने के लिए स्वयं संस्थान को ही विचार करना है । तथापि, हाल ही में संस्थान ने अपने अन्डर-ग्रेजुएट एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रमों को संशोधित किया है और बी. एस. सी. (नर्सिंग) तथा बी. एस. सी. (आनर्स) मानव जीव विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भी शुरू किया है ।

काश्मीर

533. **श्री चित्त महाटा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत से 'काश्मीर विवाद' को यथा शीघ्र हल करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० बी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) पाकिस्तान काश्मीर के प्रश्न को समय-समय पर विभिन्न मंचों पर उठाता रहा है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार का रवैया सुविदित है । 1972 के शिमला समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि वे काश्मीर के प्रश्न सहित अपने सभी मतभेदों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निपटायेंगे ।

फार्म श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

534. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री चित महाटा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के फार्म श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम मजूरी की वर्तमान तथा बढ़ाई गई दरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बहुत से राज्यों में सांविधिक न्यूनतम मजूरी लागू नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों में सांविधिक न्यूनतम मजूरी लागू करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव अधिसूचित किए

हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को भी सलाह दी गई है कि वे कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करें, जहां ऐसा करना यथोचित है।

(ख) सूचना सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कार्यान्वित न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी-दरों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समुचित प्रशासनिक कार्यवाही कर रही हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मजदूरी की वर्तमान/पुरानी दरें और तारीखें, जिनसे ये लागू हुई हैं।	संशोधित दरें/प्रस्तावित दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय सरकार	क्षेत्रों के अनुसार 4·45 रु० से 6·50 रु० (18 9·1976)	क्षेत्रों के अनुसार 5·10 रु० से 7·50 रु० (प्रस्तावित)
2.	आन्ध्र प्रदेश	क्षेत्रों के अनुसार 3·00 रु० से 5·00 रु. प्रतिदिन (2·12·75)	बोटों के अनुसार 3·15 रु. से 5·25 रु. प्रतिदिन (प्रस्तावित)
3.	असम	व्यवसाय के अनुसार 5·00 रु. से 6·00 रु. प्रतिदिन वगैर भोजन के या 4·50 रु. से 5·50 रु. प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ (अक्तूबर, 1974),	—
4.	बिहार	गैर सिंचाई वाले क्षेत्रों में 4·00 रु. व एक समय का खाना/नाश्ता और सिंचाई वाले क्षेत्रों में 5·00 रु. और एक समय का खाना/नाश्ता (जुलाई, 1975),	
5.	गुजरात	5·00 रु. प्रतिदिन (5·1·1976).	
6.	हरियाणा	भोजन के साथ 5·00 रु. प्रति दिन या भोजन के बिना 7·00 रु. प्रतिदिन (31·12·1975)	कार्य के प्रकार के अनुसार 7·50 रु. से 10·00 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ या 9·00 रु. से 12·00 रु. प्रतिदिन (2·1·1980),

7.	हिमाचल प्रदेश	5·25 रु. प्रतिदिन (1·10·1977)	6·25 रु. प्रतिदिन (प्रस्तावित),
8.	जम्मू तथा काश्मीर	अभी तक कोई न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं ।	
9.	कर्नाटक	संक्रिया की श्रेणी और भूमि के प्रकार के अनुसार 3·25 रु. से 5·60 रु. प्रतिदिन (2·10·1975)	—
10.	केरल	आसान कार्य के लिए 6·50 रु. प्रतिदिन और कठिन कार्य के लिए 8·00 रु. प्रतिदिन (15·9·1975).	—
11.	मध्य प्रदेश	जोनों के अनुसार 3·50 रु. से 4·00 रु. प्रतिदिन (2·10·1975).	5·00 रु. परम्परागत परिलब्धियों के साथ, यदि कोई हो (5·5·1979),
12	महाराष्ट्र	क्षेत्रों के अनुसार 4·00 रु. से 5·00 रु. प्रतिदिन (1·11·1978),	
13.	मणिपुर	6·50 रु. प्रतिदिन (1·3·1977),	
14.	मेघालय	(क) एक समय के भोजन के साथ 4·50 रु. प्रतिदिन या 5·00 रु. प्रतिदिन संक्रियाओं के अनुसार (ख) एक समय के भोजन के साथ 5 50 रु. या 6·00 रु. प्रतिदिन संक्रियाओं के अनुसार (2·9·75),	
15.	नागालैंड	8·00 रुपये प्रतिदिन (31·1·1978),	
16.	उड़ीसा	4·00 रुपये प्रतिदिन (1·1·1976),	
17.	पंजाब	भोजन के साथ 4·50 रु. से 5·65 रु. प्रतिदिन या भोजन के बगैर 6·70 रु. 8·70 रु. प्रतिदिन (11·7·1975),	लंदी क्षेत्र :—8.70 रुपये प्रतिदिन या 6·70 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ । अन्य क्षेत्र :—9·70 रु. प्रतिदिन या 7·70 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ (1·1·1979),

18.	राजस्थान	क्षेत्रों के अनुसार 4·25 रु. से 5·00 रु. प्रतिदिन (जनवरी 1975)	क्षेत्रों के अनुसार 6·25 रु. से 8·00 रु. प्रतिदिन (1·1·1980)
19.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अभी लागू नहीं किया गया है।	
20.	तमिलनाडु	संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार 3·50 रु. से 5·00 रु. प्रतिदिन (वयस्क), 2.10 रु. से 3·00 रु. प्रतिदिन (अवयस्क), (2·3·1976)	5·00 रु. से 7·00 रु. प्रतिदिन, संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार पूर्वी थंजावूर को छोड़ कर मजदूरी दरें, जहाँ मजदूरी दरें तमिलनाडु कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम, 1969 के अनुसार निर्धारित की गई हैं. (15·9·1979).
21.	त्रिपुरा	4·00 रु. प्रतिदिन (15·8·1975),	7·00 प्रतिदिन (1·12·1979).
22.	उत्तर प्रदेश	जोनों के अनुसार 5·00 रु. से 6·50 रु. प्रतिदिन (23·10·75)	—
23.	पश्चिम बंगाल	मूल महंगाई भत्ता जोड़ वयस्क 5·60 2·31 7·91 बालक 4·00 1·68 5·63 (30·9·1974)	(नवम्बर, 1979 को महंगाई भत्ता);
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5·50 रु. प्रतिदिन (1-6·1976),	
25.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार कृषि श्रमिकों की लघु संख्या और शोषण न होने को मद्देनजर रखते हुए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझती है।	
26.	चंडीगढ़	भोजन के साथ 5·00 रु. से 7·50 रु. प्रतिदिन	7·70 रु. से 9·00 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ या 9·70 रु. से 11·00 रु. प्रतिदिन कार्य की प्रकृति के अनुसार (28·4·79)
27.	दादर तथा नगर हवेली	5·50 रु. प्रतिदिन (15·4·76)	
28.	दिल्ली	6·25 रु. प्रतिदिन (1·10·1975)	9·25 रु. प्रतिदिन (1·1·80)
29.	मिजोरम	न्यूनतम मजदूरी का नियतम विचाराधीन है।	

30.	गोवा, दमन और दीव	कार्य की श्रेणी के अनुसार 4.00 रु. से 5·00 रु. प्रतिदिन (25·2·1979)
31.	पांडिचेरी	क्षेत्रों और कार्य की प्रकृति के अनुसार 3·50 रु. से 9·00 प्रतिदिन (1·9·76)
32.	लक्षद्वीप	संघ शासित क्षेत्र में कोई भी कृषि श्रमिक नहीं है।

बंगला देश से होकर जाने वाली रेलगाड़ी

536. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने उनसे बंगला देश से होकर त्रिपुरा तक रेलगाड़ी चलाने के लिए बंगला देश सरकार के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था जिससे त्रिपुरा में परिवहन की मुख्य समस्या का समाधान हो जायेगा :

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) इस सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार रेलवे बोर्ड से सम्पर्क बनाए हुए है।

(ख) और (ग) इस मामले पर दोनों देशों के रेलवे प्रशानों के बीच तथा राजनियक सूत्रों के माध्यम से विचार विमर्श किया जा रहा है।

माल डिब्बों का जमा होना

537. **श्री सोमनाथ चटर्जी)** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों के राष्ट्र-विरोधी गिरोह की रोक-थाम के प्रयोजनार्थ सरकार का विचार माल डिब्बों के उपयोग न करने के लिए धनराशि जब्त करने के अतिरिक्त भारी जूर्माना लगाने वाले कानून के खन्डों को लागू करने और कानून का एक ऐसा खण्ड लागू करने का है जिसके द्वारा माल डिब्बों के जमा होने के बड़े अथवा आदी अपराधियों को माल डिब्बों की बुकिंग से वंचित कर दिया जाए और नियमित रूप से माल डिब्बों की मांग करने वाली पार्टियों और उनके द्वारा उपयोग किए गए अनुवर्ती माल डिब्बों की जांच करने के लिए समूची रेलवे व्यवस्था में तत्काल निगरानी सेल स्थापित किए जाएं,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) आबंटन के पश्चात् माल डिब्बों को आदतन उपयोग में न लाने की रोक-थाम के उद्देश्य से सरकार माल डिब्बा पंजीकरण शुल्क की वर्तमान दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त, आबंटित माल डिब्बों के लदान के लिए अनुमत छूट समय की समाप्ति के पश्चात् अलग-अलग स्टेशनों पर लागू दरों पर विलम्ब शुल्क भी पहले से लगाया जा रहा है। सितम्बर 1979 से क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को ये अधिकार भी प्रत्योजित किए गए हैं कि जिन

स्टेशनों पर रेल उपयोगकर्ताओं में माल डिब्बों की आकरण रोक रखने की प्रवृत्ति दिखाई दे, वहाँ बढ़ी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क लगाया जाय।

रेलवे किसी पार्टी को माल डिब्बों की बुकिंग कराने से नहीं रोक सकती क्योंकि भारतीय रेल अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिनके अधीन रेलों को ऐसी कार्रवाही करने की अनुमति मिलती हो।

तथापि जिन पार्टियों की अपनी निजी साइडिंग है उनके द्वारा माल डिब्बों के उपयोग पर क्षेत्रीय रेलों के मन्डलीय और प्रधान कार्यालय स्तर पर, कड़ी निगाह रखी जा रही है।

कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों में गाद का जमाव

538. **श्री निरेन घोष** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हुगली के निचले भाग में अभूतपूर्व गाद जमा हो जाने के कारण कलकत्ता और हल्दिया दोनों पत्तनों पर तेजी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई दीर्घ-कालीन तथा अल्पकालीन योजना है, और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानम् मन्त्री (श्री आनन्त प्रसाद शर्मा) (क) से (ग) : जी, हाँ। सरकार को यह भली भाँति मालूम है कि हल्दिया की ओर जाने वाली चैनेल में विभिन्न बालूचरों और हल्दिया से कुछ थोड़ा ऊपर की ओर बेलार बार में भी लगातार निष्कर्षण करते रहने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके कारण कई है। अनुमान है कि इसका मुख्य कारण यह है कि हल्दि.. चैनेल की तुलना में रंग फल्ला चैनेल में पानी अधिक आता है। हल्दिया चैनेल की निष्कर्षण के लिए अनुकूल बनाने के के लिए नदी की धारा को मोड़ने वाले कुछ निर्माण कार्य जरुरी होंगे। इस समय कलकत्ता और केन्द्रीय पावर विजली अनुसंधान केन्द्र पुणें, दोनों स्थानों पर नमूने के आधार पर अध्यन किये जा रहे हैं। विदेशों में किए जाने वाला गणतीय अध्ययन भी हो रहा है। इसके परिणामों के मिलने और विश्लेषण किये जाने के बारे में कलकत्ता और हल्दिया दोनों की ओर आने वाले चैनेलों की और अधिक गहरा बनाने के लिए एक सर्वांगीण योजना बनाना संभव हो सकेगा।

भारतीय जहाजों के क्रेताओं को राज सहायता

539. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने इन्डियन शिपयार्ड में बने जहाजों के क्रेताओं को राज सहायता देने की शिफारिश की है,

(ख) उक्त सिफारिश किन कारणों से की गई है,

(ग) उक्त राज सहायता पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है,

क्या शिपयार्ड अथवा उनके मन्त्रालय के पास उक्त क्रेताओं की ओर से ऐसा कोई अनुरोध विचाराधीन था, और

(ङ) वे क्रेता कौन थे ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन् मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्वित की समीक्षा

5410 श्री छोटूभाई गामित : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्वित को समीक्षा करके सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं, और

(ख) क्या उक्त निष्कर्षों को राज्यों के पास भेज दिया गया है और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अज्जया) : (क) और (ख) 18 अप्रैल, 1980 को हुए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम सचिवों की बैठक में लिए गए मुख्य निष्कर्षों सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। राज्य सरकारों को निष्कर्षों के बारे में सूचित कर दिया गया है। यह आशा है कि वे इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे।

विवरण

मुख्य निष्कर्ष

मद : कृषि में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन

(ii) जहां कहीं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनमत मजदूरी में संशोधन काफी समय से नहीं किया गया है, वहां कृषी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखते हुए तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए;

(i) भविष्य में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में जहां वर्तमान न्यूनतम मजदूरी को कृषि श्रमिकों के संशोधन श्रम मन्त्री सम्मेलन द्वारा पहले से लिए गए निर्णय के अनुसार 2 वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। (26 सत्र 19 जुलाई, 1975)

(iii) जहां कहीं वर्तमान मजदूरी दरें बहुत कम हैं, वहां उन दरों को कम से कम 4/- रुपये प्रति दिन के स्तर पर लाया जाना चाहिए, तथापि इसको राष्ट्रीय नीति की मार्गदर्शी रूप रेखा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

(iv) कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन को 20 सूत्री कार्यक्रम की एक मद के रूप में जोरदार तरीके से किया जाना चाहिए।

(v) आमतौर पर श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग से सत्र होना चाहिए और कृषि में न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन विशेषकर जिला और ताल्लुक स्तरों पर किया जाना चाहिए। ऐसे तंत्र को अलग-अलग राज्यों की स्थितियों के अनुसार राजस्व, पंचायत तथा अन्य विभागों की सहायता लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा की गई

संस्थागत व्यवस्थाओं पर अन्य सरकारों द्वारा विचार किया जा सकता है, ताकि वे जहाँ कहीं अनिवार्य तंत्र के सम्वर्धन के लिए उपयुक्त योजनाएं बना सकें ।

(vi) कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन की सही तरीके से निगरानी करने के लिए राज्य के भीतर विभिन्न स्तरों पर विपक्षीय समितियाँ गठित की जानी चाहिए;

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम को तीव्र किया जाना चाहिए, ताकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियोजक द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में अपने अधिकारों के बारे में कृषि श्रमिकों के बीच जागरुकता पैदा की जा सके;

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जिससे कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन को सरल किया जा सकेगा ।

मद् 2 : बन्धित श्रमिक

(i) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा किए गये सर्वेक्षणों के बीच बंधित श्रमिकों के अनुमानों में विभिन्नता का जिक्र करते हुए, सम्मेलन ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सभी राज्य सरकारों को उस आधार के बारे में सूचित करेगा, जिस आधार पर गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा बंधित श्रमिकों के अनुमानों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया था, ताकि राज्य सरकारों आँकड़ों के दोनों सेटों को मिला सके और यदि अनिवार्य हो, तो नए अनुमानों के लिए सर्वेक्षण कर सकें ।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही पता लगाए गए बंधित श्रमिकों के पुनर्वास में धीमी प्रगति और केन्द्र द्वारा संचालित योजना के लिए पहले से ही आवंटित निधि का उपयोग करने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, यह स्वीकार किया गया कि ऐसे सभी बंधित श्रमिकों को जिनका पहले से ही पता लगाया है, परन्तु जिन्हें अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है, दो वर्ष की समय सीमा के भीतर पुनर्वासित नहीं किया गया है । राज्य सरकारों को तदनुसार अपना कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और योजना निधियों के विनियोजन के लिए तत्काल भारत को भेज देना चाहिए । भारत सरकार की हुई प्रगति के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए ।

(iii) प्रगति को मोनीटर करने और कठिनाइयों को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति स्थापित करने सम्बन्धी सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है ।

मद् 3 : उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता

(i) राज्य सरकारें क्रमशः अक्टूबर, 1975 और जनवरी, 1977 में लागु की गई दोनों योजनाओं की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में पूरे ब्यौरे एकत्र करेगी और की गई प्रगति की सूचना समय समय पर केन्द्रीय सरकार को देगी ।

(ii) श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी 21 सदस्यीय समिति की सिफारियों पर यह सामान्यतः महसूस किया गया कि नई योजना पर अन्तिम विचार विधान सभाओं के चुनाव और लोक प्रिय सरकारों के बनने के पश्चात् राज्य सरकारों से पूर्णतयः परामर्श करने के पश्चात्त ही लिया जा सकता है । लेकिन निम्नलिखित टीका टिप्पणियाँ की गई :

(क) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना कानून द्वारा शुरु की जानी चाहिए,

(ख) यह कानून इतना लचीला होना चाहिए ताकि स्थानीय परिस्थितयों में परिवर्तनों को ध्यान में रखा जा सके, :

(ग) अस्पतालों और शैक्षिक, धार्मिक आदि संस्थानों के लिए माडल योजनाएं तैयार की जा सकती हैं जिनको लागू करने के लिए बाद में विचार विमर्श किया जा सकता है ,

(घ) तीन स्तरों अर्थात शाप फ्लोर, प्लाण्ट और बोर्ड कारपोरेट स्तरों पर सहभागी फोरम गठित किए जाए, इस अवस्था में इंडस्ट्री स्तर पर सहभागी फोरम संभव नहीं है,

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत निजी/सरकारी/सहकारी क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठान और विभागीय उपक्रम आ सकते हैं, जिनमें 500 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। इसमें समर्थकारी उपवन्ध होना चाहिए ताकि सौ न्यक्तियों तक नियोजित करने वाले यूनिट इसके अन्तर्गत आ जाएँ।

मदद 4: शिक्षुता

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रतिष्ठानों में सीधी भर्ती की 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रशिक्षित शिशुओं द्वारा भरी जाएं।

(ii) यदि शिक्षुता प्रशिक्षण के स्तर में सुधार हो जाए, तो प्रशिक्षण शिशुओं को खपाने के लिए अधिक अवसर होंगे राज्य निदेशालयों को इस पहलू की ओर उचित ध्यान देना चाहिए

(iii) शिक्षुओं के लिए वृत्ति की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय शिक्षुत परिषद की बैठक में विचारार्थ रखा जायगा,

(iv) इस बात को देखने के लिए यह व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि शिक्षुता की अवधि समाप्त होने के पश्चात शिक्षुओं को रोजगार मिल सके। प्रशिक्षण और रोजगार निदेशालयों में निकट सम्पर्क होना चाहिए।

(v) वाणिज्यिक शिक्षुओं के प्रशिक्षण को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के समक्ष रखा जायगा।

मद्द 5 : 13-12-1977 की स्थिति के अनुसार उद्योग-वार आधार पर दावा की गई सदस्यता और 31-12-78 की स्थिति के अनुसार उद्योग के कुल आंकड़ों को एकत्र करने से सम्बन्धित समस्याएं।

इस बात को अनुभव करते हुए कि प्रमाणित सदस्यता आँकड़ों के अभाव में, त्रिपक्षीय सम्मेलनों में ट्रेड यूनियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयोजन हेतु सरकार के पास कम से कम सम्पूर्ण और उद्योग वार दोनों दावा किए गये सदस्यता आंकड़े होने चाहिए, यह स्वीकार किया गया कि 1977 के लिए सगत उद्योग-वार आँकड़े एकत्र किये जाएंगे और राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को तत्काल भेजे जाएंगे जहां यह पहले से ही नहीं किया गया है और 1978 के लिए सम्पूर्ण और उद्योग-वार आंकड़े यथा संभव शीघ्र भेजे जाएंगे।

मद्द 6 : महिलाओं को रोजगार देना और महिला श्रमिकों से सम्बिन्धि कानूनों के विभिन्न उपबन्धों का परिवर्तन :

राज्य सरकारों के श्रम सचियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे महिला श्रमिकों के कल्याण और उन्हें संरक्षण देने वाले सभी कानूनों वा कार्यान्वयन सुनिश्चि करें। यह परामर्श

दिया गया कि वे राज्य सरकारें, जिन्होंने समान पारिश्रमिक अधिनिमम, 1976 के अधीन अभी तक सलाहकार समितियाँ गठित नहीं की हैं इन्हें तत्काल गठित करें और सरकार को सूचना भेजें। उपरिलिखित अधिनियमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विवरणियां भेजने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। महिलाओं के लिए स्व रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया।

मद्द 7 : बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्य चालन :

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे इस अधिनियम को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही करें। लेकिन समय की कमी के कारण इस मद पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी।

मद्द 8 : अन्तर राज्यीय प्रवासी श्रमिक

सम्मेलन ने नोट किया कि इस विषय पर केन्द्रीय विधान उस समय लागू किया जायेगा जिस समय केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नियमों के माडल निप्रम तैयार हो जायेंगे।

मद्द 9 : अन्य मद्दे

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी उन प्रस्ताओं पर अपनी टिप्पणियाँ शीघ्र भेजें, जो मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षकों के दूसरे सम्मेलन की सिफारिशों से उत्पन्न हुए हैं।

(ख) संसद के आश्वासन :

सम्मेलन के अध्यक्ष ने श्रम सचिवों से अनुरोध किया कि वे लम्बित पड़े संसद के आश्वसनों के सम्बन्ध में सूचना अविलम्ब भेजें, ताकि केन्द्रीय सरकार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उनको पूरा कर सके।

श्रम कानूनों का संहिताकरण

541. **श्री पी. एम. सईद** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रम कानूनों का संहिताकरण करने और इस समय विद्यमान सौ से अधिक श्रम कानूनों में एक रूपता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की आशा है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) केन्द्रीय श्रम कोड तैयार करने का प्रश्न श्रम प्रशासन संबंधी अध्यन दल की सिफारिश के रूप में राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) के समक्ष आया। उस आयोग ने विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन आने वाले अनेक विषयों को ध्यान में रखते हुए इसे व्यवहार्य नहीं समझा। श्रम कानूनों की एक-रूपता के प्रश्न पर राज्य श्रम मन्त्रियों की आगामी बैठक में विचार-विमर्श करने का विचार है।

राष्ट्रीय मजूरी नीति के बारे में सम्मेलन

542. **श्री पी. एम. सईद** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मन्त्रालय राष्ट्रीय मजूरी नीति प्रतिपादित करने के लिये त्रिपक्षीय सम्मेलन का विचार कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन का आयोजन कब किया जायेगा; और

(ग) किन-किन अन्य विषयों पर विचार किये जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी अंजय्या) : (क) से (ग) वर्तमान संसद अधिवेशन के शीघ्र पश्चात् एक त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार है। इस सम्मेलन के लिए कार्य-सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संकट के कारण रेलवे को हानि

543. **श्री पी. एम. सईद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संकट व्याप्त है और इसका रेलों के आने जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या मई के महीने के दौरान बिजली में बार-बार कटौती के कारण इस्पात कारखानों से कच्ची सामग्री के लदान पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा था,

(ग) क्या ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को केवल कोयला ढोने वाले कारखानों से ही 200 वैगनों के लदान का घाटा हुआ है, और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) बिजली में भारी कटौती के कारण पूर्वी क्षेत्र में रेल संचलन पर दुष्प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव रेलों की आमदनी पर भी पड़ा।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) विन्यास यार्डों, मरम्मत डिपुओं, लोको सैंडों और जल भरने के स्थलों जैसी रेल संस्थापनाओं की बिजली की सप्लाई बनाये रखने के लिये ऊर्जा मन्त्रालय, दामोदर वैली निगम और राज्य बिजली बोर्डों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

मुगल सराय रेलवे स्टेशन

544. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर कुछ कार्यालयों के लिए इमारतें बनाई जा रही है तथा इस स्टेशन को सुन्दर बनाने के उद्देश्य से स्टेशन के सामने जी. टी. रोड पर बनी पुरानी दुकानों को हटाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कितनी दुकानों को हटाया जायेगा तथा क्या इन दुकानदारों को किसी अन्य स्थान पर बसाया जायेगा, और

(ग) वहां से हटाये जाने वाले मकानों तथा दुकानों के लिये कितना मुआवजा दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : मुगलसराय

स्टेशन पर स्टेशन की पुरानी इमारत को फिर से बनाने, उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने और पुराने व निम्न-स्तरीय कार्यालयों को बदलने का काम हो रहा है। इस उद्देश्य से परिचलन क्षेत्र में सुधार के लिए 18 दुकानों का अधिग्रहण करना होगा। रेलवे ने अपेक्षित भूमि और दुकानों के अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है और इस संबंध में आगे कार्यवाही की जा रही है। भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

जी. टी. रोड से रेल डाक सेवा के कार्यालय तक नये पहुँच-मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कुछ अधिक दुकानों का अधिग्रहण भी करना पड़ सकता है।

गुजरात खादी ग्रामोद्योग द्वारा भविष्य निधि, और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राशि जमा कराया जाना

545. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) गुजरात खादी ग्रामोद्योग, (दो) रचनात्मक सहयोग समिति, सोराष्ट्र राजकोट, (तीन) खादी आश्रम, पानीपत. (चार) गाँधी ग्राम खादी विभाग, मदुरै द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि में कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई है और कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ख) यह राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों, की सूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	दी गई राशि	बकाया राशि
1	2	3	4
1.	गुजरात खादी ग्रामोद्योग मंडल अहमदाबाद।	5.57 लाख रुपये	शून्य
2.	सौराष्ट्र रचनात्मक सहयोग समिति, राजकोट।	21.34 लाख रुपये	शून्य
3.	खादी आश्रम, पानीपत	22.64 लाख रुपये	शून्य
4.	गाँधी ग्राम खादी विभाग, मदुरै	1.58 लाख रुपये	1195.26 रुपये

बकाया राशि की वसूल करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि गाँधी ग्राम खादी विभाग, मदुरै नाम का प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीम अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है। अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

ईरान में भारतीय लोगों की सुरक्षा

546. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने ईरान में काम करने वाले और रहने वाले भारतीय लोगों की सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ईरान द्वारा दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) : जी हां।

ईरान की सरकार ने भारत-सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वह ईरान में कार्य करने वाले भारतीय तकनीकी, चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा का सुनिश्चिय करेगी। इसी आश्वासन के अनुपालन में ईरान की सरकार इस बात के लिये राजी हो गई है कि जो लोग उपद्रव वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे उन्हें वहां से हटा कर अन्य स्थानों पर तैनात कर दिया जायेगा। ईरान में जीवन-यापन की परिस्थितियों के प्रति चिन्ता के कारण जो लोग अपनी संविदा की अवधि पूरा नहीं करना चाहते उन्हें तीन महीने पहले नोटिस देने की शर्त पूरी किए बिना ही ईरान छोड़ने की अनुमति दे दी जायेगी।

जहां तक तेहरान, जहीदान और बंदर अब्बास में स्थायी रूप से रहने वाले भारतीय समुदाय का प्रश्न है, उनके बारे में चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है।

मंत्रालय की सिफारिश पर मेडिकल कालेजों में भर्ती

547. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंत्रालय की सिफारिश पर मैडिकल कालेजों में सीधी भर्ती करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मैडिकल कालेजों को अपने कालेजों में छात्रों की भर्ती करने के बारे में पूरी स्वायत्तता प्राप्त है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ये कालेज उन्हीं नियमों और कार्यविधियों का पालन करते हैं, जो इन कालेजों को चलाने वाले अधिकारियों, उनसे सम्बद्ध विश्वविद्यालयों तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित की गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन

548. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री ई. बातानन्दन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कर्मचारी संघ संगठनों ने जून, 1980 में आरम्भ होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन सम्मेलन में प्रतिनिधियों के चुनाव के प्रश्न पर अपना विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा व्यक्त विरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किस मन्शा से केवल एक ही केन्द्रीय कर्मचारी संघ संगठन से प्रतिनिधियों का चयन किया ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) कुछ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने बारी-बारी से प्रतिनिधित्व देने के संबंध में अपने विचार भेजे हैं।

(ग) सरकार ने आगामी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए श्रमकों के प्रतिनिधिमण्डल का गठन जून, 1979 को हुए सम्मेलन में लिए गए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रत्यय-पत्र समिति के निर्णय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद 3, पैराग्राफ 5 के अनुसार किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क यातायात का विकास

549. **श्री पी. ए. संगमा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 34.4 किलोमीटर के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में प्रति 100 वर्ग कि. मी. 23.8 कि. मी. सड़कें हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में निम्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क यातायात का विकास करने के लिए सरकार क्या कायवाही कर रही है :

(एक) विशेष सड़क कार्यक्रम,

(दो) केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन परियोजनाएं तथा अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व योजना,

(तीन) पूर्वोत्तर परिषद्,

(चार) सीमा सड़क संगठन ?

नौहवन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) हाल के आंकड़ों के आधार पर स्थिति इस प्रकार है :

सड़क की लम्बाई

	प्रति लाख आबादी	प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किलोमीटर
उत्तर पूर्व परिषद् क्षेत्र	430	37.48
अखिल भारतीय	263	48.70

(ख) उत्तर पूर्व क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रमों के आधार पर स्थिति इस प्रकार है :

(i) **विशेष सड़क कार्यक्रम :** कुल लगभग 1400 किलोमीटर लम्बी सड़कें और 80 से अधिक पुल बनाने की परियोजना की योजना बनाई गई है या ये परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न स्तर में हैं।

(ii) **केन्द्रीय सड़क निधि और अन्तर्राज्यीय या आर्थिक मत्हव की सड़क योजना :**

केन्द्रीय सड़क निधि और अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़क योजनाओं के तहत चौथी योजना से अब तक 6.00 करोड़ रुपये के लागत के निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया गया है। नई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 31-3-83 तक 3.05 करोड़ रुपये और मिल जाएंगे।

(iii) **उत्तर पूर्वी परिषद् :**

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 50.00 करोड़ रुपये के लागत को सड़क/पुल योजनाएं अनुमोदित की गई थीं। इस राशि में से मार्च 1980 तक 25.92 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 1980-81 के लिए 12.50 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

(iv) सीमा सड़क संगठन :

1960 से अब तक जितनी सड़कें बनाई हैं उनकी कुल लम्बाई 5028.24 किलोमीटर है। इस समय जो अन्य सड़कें तैयार की जा रही हैं उनकी कुल लम्बाई 2248.16 किलोमीटर है (इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 544.68 किलोमिटर शामिल है)।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिनमें अधिकांशत: राज्य सड़कें हैं और जो भारत सरकार की सहायता से बन रही हैं, केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के जिनकी कुल लम्बाई 2300 किलोमीटर है और जो संघ का विषय हैं, विकास और अनुरक्षण का पूरा-पूरा खर्च वहन कर रही है।

1-4-69 से 31-3-80 तक इनके निवास पर 34.49 करोड़ रुपये और अनुरक्षण पर 21.32 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

नमक की ढुलाई के लिए जहाजों का आवंटन

550. **श्री के. टी. कोरूस राम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य के बावजूद कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए पहले कदम के रूप में आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले बिचोलियों को समाप्त करने का निर्णय किया है, टूटीकोरिन से कलकत्ता नमक ले जाने के लिए जहाजों के आवंटन हेतु बिचौलिये एवं जहाज व्यापारियों के नामों वाली प्राथमिकता सूची समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) पूर्वी तट पर जैसा कि पश्चिमी तट पर किया जा रहा है, सीधे नमक के उत्पादकों को जहाज आवंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) और (ख) : हाल में यह निर्णय किया गया है कि टूटीकोरिन से कलकत्ता तक नमक लाने के लिए जहाज नियत करने के बारे में मौजूदा प्राथमिकता सूची की जांच उद्योग मंत्रालय करेगा और नौवहन और परिवहन मंत्रालय को इस संबंध में सुझाव देगा कि क्या इस सूची में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक नौवहन महा निदेशक जहाज द्वारा नमक भेजने वालों की प्राथमिकता सूची को पहले की तरह जारी रखेंगे जिसमें टूटीकोरिन के नमक उत्पादनकर्त्ता, पश्चिमी बंगाल के. ई. सी. एस. कारपोरेशन, नेशनल को आपरेटिव फेडरेशन और अन्य लोगों के नाम शामिल है। नौवहन महा निदेशक से जहाज नियत करने के मामले में टूटीकोरिन के नमक उत्पादन कर्त्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।

जन संख्या नियंत्रण के साधन के रुप में विधि के विषय पर गोष्ठी

551. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1980 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित जन संख्या नियंत्रण के साधन के रुप में विधि के विषय पर गोष्ठी में क्या प्रमुख सुझाव दिये गये हैं, और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है,

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) संगोष्ठी में दिये गये सुझावों की मुख्य बातें परियोजना के निदेशक द्वारा संगोष्ठी के अंत में 11. 2. 1980 को जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में दी गई हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। (सभा पटल पर रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 862/80)

(ख) संगोष्ठी के आयोजकों से पूरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इन सिफारिशों के मिलने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है। प्रैस विज्ञप्ति में दी गई सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। कुछेक सुझावों अर्थात क्रम सख्या 8 और 9 को भारत सरकार ने पहले ही मान लिया है और उन्हें लागू करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत जांच से यह पता चला है कि कुछेक सुझाव अर्थात क्रम संख्या। और 2 का व्यावहारिक रुप से सीमित सा मूल्य है जब कि क्रम संख्या 5 जैसे अन्य सुझाव मूलत: तो लगते अच्छे हैं, परन्तु वे हमारी पहुँच और संसाधनों से बहार हैं। यों तो सभी उपयोगी सुझावों पर समुचित विचार किया जायेगा पर सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि परिवार नियोजन को शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से ही लोगों में बढावा देने की जरुरत है। वैसे, ज्यों ज्यों सेवाओं की मांग बढती जायेगी. उनकी पूर्ति वितरण पद्धति का समुचित विस्तार करके कर दी जायेगी।

कोयले की कमी के कारण दक्षिण रेलवे की रद्द की गई गाड़ियां

552. **श्री के० टी० कोसल राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण अप्रैल और मई, 1980 के दौरान दक्षिण रेलवे की रद्द की गई यात्री तथा माल गाड़ियों की संख्या कितनी हैं, और

(ख) दक्षिण रेलवे को तुरन्त कोयला पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : कोयले की अस्थायी कमी के कारण अप्रैल और मई, 1980 में केवल 2-3 दिन के लिए दक्षिण रेलवे पर अधिकांशत: तिरुच्चिरापल्लि मंडल की कुछ सवारी गाड़ियां रद्द कर दी गयी थी। विभिन्न स्थलों पर जिन रूकावटों के कारण यह कमी हुई थी; उन्हें दूर कर दिया गया है और विभिन्न मंडलों को प्रर्याप्त मात्रा में लोको कोयला भेज दिया गया है स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

भारतीय श्रमिकों का प्रत्यावर्तन

553. **श्री के० टी० (श्री कोशलराय)** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उन भारतीय श्रमिकों का देश प्रत्यावर्तन करने के लिए क्या कार्य वाही की जा रही है जो 21-2-1980 से संयुक्त अरब अमीरात श्रमिक कनूनों के लागू होने से विस्थापित हो गए हैं, और

(ख) इस कानून से कुल कितने भारतीय श्रमिक प्रभावित हुए हैं ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) प्रवासी कामगारों के सम्बन्ध में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लागू किये गए नये उपायों के अनुसार भारतीय राष्ट्रिकों सहित

ऐसे अन्य प्रवासी कामगारों को भी देश छोड़ने के लिए कहा जारहा है जो बिना वैध प्राधिकार के उस देश में रूके हुए हैं। अधिकतर मामलों में ये भारतीय कामगार भारत वापस आने के लिए खुद प्रबन्ध कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई भारतीय राष्ट्रिक बेसहारा हो जाने पर भारत वापस लौटने के लिए हमारे मिशन से सहायता के लिए सम्पर्क करता है तो ऐसे मामलों में हमारा मिशन निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे भारत वापस भेज देता है।

(ख) चूंकि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लागु किये गए उपाय अभी क्रियान्वित किये जा रहे हैं, अतः इन उपायों से प्रभावित भारतीय कामगारों की सही-सही संख्या के बारे में बताना अभी सम्भव नहीं है।

रीजनल कैंसर इस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

554. **श्री ए. नीलालोहित दासन : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल कालेज त्रिवेन्द्रम के कैंसर यूनिट की इमारत पर भारत सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है।

(ख) क्या सरकार को पता है कि प्रोफेसर वाही के नेतृत्व में कैंसर मूल्यांकन समिति ने मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम के कैंसर यूनिट को रीजनल कैंसर सेन्टर के रूप में विकास करने के लिये चुना है,

(ग) क्या सरकार को पता है कि रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम को वित्तीय सहायता के लिए केरल सरकार के द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ा हुआ है

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है,

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीरहार रंजन लास्कर) (क) प्रोफेसर वाही के नेतृत्व में कैंसर मूल्यांकन समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम को कैंसर यूनिट का रीजनल कैंसर सेन्टर के रूप में विकास किया जाए। इस कार्य के लिए केरल सरकार ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है। इस वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. भवन	20. 00 लाख रुपये
2. रेडियो थिरेपी	19. 16 लाख रुपये
3. पैथोलिोजी	1. 62 लाख रुपये
4. सोशल मेडिसिन	4. 00 लाख रुपये
5. बायो-केमिस्ट्री	4. 41 लाख रुपये
6. कैंसर सर्जरी	1· 75 लाख रुपये
7. पुस्तकालय	3. 00 लाख रुपये
8. मोबाइल वाहन	0. 50 लाख रुपये
9. फर्नीचर आदि	5. 00 लाख रुपये
	59. 44 लख रुपये

(घ) सरकार कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम के विभिन्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता

कता के आधार पर विचार कर रही है, जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरन केन्द्रीय सहायता से कार्य रूप दिया जायेगा। योजना आयोग के परामर्श से इस संबंध में किसी निर्णय को अन्तिम रुप दिए जाने की संभावना है।

औद्योगिक संबंध आयोग

555. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से केन्द्र तथा राज्य स्तर पर औद्योगिक संबंध आयोग गठित करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में निर्णय अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि इस मामले पर और औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित अन्य मामलों पर त्रिपक्षीय बैठक में विचार विमर्श किए जाने का विचार है।

रेलवे आरक्षण के मामले में दलाल

556. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में आरक्षण के मामले में दलाल फिर सक्रिय हो गए हैं तथा वास्तविक यात्रियों को बहुत असुविधा पहुँचा रहे हैं, और

(ख) यदि हाँ तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कुछ महा नगरों में लम्बी दूरी की डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में असामाजिक तत्वों/उनके पिट्ठओं द्वारा रेल गाड़ियों में स्थान घेरने की कुछ शिकायतें मिली हैं। वाणिज्यिक और सतर्कता अधिकारियों द्वारा जाँच का काम तेज कर दिया गया है है। फरवरी, 1980 में सभी भारतीय रेलों पर एक विशेष अभियान चलाया गया था और 2648 व्यक्ति पकड़े गये थे। इनमें से 702 को जेल भेज दिया गया था, 1715 पर जुर्माना किया गया था और 36 को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।

भारत इराक सहयोग

557. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक सरकार ने अपने विकास परियोजनाओं में भारतीय फर्मों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिक भाग लिये जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1980 में आयोजित संयुक्त आयोग की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में भारत-इराक सहयोग पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया था। इस समय भारतीय कम्पनियाँ इराक में 50 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनओं को कार्यान्वित कर रही है। दोनों पक्षों द्वारा यह महसूस किया गया कि केवल निर्माण के क्षेत्र में ही नहीं अपितु औद्योगिक एवं विकसित तकनीकी क्षेत्रों की परियोजनाओं में भी भारतीय सहभागिता बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।

2. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 1980 के पहले चार महीनों में (जनवरी से अप्रैल) भारतीय कंपनियों को लगभग 50 करोड़ अमरीकी डालर की नई निर्माण संविदायें प्रदान की गई हैं।

3. इराक के विकास कार्यों में भारतीय विशेषज्ञों के योगदान की भी बहुत सराहना की गई है। इराक सरकार ने हमसे अनुरोध किया है कि हम उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में भारतीय विशेषज्ञों और प्रविधिज्ञयों की सेवायें उपलब्ध कराते रहें। भारत इराक के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए बचनबद्ध है जो विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक उदाहरण बन सकता है और इससे राष्ट्रीय एवं सामूहिक आत्मनिर्भरता सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा।

पाकिस्तान में रुके हुए भारतीयों के लिए वीसा की अवधि का बढ़ाया जाना

558. **श्री जी० वाई० कृष्णन**

श्री मूल चन्द डागा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान में अनेक भारतीय अपनी वीसा की अवधि बढ़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें इधर-उधर भागा-दौड़ी करनी पड़ती है और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा है और उनका समुचित मार्गदर्शन नहीं कर रहा है और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के बारे में जानकारी दे रहा है जिसके पास वे जा सकें; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : सरकार ने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को वीजा की अवधि बढ़ाने में उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में पाकिस्तानी तथा भारतीय समाचार पत्रों में खबरें देखी हैं। इन खबरों के अनुसार पाकिस्तान में सिंध सरकार के गृह विभाग ने उस प्रांत की यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने प्रांतीय सरकार से वीजा की अवधि बढ़ाने का अधिकार वापस ले लिया था। अतः वीजा की अवधि-बढ़ाने के इच्छुक भारतीय यात्रियों को इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क करना पड़ा था।

(ग) इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावास ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। हमें अब यह सूचना मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने प्रांतीय सरकारों को भारतीय राष्ट्रिकों के मामले में वीजा की अवधि अधिक से अधिक तीन मास तक बढ़ाने का अधिकार पुनः दे दिया है। प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होने से पूर्व कुछ प्रभावित भारतीय राष्ट्रिकों ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावास से सम्पर्क किया था, तथा हमारे राजदूतावास ने वीजा की अवधि गढ़ाने के उनके मामलों को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के साथ उठाया था।

महिला कारगरों की काम की शर्तों को नियमित करने के लिए कानून

559. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला कामगारों की काम की शर्तों को नियमित करने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) (क) और (ख) : सरकार संगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं को नियमित करने के लिए पहले ही विभिन्न कानून पास कर चुकी है। इस समय इस प्रकार का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की एक गर्भवती नर्स पर हमला

560. **श्री पी. जे. कुरियन :**

श्री एन. ई. होरो :

श्री छीतू भाई गोमित : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्राधिकारियों ने संबंधित डाक्टर को बर्खास्त करने से पूर्व डाक्टर द्वारा एक गर्भवती नर्स पर कथित हमला किये जाने की घटना के संबध में एक विभागीय जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राधिकारियों ने संबंधित डाक्टर को बर्खास्त करने से पूर्व कोई समझौता करने का प्रयास किया; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां। घटना के समय घटना-स्थल पर तैनात कर्मचारियों की गवाही लिखी गई थी तथा उस जुनियर रेजीडेंट डाक्टर का भी बयान लिया गया था जिस पर नर्स को कथित धक्का देने का आरोप लगाया गया है। इस आधार पर उस जुनियर रेजीडेंट डाक्टर को बर्खास्त कर दिया गया था।

(ग) और (घ) : समझौता कराने के प्रयास किये गये थे लेकिन वे माने नहीं गये थे। इस मामले को पुलिस में भी दर्ज करा दिया गया है।

नाइजीरिया में मारे गये भारतीय

561. **श्री पीयूष तिरकी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइजीरिया में गत 6 महीनों के दौरान हिंसा और सशस्त्र डकैतियों से 1000 लोग मारे गये थे और 4500 से अधिक लोग आहत हुए थे;

(ख) गत 6 महीनों के दौरान नाइजीरिया में कितने भारतीय मारे गये हैं/घायल हुए है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) हमने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी है जिनमें नाइजीरिया के पुलिस मत्री को इस संबंध में उद्धृत किया गया है।

(ख) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत 6 महीनों के दौरान किसी भारतीय की हत्या या उसके घायल होने के संबंध में समाचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क-कर का भुगतान

562. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन निदेशालय, दिल्ली को वाहन मालिकों से सड़क-कर के रूप में कितनी राशि वार्षिक प्राप्त होती है,

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वाहन मालिकों ने गत कई वर्षों से अपना सड़क-कर का भुगतान नहीं किया है,

(ग) क्या दिल्ली में सभी वाहनों के सड़क-कर की जांच करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने सड़क-कर का भुगतान नहीं किया है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, परिवहन निदेशालय, दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों में जो मार्ग कर संग्रहीत किया वह इस प्रकार है :—

अवधि	धनराशि
1977-78	3,82,51,732 रुपये
1978-79	4,21,29,389 रुपये
1979-80	4,50,52,783 रुपये

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : टैक्स न देने वालों के बारे में समय समय पर विशेष अभियान किये जाते हैं । नवम्बर 1979 से मार्च 1980 के बीच इस प्रकार के 104 अभियानों में 16129 मोटर गाड़ी मालिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनसे बकाया टैक्स जुर्माने के साथ वसूल किया गया । जिन व्यक्तियों ने टैक्स नहीं दिया उन व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक टैक्स देना मंजूर करने पर जुर्माना अदा करने के बाद उनको टैक्स जमा करने की इजाजत दी गई ।

प्रथम श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों का संवर्ग (काडर) पुनरीक्षण

563. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के प्रथम श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण आरम्भ किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो संवर्ग पुनरीक्षण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) (क) जी हां । इस संवर्ग की विशेष समस्याओं को देखते हुए यह संवर्ग समीक्षा अलग से शुरू की गयी है ।

(ख) रेल मंत्रालय के प्रस्ताव अब अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के विचाराधीन हैं ।

हरिजन विद्यार्थियों को रियायत

564. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे सीजन टिकटों के सम्बन्ध में हरिजन विद्यार्थियों को और अधिक रियायत देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों पर भी लागू होगा : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) अभी हाल में यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों की आम विद्यार्थी मासिक सीजन टिकट पर 50% तक की खास रियायत दी जाये। इस वर्ग को सीजन टिकट की यह रियायत देकर इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिए इकहरी यात्रा किराये में पहले से दी जा रही रियायत के तत्व के समकक्ष लाया गया है। यह खास रियायत अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को नहीं दी जाती।

खड़गपुर में दक्षिण-पूर्वी रेलवे मुद्रणालय

565. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में दक्षिणी-पूर्वी रेलवे का अपना बहुत बड़ा मुद्रणालय है :

(ख) क्या यह सच है कि यह मुद्रणालय दक्षिण-पूर्वी रेलवे के बड़े और छोटे टाइम टेबल छापा करता था :

(ग) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के टाइम टेबल, विशेष कर बड़े, अब रेलवे मुद्रणालय में नहीं छापे जाते बल्कि कलकत्ता में एक निजी मुद्रणालय में छापे जाते हैं :

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ङ) उपरोक्त मुद्रणालय में छपाई की कितनी मशीनें हैं और उनमें से औसतन कितनी मशीने बेकार पड़ी रहती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां, क्षेत्रीय भाषाओं की समय-सरणियों को छोड़ कर।

(ग) अंग्रेजी की सार्वजनिक समय सारणियों के अक्तूबर, 1979 और अप्रैल, 1980 के अंक कलकत्ता के प्राइवेट मुद्रणालयों में छपवाये गये हैं।

(घ) मुद्रणालय में क्षमता की कमी के कारण ऐसा किया गया है। कागज और बिजली की अत्यधिक तंगी के कारण महत्वपूर्ण परिचालनिक और मुद्रा-मूल्य की पुस्तकों के मुद्रण का काम इकट्ठा हो गया था। मुद्रणालय की क्षमता का उपयोग इन महत्वपूर्ण मदों के बकाया काम की छपाई के लिए किया गया था।

(ङ) इस मुद्रणालय में 2 रौटरी, 6 सिलिण्डर और 4 प्लेटन टाइप पिंटिंग मशीन और कोई भी मशीन सुलभ न होने के कारण खाली खड़ी नहीं रही।

भाप से चलने वाले इंजन

566. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में भाप से चलने वाले कितने इंजन कार्यरत हैं :

(ख) क्या विभिन्न स्टीम लोको शैडों में फालतू कल पुर्जी की कमी है जिससे भाप चालित इजनों की मरम्मत में दिक्कत होती है :

(ग) क्या भाप से चलने वाले इंजनों के फालतू कल पुर्जों का उत्पादन बन्द कर दिया गया है : और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) भारतीय रेलों में 8,122 भाप रेल इंजन काम में लाये जा रहे हैं।

(ख) रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए शेडों को पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराने के लिए रेलें सजग रहती हैं लेकिन पिछले दिनों बिजली की अत्यधिक कमी के कारण स्थिति में गिरावट आयी है क्योंकि इससे रेल कारखानों की उत्पादन क्षमता कम हो गयी और उद्योगों से मिलने वाला माल भी कम मात्रा में उपलब्ध हुआ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हुगली नदी पर निर्माणाधीन दूसरा पुल

567. **श्री नारायण चौबे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर हावड़ा और कलकत्ता को मिलाने वाला दूसरा पुल निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो चुका है;

(ग) निर्माण-कार्य पूरा करने के भिन्न-भिन्न लक्ष्य क्या थे; और

(घ) निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की आशा है।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, हां। लेकिन यह राज्य परियोजना है जिसे पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्र के ऋण की सहायता से पूरा कर रही है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से मिली सूचना के आधार पर स्थिति इस प्रकार है :—

	शुरू होने का वर्ष	अवधि का लक्ष्य	नवीनतम प्रगति
(I) कलकत्ता की ओर पहुँच मार्ग और एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने के लिए मोड़	जुन 72	दिसम्बर 82	लगभग 20 प्रतिशत
(II) हावड़ा की ओर पहुँच मार्ग और एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने के लिए मोड़	सितम्बर 72	जून 83	लगभग 10 प्रतिशत
(III) मुख्य पुल	दिसम्बर 78	दिसम्बर 83	लगभग 11 प्रतिशत

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों तथा नर्सों द्वारा हड़ताल

568. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**
श्री मूलचन्द डागा :
श्री एन० ई० होरो :
श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेण्ट डाक्टर और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टर और नर्सों ने हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं और इन हड़तालों के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र समझौता होने में क्या बाधाएँ हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डाक्टर बिना समुचित सूचना दिए 21 अप्रैल, 1980 से हड़ताल पर हैं उनकी मुख्य शिकायतें और हड़ताल के कारण इस प्रकार हैं :—

(I) एम. डी. एम. एस. कोर्स के भाग के रूप में शीघ्र प्रबन्ध को दिसम्बर, 1980 में होने वाली अंतिम परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के बीच से ही बन्द कर दिया जाए।

(II) सभी रेजिडेंट डाक्टरों को रेजिडेंसी में आते ही उपयुक्त निवास स्थान तत्काल दिया जाना चाहिए।

(III) रेजिडेंटों को प्रयोगशाला अन्वेषण तथा अन्वेषण रिपोर्टों को एकत्र करने के लिए प्रयोगशालाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी रोस्टरों को संशोधित करने के लिए समुचित प्रबन्ध कर दिए जायें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सारे रेजिडेंटों को रविवार और राजपत्रित छुट्टियां मिल सकें। इनमें वे रिजिडेंट शामिल न हों जो ड्यूटी पर हों और जिन्हें इसके बदले सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। एक दिन और रात की 24 घंटों की ट्यूटी के बाद रेजिडेंटों को अगले 24 घंटों की छुट्टी मिलनी चाहिए।

(IV) सभी रेजिडेंटों को वर्तमान आकस्मिक छुट्टी के साथ-साथ एक महीने की अर्जित छुट्टी/वैकेशन, एक महीने की बिना वेतन के असाधारण छुट्टी/बीमारी की छुट्टी लेने का अधिकार होना चाहिये।

(V) (क) हड़ताल के कारण रेजिडेंटों का रोका हुआ सारा वेतन तत्काल दे दिया जाये।

(ख) सभी जूनियर रेजिडेंटों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डाक्टरों के समान प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मिलना चाहिए।

(ग) सभी वरिष्ठ रेजिडेंटों को केन्द्रीय सरकार की सेवा के विशेषज्ञों की भाँति वेतन का समुचित ग्रेड मिलना चाहिए।

(घ) जूनियर रेजिडेंटों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार की सेवा में पदासीन कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के बराबर होने चाहियें।

(VI) रेजिडेण्टों द्वारा भरी गई संविदा को बिल्कुल संशोधित किया जाना चाहिए जिससे सारी अन्यायपूर्ण और एक पक्षीय कडिकाएं दूर हो जाएं ।

2. रेजिडेण्ट डाक्टरों के संघ की माँगों पर संस्थान के अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है और अधिकांश माँगों के बारे में किस प्रकार और क्या कार्रवाई की जाये, इसके सम्बन्ध में समुचित स्तरों पर काफी लम्बी बातचीत के बाद रेजिण्डेट डाक्टरों और संस्थान के अधिकारियों के बीच सहमति हो गई है । फिर भी जहाँ तक उनकी सबसे बड़ी माँग, जो एम. डी./एम. एम. कोर्स से शीघ्र प्रबन्ध को समाप्त करने के बारे में है, संकाय के सदस्य शैक्षणिक समिति और संस्थान का निकाय शोध प्रबन्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त करने लिए पर्याप्त औचित्य ढूँढ़ने में असमर्थ हैं क्योंकि स्नातकोत्तर छात्र उसी दिन से इस अनिवार्यत: से परिचित थे, जिस दिन से उन्होंने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखला लिया था । वैसे, संस्थान के निकाय ने शोध कार्य और शोध प्रबन्ध की तैयारी में आने वाली सारी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करना मान लिया है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान को देश के अन्य चिकित्सा कालेजों की अपेक्षा चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊँचा रखने का दायित्व सौंपा गया है । इसे दृष्टिगत करते हुए संस्थान के निकाय ने महसूस किया है कि इस प्रमुख संस्था के एम. डी./ एम. एम. कोर्स की पाठ्यचर्या से शोध प्रबन्ध को समाप्त करने से शिक्षा का स्तर बहुत गिर जायेगा जो चिकित्सा शिक्षा के हित में नहीं होगा । इस संस्थान के निकाय के उपर्युक्त निर्णयों की सूचना हड़ताली डाक्टरों को लिखित रूप में दी जा चुकी है और उनसे हड़ताल तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि उनकी अनेक मांगों का भी समुचित रूप से हल ढूँढा जा सके । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हड़ताली डाक्टरों ने अब तक किये गये प्रमाणों के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की है ।

3. जहां डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का सम्बन्ध है, केवल जूनियर रेजिडेंट डाक्टर ही 21 मई, 1980 की शाम से 29 मई, 1980 तक हड़ताल पर रहे । यह हड़ताल अस्पताल की एक नर्स और डाक्टर के बीच हुये झगड़े के सम्बन्ध में अस्पताल के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध स्वरूप की गई थी ।

281 अप रेलगाड़ी में एक बरात का लूटा जाना

569. **श्री गुलाम रसूल कोचर :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 4 मई, 1980 को भिलाई में मंजीत रेलवे स्टेशन के समीप 281 अप सवारी गाड़ी में पड़ी डकैती में एक बरात को लूट लिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या गत दो वर्षों से रेलगाड़ियों में डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं :

(घ) यदि हाँ, तो रेल सुरक्षा बल इस समस्या को हल करने में सफल नहीं रही है :

(ङ) गत छः महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में कितनी डकैतियाँ पड़ी हैं : और

(च) उन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 3-4-1980 (न कि 4-5-80) को एक बरात पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-बलिया खण्ड में स्थिति मांझी रेलवे स्टेशन पर 281 अप सवारी गाड़ी के दूसरे डिब्बे में सावर हुई थी। जब गाड़ी मांझी और मांझी पुल के बीच चल रही थी, 8-10 शरारती व्यक्तियों ने न केवल बरातियों का सामान, गहने और घड़िया ही लूटीं बल्कि रामलीला की एक पार्टी से भी कुछ सामान लूटा। लूट के सामान का मूल्य लगभग 10,000 रु० था। एक यात्री को चाकू से चोट आयी। शरारती व्यक्ति चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकले और 6000 रुपये की सम्पत्ति छोड़ गए। अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन, छपरा ने भा० दं० सहिता की धारा 395/39 के अन्तर्गत मामला सं० 4 दिनांक 13-5-1980 दर्ज कर लिया है और इस मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1980 के दौरान डकैती। लूटपाट की घटनाओं में कमी का रुख आया है।

(घ) संविधान के अन्तर्गत रेलवे पुलिस व्यवस्था सहित पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी रेलवे पुलिस रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा चलती गाड़ियों तथा रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए उत्तरदायी है। रेलवे सुरक्षा बल केवल रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।

(ङ) पिछले 6 महीनों में अर्थात् दिसम्बर 1979 से मई 1980 तक की अवधि में सभी भारतीय रेल गाड़ियों में लूटपाट/डकैती के 101 मामले दर्ज किये गये थे।

(च) गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए सभी महत्वपूर्ण और बदनाम सवारी गाड़ियों में पुलिस मार्ग रक्षियों की व्यवस्था की जाती है। रेल राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आवश्यक सहायता देती हैं। अपराधियों का पता लगाने और यात्रियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सवारी गाड़ियों में मार्गदर्शी के रूप में चलने वाली सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता के लिये रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। चल टिकट परिक्षकों/परिचरों/कंडक्टरों को गाड़ी के डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सतर्क रहने के अनुदेश दिये गए हैं।

अहमदाबाद मेल गाड़ी का देर से चलन

570. श्री मूलचन्द डागा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मई. 1980 तक की अवधि के दौरान अहमदाबाद मेल दिल्ली स्टेशन पर कितने दिन एक घण्टे से भी अधिक देर से पहुँची;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की देरी के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और गाड़ी के ठीक समय पर चलने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में नई रेल लाइनें

571. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बिछाई जाने वाली उन नई रेल लाइनों की संख्या कितनी है जिनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या इन सभी नई रेल लाइनों को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो राजस्थान में अब तक बिछाई गई नई रेल लाइनों की कुल संख्या कितनी हैं; और

(घ) शेष नई रेल लाइनें कब तक बिछा दी जायेंगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकार और अन्य संस्थानों की ओर से राजस्थान में 16 नयी लाइनें बिछाने की माँग की गयी है और इनमें से चालू वर्ष में कोटा-बूंदी चित्तौड़गढ़-नीमच नयी लाइन के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। स्वाधीनता के बाद से राजस्थान में निम्नलिखित नयी लाइनों का निर्माण किया गया है :

लाइन का नाम	आमान	लम्बाई किलोमीटर में	टिप्पणी
1. डिग्गी टोजारामसिंह	मी. ला.	45	
2. फतेहपुर-चूरू	मी. ला.	42.88	
3. राणीकार (भील्दी)	मी. ला.	69.78	
4. उदयपुर-हिम्मतनगर	मी. ला.	213.00	(अंशतः गुजरात में)
5. पोखरान जैसलमेर	मी. ला.	105.00	सामरिक
6. डाबला सिघाना	मी. ला.	32.95	
7. हिंन्दूमालकोट श्री गंगानगर	मी. ला.	28.00	

मोतीहारी कोर्ट हाल्ट स्टेशन

572. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर—मोतीहारी लाइन पर मोतीहारी कोई हाल्ट स्टेशन है;

(ख) क्या सरकार ने कभी इस स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण स्टेशन का दर्जा देने के प्रश्न के बारे में विचार किया है;

(ग) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हाँ तो उक्त स्टेशन का दर्जा कब बढ़ाया जायेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) मोतीहारी कोर्ट हाल्ट स्टेशन का ग्रेड ऊँचा करके उसे झंडी स्टेशन बनाने के प्रश्न पर विगत में विचार किया गया था। इसका ग्रेड ऊँचा करने का न तो यातायात की

दृष्टि से पर्याप्त औचित्य है और न ही इसके लिए वित्तीय औचित्य ही है। इसलिए, इस हाल्ट स्टेशन का ग्रेड ऊँचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुजफ्फरपुर नरकटिया बड़ी रेल लाइन

574. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर से नरकटिया गंज अथवा मुजफ्फरपुर से रकसौल तक बड़ी रेल लाइन की माँग की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो बड़ी रेल लाइन बिछाने में क्या कठिनाई है;

(ग) क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि यह बड़ी लाइन कब तक बिछाई जायेगी;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो लक्ष्य क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के जाफर शरीफ) : (क) से (च) दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों रास्तों से समस्तीपुर से रक्सौल तक के मीटर लाइन खण्ड के आमान-परिवर्तन के लिए 1969 में सर्वेक्षण किया गया था। समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-सोनपुर खण्ड का आमान-परिवर्तन करके वहाँ बड़ी लाइन बिछायी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर-रक्सौल मीटर लाइन खंड को सुगौली के रास्ते बड़ी लाइन में बदलने के लिए पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जा रहा है और जुलाई, 1980 के बाद किसी समय रिपोर्ट के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

मुजफ्फरपुर नरकटिया गंज लाइन पर एक्सप्रेस गाड़ी

575. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर-नरकटिकया गंज रेल लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जा रही थी;

(ख) यदि हाँ, तो यह किन कारणों से बंद कर दी गई है;

(ग) क्या इस लाइन पर गाड़ी चलाना लोक हित में है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त रेल लाइन पर यह एक्सप्रेस गाड़ी कब तक पुनः चलाई जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ, एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात् 75/76 मुजफ्फरपुर-बगहा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-नरकटिया गंज खंड पर चलती है।

(ख) से (ङ) इंजन कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण 15-1-79 से 27-2-80 तक की अवधि के दौरान 75/76 मुजफ्फरपुर-नरकटिया गंज बगाहा एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था। इंजन कोयले की सप्लाई में सुधार होते ही इन गाड़ियों को पुनः चला दिया गया है।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए निर्धारित शर्तें

576. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** , क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए शर्तें निर्धारित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस समय उत्प्रवासन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के 20 मार्च, 1979 के आदेश द्वारा इस विषय पर निर्धारित मार्ग निर्देशों पर आधारित है। ये आदेश, जिसमें रोजगार की न्यूनतम शर्तें निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है, उत्प्रवासन संबंधी किसी नये कानून के बनने तक लागू रहेंगे। उत्प्रवासन संबंधी बिल पेश करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। प्रस्तावित बिल विदेशों में भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा करेंगे जिसमें उनके काम की शर्तें शामिल हैं।

गोदी क्षमता का कम उपयोग

577. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़ी गोदियों को इस कारण हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनका क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षमता से कम उपयोग किए जाने का कारण आधुनिक उपकरणों और अन्य सुविधाओं का अभाव है, और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जहाँ तक सामान्य माल को चढ़ाने उतारने के संबंध में पत्तन क्षमता का प्रश्न है, इसका केवल कलकत्ता और कोचीन पत्तनों पर पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाया है। इसके अलावा, हल्दिया, परादीप, विशाखापत्तनम और मद्रास के पत्तनों पर कच्चा लोहा चढ़ाने-उतारने की जो अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका भी पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो रहा है।

सामान्य माल के लिए पत्तन क्षमता का प्रयोग समुद्र के कम गहरे रहने (जिससे कलकत्ता में मध्यम और बड़े आकार के जहाज नहीं आ सकते) और यातायात के तौर तीरके में परिवर्तन के कारण कम हो रहा है। कच्ची धातु के लिए पत्तन की क्षमता का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के कारण कम हो रहा है।

(ग) जहाँ तक समुद्र के कम गहरे रहने का संबंध है, स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि सवारी माल का आयात कलकत्ता पत्तन से हो। बड़े पत्तनों पर यातायात अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है उसका निकट भविष्य में उपयोग होने लगेगा।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों का बदला जाना

578. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उस राज्य में रचनात्मक ढंग से रेलवे लाइनों के बदलने के बारे में उनके मंत्रालय को एक प्राथमिक सूची प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित निर्माण कार्यों। आमान-परिवर्तन परियोजनाओं की माँग की है। इन परियोजनाओं से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :

1. बीबीनगर-नडिकुंडे नयी लाइन (बड़ी लाइन)—पहले चरण में बीबीनगर-नालगोंडा (74 कि. मी.) भाग का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके शीघ्र ही पूरा होने जाने की संभावना है। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद नालगोडा से नडिकुंडे तक के शेष भाग का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

2. गुन्टूर-मचरेला मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव- यह काम बीबीनगर-नडिकुंडे नयी लाइन और गुन्टूर-मचरेला बदलाव कार्य की सयुक्त परियोजना का एक भाग है। ऊपर मद 1 में उल्लिखित लाइन का निर्माण पूरा हो जाने के बाद गुंटूर-मचरेला खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

3. गुन्तकल्लु-बैंगलूरु मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव—निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस परियोजना के 1981-82 में पूरा हो जाने की सभावना है बशर्ते धन उपलब्ध हो। कुल मिलाकर 61 प्रतिशत कम हो चुका है।

4. गुन्तकल्लु-सिकन्दराबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव—यह लाइन उत्तर और दक्षिण की मीटर लाइनों को जोड़ने वाली मुख्य लाइन है। अतः परिचालनिक कारणों से इसका बड़ी लाइन में बदलाव नहीं किया जा सकता।

5. (क) गुन्तकल्लु-गुंटूर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव

(ख) रामागुंडम-निजामाबाद नयी बड़ी लाइन-व्यावहारिकता और आर्थिक सर्वेक्षण करने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

उपर्युक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त नयी लाइनों से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं :

1. भद्राचलम-मानगुरु (ब. ला.) 52 कि. मी. कार्य प्रगति पर है और इसके 1981 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

2. बोनाकालु-जग्गयापट्टा (ब. ल.) (34 कि. मी.)—इसे 1980-81 के अन्तरिम रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।

पासपोर्ट घोटाला (रैकट)

579. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1979 में हुए पास पोर्ट घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है और दोषी पाया गया है; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) 1979 में हुए पासपोर्ट घोटाले के संबंध में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और दोषी पाए गए।

(ख) : राज्य सरकारों से सूचना माँगी गई है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विदेशों में भारतीय मिशनों पर हुआ व्यय

580. **श्री जय नारायण रोत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में विदेशों में स्थित प्रत्येक भारतीय दूतावसों और मिशनों पर कितना-कितना व्यय किया गया; और

(ख) क्या मितव्यता के लिए हाल में कुछ उपाय किए गये हैं ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) सदन की मेज पर एक पूरा विवरण रखा जा रहा है जिसमें पिछले एक वर्ष (1979-80) में विदेश-स्थिति प्रत्येक भारतीय मिशन पर किये गए खर्च का विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) विदेश मत्रालय ने इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए बहुत से अल्पावधि और दीर्घावधि मितव्ययता के उपाय बरतना आरम्भ किया है कि कम से कम खर्च करते हुए, भारत अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की और अग्रसर होकर उन्हें प्राप्त करे।

दीर्घावधि उपायों में चरणबद्ध आधुनिकीकरण के माध्यम से हमारे मिशनों में अमला कम करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना शामिल है। मंत्रालय इस बात के लिए भी प्रयत्नशील है कि राजदूतावास के भवनों और सरकारी रिहायशी मकानों को खरीद ही लिया जाए ताकि सभी देशों में व्याप्त मुद्रा-स्फीति के कारण बढ़ते हुए किरायों की रकम कम रहे।

अल्पावधि उपायों में प्रत्येक मिशन में, जहाँ कहीं सम्भव हो, रोजमर्रा के प्रशासनिक/रख रखाव खर्च में बचत शामिल है जैसे पेट्रोल आदि की खपत पर नियंत्रण।

(1979-80) पिछले एक वर्ष के दौरान विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय राजदूतावास और मिशन पर किया गया खर्च।

क्रम सं०	मिशन का नाम	कुल खर्च (रुपये लाखों में)
	राजदूतावास	
1.	अबिद्जान	11.54
2.	आबूधाबी	24.59
3.	अदन	10.08
4.	अदीस अबाबा	12.94
5.	अल्जीयर्स	21.25
6.	अमन	13.60
7.	अंकारा	27.99
8.	एन्तेनेनेरिव	11.23

क्रम संख्या	मिशन का नाम	कुल खर्च
9.	एथेन्स	13.22
10.	बगदाद	30.48
11.	बहरीन	19.75
12.	बैंकाक	34.64
13.	बुरुत	25.82
14.	बेल्ग्राद	29.59
15.	बर्लिन (जी. डी. आर.)	18-29
16.	बर्न	38.80
17.	बगोटा	8.89
18.	बोन्न	81.91
19.	ब्रासीलिया	35.66
20	ब्रसल्स	50.17
21.	बुखारेस्ट	11.96
22.	बुडापेस्ट	21.35
23.	बुआनोस-आयरेस	24.67
24.	काहिरा	33.44
25.	काराकस	13.41
26.	कोनाक्री	8.65
27.	कोपनहेगन	19.17
28.	डकर	14.87
29.	दमिश्क	27.21
30.	डब्लिन	14.61
31.	दाहेग	27.53
32.	हनोई	22.77
33.	हवाना	18.09
34.	हेलसिंकी	10.91
35.	इस्लामाबाद	53.31
36.	जकार्ता	27.85
37.	जेद्दा	122.21
38.	काबुल	41.75
39.	काठमांडू	39.37
40.	खारतुम	19.43
41.	किन्शासा	14.11
42.	कुवैत	48.44
43.	लीमा	7.52
44.	लिस्बन	12.10

क्रम संख्या	मिशन का नाम	कुल खर्च
45.	मेड्रिड	18.30
46.	माली	4.01
47.	मनीला	15.39
48.	मापूतो	10.86
49.	मेक्सिको सिटी	18.73
50.	मोगादिशु	7.36
51.	मास्को	82.68
52	मस्कत	28.10
53.	ओसलो	20.98
54.	पनामा	8.86
55.	पारामारिबो (सूरीनाम)	8.84
56.	पेरिस	68.58
57.	पीकिंग	39.28
58.	प्राग	19.62
59.	पियांग यांग	13.25
60.	कातार	22.45
61.	रबात	15.84
62.	रंगून	16.57
63.	रोम	34.69
64.	साना	11.61
65.	सान्तियागो	17.04
66.	सियोल	14.23
67.	सोफिया	18.41
68.	स्टाकहोम	34.43
69.	तेहरान	51.25
70.	थिम्पू	9.04
71.	टोकियो	63.26
72.	त्रिपोली	29.27
73.	ट्यूनिस	7.85
74.	उलान बटोर	9.92
75.	वियना	44.54
76.	व्यनत्यन	8.58
77.	वार्सा	15.93
78.	वाशिंगटन	123.11
	संयुक्त राष्ट्र संगठन में स्थायी मिशन	
79.	जेनेवा	63.92
80.	न्यूयार्क	82.78

क्रम संख्या	मिशन का नाम	कुल खर्च
	कोसलावास आदि	
81.	वसरा	3.38
82.	बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज)	12.15
83.	चियांगमई	3.31
84.	शिकागो	11.03
85.	दुबई	22.07
86.	हैम्बर्ग	2.14
87.	जलालाबाद	4.59
88.	कन्धार	4.35
89.	कराची	30.48
90.	खोर्रमशहर	4.66
91.	कोबे	12.74
92.	मांडले	2.76
93.	मेडान	2.78
94.	न्यूयार्क	41.42
95.	ओडेसा	5.26
96.	फुशिंलिग	1.70
97.	पोर्ट सईद	5.15
98.	सान फ्रांसिस्को	26.23
99.	सिडनी	4.33
100.	टोरोन्टो	3.13
101.	जहीदन	7.10
102.	जंजीरबार	4.81
	हाई कमीशन	
103.	अक्रा	15.80
104.	केनबरा	24.23
105.	चिटगाँव	5.25
106.	कोलम्बो	17.70
107.	ढाका	44.34
108.	दार-ए-सलाम	18.84
109.	जार्ज टाउन	13.53
110.	हांगकांग	36.98
111.	कम्पाला	13.30
112.	कैंडी	5.34
113.	किंगस्टन	7.47
114.	कुआलालम्पूर	30.06

क्रम संख्या	मिशन का नाम	कुल खर्च
115.	लागोस	30.63
116.	लिलोंम्वे	8.28
117.	लंदन	241.35
118.	बरमिंघम	6.86
119.	लुसाका	24.02
120.	मोम्बासा	3.39
121.	नैरोबी	23.36
122.	ओटावा	31.60
123.	पोर्ट लुई	19.26
124.	पोर्ट आफ स्पेन	27.70
125.	राजशाही	3.06
126.	साल्सबरी	1.06
127.	सिंगापुर	20.35
128.	सूवा	15.15
129.	वेलिंग्टन	8.12
		कुल 2936.24

राजस्थान में भविष्य निधि के अनिर्णीत मामले

581. **श्री जयनारायण रौत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय आयुक्त, राजस्थान के कार्यालय में भविष्य निधि के भुगतान के बारे में श्रमिकों के बड़ी संख्या में मामले/दावे अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उपयुक्त समय के भीतर सभी अनिर्णीत मामलों का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मई, 1980 को 403 दावे लंबित पड़े थे। इनमें से 54 दावों को निपटा दिया गया है और शेष 349 दावे निपटाने की प्रक्रिया में हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया है कि निपटान में अधिकतर देरी का कारण अपूर्ण दस्तावेज हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सलाह की गई है कि वे सभी लंबित दावों को शीघ्र निपटाएं।

सलखड़ी की ढुलाई के लिये माल-डिब्बे

582. **श्री जय नारायण रौत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में माल-डिब्बों की कमी के कारण सैलखड़ी की ढुलाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो माल-डिब्बों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । अप्रैल और मई, 1980 में, उदयपुर क्षेत्र से सेलखड़ी के कुल 1,119 मालडिब्बों का लदान किया गया जबकि पिछली वर्ष की इसी अवधि में 1,021 मालडिब्बों का लदान हुआ था । इसी अवधि में 207 मालडिब्बों की माँग वचित की गई या 'प्रेशकों' द्वारा वापस ले ली गई थी ।

खानों में श्रमिकों की भागीदारी

583. **श्री के. राममूर्ति** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक सुरक्षा में विशेषकर खानों में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है;

(ख) क्या इस योजना को वैधानिक समर्थन दिया जाएगा; और

(ग) क्या खान अधिनियम की धारा 18 और 22 को, जो श्रमिकों की एसोसिएशन के लिए पर्याप्त आधार की व्यवस्था करती है, और सशक्त किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) 1958 में आयोजित खान सुरक्षा सम्बन्धी प्रथम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार खनन उद्योग को निम्न परामर्श दिया गया :—

(1) उन सभी खानों में, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, पिट सुरक्षा समितियां गठित करें, जिनमें प्रबंधकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि हों, ताकि खानों में सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके; और

(2) खानों में निरीक्षण की ऐसी व्यवस्था करें जिससे खान में नियोजित श्रमिकों की ओर से तकनीकी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किए जा सकें ।

(ख) और (ग) धारा 18 स्वामियों, स्पेंटों और प्रबन्धकों के कार्यों तथा दायित्वों और धारा 22 निरीक्षकों के अधिकारों से सम्बन्धित है । खान अधिनियम के अधीन नियमों में खानों के निरीक्षण को सांविधिक समर्थन देने का प्रस्ताव है जिससे खानों में नियोजित व्यक्तियों की ओर से तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जा सके ।

बाल रोजगार समिति

584. **श्री के. राममूर्ति** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बाल रोजगार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : बात श्रमिक सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई है ।

परम्परागत तथा सैन्ट्रो-वफर कूपलसं

585. **श्री के. राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परम्परागत तथा सैन्ट्रो-बफर कूपलर्स रेलवे के परिचालन में गम्भीर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे के परिचालन में इन परिचालन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्घाटन की गई दस वर्ष में तैयार न होने वाली रेल लाईन।

586. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी रेलवे लाइनें हैं, जिनका गत 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री, रेल मंत्री द्वारा उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक वे बनकर तैयार नहीं हुई हैं;

(ख) इन रेलवे लाइनों के प्रत्येक के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं और इन लाइनों के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रधान मंत्री/रेल मंत्री द्वारा 10 वर्षों में जिन नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया गया था लेकिन जो अभी पूरी नहीं हुई हैं।

क्रम सं०	ब्यौरा	लम्बाई कि. मी. में	किस वर्ष खोली गई	प्रतिशत प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	नागर कोइल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम तक बड़े आमान की नई लाइन तथा नागर कोइल से कन्याकुमारी तक एक शाखा (दक्षिण रेलवे)	159·80	1972·73	87·00	तिरुवनन्तपुरम-नागरु कोइल-कन्याकुमारी (86·49 कि. मी.) लाइन 15·4·1979 की यातायात के लिए खोल दी गई थी। तिरुनेलवेलि से नागर कोइल तक (73·31 कि. मी.) के शेष खण्ड की 3 या 4 महीनों में पूरा होने की सम्भावना है।
2.	वानी-चनाका बड़ी लाइन की व्यवस्था (मध्य रेलवे)	75·76	1973·74	19·35	वानी से पिपलकोटि तक की लाइन का निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है और इसकी 1981.82 में पूरा होने की संभावना है।

1	2	3	4		5
3.	हवड़ा-शेखाला बड़ी लाइन की व्यवस्था (पूर्व रेलवे	17·13	1973·74	—	(निधि की कमी के कारण यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था) 1980-81 के दौरान इस काम को प्रारम्भ करने का विचार है।
4.	हवड़ा-आमता-चंपाडांगा बड़ी लाइन की व्यवस्था (दक्षिण पूर्व रेलवे)	72·78	1974·75		बरगछिया तक परियोजना के प्रथम चरण को 31·12·80 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आमता/चंपाडांगा तक के शेष खंड हवड़ा से बरगंछिया तक चंपाडांगा का 29 प्रतिशत को 1982 तक पूरा कर लिया जाएगा।
5.	शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन की व्यवस्था (उत्तर रेलवे)	15·78	1974-75	74·5	1. शाहदरा-बाग़पत खण्ड (33·08 कि. मी.) 8·4·1977 को खोल दिया गया है। 2. बागपत रोड शामली खण्ड (55·52 कि. मी.) 12·1·1979 को खोल दिया गया है। 3. सहारनपुर तक के शेष खण्ड की शीघ्र ही पूरा होने की शीघ्र ही पूरा होने की सम्भावना है।
6.	हसनपुर-सकरी मीटर लाइन की व्यवस्था (उत्तर रेलवे)	74.90	1974-75		(निधि की कमी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था) 1980·81 के दौरान कार्य प्रारम्भ करने का विचार है।
7.	बीबीनगर-नडिकुडे बड़ी लाइन की व्यवस्था (दक्षिण मध्य रेलवे)	151·00	1974-75	बीबीनगर से नालगोंडा तक चरण का 75 प्रतिशत	प्रथम चरण में बीबीनगर से नालगोंडा तक (73·5 कि. मी. लाइन को शीघ्र खोले जाने की सम्भावना है।
8.	नाँगल डैम-तलवाड़ा बड़ी लाइन की व्यवस्था (उत्तर रेलवे)	85·00	दिसम्बर, 74		योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी। अतः इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6
9.	रामपुर-हल्द्वानी बड़ी लाइन की व्यवस्था (पूर्वोत्तर रेलवे)	78·4	1974·75		(निधि की कमी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था)। 1980·81 के दौरान कार्य प्रारम्भ करने का विचार है।
10.	आपता-रोहा बड़ी लाइन की व्यवस्था (मध्य रेलवे)	62·00	1978·79		प्रथम चरण में आपता से पेन तक (20 कि. मी.) मार्च 1981 तक पूरा होने की सम्भावना है। पेन से रोहा तक का शेष खण्ड 1981·82 में प्रारम्भ किया जायेगा।
11.	गुवाहाटी-बर्नीहाट बड़ी लाइन की व्यवस्था (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	28·21	1978·79		अन्तिम स्थान सर्वेक्षण जारी है।
12.	धर्मनगर-कुमार घाट मीटर लाइन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	33·5	,,		,,
13.	बालिपारा-मालुकपोंग मीटर लाइन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	33·45	,,		,,
14.	सिलचर-जोरीबाम मीटर लाइन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	50·36	,,		,,
15.	आमगुरी-तुली मीटर लाइन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	17·07	,,		,,
16.	लालघाट—भैरवी मीटर लाइन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	48·77	,,		,,
17.	नाडियाड-कपड़वंज-मोडासा बड़ी लाइन (पश्चिम रेलवे)	105·14	1978·79	7·3	1983 में पूरी होने की सम्भावना है।
18.	अल्ले पी-एर्णाकुलम बड़ी लाइन	51·00	1979-80		अन्तिम स्थान सर्वेक्षण जारी है

उत्तर बंगाल में चाय बागान द्वारा भविष्य निधि जमा कराने में अनियमितताएं.

587. **श्री आनंद पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों और उनके संघों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि चाय बागान के अनेक मालिक/मालिकों ने या तो श्रमिकों की आय में से काटी गई भविष्य निधि की राशि का गबन कर लिया है या उन्होंने प्राधिकारियों को अंशदान के अपने हिस्से की राशि को जमा नहीं कराया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस अनियमितता में कितनी धनराशि अन्तर्गस्त है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(घ) क्या जो श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि में योजना के अन्तर्गत अंशदान देते हैं, उनको वार्षिक लेखा विवरण नहीं दिया जाता और कर्मचारी भविष्य निधि के लेखों के दावे अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजय्या) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन आने वाले 281 छूट में प्राप्त चाय बागनों में से, 41 छूट न प्राप्त चाय बागानों ने भविष्य निधि की 77. 99 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान करना था, जिसमें 38. 77 लाख रुपए कर्मचारियों का हिस्सा था।

(ii) तीन छूट प्राप्त चाय बागानों में से एक चाय बागान के नियोजक ने छूट प्राप्त निधि के न्यासी बोर्ड को 0.52 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित नहीं की है। यह राशि केवल नियोजक का हिस्सा है।

(ग) यह सूचित किया गया है कि भविष्य निधि प्राधिकारियों ने दोषी नियोजकों के विरूध कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (भू राजस्व की बकाया राशि के रुप में देय राशि की वसूली) और धारा 14 (अभियोजन) के अधीन कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (विश्वासघात और अपराधिक दुर्विनियोग) की धारा 406/409 के आधीन ऐसे मामलों में शिकायतें दायर की गई हैं, जहां नियोजकों ने कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए भविष्य निधि अंशदानों (उनके शेयर) जमा नहीं कराया है।

(घ) और (ङ) : विभिन्न कारणों से पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में कार्य कुछ समय से बकाया पड़ा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बकाया पड़े कार्य को निपटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है

बिना टिकट यात्रा

588 **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान डिवीजनवार, बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति पकड़े गये; और

(ख) उनसे जुर्माने के रुप में कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी भर्ती एजेंसी

589. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे देशों के लिए श्रमिकों की भर्ती के संबंध में एक सरकारी एजेंसी गठित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे कब तक गठित किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) और (ख) : समुद्रपार भर्ती के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है । प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

गैर सरकारी भर्ती एजेंसियां

590. **श्री के० ए० राजन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में वर्तमान सरकारी एजेंसियों को गैर सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विदेशों में रोजगार के मामले में श्रमिकों को भर्ती के सम्बन्ध में व्यापक अनियमितताओं के कारण सभी गैर सरकारी भर्ती एजेंसियों पर रोक लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा और गैर सरकारी भर्ती एजेन्सियों के माध्यम से की जा रही ।

(ख) उत्प्रवासन संबंधी नया कानून बनाने का विचार सरकार में काफी आगे तक बढ़ चुका है जिसमें उत्प्रवासियों की भर्ती संबंध सभी पहलू शामिल होंगे ।

श्रम सचिवों का सम्मेलन

591. **श्री के. ए. राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली में राज्य सरकारों के श्रम सचिवों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) जी हाँ ।

(ख) सम्मेलन में विचार-विमर्श हुए विषयों में से अधिक महत्वपूर्ण विषय और लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं :—

(1) **कृषि में न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन**— कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों में संगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाना चाहिए ;

कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पृथक प्रवर्तन मशीनरी और त्रिपक्षीय समितियाँ गठित की जाएं;

श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को तेज किया जाए और ग्रामीण श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा दिया जाय।

(2) बंधित मजदूर : पहले से पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों को दो वर्ष के समय के अन्दर पुनर्वासित किया जाए; और

प्रगति आदि की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति स्थापित की जाए।

(3) उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता

श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं के संचालन के बारे में नियम कालिक रिपोर्ट राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र को नियमित रूप से भेजी जाएं।

(4) शिक्षुता योजना

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाए कि औद्योगिक यूनिटों में सीधी भर्ती की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ प्रशिक्षित शिक्षुओं द्वारा भरी जाएं;

शिक्षुता प्रशिक्षण के स्तर में सुधार किया जाए; और

शिक्षुओं के लिए वृतिका की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

(5) महिलाओं का रोजगार और महिलाओं से संबंधित अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों का प्रवर्तन

महिला श्रमिकों के कल्याण और उन्हें संरक्षण देने वाले सभी कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए और महिलाओं के लिए एक-रोजगार की योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु उपाय किए जाएं।

(6) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शत) अधिनियम का कार्यान्वयन

इस अधिनियम के अधिक कारगर कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की जाए।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

592. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आवंटन का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो किस आधार पर ;

(घ) क्या कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के बीमारी से आधार पर क्वार्टर आवंटित करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र अस्पताल के अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में आवेदन-पत्र रद्द किये जाने के कारण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) लोक नायक

जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्राथमिकता सूची/सेवा की अनिवार्यता के आधार पर कालेज कैम्पस में क्वार्टर अलाट किये जाते हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) अस्पताली सेवा और रोगी परिचर्या के हित में सेवाओं की अनिवार्यता के आधार पर किए गए हैं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) ये मामले समय समय पर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत नही आते थे।

पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को खोलना

593. **श्री चित्त बसु** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में हाल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोले जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र को जिस औषधालय के अधीन किया गया है अथवा किए जाने का विचार हैं उसका नाम क्या है और पश्चिमपुरी से इस औषाधलय की दूरी कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस औषधालय के खोले जाने की संभावना है।

(ग) इस समय पश्चिमीपुरी न तो किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आती है और न ही इस इलाके को मौजूदा औषधालयों में से किसी एक में शामिल करने का विचार है।

असम से बांगला देश के राष्ट्रिकों का वापस भेजा जाना

594. **श्री वी. कशोर चन्द्र एस. देव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने असम में चल रहे आन्दोलन को देखते हुए, असम में अवैध रूप से रह रहे बांगला देश के राष्ट्रिकों को वापस भेजने की समस्या पर बांगलादेश सरकार से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) एवं (ख) भारत में बंगलादेश राष्ट्रिकों के अवैध आप्रवासन का विषय बंगलादेश सरकार के साथ गम्भीर विचार-विमर्श का विषय रहा है और अब भी बना है।

बम्बई-पुणे डकन क्वीन रेलगाड़ी में अधिक बोगियां जोड़ा जाना

595. **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्री ने अपनी हाल की बम्बई यात्रा के दौरान बम्बई-पुणे डकन क्वीन रेलगाड़ी में शीघ्र ही द्वितीय श्रेणी की तीन और बोगियाँ लगाने के निर्णय की घोषणा की थी :

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब क्रियान्वित किया जायेगा :

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यवहारिता अध्ययन/परीक्षण किया गया था : यदि हाँ, तो कब :

(घ) सफल व्यवहार्यता परीक्षण और इसके वास्तव में क्रियान्वयन के बीच में समय का इतना लम्बा अन्तर होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन तीन बोगियों को जोने जाड़े के बाद प्रति महीने रेलवे को अनुमानित कितनी आय प्राप्त होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 23-5-1980 को रेल मन्त्री ने बम्बई में घोषणा की थी कि दक्कन क्वीन में शीघ्र ही और डिब्बे जोड़े जायेंगे।

(ख) दक्कन क्वीच में और डिब्बे जोड़ने की आवश्यक व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) और (घ) जी हाँ। दक्कन क्वीन गाड़ी को अधिक डिब्बों के साथ चलाने के लिए जनवरी, फरवरी और जून, 1979 में परीक्षण किये गये थे। उसके बाद व्यवहारिकता अध्ययन किये गये थे जिनमें दक्कन क्वीन को अधिक डिब्बों के साथ चलाने से संबंधित विभिन्न जटिलताओं पर बारीकी से विचार किया गया था।

(ङ) प्रारम्भिक संकेतों के अनुसार अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने से कुल लगभग 60,000 रुपये प्रति मास की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

596. **श्री टी. आर. शनन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों कीहालत संतोषजनक नहीं है,

(ख) क्या भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से खराब सड़कों की वाहन-यातायात लायक बनाएगी; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि खराब सड़कों और पुलों के कारण सड़क दुर्घटाएँ हो रही हैं और यातायात में बाधा पड़ रही है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) और (ग) : माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी विशिष्ट भाग या किन्हीं भागों का उल्लेख नहीं किया है जहाँ सड़कों और पुलों के खराब हालत में होने के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं हुई या यातायात रुक गया। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सामान्य रुप से प्रायः संतोषजनक है और इनके सुधार, विकास और अनुरक्षण पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है जो धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। जब कोई सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क के खराब/उचित स्तर की और पुलों के नहीं होने के कारण होती है तब उस भाग को सुधारने के लिए हमेशा तत्काल कदम उठाये जाते हैं। सड़क दुर्घटनाएँ सड़कों के उचित स्तर की न होने के अलावा कुछ अन्य कारणों से भी हो सकती हैं और यह ड्राइवर द्वारा गाड़ी के चलाने या गाड़ी की हालत जैसे कारणों पर भी निर्भर करती हैं।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार, विकास और अनुरक्षण के लिए धन देती है और उसके एजेंट के रूप में इन कार्यों को निष्पन्न करवाती है। इस

तरह इस बात की हर संभव कोशिश की जाती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग इस योग्य बने रहें कि उन पर यातायात हो सके ।

राज्यवार छंटनी किए गए श्रमिक संख्या

597. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने श्रमिकों की छंटनी की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारत के राजनायिक मिशनों के प्रशासनिक ढांचे में किए गए परिवर्तन

598. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से मई, 1980 की अवधि के बीच विदेशों में स्थित भारत के राजनायिक मिशनों और दूतावासों के प्रशासनिक ढाँचों में (राजदूतों सहित क्या परिवर्तन किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) : जनवरी से मई, 1980 के बीच भारत सरकार ने सालिसबरी (जिम्बाबवे) में एक राजनयिक मिशन खोला ।

जनवरी से मई, 1980 के बीच जितने स्थानान्तरण किए गये उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

क्रम संख्या	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या
1.	मिशन प्रमुख	10
2.	मंत्री	—
3.	परामर्शदाता	7
4.	प्रमथ सचिव	10
5.	द्वितीय सचिव	9
6.	तृतीय सचिव	2
7.	सहचारी	19

इस अवधि में जिन मिशन प्रमुखों ने कार्यभार संभाला उनका विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है । इन दूतों का (जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और पाकिस्तान में राजदूत को छोड़कर) चयन जनवरी, 1980 से पहले कर लिया गया था ।

विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	स्थान	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अरिफ कमारेन	सालिसबरी	26.1.1980
2.	श्री ललित मानसिंह	आबू धाबी	29.1.1980
3.	श्री वी. पी. सिंह	कोनक्री	5.2.1980

4.	श्री ए. एम. खलीली	तेहरान	19.3.1980
5.	श्री के. एम. लाल	अल्जीयर्स	अप्रैल, 1980
6.	श्री आर. के. मनूचा	प्योंग योंग	अप्रैल, 1980
7.	श्री मानवेन्द्र शाह	डबलिन	21.4.1980
8.	श्री ए. पी. वेंकटेश्वरन	जेनेवा	12.5.1980
9.	श्री के. नटवर सिंह	इस्लामाबाद	14.5.1980
10.	श्री प्रकाश शाह	कुआलालम्पुर	21.5.1980

कारखानों में मजदूर संघों को मान्यता देना

599. **ज्योतिमर्य बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कारखानों में मजदूर सघों को मान्यता देने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उन मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करने से पहले केन्द्रीय मजदूर संघ के संगठनों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) और (ख) सरकार ने कारखानों में ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए हैं। लेकिन 1958 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा तैयार किए गए स्वैच्छिक अनुशासन संहिता में यूनियनों की मान्यता के लिए कुछ मानदंड-जैसे मान्यता के लिए हकदार होने की शर्तें न्यूनतम अर्हक सदस्यता आदि निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक सम्बन्ध कानूनों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और चूंकि यूनियनों की मान्यता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और मानदंड के बारे में कोई मतैक्य नहीं था, इस लिए इस प्रश्न और अन्य सम्बन्धित मामलों पर त्रिपक्षीय बैठक में और विचार.विमर्श करने का विचार है।

नये जहाज निर्माण यार्ड

600 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिए विश्व के जहाजों द्वारा ढोये गये टन भार में भारत के जहाजों ने कितने प्रतिशत टन भार ढोया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के विदेश व्यापार में भारतीय जहाजों ने प्रत्येक वर्ष में कितना माल ढोया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरात प्रत्येक वर्ष में भारतीय माल ढोने के लिए विदेशी नौवहन कम्पनियों को कितना माल-भाड़ा अदा किया गया; और

(घ) क्या सरकार छठी योजना अवधि के दौरान देश में कुछ और जहाज निर्माण यार्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पहली जुलाई, 1979 को विश्व के जहाजों के टनेज में भारत का अंश 1.42 प्रति शत था।

(ख) पिछले तीन वर्षों में विदेशी व्यापार में भारत के अंश का प्रतिशत इस प्रकार रहा।

1976-77	42 प्रतिशत
1977-78	38.8 प्रतिशत
1978-79	37.9 प्रतिशत

(ग) यह सूचना किसी मानक प्रपत्र में नहीं रखी जा रही है।

(घ) जी, हाँ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार तथा उन्हें रोजगार दिया जाना

601. **श्री सी. चिन्न स्वामी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शिक्षित बेरोजगारों के लिए कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और कितनी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) देश में इस समय कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान पंजीकृत हुए व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई तादाद को रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजय्या) : (क) वर्तमान में केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार स्व: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि कार्यान्वियन अधीन है निम्न प्रकार से हैं :-

(i) अर्हकारी औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में उपलब्ध केन्द्रीय निवेश आर्थिक सहायता योजना;

(ii) अधिसूचित पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन आर्थिक सहायता;

(iii) स्व-रोजगार और उद्यम-संबंधी कोसलों को बढ़ाने के लिए उद्यम संबंधी विकास कार्यक्रम;

(iv) इंजीनियर उद्यमकर्त्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम (व्याज आर्थिक सहायता योजना);

(v) लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए योजना;

(vi) पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम उद्यमियों के लिए समकलित प्रशिक्षण केन्द्र (उद्योग) निलोखेड़ी द्वारा संचालित ग्रामीण उद्यमता कार्यक्रम;

(vii) स्व: रोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय योजना; (नट्राई सेम); तथा

(viii) जिला उद्योग केन्द्र ;

(ख) देश में वर्तमान शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के यथार्थ अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1978 के अन्त तक 64.5 लाख की तुलना में दिसम्बर,1979 के अन्त तक रोजगार कार्यालय में शिक्षित नौकरी चाहने वाले 73.0 लाख व्यक्ति पंजीकृत थे। यह वर्ग के दौरान 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) प्रश्न के पैरा (क) में उल्लिखित योजनाओं के अलावा, यह बता दिया जाए कि 1980-85 की पंचवर्षीय योजना सूत्रीकरण की अवस्था में है और शिक्षित बेरोजगारों तथा उनके दिए जाने वाले रोजगार संबंधी समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है.

बम्बई के निकट नव शिप उपबन्दरगाह

602. **श्री उत्तमराव पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के निकट उप बन्दरगाह के रूप में नवशिप परियोजना की स्थापना करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसका निर्माण कब आरम्भ होने की संभावना है, और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : बम्बई के पास न्हावा शेवा में पत्तन बनाने के लिए व्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के बारे में निर्णय ले लिया गया है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पूंजी के सिवेश आदि के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) में अन्तर

श्री उत्तम राव पाटिल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मन्त्रालय में भारतीय विदेश सेवा (ख) से सम्बन्धित कर्मचारियों ने भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) के बीच के अन्तर को दूर करने का अनुरोध करते हुए सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अपनी पदोन्नति के अत्याधिक अपर्याप्त अवसरों के कारण भारतीय विदेश सेवा (ख) के कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिसंख्यक कर्मचारियों को एक ही पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्य करते रहने के बावजूद भी पदोन्नति नहीं मिल पाई है; यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेश मन्त्रालय के सम्पूर्ण प्रशासन विभाग में भारतीय विदेश सेवा (क) के कर्मचारियों का प्रभुत्व है और भारतीय विदेश सेवा (ख) के किसी भी अधिकारी को प्रशासन में कभी भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है; और

(ङ) यदि उपरोक्त (क), (ख), (ग) और (घ) प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो भारतीय विदेशसेवा (ख) के कर्मचारियों को भारतीय विदेश सेवा (क) के समकक्ष लाने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) (क) जी हाँ। ऐसा एक ज्ञापन दिया गया है।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्यों में यह भावना है कि उनकी पदोन्नति के अवसर दूरी सेवाओं की तुलना में कम हैं। लेकिन यह भावना पूरी तरह से सही नहीं है।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्यों के लिए उपलब्ध पदोन्नति के अवसर कुल मिलाकर केन्द्रीय सचिवालय तथा भारत सरकार की अन्य सेवाओं में उपलब्ध अवसरों के समान हैं। इस समूचे प्रश्न पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं, भारतीय विदेश सेवा (ख) के ऐसे केवल पाँच कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी समान्य संवर्ग के ग्रेड iv में हैं।

(घ) जी नहीं, प्रशासन में तथा मंत्रालय के अन्य प्रभागों में भी अधिकारियों की तैनाती पूर्णतः सेवा की आवश्यकता के आधार पर की जाती है।

(ङ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को कनिष्ठ सेवा के लिए निर्धारित पदोन्नति के कोटे के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (क) में समाविष्ट किया जाता है। भारतीय विदेश सेवा (ख) ने इस कोटे में वृद्धि करने के लिए कहा है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इस्राइल के मोशे दायां के भारत के दौरे के सम्बन्ध में समाचारों को सेंसर किया जाना

604. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्राइल के मोसे दायाँ ने वर्ष 1977-78 में एक गुप्त अभियान के अन्तर्गत भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो समाचार पत्रों/आकाशवाणी/दूरदर्शन आदि के माध्यमों से उक्त समाचार लोगों तक न पहुंचने के क्या कारण थे ?

(ग) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कोई चांच कराने का है जिनसे जनता सरकार ने उक्त समाचार को सेंसर करने के लिए प्रैस सूचना ब्यूरों को निदेश दिए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) :(क) जी हाँ, हाल ही में एकत्र सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राइल तत्कालीन के विदेश मन्त्री, श्री मोशे दायां ने 1977 में भारत की गुप्त यात्रा की थी। उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई और भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल विहारी बाजपेयी से व्यापक विचार विमर्श किया था।

(ख) से (घ) यह यात्रा कठोर सुरक्षा प्रबन्धों के अन्तर्गत और कड़ी गोपनीयता में हुई थी, सरकार की सूचना के अनुसार भूतपूर्व प्रधान मन्त्री और भूतपूर्व विदेश मन्त्री के अतिरिक्त केवल कुछ सतर्कता और सुरक्षा के अधिकारियों को ही इस यात्रा की जानकारी थी। यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार इस यात्रा को पूरी तरह गुप्त रखना चाहती थी और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंधमें न तो किसी समाचार पत्र में प्रचार किया गया और न सेंसर को कोई अनुदेश दिए गए।

बंगाल की खाड़ी से एक नए द्वीप का प्रकट होना

605. **श्री अमरनाथ प्रधान** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के निकट बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप प्रकट हुआ है;

(ख) उक्त द्वीप का क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) क्या उक्त द्वीपों के बारे में बंगला देश ने कोई विवाद उठाया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) "न्यू मूरे द्वीप" नामक एक नये द्वीप का पहले-पहल 1874 में पता लगा था जो अक्षांश 21°36.5" उत्तर और देशान्तर रेखांश 89° 9" पूर्व पर स्थित है। इस द्वीप का क्षेत्रफल करीब $1\frac{1}{2}$ वर्ग किलोमीटर है।

(ग) शुरू में तो बंगला देश की सरकार ने "न्यू मूर द्वीप पर भारत के दावे पर कोई आपत्ति नहीं की थी। लेकिन पिछले वर्ष से बंगला देश इस द्वीप पर भारत की प्रभुसत्ता पर आपत्ति करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस द्वीप का संयुक्त सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है। हमने उन्हें यह बताया है कि उपलब्ध आंकड़े यह बताते हैं कि यह द्वीप स्पष्टत: भारत का है और बंगला देश के प्राधिकारी अगर चाहें तो यह आंकड़े अध्ययन के लिए उन्हें दिए जा सकते हैं।

भारतीय संसद सदस्यों का विदेशों का दौरा

606. **श्री के मल्लाना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने वाला कोई भी संसद सदस्य उस देश के नेताओं के साथ स्वातंत्र्यतापूर्वक बातचीत कर सकता है और इस सम्बन्ध में प्रेस में भी वक्तव्य दे सकता है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में विशेषकर संसद सदस्यों द्वारा अनुसरण किये जाने के लिए नियम क्या हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जब कोई संसद सदस्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमन्डल के सदस्य के रूप में अथवा किसी संसदीय प्रतिमन्डल के सदस्य के रूप में विदेश जाता है तो सरकार द्वारा अथवा संसदीय प्रतिमण्डल के नेता द्वारा, जैसा भी मामला हो, उसे आवश्यक मार्गनिर्देश दिए जाते हैं। संसदसदस्यों की निजी विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में मन्त्रालय ने कोई नियम निर्धारित नहीं किए हैं कि वे किन लोगों से मिल सकते हैं या वे किस प्रकार के वक्तव्य प्रेस को दे सकते हैं। लेकिन मन्त्रालय उनके अनुरोध पर उन्हें यह अवश्य बताता है कि जिस देश की यात्रा करने वे जा रहे हैं, उनके साथ भारत के सम्बन्ध कैसे हैं।

भारत बंगाल देश सीमा का निर्धारण

607. **श्री अजय विश्वास** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार सीमा के निर्धारण को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब कर रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा भारत-बंगलादेश सीमा के निर्धारण के मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) बंगलादेश के साथ लगी हमारी सीमा के कुछ असीमांकित भागों के सीमांकन के लिए एक कार्यक्रम पर दोनों पक्षों के सर्वेक्षकों के बीच पिछले वर्ष अक्तूबर में सहमति हुई थी तदनुसार सीमांकन का कार्य आरम्भ किया गया जो इस वर्ष के मार्च-अप्रैल महीने तक चलता रहा। इसके बाद सहमत कार्यक्रम की ठीक-ठीक व्यवस्था में मतभेद के कारण बगलादेश ने सीमांकन का सारा कार्य बन्द कर दिया और अपने सभी कार्मिकों को वापस बुला लिया। हम बगलादेश सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और आशा है कि वर्षा ऋतु के बाद सीमांकन का कार्य पुन: आरम्भ कर दिया जायेगा।

विदेशी नेताओं की गुप्त यात्रा

608. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार के शासन के दौरान अन्य देशों के कुछ राज्याध्यक्षों, मंत्रियों और प्रधान मत्रियों को देश में आमंत्रित किया गया था और इस बारे में संसद तथा जनता को सूचित नहीं किया गया था और संसद को गुमराह किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भारत की यात्रा करने वाले विदेशों के प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है, उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या है और क्या इस बातचीत का ब्यौरा प्रकट किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इसराइली मंत्रिमंडल के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री मोशेदायां ने 1977 में भारत की यात्रा की थी। तत्कालीन सरकार ने संसद अथवा जनता को इस यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया था। इस अवसर पर क्या बातचीत हुई थी इसका कोई रिकार्ड अथवा ब्यौरा विदेश मत्रालय के पास नहीं है। मंत्रालय को इस प्रकार की अन्य गुप्त यात्रा की जानकारी भी नहीं है।

अफगान विद्रोहियों के हाथ में भारतीय हाकी कोच का होना

609. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों की खबरों के अनुसार भारतीय हाकी कोच चैन सिंह अफगान विद्रोहियों के हाथों में है;

(ख) क्या काबूल स्थित भारतीय मिशन किसी अन्य मित्र देश के जरिए भारतीय कोच के साथ कोई सम्पर्क स्थापित कर सका है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने अफगान विद्रोहियों द्वारा भारतीय हाकी कोच श्री चैनसिंह को पकड़ लेने की खबर अखबार में देखी है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने काबूल स्थित राजदूतावास के जरिए उच्चत्तम स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और उसका पता लगाने के लिए तथा इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है कि श्री चैनसिंह सुरक्षित घर वापस लौट आयें।

भारतीय नौवहन पर होनावर समिति की रिपोर्ट

610. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त होनावर समिति ने भारतीय नौवहन की प्रगति और विकास के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उनमें से किन को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) समिति की वे सिफारिशें कौन-सी हैं जिनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और उसके कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) से (ग) होनावर समिति ने अनन्तिम रिपोर्ट ही दी है। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। सरकार अन्तिम रिपोर्ट के मिलने पर इसकी सिफारिशों पर विचार करेगी।

अवर-स्नातकों का संस्थान बन्द किया जाना

611. श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्राधिकारियों ने आगे सूचना दिये जाने तक अवर-स्नातकों का संस्थान बन्द करने की अधिसूचना दी है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और कब तक के लिए बन्द किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 12 मई से 14 मई, 1980 तक केवल तीन दिनों के लिए पूर्व स्नातकों की पढ़ाई बन्द की थी। उसके बाद पूर्व स्नातकों को 16 मई से 15 जून, 1980 तक, एक महीने की गर्मी की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। इस निर्णय का कारण यह था कि रेजिडेंट डाक्टरों, जिनके साथ इन्टर्नी भी मिल गये थे, की हड़ताल से उत्पन्न गड़बड़ की स्थिति को सामान्य बनाना था वैसे पूर्व स्नातकों के लिए यह संस्थान 16 जून, 1980 को फिर से खुल जायेगा।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पत्रकार की गिरफ्तारी

612. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'डेली न्यूज' के लिए कार्य कर रहे एक भारतीय पत्रकार को 28 मई, 1980 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार ने उसे छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। हमारी सूचना के अनुसार डरबन के डेली न्यूज' में काम कर रहे भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीक, श्री मारी मुथू सुब्रमणि को दक्षिण अफ्रीका में हाल में हुई गड़बड़ी के संबंध में अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था जो काले विद्यार्थियों द्वारा स्कूल का बहिष्कार करने के कारण उत्पन्न हुई थी। ये विद्यार्थी उन्हें दी जाने वाली शिक्षा की समान व्यवस्था के विरुद्ध विरोध कर रहे थे। श्री सुब्रमणि को बाद में रिहा कर दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

हिमाचल प्रदेश में रेलवे आउट एजेंसियां

613. **श्री नरायण चन्द पराशर** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से हिमालय प्रदेश में रेलवे आउट एजेन्सियां खोलने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों के लिए ये अनुरोध किये गए हैं : और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) जी हां ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में परवान, मटियाना और शाहपुर ब्लाक (कांगड़ा) में रेलवे आउट एजेंसियां खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए थे ।

(ग) परवानु और मटियाना में आउट एजेंसियां चलाने के लिए ठेकेदारों की नियुक्त हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे परवानु आउट एजेंसी का ठेका देने के बारे में विचार किया जा रहा है । मटियाना आउट एजेंसी के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

शाहपुर ब्लाक (कांगड़ा) में आउट एजेंसी खोलने का प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया ।

राष्ट्रीय परिवहन आयोग

614. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परिवहन आयेगा स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अतन्त प्रसाद शर्मा) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में (मई 1980) अन्य बातों के अलवा एक राष्ट्रीय परिवहन आयोग की स्थापना की भी सिफरिश की है । यह सिफरिश सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

रेल गाड़ियों में मजिस्ट्रेटों को तैनात किया जाना

615. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न स्टेशनों से चलने से पूर्व अधिकांश डाक गाड़ियों और एक्स प्रेस गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में टी० टी० ई०/रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि टी० टी० ई०/आर० पी० एफ० कर्मचारियों के वहां उपस्थित न होने के कारण आरक्षित डिब्बों में भीड़ हो जाती है जिससे चलती गाड़ियों में डकैती और चोरी की घटनाए होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि टी० टी० ई०/आर० पी० एफ० कर्मचारियों के उपयुक्त कार्य निष्पादन की देखभाल करने के लिए प्रायोगिक अधार पर मजिस्ट्रेट तैनात किये जायें ताकि भीड़ भाड़ और डैकती आदि के मामलों को रोका जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीके जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सभी डाक और

एक्सप्रेस गड़ियों के आरक्षित डिब्बों में डिब्बा परिचर चल टिकट परीक्षक तैनात रहते हैं जिन्हें अन्य बातों के साथ.साथ अपने डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकना होता है । कभी कभी कर्मचारीयों की अन्तिम क्षणों में बीमारी के कारण एक डिब्बा परिचर चल टिकट परीक्षक को गाड़ी के दो डिब्बो की देखमाल करनी होती है। कभी कभी भारी भीड़ के समय कर्मचारियों को अपने डिब्बों में अनिधकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में वे गाड़ी के साथ मार्गरक्षी के रुप में चल रहे या स्टेशन पर तैनात सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

औषध नियंत्रकों की अर्हताओं के बारे में सिफारिश करने वाला संकल्प

616. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रिय स्वास्थ्य परिषद् ने अक्तूबर, 1976 में हुई अपनी बैठक में औषध नियंत्रकोंकी अर्हतायें सिफारिश करने वाला एक संकल्प पारित किया था और मुखोपाध्याय समिति द्वारा उसकी सिफारिशों की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एक ऐसा नियम बनाया था जिसमें औषद नियंत्रकों की अर्हतायें और अनुभव निर्धारित किये गए हैं और सितम्बर, 1976 के दौरान राज्य सरकारों को इसे लागू कानने के लिये निदेश दिया था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या समिति की सिफारिशों और इन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के बावजूद कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों की जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोप की जाँच की जा रही रही है, पदोन्नति के लिये विचार किया जा रहा है और अर्हता पूरी करने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा स्वीकार की गई समिति की सिफारिशों का अतिलंघन न करने के लिये संबंधित प्राधिकारियों को कोई निदेश जारी किये हैं ।

स्वास्थ्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कार) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने उक्त सिफारिश मान ली हैं । फिर भी जब तक औषध तथा प्रसाधन समाग्री अधिनियम में संशोधन करके केन्द्रीय सरकार को इन प्राधिकारयों के लिए अर्हताएं निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करने हेतु विशिष्ट व्यस्वथा नहीं कर दी जाती तब तक राज्य औषध नियंत्रकों के लिए अर्हत एं तथा अनुभव निर्धारित करने संबंधी कोई नियम नहीं बनाया जा सकता । तथापि सितम्बर, 1974 (न कि 1976) में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गय था कि राज्य सरकारें उस व्यक्ति को लाइसेंसिंग प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का आयुर्विशन अथवा रसायन के मुख्य विषय सहित विज्ञान अथवा फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र में स्नातक हो तथा जिसे औषध मानकी करण तथा औषिधयों के नियंत्रण अथवा औषिधयों के निर्माण या परीक्षण से संबंधित ससस्याओं से निपटने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो ।

(ग) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया) महोदय ने निवेदन किया है कि त्रिपुरा में उपद्रव सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को आज 5 बजे सायं के पश्चात् लिया जायें क्योंकि गृह मंत्री महोदय इस समय तक ही लौटेंगे और मंत्री महोदय के आने के पश्चात् वक्तव्य तैयार करने में कुछ समय लगेगा। अतः मेरे विचार से इस पर किसी को आपत्ति न होगी। इस पर आज 5-30 बजे सायं चर्चा की जा सकती है।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंडहार्बर) : महोदय, त्रिपुरा में विदेशी हथियारों की सप्लाई से संबंधित मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने कुछ नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचना मंगा रहा हूँ।

श्री ज्योतिमय बसु : घुसपेठियों और विदेशी हथियारों की आवक पर रोक संबंधी लगाने में अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कन्ध और आसूचना ब्यूरो पूर्णतया असफल रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय किस वक्त ?

अध्यक्ष महोदय : 5-30 बजे सायं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बड़ी देर से हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 5 बजे कर लें। इसे 5 बजे लिया जायेगा।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक विशेषाधिकार का मामला उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊँगा।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, यह एक बहुत ही खतरनाक पत्र है और इसमें साफ-साफ लिखा है कि वे शाही इमाम की अटल विहारी वाजपेयी की, चौधरी साहब की, जगजीवनराम की, श्री बहुगुणा, श्री चन्द्रशेखर आदि की हत्या अवश्य करेंगे। यह जामा मस्जिद के शाही इमाम के नाम लिखा गुमनाम पत्र है।

अध्यक्ष महोदय : इसे आप दे दीजिये··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी न सम्मिलित किया जाए।

कृपया शान्त रहिये। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पारपत्र (संशोधन) नियम, 1980

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 245 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूँ। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 828/80)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोटरयान (राष्ट्रीय परमिट) संशोधन नियम' 1980, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री ए. पी. शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित को सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अंतर्गत मोटरयान (राष्ट्रीय परमिट) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 22 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 336 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-829/80)

(एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 830/80)

लोक सभा में दिये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा-पटल पर रखता हू :

(1) विवरण संख्या 20—दूसरा सत्र, 1977	छठी लोक सभा
(2) विवरण संख्या 15—तीसरा सत्र, 1977	
(3) विवरण संख्या 18—चौथा सत्र, 1978	
(4) विवरण संख्या 12—पाँचवां सत्र, 1978	
(5) विवरण संख्या 10—छठा सत्र, 1978	
(6) विवरण संख्या 13—सातवां सत्र, 1979	
(7) विवरण संख्या 4 आठवां सत्र, 1979	
(8) विवरण संख्या 2—पहला सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(9) विवरण सख्या 1—दूसरा सत्र, 1980	

(ग्रंथालाय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 831/80)

खाद्य अपमिश्रण (दूसरा और तीसरा संशोधन) नियम, 1980 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 1 मार्च 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 243 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 832/80)

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 1 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 244 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 833/80)

रेल (भण्डागारण और माल उतराई) दूसरा संशोधन नियम, 1979

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मैं भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत रेल (भण्डागारण और माल उतराई) (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 302 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 834/80)

संघ सरकार (सिविल) और संघ सरकार (डाक तार) के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और उनके विनियोग लेखे।

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामण) : मैं श्री मगनभाई बारोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1. संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल)

(दो) भारत के निरंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1878-79 का प्रतिवेदन संघ सरकार (डाक-तार)

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 835/80)

(2) वर्ष 1978-79 के संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण की एक प्रति।

(3) वर्ष 1978-79 के सघ सरकार विनियोग खाते (डाक और तार) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 836/80)

विशेषाधिकार इत्यादि के प्रश्न के बारे में

श्री मधुदन्डवते (राजापुर) : मुझे एक निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मन्त्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गये पत्रों पर विशेषाधिकार प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलती है।

अध्यक्ष महोदय :हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया है और आपको सुचना भेज दी है।

प्रो० मधुदण्डवते : क्या सूचना भेजी है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको मिल जायेगी.

प्रो० मधुदन्डवते : आपका कहना है कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

प्रो० मधुदण्डवते : आपने स्वीकार किया है या अस्वीकार ?

अध्यक्ष महोदय : वही बात मैं अपना निर्णय वापिस लेता हूँ। मैं आपको ऐसा करने का कारण बताऊंगा।

अब हम समिति चुनाव के प्रस्ताव को लेते हैं।

प्रो० मधुदण्डवते : सदन की एक परम्परा है। यदि आप एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकृत करना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है।

प्रो० मधुदण्डवते मैं पूर्व उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रहिए। आप आकर इस पर मुझ से विचार विमार्श कर सकते हैं। प्रोफेसर आपका स्वागत है।

प्रो० मधुबन्डवते : यह ··से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्य करता हूं।

प्रो० मधुदण्डवते : प्रेस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर विचार विमर्श करेंगे।

प्रो० मधुदण्डवते : आप कृपया आश्वासन दें कि इस पर विचार किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके (बारे में आपसे बातचीत करूंगा। बस यही मुझे कहना है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिंसार) : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ या आप हमें हिदायत दें कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य की हत्या के बारे में अगर कोई पत्र मिले···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मेरे पास भेज दीजिए। हम इसे देखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे चिन्ता यह है कि उसमें मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय :चिन्ता न कीजिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए।

श्री मनीराम बागड़ी : आपके नोटिस में आने के बाद अगर कोई एक्शन हो जाए और आप कुछ न करें ··

अध्यक्ष महोदय : आज ही करता हूं।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे त्रिपुरा के बारे में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए एक प्रश्न उठाने की आपसे अनुमति चाहिए। कल जिस पिछले निर्णय का आपने यहाँ जिक्र किया था उसमें हमें यह लगा कि बाद में इस पर पूर्ण बहस की जायेगी। आज, फिर, हम देख रहे हैं कि आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृती दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी घोषणा की और सदन की अनुमति से मैंने ऐसा किया।

श्री समर मुखर्जी : हमें तो ऐसा लग था कि इस पर पूर्णकालिक चर्चा चलेगी···

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैंने सदन की आज्ञा से सदन में किया था। इसमें किसी प्रकार की गुप्त बातचीत नहीं हुई थी।

श्री समर मुखर्जी : उसमें हमारा किसी का भी नाम नहीं है, हम अपने नाम भी तो दे सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा बैलेट द्वारा किया गया।

समिति के लिए निर्वाचन

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव रखता हूं। "कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों, विनियमों और उपनियमों के नियम 20 (16) और (17) और 24 (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों, विनियमों और उपनियमों के नियम 20 (16) और (17) और 24 (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक

वित्त मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ : कि अर्थ तंत्र के शिखरों पर नियंत्रण तथा अर्थतंत्र के विकाश से सम्बन्धित आवश्यकताओं की अधिकाधिक तथा और अच्छी तरह से पूर्ति तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्धि, संविधान के अनुच्छेद 39 के खन्ड (ख) और (ग) में अधिकथित तत्वों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य की नीति के अनुरूप, करने के लिए कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों को उनके आकार, सम्पत्ति, साधन, कार्यक्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखकर, अर्जित करने तथा उनका अन्तरण करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि अर्थतंत्र कि शिखरों पर और नियंत्रण तथा अर्थतंत्र के विकास से सम्बन्धित आवश्यकताओं की अधिकाधिक तथा और अच्छी तरह से पूर्ति तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्ध, संविधान के अनुच्छेद 39 के खन्ड (ख) और (ग) में अधिकथित तत्वों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य नीति के अनुरूप, करने के लिए कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों को उनके आक र, सम्पत्ति, साधन, कार्यक्षेत्र और सगठन को ध्यान में रखकर, अर्जित करने तथा उनका अन्तरण करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) : मैं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री० पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव रखता हूं; कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० शिव शंकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुओं के निर्माण के लिए सीमेंट की सप्लाई

श्री केशव राव पारधी (भंडारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं—

"महाराष्ट्र के भंडारा जिले में इस वर्ष 1600 गांवों में से 1428 गाँवों में सूखा है। सूखाग्रस्त किसानों को कुएं खोदने के लिये करीब एक करोड़ से भी ऊपर की रकम भू-विकास बैंक की मार्फत कर्ज के रूप में दी गई। किसानों ने कुएं भी खोदे और कूओं में पानी भी लगाया लेकिन कूएं पूरे करने के लिए सीमेंट न मिलने की वजह से कूए अधूरे पड़े हैं। अब बरसात शुरू हो रही है। कुएं बुज जायेंगे और किसानों पर कर्ज का बोझा लदा रहेगा। इस वास्ते सरकार किसानों को कुएं पूरे करने के वास्ते सीमेंट की तुरन्त व्यवस्था करें।

(दो) यन्त्रीकरण के कारण दियासलाई कुटीर उद्योग को खतरा

श्री एस० ए० दोराई से बस्तियत (करूर) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामला उठाना चाहता हूं :

शिवकाशी की एक वृहत माचिस फैक्टरी द्वारा एक करोड़ की लागत पर एक सहायक एकक के रूप में स्वचालित चार रंगों की ग्रांफसेट प्रिंटिंग मशीन के प्रस्तावित आयात से लघु उद्योग की 3000 माचिस फैक्ट्रियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना जो

कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने का एकमात्र साधन है, हमारी सरकार को वचनबद्ध नीति है। दुर्भाग्य से अधिकारी तंत्र व्यवहार लघु उद्योगों में बाधक बनता है। उद्योगपति को इस मशीन के लिए आयात लाइसेंस इसलिए दिया गया क्योंकि यदि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो तथा ऐसी मशीन देश में निर्मित न होती तो सरकार आयात लाइसेंस देने के लिए वचनबद्ध है। यह खेद की बात है कि जब आयात के आवेदन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है तब यह भी देखा जाता है कि क्या यह लघु उद्योगों के लिए हानिकर होगा अथवा नहीं। इस मामले में शिवकाशी माचिस फैक्टरी को दोहरा लाभ मिल रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र के नाम पर उत्पादन-शुल्क का लाभ लिया जाता है तथा दूसरी ओर बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा अधिक उत्पादन से प्रतिस्पर्धा भी कर पाते हैं। मशीन के आयात के लिए अनुमति देने से पहले मेरी मांग है कि वाणिज्य मंत्री इस मामले की पूरी जाँच करें।

(तीन) दहेज के कारण एक युवती मृत्यु के सम्बन्ध में भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ द्वारा जांच की मांग

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामला उठाना चाहती हूँ :

10 जून को भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संगठन की माँग पर, नई दिल्ली के शाहपुर जाट की महिलाओं ने पुलिस मुख्यालय के समक्ष युवा महिला जसवन्ती की उसके सुसराल नांगलोई में मृत्यु की जांच की माँग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि यद्यपि आत्म हत्या सम्बन्धी एवं नोट सलग्न किया गया है परन्तु पूर्व इतिहास को अध्ययन करने से पता चलना है कि यह दहेज संबन्धी विवाद के कारण हत्या का मामला है। उनका यह भी कथन है कि यदि यह सीधा हत्या का मामला न भी हो, कम से कम जसबन्ती को आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया। इस बारे में भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय सघ ने माँग की है अन्य बातों के साथ आत्म हत्या करने संबंधी वक्तव्य भी दण्डणीय बताया गया है।

बार बार दहेज के कारण होने वाली मौतों के कारण महिलाओं में भय व्याप्त हो गया है। भारत सरकार को पहल करते हुए सभी विख्यात महिला संगठनों की एक बैठक बुलाकर इस बारे में विभिन्न सुझावों पर विचार करना चाहिए। ताकि वर्तमान दहेज अधिनियम में ऐसे सशोधन किये जा सकें जिनसे ऐसे अपराधों को रोका जा सके।

(चार) कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र का बार बार बन्द होना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त में कोटा का प्रमाणु बिजली घर मई, 80 में दो बार और 8 जून, 1980 को और यानी तीन बार एक माह के अन्दर यान्त्रिक त्रुटियों के कारण बद हो गया। जबसे उक्त अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई शुरू हुई तब से लगातार यान्तिक त्रुटियाँ होती रहती हैं और बिजलीघर बंद होता रहता है। मार्च, अप्रैल 1980 में यही खराब स्थिति बनी रही।

उक्त बिजलीघर के बन्द होने से 32 लाख यूनिट बिजली प्रति दिन से राजस्थान महरुम रह जाता है जिस के कारण राजस्थान की कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है जिन्हें राजस्थान की अकालग्रस्त जनता सहन करने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान का उपभोक्ता बड़ी कष्टमय स्थिति में है।

यह स्थिति अणु बिजलीघर के अयोग्य इंजीनियरों और अयोग्य वैज्ञानिकों के कारण पैदा हुई है। अणु विभाग इस बिजलीघर के बारे में उदासीन नीति अपनाये हुए हैं। अतः प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि वे खुद इस महत्वपूर्ण मसले को अपने हाथ में ले कर इस गम्भीर समस्या का स्थायी हल निकाल कर राजस्थान प्रान्त की जनता की आवश्यक से आवश्यक मांग की पूर्ति करें।

(पांच) कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हुई हानि

श्री मोस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : मौसम के आरम्भ में ही कर्नाटक में असमान्य वर्षा हुई। अरब सागर में दवाव के कारण पूरे तटीय क्षेत्र में, मुलखी, मूलोर, उलियारगोली, पडुकेरा, माल्पे, होडे, डंगरकट्टा, गंगोली तथा दक्षिण कन्नड़ तटीय जिलों में अन्य स्थानों पर भी तेज वर्षा हुई।

क्षति के बारे में समाचार बहुत से समाचार पत्रों में छपे हैं इन क्षेत्रों में भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े वह गये हैं। पूरे तट में नदियाँ भूमि की सतह पर समुद्र के सामानान्तर वह रही हैं। इस क्षेत्र में कि हजारों मच्छुए परिवार बसे हुए हैं। ऊचे ज्वार के समय समुद्र का पानी नदियों में जाने लगता है और परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्र 100 किलोमीटर में बसे लोग बे घर-बार हो सकते हैं तथा भय है कि उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से सहायता कार्यवाही की तुरन्त व्यवस्था करने का आग्रह करताहूँ ताकि आगामी शुल्क पक्ष में तथा पूर्णमासी को होने वाले समुद्री कटाव को रोका जा सके।

तस्कर और विदेशी मुद्रा दूल साधक (सम्पत्ति समपहरण) संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सभा अब तस्कर और विदेशी मुद्रा दूल साधक संशोधन विधेयक पर आगे विचार करेगी। श्री मूलचन्द्र डागा कल बोल रहे थे : वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री मूलचन्द्र डागा (पाली) : श्रीमन् स्मगलर्स एण्ड फारन एक्सचेंज मेनिपुलेटर्स एक्ट के बारे में मैंने 1978-79 की रिपोर्ट देखी है। उसके पेज 193 में मुझे फिगर्स केवल मिले हैं :—

'सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क कलक्टरों ने तस्कर तथा विडेशी मुद्रा दूल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अधीन 10584 व्यक्तियों के विवरण सक्षम अधिकारियों के पास कार्यवाही किये जाने के लिल भेजे थे। 30 जून, 1978 तक सक्षम अधिकारियों ने 1448 मामलों में 33·28 करोड़ रु. की सम्पत्ति के मामलों में नोटिस जारी किए। अब तक तस्कर और विदेशी मुद्रा दूल साधक विधेयक के अधीन लगभग 173 मामलों में लगभग 6·02 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की गई।'

इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद आज तक हमारे मंत्री महोदय ने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि एक्चुअल्ली कितनी प्रापर्टी इनके पोजेशन में आई, कितने मुकदमात में इन्होंने नोटिसिज दिये हैं, कितने केसिज में अपील पेंडिंग हैं। 1976 में इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद से इन

चार सालों के अन्दर कितनी प्रापर्टीज के नोटिसिज इस एक्ट के अंतर्गत आज भी पोंडिंग हैं। सेक्शन 6 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

मूल अधिनियम की धारा 7 (1) में कहा गया है कि ?

7. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के अधीन जारी की गई हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति को (और किसी ऐसी दशा में जहाँ प्रभावित व्यक्ति उस सूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहाँ ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा, ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है कि प्रश्नगत सभी या कोई सम्पत्तियां अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियाँ हैं या नहीं।

सेक्शन 7 में शोकाज नोटिस देते हैं। वह देने के बाद उसको सुनने का मोका दिया जाता है। उसके बाद फाइन इम्पोज किया जाता है। फाइन सेक्शन 9 के अण्डर इम्पोज करते हैं। सैक्शन 8 में बर्डन आफ प्रूफ उस व्यक्ति पर हैं जो एफैक्टिड है। सैक्शन 12 का जो भाग 6 है, उसको एमैंड करने की क्यों जरूरत पैदा हुई ? सैक्शन 12 में यह लिखा हुआ है।

अपील अधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वाहन न्याय पीठों द्वारा किया जा सकता है जिनमें तीन सदस्य होंगे।

मैंने कल भी बताया था कि तीन की जगह आप दो मैंबर रखना चाहते हैं। लेकिन इसका क्या परपज है यह मेरी समझ में नहीं आया है : मंत्री महोदय ने बताया कि अर्ली डिसपोजल के लिए हमने यह स्टेप लिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे मामलों का अर्ली डिसपोजल हो सकेगा। इसका कारण यह है कि आपने इसके अन्दर एक प्राविसो लगा रखा है जो इस प्रकार है :—

"परन्तु यदि इस प्रकार गठित न्यायपीठ में कुछ बातों में मतभेद होता है तो मतभेद वाले मामलों का उल्लेख तीसरे सदस्य से करेंगे, (जिसकी नियुक्ति, चेयरमैन करेंगे) तथा वह सदस्य ऐसे मामले अथवा मामलों को सुनेगा तथा उन पर निर्णय उस सदस्य की राय से किया जाएगा।"

इसका मतलब यह है कि तीसरे आदमी को सुनवाई के लिए, उसकी ओपिनियिन के लिए भेजा जाएगा। अब उसमें कितना समय लगेगा इसको भी आप देखें। पहली बात तो यह है कि दोनों जो मैंबर हैं वे जिन प्वाइंट्स पर डिफर करते हैं, उन पर वे अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। देने के बाद जो एप्लीकेंट है जिसने पैटीशन कर रखा है, उसको सुनने के लिए दुबारा फिर वही प्रोसीजर उसको एडाप्ट करना होगा। आज भी देखा गया है कि कई कम्पलिकेटिड कैसिस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्टस में सिंगल बैंच में सुने जाते हैं। क्या यहां भी ऐसा नहीं हो सकता ? इस वास्ते मैंने एमेंडमेंट दिया है कि बजाय दो के एक क्यों नहीं रखा जाता है ? आपके ट्रिब्यूनल्ज मद्रास, बम्बई, कलकत्ता वगैरह जगह-जगह सुनवाई करते हैं। अब दो मैंबर्ज में से एक बीमार हो जाएगा तब क्या होगा ? केवल मात्र आपने यही कहा है कि आप चूंकि अर्ली डिसपोजल केसिस का चाहते हैं इस वास्ते इस एमेंडमेंट को लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप

बताएं कि चार साल के बाद कितनी प्रापर्टी पर आपका फिजिकल पोजीशन हो चुका है। जहां तक मैं देख पाया हूँ छः करोड़ पर भी नहीं हुआ है । आज भी बहुत से केसिस पैंडिंग पड़े हुए हैं। मेरे खयाल में एक ही जज काफी होना चाहिए। इसी से काम हो सकता है। मैं यह भी समझता हूँ कि जिस परपज के लिए आप यह एमेंडमेंट लाए हैं उसी परपज को यह एमेंडमेंट फ्रस्ट्रेट करता है, उसी आवजेक्ट को फ्रस्ट्रेट करता है। मैं समझता हूँ कि आप गहराई से सोचें और यदि आप इस नतीजे पर पहुँचे कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही है तो आप इस एमेंडमेंट को वापिस ले लें। अर्ली डिसपोजल की जगह पर कहीं कार्रवाई लम्बी न हो जाए और भी ज्यादा समय डिसपोजल में न लग जाए। एपीलेट ट्रिब्यूनल्ज के पास जो केसिस हैं वहां काफी लम्बा समय लगता है।

जब भी दो सदस्य होते हैं तब उनमें कुछ बातों में मतभेद होता, वह बात चेयरमैन द्वारा नियुक्त तीसरे सदस्य को सौंपी जाती है। इसमें लम्बा समय लगता है। यह लम्बी प्रक्रिया है।

लम्बा प्रोसीजर जहां होता है वहां मुकदमे जल्दी तय नहीं होते हैं। इस वास्ते यह एमेंडमेंट व्यर्थ है और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप पुनर्विचार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रातः ही नाम देना चाहिए था।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो तस्कर और विदेशी मुद्राछल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा चल रही है, हालांकि यह संशोधन बहुत छोटा-सा है, लेकिन मैं सर्वप्रथम बरोट साहब वह अपने वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जब किसी संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया जाता है तो उसके पीछे मंशा यह रहती है, नियत यह रहती है कि उस पर आप कार्यवाही भी करें और इफैक्टिवली कार्यवाही कर सकें, लेकिन 1976 के बाद जबसे आपने विधेयक को पेश किया है, आपका प्रेस का जो कटिंग है उसको भी देखने से कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इस देश के समगलर्स की गतिविधियों पर कोई करारी चोट पहुँचायी गई हो। मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि जब वह जवाब दें तो इस बात को बतलाने की कृपा करें कि अब तक आपने इस एक्ट के तहत कितने समगलर्स के विरुद्ध मुकदमें दायर किये, कितनों की सम्पत्ति जप्त की और कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमें पैंडिंग हैं। यह तीन चीजें सरकार की नियत को स्पष्ट करेंगी।

आप महाराष्ट्र स्टेट को ले लीजिये, उसको समुद्री किनारा 900 मील का है और वह सारा तस्करी का अड्डा बना हुआ है। जब हाजी मस्तान व दूसरे-दूसरे तस्कर पकड़े गये, तो उनकी रिपोर्टिंग को देखें तो उन्होंने कहा था कि जो बड़ी-बड़ी महानगरी हैं, उनके बाजारों में 75 प्रतिशत मनी काले-मनी के रूप में है। इस तरह से कैसे नियत साफ होगी। हम जब चुनाव के मैदान में जायेंगे तो उस मौके पर तस्करी के पैसे की जरूरत पड़ जाती है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो सदन में बिल रखते हैं। आपने इस बिल में रखा है कि तीन मेम्बर्स के बदले 2 होने चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे 3 के बदले 2 करने की आपकी भावना यह है कि आप कारगर तरीके से काम कर सकेंगे, लेकिन जब आपकी नियत साफ रहेगी, तभी आप कारगर नरीके से काम कर सकते हैं। जब तक नियत साफ नहीं रहेगी तब तक चाहे आप 3 के बदसे एक कर दें या 5 कर दें, उससे कोई अर्थ निकलने बाला नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से

सरकार से चाहूँगा कि चूंकि हम लोगों ने पिछली बार एक बिल पेश किया था, एक कानून बनाने की कोशिश की थी कि किसी भी कंपनी से कोई भी पोलिटिकल पार्टी पैसा नहीं लेगी । मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में इस सरकार का क्या रुख है लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जितने भी तस्कर पलते हैं, उन सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है खासकर जो पार्टी पावर में रहती है. उसकी सबसे बड़ी जबावदेही हो जाती है, जब पार्टी-इन-पावर की नियत साफ नहीं है तब तक कहीं भी कार्यवाही नहीं होगी ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब वह जवाब दें तो निश्चित रूप से सरकार की नियत को स्पष्ट करने की कोशिश करें और यह भी बतलाने की कोशिश करें कि जितने तस्कर पल रहे हैं, उनको पालने में सरकार का कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ तो नहीं है अगर नहीं है, तो मैंने जो बताया कि कितनों के विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं, कितनों की सम्पत्ति जब्त की गई है, मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : श्रीमान यह एक छोटा सा संशोधन है जोकि अधिकरण के गठन एवं कार्यकरण के बारे में लाया जा रहा है, जोकि सक्षम अधिकारी के निर्णयों पर अपीलीय कार्य करते हैं । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिकरण का एक चेयरमैन तथा दो सदस्य और तीनों मिलकर अपीलों को सुनते हैं प्रस्तावित संशोधन यह व्यवस्था करता है कि अपील की सुनवाई के लिए एक समय दो संदस्य उपस्थित हो । इस प्रकार संशोधन का उद्देश्य अत्यन्त समिति है । निःसन्देह वाद-विवाद में भाग ले रहे माननीय सदस्यों ने सक्षम अधिकारियों के क्रिया कलापों का उल्लेख किया और इन अकिरणों के कार्यकरण का अध्ययन किया कि ये कहाँ तक सफल हुए हैं, इत्यादि । इस संशोधन के बारे में मैं कुछ आंकड़े दूंगा । प्रश्न पूछा गया है कि वास्तव में कितनी सम्पत्तियाँ अधिकार में ली गई हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह नियम वास्तव में कार्य भी कर रहा है अथवा नहीं । जहाँ तक भौतिक रूप में सम्पत्तियों को अधिकार में लेने की बात है हमने 16.61 लाख रुपए के मूल्य की 32 सम्पत्तियाँ अधिग्रहण की है । जबकि पंजीकृत मामलों की संख्या 1965 है तब यह प्रश्न पूछा जाना संगत हो सकता है कि अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों की संख्या ही क्यों है । इस बारे में मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि पूरे अधिनियम को ही उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायायल में चुनौती दी गई है । इन निर्णयों से प्रभावित होने वाली पार्टियों ने उच्च न्यायालयों में मामला उठाया । हमने उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय में मामले वापस लिये जायें तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय में लिया जाये हम इस बारे में शीघ्र निर्णय की उम्मीद करते हैं अधिनियम की वैधानिकता को ही चुनौती दी गई है । यह जानना रोचक होगा कि 766 मामले उच्च न्यायालय में तथा 34 मामले उच्चतम न्यायालय में हैं । जिन मामलों में सक्षम अधिकारियों ने निर्णय दिये हैं तथा अपीलीय अधिकरण कार्य करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किए गये हैं । हमारी कार्यवाही पर निषेधाज्ञा के कारण रोक लगी हुई है । इसी कारण हम अधिक सम्पत्तियाँ वापस नहीं ले पाये ।

श्री मूल चन्द डागा : उच्च न्यायाल में बकाया मामलों में से कितनों में रोकादिहा दिया गया है ।

श्री मगन भाई बरोट : सभी मामलों में जिनमें पार्टियाँ उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम

न्यायालय पहुँची हैं पहला कार्य उन्होंने यह चाहा है कि सरकार को सम्पत्तियों के अधिग्रहण से रोका जाये। न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक निर्णय लिये जाते हैं किसी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। इस प्रकार हम पर रोक लगी हुई है।

एक माननीय सदस्य संख्या 3 से 2 करने के उद्देश्य के बारे में पूछा है। यदि विलम्ब के कारण ऐसा किया जा रहा है तो हमें एक क्यों नहीं किया जाता। सभा स्वीकार करेगी कि हम उन सम्पत्तियों का मामला ले रहे हैं जो कि तस्करी के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप अर्जित की गई। हम तस्करी के समान को जब्त नहीं कर रहे। अधिनियम में दिये गये अधिकारों के अनुसार हम सम्पत्तियों को ले रहे हैं। यह सच है कि यह तस्करी से आय के फलस्वरूप अर्जित की गई हैं परन्तु विधि के अनुसार हम एक अवसर देने हैं कि सिद्ध यह किया जाये कि ऐसा नहीं है।

इसका उत्तरदायित्व उन पर है। धारणा उनके विरुद्ध है और यह सिद्ध करना उनका काम है कि ऐसा नहीं है। अतः हमने सोचा, कि जब भी अपील को सुना जाये, तब कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, दो सदस्यों इसका निर्णय करें ताकि इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया जाये।

उपबन्धों के अन्तर्गत हमने वास्तविक स्थिति सामने रख दी है। यदि पीठ में तीन में अब दो का उपबन्ध है—यदि मतभेद होता है तो इस मामले को तीसरे व्यक्ति के पास लिया जा सकता है ताकि कम से कम दो व्यक्तियों के सहमत निष्कर्ष तो होंगे और एक व्यक्ति असहमत होगा। आखिरकार यह दो व्यक्तियों का निर्णय होगा। उससे मामले को अन्तिम रूप मिलेगा। चूंकि इसका सम्बन्ध एक नागरिक की सम्पत्ति के साथ है, इसलिये हमने सोचा उसे सुने जाने का अवसर देना वांछनीय होगा। इसी कारण से हमने एक की बजाये दो सदस्यों की पीठ का उपबंध किया है। मैं आदर पूर्वक कहूँगा कि केवल अन्तिम रूप देते और अपीली प्राधिकरण के सामने सुने जाने का उचित अवसर देने की दृष्टि से ही इस प्रकार का संशोधन लाने का प्रस्ताव किया गया है।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्य, श्री डागा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बात उठायी है। उन्होंने नियमों का उल्लेख किया और कहा ऐसा हो सकता है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित संशोधन नियमों के उपबन्धों से मेल न खायें मैं तो सम्मान पूर्वक केवल यही कहना चाहूँगा कि अधिनियम के अन्तर्गत इन नियमों को नहीं बनाया गया है, किन्तु ये स्वयं केवल प्राधिकारण की प्रक्रियात्मक कार्यवाही के लिये होते हैं। यह निर्णय हो जाने के पश्चात् हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में है। बेशक हम हस्ताक्षर के इस उपबन्ध के संबंध में आदेश प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे कि यदि नियम में छोटी-सी असंगति दिखाई दे हम बहुत बारीकी में नहीं जायेंगे और न ही कहेंगे कि अधिनियम अभिभावी हो रहा है न कि नियम। हम यह कहेंगे कि कृपया अधिनियम के संशोधन को देखते हुए नियमों में समुचित रूप से संशोधन करिये ताकि कोई असंगति न रह जाये।

दूसरा छोटा-सा संशोधन निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में लागत अथवा शुल्कों के वसूल किये जाने के सम्बन्ध में है। हम ने अधीनस्थ विधान समिति को यह एक वचन दिया था और उसके अनुरूप हमने यह छोटा-सा परिवर्तन किया है। मैं माननीय सदस्य, श्री डागा को प्रार्थना करता हूँ कि वह कृपया इस संशोधन को स्वीकार कर लें और अपने संशोधन पर जोर न दें।

जहां तक मेरे माननीय मित्र श्री पासवान का सबंध है, मैं यह कहूँगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें काले धन की प्रतिशतता की पूरी जानकारी है। अच्छी बात हैं, यदि माननीय सदस्य की यह जानकारी है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह 70 प्रतिशत कहा है ? यदि माननीय सदस्य सरकार की सहायता कर सकें, तो हम काले धन को ढूंढ़ निकालने में उनके सहयोग की प्रार्थना करेंगे।

चूंकि इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है, इसलिये मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को केवल यह बताऊँगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, हम माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये मूल्यवान सुझावों की बहुत सराहना करेंगे तथा उन पर विचार करेंगे और समुचित मामलों में हम सम्बन्धित प्राधिकरण को उन सुझावों को पहुँचा देंगे।

मैं इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए सभा के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 का संशोधनं करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करते हैं :

खण्ड 2

श्री मूलचन्द डागा (पाली)

(i) पृष्ठ 2, पंक्ति 1,–

"दो सदस्यों" के स्थान पर "एक सदस्य"

प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पृष्ठ 2,--

पंक्ति 4 से 9 **को लोप कर दिया जाए।** (2)

आपने समूचे मामले पर विचार किया है। उसमें एक परंतुक है। आप कहते हैं, 3 की बजाये दो न्यायधिश बैठ कर निर्णय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप केवल एक ही सदस्य की नियुक्ति क्यों नहीं करते।

किन्तु इसके अतिरिक्त आपने यह परन्तुक भी रखा हुआ है, जो कि निम्नलिखित है :

"परन्तु यदि इस प्रकार गठित न्यायपीठ के सदस्य किसी बात या बातों पर मतभेद रखते हों, तो वे उस बात या उन बातों को कथित करेंगे जिनपर उनका मतभेद है और उन्हें किसी तीसरे सदस्य को "जिसे अध्यक्ष द्वारा विनिदिष्ट किया जायेगा। निर्दिष्ट किया जायेगा"—

सदस्य बैठ कर विचार करेंगे और जिन बातों के संबंध में मतभेद रखते हों, उन बातों के बारे में निर्णय करेंगे और उन बातों को अध्यक्ष द्वारा नियुक्त तीसरे सदस्य को निर्दिष्ट किया जायेगा।"

"ऐसी बात या बातों की सुनवाई के लिये निर्दिष्ट करेंगे और ऐसी बात या बातों का विनिश्चय उस सदस्य की राय के अनुसार किया जाएगा।"

अब मैं इस परन्तुक के बारे में एक स्पष्टीकरण भी चाहता हूँ कि क्या तीसरा व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई करेगा अथवा केवल उस बात के संबंध में जिन पर उनका मतभेद

है, वह केवल अपनी राय देगा। मैं इस बात के बारे में उत्तर अथवा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। इस में यह बताया गया है :

"वे उस बात या उन बातों को कथित करेंगे जिनपर उनका मतभेद है और उन्हें किसी तीसरे सदस्य को (जिसे अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा) ऐसी बात की सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेंगे और ऐसी बात या बातों का विनिश्चय उस सदस्य की राय के अनुसार किया जायेगा।"

अथवा क्या उस सदस्य को प्रभावित पक्ष की सुनवाई का अवसर मिलेगा ? मानो कुछ बातों पर दो सदस्य मतभेद रखते हों और इस मामले को तीसरे सदस्य को निर्दिष्ट किया जाएगा तो इस बारे में भाषा स्पष्ट न हीं कि क्या प्रभावित व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा और उसे सुना जाएगा अथवा क्या उसका निर्णय सीधे ही कर दिया जाएगा और कि तीसरे सदस्य की राय अन्तिम होगी। और यदि ऐसी बात है; तो ऐसा करने से प्राकृतिक न्याय समाप्त हो जाएगा। आखिरकार प्रभावित व्यक्ति की अवश्य ही सुनवाई की जानी चाहिए। अतः कृपया इस परन्तुक को पुनः देखिए। यदि तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है और यदि वह व्यक्ति अपनी राय प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई किए बिना देता है और उसकी राय को अन्तिम समझ लिया जाता है, तो मैंने ऐसा कानून कभी नहीं देखा। श्री बारोट इस बात से सहमत होंगे क्योंकि वह उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हैं। मैं यह नहीं जानता कि क्या वह इस सिद्धान्त से सहमत है कि तीसरे सदस्य की राय अन्तिम होगी। मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूं।

श्री मगन भाई बारोत : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् जी मेरे विचार में यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में शायद मुझे कुछ विस्तृत रूप से बताना होगा। अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि गठित न्यायपीठ के दो सदस्यों का मतभेद होने के मामले में, मामले को तीसरे सदस्य को निर्दिष्ट किया जायेगा इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी तरह अन्तिम निर्णय वह होगा जिससे तीसरा सदस्य दो सदस्यों की राय में से सहमत होगा। जहां तक मामले में निर्णय का संबंध है, हमारे पास अन्तिम रूप से दो सदस्यों की राय होगी। अब माननीय सदस्य की आशंका अथवा चिन्ता यह जानने की है कि तीसरा व्यक्ति क्या करेगा। श्रीमान् जी अधिनियम में विस्तृत प्रक्रियात्मक पहलू का निर्धारित करना हमारा काम नहीं है कि न्यायाधिकरण किस प्रकार कार्य करेगा। अब मैं आदरपूर्वक कहता हूँ कि जब राय में मतभेद हो, और तीसरे सदस्य के पास उसके सहयोगियों की दो राय हों जिन्हें उसके पास निर्दिष्ट किया गया हो, तो वे स्वयं ही उपबन्ध निर्धारित कर लेंगे और मुझे आशा है कि उपबन्धों अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मामले के सुनवाई भाग के बारे में अपने नियमों तथा प्रक्रियाओं के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय कर लिया जाएगा। हमारी चिन्ता तो केवल इस बात को सुनिश्चित करने की है कि एक व्यक्ति की सम्पत्ति अथवा अधिकार के मामले के संबंध में दो मित्र रायों वाले व्यक्तियों को अन्तिम निर्णय के बारे में अवश्य ही सहमत होना चाहिए और इसलिये हमने यह उपबन्ध किया है कि दो व्यक्तियों को सहमत होना चाहिए ऐसा तब भी होना चाहिए जबकि न्यायपीठ में दो सदस्य हों, और यदि मतभेद हो, तो तीसरे···

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : तीसरा न्यायाधीश सुनवाई करेगा।

श्री मगन भाई बारोत : श्रीमान् जी, मैं आदर पूर्वक कहूंगा कि प्राकृतिक न्याय के

सिद्धान्तों से यह बात अपेक्षित होगी कि यदि एक व्यक्ति जिसे अधिकार है, कहता है कि दो सदस्य सहमत नहीं है, तो उसे तीसरे सदस्य को मनवा लेने का अवसर मिलेगा । अतः, इस प्रकार की सुनवाई वहाँ रहेगी । सुनवाई कैसे होगी और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह बात विस्तार की है । बस यही कुछ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री मूल चन्द डागा अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : जी हाँ, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का नाम जोड़ दिये गए ।

श्री मगन भाई बारोत : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक पारित किया जाये"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । हमने इसका विरोध नहीं किया है, किन्तु जहाँ तक श्री डागा के संशोधन के संबंध में उप मंत्री महोदय द्वारा कही गयी बातों का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह स्वयं न्याधिकरण द्वारा निर्णीत किये जाना वाला प्रक्रियात्मिक मामला नहीं है । विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्य न्यायालयों द्वारा दिये गये प्राकृतिक न्याय का एक मूल भूत नियम है कि प्रभावित पक्ष की सुनवाई किये बिना कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं दिया जा सकता । अतः, कृपा यह देखिये कि क्या किया जा सकता है ।

इसी सम्बन्ध में मैं सरकार को सावधान करना अथवा एक छोटा सा परामर्श देना चाहूंगा । कि तंत्र धीमी गति से कार्य कर रहा है । हमने यह सुनिचित करने का भरसक प्रयास किया कि मामलों का यथाशीघ्र निपटान किया जाये । सूचना एकत्र करने, मामले को तैयार करने तथा नोटिस जारी करने लिये इसे प्राधिकरण के पास भेजने का प्रभार आमकरण अधिकरियों के जिम्मे है । इसमें काफी समय लग जायेगा ।

सरकार को यह देखना है कि इस प्रक्रिया को कैसे तीव्र किया जा सकता है । यदि उसमें दो तीन या चार वर्ष का अन्तराल है और इस दौरान में सम्पति का निपटान कर दिया जाता है, तो सरकार की कार्यवाही वेकार हो जायेगी,

दूसरे, न्यायाधिकरण द्वारा जो निर्णय लिये गये है, उनके बारे में 30 करोड़ रुपये से सम्बद्ध मामलों में नोटिस जारी किये जा चुके हैं । जो तस्करी वहाँ चल रही है, उसके स्तर को दृष्टिगत रखते हुए यह नोटिस कोई अधिक नहीं है । तस्करी अभी भी चल रही है और यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो यह चलती ही रहेगी । अतः मामलों की जाँच शीघ्र की जानी चाहिये तथा नोटिस जारी किये जाने चाहिये हमारा कार्यकरण तेजी से नहीं चलता है । सम्मन

पहुचाने में ही वर्षों का समय लग जाता है और फिर वर्षों तक मामले नितलिम्बत पड़े रहते हैं। अतः इसके लिए हमें नियमो में भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा।

तीसरे, अभी तक न्यायाधिकरण द्वारा जो कुछ भी निर्णय दिये गये है, उनके बारे में भी सरकार को अभी तक सम्मति का वास्तविक कब्जा अधिक मामलों में नहीं मिल पाया है। आप बाद में भले ही इसके आकड़े देते रहें परन्तु मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे इस मामले में काफी रुचि लेनी चाहिए क्योंकि तस्कर लोग बहुत चतुर होते हैं और वह बहुत अच्छे अच्छे वकील अपने मामलों के पैरवी के लिए कर लेते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लेते है और जिसके फलस्वरुप सरकार के सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं अतः सरकार को इस मामले में अधिक सर्तकता बरतनी चाहिए तथा साथ ही अपनी अभियोग चलाने वाले तंत्र के और मजबूत करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी सरकार पर तो अशरफियाँ लुटी, कोयलों पर मोहर वाली बात चरितार्थ होती है मैं इन वित्त मंत्रालय को मौखिक रूप से इसके बारे में बता चुका हूँ। इसका मुझे कुछ अनुभव भी है। यदि आपको एक करोड़ रुपये की सम्रति के लिए वकील पर लाख रुपया भी खर्च करना पड़े तो आपको एक घटिया वकील पर कम पैसा खर्च करके भला बचत करने की क्या आवश्यकता है ? इस पर सदन को किसी प्रकार की अपति नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री मगन भाई बारोत : जहाँ तक वास्तविक तौर पर कब्जे में ली गई सम्पति के बारे में मदस्य महोदय द्वारा पूछे गये प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके बारे में जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमने 32 मामलों में अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : इसका मूल्य कितना होगा ?

श्री मगन भाई बारोत : इसका मूल्य लगभग 15,16,000 रुपये होगा। माननीय सदस्य मेरे साथ इस पर सहमत होंगे कि जितनी भी पर्टियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, वह चाहते थे सम्पत्ति की वास्तविक तौर पर कबजे में लेने सम्बन्धी कार्य के बारे में उन्हें स्थगन आदेश मिल जायें और यद्यपि अनेक मामलों में कार्यवाही चल रही है। न्यायालय इस बात के लिए आतुर हैं कि अधिकारियों को सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने से रोका जाए। मैं समझता हूँ कि सदस्य महोदय हमसे यह आशा नहीं करेंगे कि हम न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करें, उनका निर्णय हमें मानना होता है। अतः यही हमारी कठिनाई है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम उच्चतम न्यायालय से मामले को शीघ्र निपटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने इस सम्बन्ध में उनसे निवेदन भी किया है और हम आशा करते हैं कि हमारी सुनवाई वहां शीघ्र हो जाने से सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने सम्बन्धी हमारी अड़चने दूर हो जायेगी।

जहाँ तक सुनवाई का संबन्ध है, माननीय सदस्य ने स्वयं यह बात कही है कि सुनवाई किसी भी पार्टी का महत्वपूर्ण अधिकार है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सशोधन में ही यह प्रावधान कर दिया गया है वह यह बतायेंगे कि किन मामलों पर उनका मतभेद है और वह मामले तीसरे सदस्य को भेज दिये जायेंगे। इसकी व्यवस्था अधिनियम में ही कर दी गई है। जहाँ तक न्यायाधिकरण किस प्रकार कार्य करेंगे या

क्या उनकी कार्यवाही एक सदस्य द्वारा चलाई जाएगी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में मैं अभी सदन के समक्ष विस्तृत रूप से कुछ नहीं करना चाहता।

आशा है कि मैंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जहां तक उनके इस बहुमूल्य सुझाव का प्रश्न है कि जिस मामले में हमें सम्पत्ति मिल रही हो, वह केवल इसलिए न रह जाये कि हमने उसमें सतर्कता न बरती हो, निश्चय ही एक अच्छा सुझाव है और हम इसका ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : 'कि विधेयक पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ लोक सेवा आयोग के २८वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में श्री पी० वेंकट सुब्बैयां द्वारा 11 मार्च को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा :—

'कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के 28वें प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों पर आयोग की सलाह न मानने के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर जो 30 जनवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा था, विचार करती है।"

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य-कारण के सम्बन्ध में सामान्य रूप से इसी बात की आलोचना की गई है कि उसकी भर्ती के तरीकों तथा परीक्षाओं की पद्धति से एक वर्ग विशेष से प्रत्याशियों को ही लाभ होता है, और वह वही लोग होते हैं जो नगरीय क्षेत्र के होते हैं, जहां कि उन्हें उच्च शिक्षा को अधिक सुविधायें उपलब्ध होती है और ग्रामीण तथा पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को इस पद्धति से हानि ही होती है। सघ लोक सेवा आयोग के बारे में की गई यह आम आलोचना है और यह निराधार नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है उससे तो यह आलोचना और भी बढ़ी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तत: इन त्रुटियों को दूर करने में रूचि ली जा रही है। वास्तविकता तो यह है कि प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया गया है, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की एक बैठक, जो कि 1977 में संघ लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में हुई थी, में सिफारिश की गई थी कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों तथा साथ ही पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। मुझे यह तो मालूम नहीं है कि इस सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है क्योंकि आयोग के प्रतिवेदन से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनमें इस बात का उल्लेख नहीं कि आयोग द्वारा ली गई अनेक परीक्षाओं में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के कितने लोगों ने भाग लिया है और उनमें से कितनों की सिफारिश की गई है तथा कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति

की गई है । इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहत हूँ कि भविष्य में दिये जाने वाली प्रतिवेदनों में नगरीय तथा ग्रामीण व पिछड़े वर्गों के कितने लोगों ने भाग लिया है, इस सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध करवाये जाने चाहिये ताकि लोगों के मन में इस प्रकार की आशंका न रह जाये ।

दूसरे, मैं संघ लोक सेवा आयोग को अपनी परीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इसे अधिक विषय परक बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ । इस सम्बन्ध में विषयपरक परीक्षाओं की पद्धति आरम्भ करना निश्चय ही एक स्वागत योग्य कदम है । इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं है । परन्तु इसके साथ ही आयोग द्वारा अपने पहले के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को कुछ मंत्रालयों से मनवा पाने में सरकार की निरन्तर असफलता का उल्लेख भी करना चाहता हूँ । उदाहरणार्थ विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा काफी रचनात्मक आलोचना की गई है । आयोग ने 1976 में दो सैनिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कहा था । परन्तु फिर भी विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया । आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जो अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त है या पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता प्राप्त किये हुये हैं, उनकी सूची तक नही बनाई गई है । मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि आयोग द्वारा बार-बार स्मरण-पत्र भेजे जाने के बावजूद भी विभिन्न विभागों ने इस विशिष्ट पहलू की ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है । जब तक विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक नियमित रूप से न हो, तब तक आयोग द्वारा अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में उचित परामर्श नहीं दिया जा सकता ।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परन्तु उन्हें बहुत कम भरा जाता है । यदि वर्ष 1975 से 1977 के वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न वर्गों में आरक्षित पदों की संख्या को ले, तो यह संख्या 2109 थी···

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यह्नन भोजन पश्चात अपना वक्तव्य जारी रखियेगा । अब सभा मध्याह्नन भोजन के पश्चात् 2 बजे म. प. पुनः समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्नन भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थापित हुई ।

लोक सभा मध्याह्नन भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवित हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

संघ लोक सेवा आयोग के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव-जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडियन, आप अपना वक्तव्य जारी रखिये ।

श्री पी. के. कोडियन (अडूर) : मैं सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को दिये जाने वाले प्रतिनिधित्व का उल्लेख करते हुए, आयोग द्वारा इस दिशा में किये गये कार्यों का वर्णन कर रहा था । मैं कह रहा था कि 1973-77 के बीच विभिन्न परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए 2109 यह आरक्षित किये गये थे । मैंने इन परीक्षाओं का ब्यौरा नहीं दिया था और इनमें से केवल 1298 लोगों के नियुक्ति की सिफा-

रिश की गई जोकि लगभग 60 प्रतिशत है। जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों का सम्बन्ध है, उनकी स्थिति और भी खराब है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 1539 पदों के लिए केवल 282 प्रत्याशियों की सिफारिश की गई; जिसका तात्पर्य है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल 18 प्रतिशत पदों को भरा गया। इसके साथ ही यदि कुछ परीक्षाओं के अलग से आंकड़े लिये जाये, तो स्थिति और भी शोचनीय है। उदाहरणार्थ आशुलिपिक के 85 पदों के लिए एक भी अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी की सिफारिश नहीं की गई। जहाँ तक अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों का सम्बन्ध है, उनकी स्थिति कुछ संतोषजनक कही जा सकती है। प्रतिवेदन को देखने से मालूम होता है कि अनेक पद ऐसे हैं जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लोगों से एक भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे यह समझ नहीं आता कि देश भर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई भी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं था या फिर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इन पदों के बारे में सही ढंग से विज्ञापन देने में किसी प्रकार की गड़बड़ हुई है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें।

अनुसूचित जातियों तका अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कुछ पद, पदोन्नति वाले पद थे। यहां भी यही देखने को मिलता है कि अनुसूचित जातियों के प्रत्याशी अधिकारियों से केवल 15 प्रतिशत पद ही भरे गये हैं। जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सम्बन्ध है, मुझे प्रतिवेदन से मालूम हुआ है कि पदोन्नति चयन द्वारा केवल 7·5 प्रतिशत पदों को ही भरा गया है। इन सभी आंकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ठीक यह है कि जहाँ तक विभिन्न सरकारी सेवाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है, उसके लिए अकेले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्हें तो परीक्षाओं आदि में उनकी कार्य कुशलता तथा क्षमता के आम स्तर को आंकना होता है। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के समक्ष सदियों से चली आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, हमें लोगों के इस वर्ग की ओर कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि हमें इन जातियों के लोगों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अब संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले उन सभी उम्मीदवारों को, बिना किसी जाती धर्म और पृष्ठभूमि के भेदभाव के चाहे वे शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण इलाके के हों, समान अवसर प्रदान करने के सामान्व प्रश्न पर बात करता हूं। वास्तव में वे कुछ सुधार लाये हैं। और इसका उल्लेख करते हुये मुझे खुशी है। जहाँ तक परीक्षाओं का सम्बन्ध है ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोगों को और अधिक अवसर प्रदान करने एवं कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों को कुछ प्रश्नों के उत्तर या कहना चाहिये बहुत से प्रश्नों के उत्तर सिवाय सामान्य ज्ञान का पर्चा जिसका कि उत्तर अंग्रेजी में देना होता है,—अपनी मातृभाषा में या विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देने का विकल्प प्रदान कर उनके द्वारा यह एक कदम उठाया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दी गई रिपोर्ट और गत वर्ष 1979 में ली गई परीक्षा के कुछ आँकड़ों से पता चलता है कि भाषायी विकल्प प्रदान करने के बावजूद 86 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपनी मातृभाषा को छोड़

कर अंग्रेजी में उत्तर देना पंसन्द किया हैं। केवल कुछ ही लोगों ने अपनी मातृभाषा में लिखना पसंद किया। इससे पता चलता है कि उम्मीदवार क्या महसूस कर रहे हैं। जब उनकी मातृ-भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर देने का प्रश्न आता है तब वे यह महसूस करते हैं कि उनका ज्ञान क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देने के लिये पर्याप्त नहीं है। तथा तकनीकी या विज्ञान से सम्बन्धित विषय के प्रश्नों का उत्तर देने में उनकी अभिव्यक्ति पूर्ण या संतोषप्रद नहीं होती है। चूंकि उन्हें अपने आपको क्षेत्रीय भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध नहीं है। वे सोचते हैं—उनमें से बहुत लोग सोचते हैं—36% लोग सोचते हैं कि यद्यपि अंग्रेजी विदेशी भाषा है फिर भी उन्हें अपनी भाषाओं के बनिस्बत अंग्रेजी में अभिव्यक्त करना ज्यादा अच्छा होगा। इससे केवल यह पता चलता है कि क्षेत्रीय भाषाएं कैसे अप्रर्याप्त रूप से विकसित है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडियन, यह इसलिये है क्योंकि उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी गई है बल्कि उनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। तमिलनाडु में ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं सोचता हूं कि वे अंग्रेजी में लिखना पसद करेंगे। उन्होंने अपनी शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी में प्राप्त की हैं।

श्री पी. के. कोडियन : फिर भी कुछ उम्मीदवार कुछ क्षेत्र से जिनकी शिक्षा क्षेत्रीय-भाषाओं में हुई है उन्होंने भी अग्रेजी में उत्तर दिया है उन लोगों का प्रतिशत ज्यादा है 86%है। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने मलयालम, जो कि मेरे राज्य की भाषा है, को चुना है, मेरे विचार से उनकी कुल संख्या 78 या इसके आसपास है, उनमें से भी बहुसंख्यक लोग अंग्रेजी में लिखना पसंद करते हैं।

मैं क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाने, विकास करने और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने के पक्ष में हूं। परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास बहुत ही असतोषप्रद है। इसलिए भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय के शिक्षाविदों को जिनका सम्बन्ध शिक्षा के उच्चस्तर से है, इस पहलू पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं केवल इसी बात का उल्लेख करना चाहता था कि यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग ने नेक इरादे के साथ क्षेत्रीय भाषाओंमें लिखने का विकल्प प्रदान किया है परन्तु क्षेत्रीय भाषाओं का सही विकास न होने के कारण उम्मीदवारों ने इसका स्वागत नहीं किया है।

महोदय, इस बात का जिक्र आयोग के द्वारा उनके प्रतिवेदन बार-बार किया गया कि सरकार, आयोग के द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी प्रतिवर्ष कई तदर्थ नियुक्तियां करती रही और प्रतिवेदन को लाते समय माननीय मन्त्री के ध्यान में एक वाक्य आया जहां यह कहा गया था "इस दिशा में कुछ सुधार होने के बावजूद···" मुख्य बात यह है कि ऐसा प्रति वर्ष होता आ रहा है। कुछ सुधार होना चाहिये था। इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं परन्तु सरकार को अपना उत्तरदायित्व नहीं टालना चाहिये। वह बार-बार क्यों हो रहा है ? यह बहुत अनुचित प्रथा है और इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये।

महोदय, अंत में व्यक्तित्व परीक्षण के सम्बन्ध में एक शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं व्यक्तित्व परीक्षण का पूर्णत: विरोधी हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस व्यक्तित्व परीक्षण

का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब उम्मीदवार के वजन, ऊंचाई और शारीरिक विशेषताओं से है ? हमेशा 90% उम्मीदवार गाँवों और पिछड़े समुदायों से आते हैं और ये उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण में असफल होते हैं कारण हो सकता है कि बहुत से लोग देखने में मेरे जैसे हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : आप संसद के तेज सदस्यों में से एक हैं।

श्री पी. के. कोडियन : यहाँ सदन में एक माननीय सदस्य श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति बैठे हैं। वे यह बता रहे थे कि वे भरतीय प्रशासनीक सेवा की परीक्षा में कई बार बैठे और हर बार लिखित परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के साथ थे किन्तु साक्षात्कार में वे फेल हो गये।

एक माननीय सदस्य : परन्तु लोगों ने उन्हें चुना है।

श्री पी. के. कोडियन : महोदय, मुझे बाबू जगजीवन राम के सम्बन्ध में बताया गया कि उन्होंने स्नातक की शिक्षा के बाद नौकरी प्राप्त करने की कोशिस की, किन्तु जिन व्यक्ति ने उनका साक्षात्कार किया उन्होंने उन्हें आयोग्य ठहरा दिया। बाद में हम यह पाते हैं कि बाबूजी हमारे देश के योग्यतम प्रशासकों एव राजनीतिज्ञों में एक हुये। अत: इस व्यक्तित्व परीक्षण का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पिछड़े इलाके से उम्मीदवार लेने के उद्देश्य और उनका अपने अनुभव और पृष्ठभूमि में परीक्षण करना लाभकारी नहीं है। इसलिये यह उचित समय है कि व्यक्तित्व परीक्षण को खत्म किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट मैं ने पढ़ी। ऐसा लगा कि हर वर्ष की तरह यह एक रूटिन रिपोर्ट है जो प्रत्येक वर्ष यू. पी. एस सी सरकार को देता है। कोई ऐसी बात इस रिपोर्ट में नगर नहीं आई जिस के बारे में बराबर इस माननीय सदन में और इस सदन के बाहर एतराज किए गए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो परीक्षा ली जाती है वह हमारे देश के पूरे वातावरण का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हम इस माननीय सदन में इकट्ठे हैं और यह सदन देश के प्रत्येक भाग, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक भाषा बोलने वालों, हर जाति बिरादरी वालों और हर धर्म को मानने वालों का, बैकवर्ड इलाकों का, फारवर्डइलाकों का, सभी का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक प्रभुता सम्पन्न सदन है। लेकिन जब हम देश की सेवाओं की तरफ नजर उठाते हैं तो हम यह देखते हैं कि देश की सेवाओं पर एक ऐसे वर्ग ने अधिकार कर रखा है जिस वर्ग का पालन पोषण अंग्रेजी शासन काल में किया गया, बापू से लेकर साहब तक जिन्हें यहाँ अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल गया लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए साहब लोगों की गुलामी से अभी छुटकारा नहीं मिला। यह बड़े दुख की बात है।

आज भी हम देखते हैं कि हमारी सेवाओं में जितने लोग आते हैं उन में अधिकांश, बल्कि 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े होते हैं। उनकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के द्वारा होती है। उनका रहन सहन अंग्रेजी तरीके पर होता है। उन का उठना बैठना, खाना पीना बिलकुल अंग्रेजी तरीके पर होता है और परीक्षा का जो हमारा तरीका है जिस प्रकार से परीक्षा ली जाती है उस में केवल अंग्रेजी जानने वाले और अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए लोग ही

प्राथमिकता पा सकते हैं। मेरे ध्यान में कई ऐसे मामले आए हैं कि जो लड़का गांव के स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक फर्स्टक्लास फर्स्ट पास हुआ है, वह अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ा है, उस ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की है, लेकिन उस के मुकाबले में अंग्रेजी स्कूल का द्वितीय श्रेणी का लड़का आइ ए एस के इम्तहान में पास हो जाता है, वह प्रथम श्रेणी का लड़का आइ ए एस के इम्तहान में पास नहीं होता।

इसी के साथ साथ इस परीक्षा के तौर पर अब बहुत सारे ऐसे स्कूल कायम हो गए हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कराते हैं और अमीर घरों के लड़के, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के बड़ी संख्या में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इन स्कूलों में ट्रेनिंग लेते हैं। दो दो तीन तीन साल तक हजार-हजार और पांच पांच सौ रुपया महीना खर्च करके ट्रेनिंग लेते हैं। उसके नतीजे में इम्तहान में पास हो जाते हैं और इन नौकरी में आ जाते हैं। ऐसी सेवाएं जो हमारे देश में हैं, क्या उनसे कोई अपेक्षा कर सकता है कि वे इस देश के गाँवों में बसने वाले गरीब लोगों की तरक्की करेंगे या पिछड़े इलाकों को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे ? मैं स्वयं गाँव का रहने वाला हूं, आजतक मेरी जानकारी में नहीं आया कि मेरे गाँव की गली से कोई कलक्टर कभी भी गुजरा हो। मैंने एस०डी०एम० और कलक्टर के कैम्प गाँवों के बगीचे में देखे हैं, जहाँ पर रहकर वे ऐश करते हैं और फाइलों को डिस्पोज-आफ करते हैं। लेकिन कभी गाँवों की समस्याओं की जानकारी करने के लिए गाँव की गन्दी नालियों से कोई कलक्टर या कमिश्नर गुजरा हो ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ, कभी कोई मनिस्टर आये हों तो उनके साथ वे आ सकते हैं लेकिन वे अकेले कभी नहीं आते।

सरकार देश की उन्नति के लिए प्रोग्राम औ पालिसी बनाती है और उनको लागू करती है लेकिन यह जो अफसर हैं, हमारे देश की जो नौकरशाही है, वह बड़े ऊंचे घरों से आती है, वे अफसर बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं उन्होंने कभी गांव देखा नहीं है, खेत कभी देखे नहीं हैं, वे गरीबों की समस्याओं से वाकिफ नहीं हैं, दस्तकारों की समस्याओं से वाकिफ नहीं हैं, तो ऐसी हालत में उन गरीबों के हित में, उनके फायदे के लिए किस प्रकार से प्रोग्राम लागू कर सकते हैं ? इसीलिए हम पिछले 30 वर्षों से देख रहे हैं। जो भी नीतियाँ और प्रोग्राम बनाए गए, उनको जिस प्रकार से गरीब और पिछड़े लोगों के हित में लागू किया जाना चाहिए था उस प्रकार से उनको नहीं किया गया। यदि वह प्रोग्राम ठीक प्रकार से लागू किये गये होते तो हमारे देश की स्थिति आज कुछ दूसरी ही होती।

दूसरी बात यह है कि इन सेवाओं में गांवों का प्रतिनित्वि बहुत कम है। इन सेवाओं में 75 प्रतिशत से अधिक लोग शहरों के ही रहने वाले हैं। जो 20-25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व गाँवों का आपको नजर आयेगा वह केवल इस लिए है कि हरिजनों के लिए सीट्स सुरक्षित हैं। हरिजनों में अधिकतर लोग गाँवों के ही होते हैं। अगर हरिजनों के लिए सीट्स सुरक्षित नहीं होती तो शायद 90-95 प्रतिशत से भी अधिक शहर वाले ही इन सेवाओं में रहते। दो चार प्रतिशत लड़के गांवों गांवों के कहे भी जाते हैं, उनके पिता या दादा तो कभी गांव में रहते होंगे लेकिन उन लड़कों ने कभी गाँव में शिक्षा नहीं पाई है, उन्होंने कभी गाँव के वातावरण में आंख नहीं खोली है। वे अपने पिता या दूसरे लोगों के साथ आकर शहर में बस गए और अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाई। इसीलिए वे आई० ए० एस० में आ गए।

मेरा सुझाव है कि इस पूरी परीक्षा प्रणाली को ही बदला जाए। यदि इस वर्तमान प्रणाली को आप नहीं बदलेंगे तो इस देश की नौकरशाही के तौर-तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर वर्ष परीक्षाएं लेता रहेगा और हर वर्ष उच्च वर्ग के लोग, बैलबाटम वर्ग के लोग उन परीक्षाओं में पास होते रहेंगे। यह नौकरशाही ऐसी ही बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है, माननीय गृह मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कृपा करके उसपर विचार करें। हमारे देश की मिलिट्री में, सुरक्षा सेवाओं में जाने के लिए कुछ स्तर पर दर्जा 8 पास कुछ स्तर पर दर्जा 10 पास और कुछ स्तर पर दर्जा 12 पास लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है और फिर नेशनल डिफेंस अकादमी में, एअर फोर्स और नेवी की अकादमी में तीन, चार या पांच वर्ष तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद उनसे फौज के लिये जाते हैं। मेरा सुझाव है इसी प्रकार से इस देश की जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं--इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऐन्ड एलाइड सर्विसेज, इन्डियन पुलिस सर्विस इत्यादि—इस प्रकार की जो भी बड़ी-बड़ी सेवाएं है उनके लिए हाई स्कूल पास लड़कों को सेलेक्ट कर लिया जाये, उसके बाद उनको चार-पांच साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव अकादमी में रखकर शिक्षा दी जाए। उनके लिए एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि वे इस देश के गरीब और पिछड़े लोगों की भलाई कर सकें। गाँवों में ले जाकर उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए। उनको पिछड़े क्षेत्रों में ले जाया जाए। आप अपेक्षित क्षेत्रों में चले जाएं, इस तरह से मैं समझता हूं कि इन सेवाओं में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अंग्रेजी है, आज सारे देश में चल रही है, मैं यह नहीं कहता कि पूरे देश में हिन्दी को लाद दिया जाए, मैं इस राय का हरगिज नहीं हूं। लेकिन आज हिन्दी का विरोध केवल इस कारण से हो रहा है कि अगर हिन्दी को इन सेवाओं का माध्यम बना दिया जाएगा तो गैर-हिन्दी भाषी लोगों का प्रतिनिधित्व इन सेवाओं में कम हो जायगा। यह जड़ है जिसकी वजह से हिन्दी को अपनाने में बांधा पड़ रही है और गैर-हिन्दी-भाषी लोग इससे डर रहे हैं।

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हिन्दी और जो भी उनकी मातृभाषा है, उसको परीक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और अंग्रेजी को परीक्षा के माध्यम से बिलकुल हटा देना चाहिए जब तक अंग्रेजी को परीक्षा के माध्यम से नहीं हटाया जायगा, तब तक पिछड़े गरीब वर्ग और गांव के लोग इन सेवाओं में नहीं आ पायेंगे। अभी श्री कोडियन साहब कह रहे थे कि अंग्रेजी में उत्तर देने में ज्यादा लोग उत्सुक रहते हैं। उसकी वजह यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं का इतना विकास नहीं हो सका है कि उनके माध्यम से वे अपनी बात को कह सकें।

उपाध्यक्ष जी, मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि खासकर हिन्दी भाषी प्रदेशों के लड़के ऐसे हैं जो अपनी बात को हिन्दी में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो वे अंग्रेजी शब्द को भी हिन्दी में लिख सकते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा डर यह है कि अगर वे अंग्रेजी में उत्तर नहीं देंगे तो वे परीक्षा में पास नहीं होसकते, इसीलिए वे अंग्रेजी को आफर करते हैं, लेते हैं, ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें। यह बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने लड़के क्षेत्रीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषाओं में उत्तर देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और उन जवाब देने वालों में

कितने आइ. ए. एस. में आए हैं, अंग्रेजी आफर करने वालों का परसेंटेज क्या रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं को आफर करने वालों का परसेंटेज क्या रहा है, अगर मंत्री जी यह देखें, तो उनको मिलेगा कि मातृभाषा को जिन लोगों ने आफर किया है, जिन लोगों ने अपनी मातृभाषा या हिन्दी में उत्तर दिया है, उनका प्रतिशत बहुत ही नीचे होगा और अंग्रेजी में जिन लोगों ने उत्तर दिया है, उनका प्रतिशत बहुत ऊंचा होगा।

इसलिए यह आवश्यक है कि यह भावना उन लोगों में से मिटाई जाये कि अगर अंग्रेजी में उत्तर नहीं देंगे तो उनके सिलैक्शन के चान्सेज मारे जायेंगे या कम हो जायेंगे। अगर वह हिन्दी में उत्तर देंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, वह अंग्रेजी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस भावना से प्रेरित होकर, जैसा कि श्री कोडियन साहब ने बताया, 85-86% लोग अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए उत्सुक होते हैं. उत्तर देना चाहते हैं, तो इसके लिए यह काम जरूरी है कि या तो आप पब्लिक स्कूलों को हटा दीजिए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों को आप समाप्त कर दीजिए. ताकि जैसा हमारे देश का एक्ट कहता है कि "इक्वेलिटी और अपोर्चुनिटी" होनी चाहिए।

आप एक लड़के को देहरादून में पढ़ाइए और एक लड़के को गाँव के ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ पानी टपकता हो, जहाँ कड़कती धूप होती हो, जिसको पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता हो और देहरादून में पढ़ने वाला लड़का जिसके माता-पिता 500-1000 रु. खर्च करके पढ़ाते हैं- अवश्य ही इन दोनों में फर्क होगा। इसलिए देहरादून में पढ़ने वाला बच्चा ही आइ. ए. एस. में आएगा और गरीब का बच्चा जो टूटे-फूटे स्कूलों में पढता है, वह आई. ए, एस. में नहीं आएगा।

हालांकि उनके जीवन स्तर, उनकी जिंदगी की तुलना की जाय, तो आप देखेंगे, बल्कि आपको मानना पड़ेगा कि शायद वह लड़का ज्यादा होनहार था, ज्यादा अक्लमन्द था, ज्यादा इन्टेलिजेन्ट था, समस्याओं को समझने की उसमें ज्यादा कैपेसिटी थी, लेकिन वह आइ. ए. एस. में नहीं आ सका। हमारे देश में ऐसे-ऐसे नेता हैं, ऐसे-ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जानकारी के सम्बन्ध में जिनकी इन्टेलिजेन्स के सम्बन्ध में, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकती। अभी बाबूजी का जिक्र किया गया, कोडियन साहब ने कहा कि वह अपनी काबलियत और योग्यता के लिए कितने प्रसिद्ध हुए, लेकिन आइ. ए. एस. में नहीं आ सके और आ भी नहीं सकते थे। बाबूजी जैसे लाखों और करोड़ों लोग आज भी इस देश में हैं, जो किसी भी मामले में, योग्यता के मामले में, बूझ-बूझ के मामले में, कामन सेन्स के मामले में आइ. ए. एस. में जाने वाले अफसरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी सूझबूझ रखते हैं, लेकिन वे परीक्षा के माध्यम से नहीं आ सकते, आपकी परीक्षाओं का तरीका उन्हें मजबूर करता है कि वे इन सेवाओं में नहीं जा सकते और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा लिखा लड़का, जिसका बाप भी अफसर है, वे सारे सारे लोग इसमें जा सकते हैं।

अब मैं एक बात खास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहना चाहता हूँ। शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये नौकरियों में जो आरक्षण है, वह तीस साल से, जब से हमको आजादी मिली है, तब से चला आ रहा है। यह देखने में आया है कि पहले दस-पन्द्रह सालों तक शेडयूल्ड काट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के

गरीब लड़के, जो गाँवों की झोपड़ियों में पैदा हुए, उन्हीं में पले और पढ़े, वे इन सेवाओं में आये लेकिन अब यह देखने में आ रहा है कि शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए भी वही कायदा बनता जा रहा है जो दूसरे वर्गों में है। क्योंकि जो शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स का लड़का अफसर हो गया, कलैक्टर हो गया, बड़ा अफसर बन गया, उसके लड़के भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने लगे, उसके लड़के भी ऊंची शिक्षा पाने लगे, नतीजा यह निकला कि सीटों का जो आरक्षण है, वह उनके लिये भी है और गांवों की झोपड़ी में रहने वाले, मुहल्लों में रहने वाले, कोठरियों में रहने वालों के लिये भी है, ऐसी स्थिति में इस शेडयूल्ड कास्ट्स के अफसरों के लड़कों को मौका मिलने लगा, क्योंकि वे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ कर आते हैं और जो गाँव के हरिजन का लड़का है, उसको अवसर नहीं मिलता, वह पीछे की ओर जाने लगा है।

इसको दूर करने के लिए में गृह मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि आप कोई ऐसा नियम बनायें, कोई ऐसा कानून बनायें, यदि आवश्यकता हो तो संविधान में भी संशोधन करें कि जो हरिजन एक बार आइ. ए. एस. हो गया या उसके बराबर की कोई नौकरी पा गया या आप आमदनी का कोई क्राइटेरिया रखिये, कि उसके बाद उसके लड़के को उस आरक्षण स वंचित कर दिया जायगा, उसके लिये रिजर्वेशन नहीं रहगा, तब जा कर दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। आज हमारे देश में नौकरियों के मामले में दो वल सें बन गई हैं-एक क्लास अफसरों की है, जो मुश्किल से 10-5 प्रतिशत लोग हैं ओर दूसरी क्लास बाबू लोगों की बन गई है। हमारा लड़का एम. ए. पास करके बाबू बन सकता है और कलैक्टर का लड़का एम. ए. पास करके कलैक्टर हो सकता है—यह कहाँ का न्याय है, जबकि हमारे लड़के को पढ़ने की वह सुविधा प्राप्त नहीं है, जो कलैक्टर के लड़के को प्राप्त है ? जब तक इस बात को नहीं बदला जायेगा, जब तक इस तरीके को नहीं खत्म किया जायगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इसी प्रकार की रिपोर्ट हर वर्ष पेश होती रहेंगी।

मैं बड़े दबे हुए शब्दों में कहना चाहता हूँ-चाहे कोई सरकार हो, चाहे उसका कोई चुनाव घोषणा-पत्र हो, इस देश के गरीब और पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ करने की चाहे उसकी कितनी अच्छी नियत हो, लेकिन जब तक अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले नौकरशाहों की मनोवृत्ति को, जो अपने को जनता का सेवक नहीं, बल्कि शासक समझते हैं, बदला नहीं जायगा, तब तक आप की कोई भी नीति हो, वह कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, मैं न केवल मंत्री महोदय, बल्कि इस सदन के सभी माननी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अहम सवाल है।

यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मामला है हमारे देश के भविष्य के लिए, आने वाली जो हमारी नसलें हैं, उनके लिए। इसलिए मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि वे इस मामले को इम्पोर्टेन्ट समझ कर और इसकी अहमियत को समझ कर इस पर विचार करें। धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर जो बहस चल रही है वह बहुत ही गम्भीर बहस है।

मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रतिवेदन को देखा जाए, तो इस प्रतिवेदन में चार बातें मुख्य हैं। पहली परीक्षा है पद्धति, दूसरी है नियुक्त की पद्धति, तीसरी है बेरोजगारी और चौथी है विदेशी सेवा और इन को एक एक कर के लें, तो मैं समझता हूँ कि जितने अभी माननीय सदस्य

बोल चुके हैं और इस से पहले सेशन में जिन माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की थी इस रिपोर्ट पर या इससे पहले रिपोर्टों पर जो राय व्यक्त की जा चुकी है, मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम माननीय सदस्यों की भावना एक ही है और शुरु से एक ही भावना रही है। अब सरकार की क्या कठिनाई हैं, सरकार क्यों इस को लागू करने में सक्षम नहीं है, इस को सरकार बताएगी लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे इस तरफ़ के लोगो हों और चाहे उस तरफ़ के लोग हों, ईमानदारी पूर्वक सब लोगों ने इस बात को कबूल किया है कि आज की जो परीक्षा पद्धति है, वह ठीक नहीं है। आज की परीक्षा पद्धति के तहत हिन्दुस्तान का जो 85 फ़ीसदी भाग है, जो हिन्दुस्तान का ग्रामीण इलाका है, जो उस विद्यालय का पढ़ा हुआ लड़का है, जिस विद्यालय में न तो झोंपड़ी है, न तो शिक्षक मौजूद रहता है, न तो बैंच है और न चटाई तक मौजूद है, वह शहरों के विद्यालयों में पढ़े हुए लड़कों से प्रतियोगिता में कम्पीट नहीं कर सकता है। गांव के विद्यालय में पढ़ा हुआ लड़का जब विद्यालय से पढ़ कर घर जाता है और अपनी मां से कहता है कि माँ मुझे रोटी दो मैं भूखा हूँ, तो माँ उस से कहती है कि तू जा कर बाबू साहब की भैंस चरा, गाया चरा और वहां से तुझे खाना मिलेगा। एक तो वह लड़का है जो वहाँ से पढ़ कर निकलता है और दूसरी तरफ़ वह विद्यालय है, जहां के लड़के को हम शुरु से ही देखते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक अरबी घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है और एक गांव का घोड़ा है। उस तरह की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जब दोनों घोड़े निकलते हैं, देहात का मरा हुआ घोड़ा और एक अरबी घोड़ा, जब दोनों बाहर निकलते हैं, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कौन आगे जाएगा। चाहे आई० ए० एस का एग्जामिनेशन हो और चाहे स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो, जब हम दोनों विद्यालयों में पढ़े हुए लड़कों को एक समान परीक्षा में, प्रतियोगिता में बैठने को कहते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि जो देहात के स्कूल का लड़का है, वह मास्टर बनेगा, ग्राम सेवक बनेगा, चपरासी बनेगा और ज्यादा से ज्यादा एक कलर्क बन पाएगा और जो बड़े स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए लड़के निकलते हैं वे जा कर आई० ए० एस और आई० एफ ०एस० बनते हैं या एकोनामिक सर्विस में जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। ऐसे आप को बहुत से उदाहरण सभी प्रान्तों में मिल जाएगें जहाँ एक ही परिवार के आठ, आठ सदस्य आई० ए० एस० हैं। पिता आई० ए० एस०, बेटा आई ए० एस० पोता आई० ए० एस० और बीबी आई० ए० एस, जेनरेशन की जेनरेशन आई० ए० एस० है जैसे उस खानदान में आई० ए० एस० का खजाना हो और दूसरी तरफ आप को ऐसे परिवार भी मिलेगें, जहां एक ही परिवार में पाँच, पाँच ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनमें से एक को भी चपरासी की नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए जो अग्रेजीनुमा हैं, वे अफ़सर बन जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यदि कोई भी सरकार कारगार कदम उठा चाहती है तो उस को पब्लिक स्कूलों को समाप्त करना चाहिए पब्लिक स्कूलों की जब बात कही जाती है, तो यह कहा जाता है कि संविधान में ऐसा प्रावधान है, हम संविधान को कैसे समाप्त कर सकते हैं क्यों कि उस में राइट आफ़ ओपनिंग पब्लिक स्कूल है। जब तक पब्लिक स्कूलों की समाप्ति नहीं करेगें, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक नारा दिया जाता है कि शिक्षा का जहाँ तक

सम्बन्ध है, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे चपरासी की संतान, ब्रह्मण या भंगी का बेटा हो सब की शिक्षा एक समान। यह नारा दिया जाता है। शिक्षा के मामले में चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे ब्रह्मण का बेटा हो चाहे हरिजन का बेटा हो, जब तक सब के लिए एक समान शिक्षा लागू नहीं होंगी, एक तरह के विद्यालय नहीं होगें, एक तरह की एजूकेशन नहीं होगी, तब तक किसी के मेरिट को हम ठीक तरह से ऐसेस नहीं कर सकते हैं :

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह भी है कि भारतीय भाषाओं को उपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट में मैंने बहुत खोजा। हो सकता है कि हमारी नजर से कहीं छिप गया हो. लेकिन उसमें कहीं भी हम को यह नहीं मिला है कि भारतीय भाषाओं में जिन लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें कितने परसेन्ट ऐसे उम्मीदार हैं, जो सफल हो पाए हैं। कुछ सलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके नाम उसमें हैं और 500 से ज्यादा बड़े पदों पर आने वाले लड़के उन्हीं यूनिवर्सिटीज की प्रोडक्ट हैं जो लड़के आई० ए० एस, इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आता है, वे उन्हीं यूनिवर्सिटीज के हैं, तब आप ने क्यों इतने सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोल रखे हैं ? पूरे हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को आप ताला लगवा दीजिए। देश में ऐसे भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जहाँ से एक भी लड़का नहीं आ रहा है। कोई कोई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ से सेन्ट परसेट लड़के आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है ? इसके पीछे अंग्रेजी कारण है। यह मान कर चला जाता है कि यदि कोई अंग्रेजी जानने वाला तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं कहता हूँ कि अंग्रेजो कोई कराइटेरिया नहीं।

हमारे देश में जिसने ताजमहल बनाया और वर्ल्ड को एक आश्चर्यजनक चीज दी, क्या वह अंग्रेजी जानता था ? हमारे देश में अकबर सबसे अच्छा बादशाह साबित हुआ है। उसने ग्रांड ट्रंक रोड के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे। कुए खुदवाए थे। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी ? वह मिडिल पास भी नहीं था। इसलिए यह कहना कि अंग्रेजो जो जनता है वह बहुत बड़ा विद्वान है बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजी जानने वाला सब से मूर्ख होता है। वह केवल अंग्रेजी बोल कर दूसरे लोगों को खुश कर देगा अगर वह मिनिस्टर बन जाएगा तो बीबी के लिए अच्छे कपड़े ले आएगा, बच्चों के लिए अच्छे खिलौने खरीद देगा। इसलिए मैं कहता कि अंग्रेजी कोई क्राइटेरिया नहीं है।

तीसरी चीज है परीक्षा केन्द्र की। सारे एग्जामिनेशन सेन्टर्स केपिटल टाउस में खोले जाते हैं। मैं आपको बतलाता हूं कि जब मैं लास्ट टाइम में एम. पी. था तो आन्ध्र प्रदेश का एक लड़का जी. डी. अम्बेदकर मेरे पास आया। वह एग्जामिनेशन फीस भी बड़ी मुश्किल से दे सका था। तब भी जबकि शेड्यूल्श कास्ट्स के लिए कंसेशन है। वह यहां आकर पैसे के अभाव में एग्जामिनेशन देने नही जा रहा था। लेकिन उसे हमने पैसा दिया और उसने एग्जामिनेशन दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह एग्जामिनेशन में कम्पीट करके पास हुआ और आज मसूरी में ट्रेनिंग ले रहा है। हम लोग तो यह महसूस नहीं करते हैं कि दस रुपये का क्या महत्व है लेकिन गांव में पांच रुपये के लिए हरिजनों के घर गिरवी रखे हैं, खेत गिरवी रखे हैं। जो लड़का मैट्रिक, बी० ए० या आई० ए० एस० पास करता है और पैसा कमाने के लिये नौकरी खोजता है तो आपने सभी सर्विसज के लिये पोस्टल आर्डर रख दिये हैं।

आप फिर सभी को कहते हैं कि हेड क्वार्टर में परीक्षा देने के लिये जाइये। मैं आप से कहता हूँ कि परीक्षा केन्द्र निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और सब-डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होने चाहिए।

मौखिक परीक्षा की बात और लोगों ने भी कही, मैं भी आपको कहता हूं कि इसकी कोई जरुरत है नहीं है। जब आप एक बार रिटेन परीक्षा ले लेते हैं तो फिर यह परसनेलिटी टेस्ट क्यों होता है ? इसका क्या मतलब रह जाता है ? आपने पहले ही कह दिया कि लड़का 5 फुट 4 इन्च हो और उसकी कम से कम क्वालिफिकेशन बी०ए० हो। उसकी सारी योग्यताएं आप पहले ही देख लेते हैं तो फिर परसनेलिटी टेस्ट क्यों रखा जाता है ? इसका साफ मतलब यह है कि यह पैरवीं का परीक्षा है। परसनेलिटी टेस्ट में पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने आई० ए० एस० हैं आप कलेक्टर है या चपरासी है। यह सब पूछकर लड़के को मार्क्स दिए जाते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जब आप चाहते हैं कि सब जगह पर परिवर्तन आये, क्रांतकारी काम हों तो आपको कहीं तो जोखिम उठाकर कदम उठाना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस मौखिक परीक्षा को निश्चित रूप से खत्म करवा दें। इसका कोई महत्व नहीं है।

अब सीधे नियुक्ति का प्रश्न भी हमारे सामने है। आज तक हमारे दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह सीधे नियुक्ति क्या है ? जब मैं पिछली बार एम० पी० था और श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी सूचना और प्रसारण मन्त्री थे तो मैंने इसी हाउस में कहा था कि आपके डी. वी. डिपार्टमेंट में एक पोस्ट निकली है जो कि शेड्युल्ड कास्ट ट्राइब के लिए रिजर्व है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा और कहा है कि आपने उस पोस्ट के लिए बी० ए० क्वालिफिकेशन रखी है जबकि एक उम्मीदवार एम. ए. बी. एल. हैं उनको आपने नहीं रखा और आप यह कहते हैं कि कोई उम्मीदवार अपीयर नहीं हुआ। मन्त्री जी ने हमें यह भी बताया कि होम मिनिस्ट्री के सरकुलर के मुताबिक रिजर्वड पोस्ट्स तीन साल तक केरी फारवर्ड होती है और अगर तब भी उम्मीदवार अवेलेबल नहीं होता तो पोस्ट इनटरचेंज होती है, एक दूसरे से चेंज की जाती है। इसी सदन में मैंने एक मामला उठाया था। तीन साल में नहीं बल्कि एक साल में ही एड हाक एप्वाइन्टमेंट कर ली गई थी और जिस उम्मीदवार के सम्बद्ध में मैंने उस समय प्रधान मन्त्री और सूचना और प्रसारण मन्त्री को लिखा था उसको नहीं लिया गया था। जिस उम्मीदवार के बारे में मैंने लिखा था वह एम.ए.बी.एल. था उसको दस साल का टी. वी. और सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का ज्ञान था लेकिन उसको न रख करके जिस उम्मीदवार की भरती की गई वह केवल बी. ए. पास था और उसको तीन ही साल का अनुभव था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यह जो डायरेक्ट और एड हाक नियुक्ति को जाती है उसमें सीधे सचिव या जिस अफसर को नियुक्ति का अधिकार होता है। वह जिस उम्मीदवार के वास्ते मन बना कर रखता है उसकी ही नियुक्ति कर लेता है। वह अपने मन के लायक आदमी रख लेता है। मैं चाहतां हूं कि आप बतायें कि इस तरह से जिसकी सीधे और एड हाक तरीके से नियुक्ति हुई है क्या उसको कभी बरखास्त भी किया गया है और अगर किया गया है तो कितनों को किया गया है। एक हरिजन या एक आदवासी सीट के लिए पचास पचास उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं लेकिन कह दिया जाता है कि कोई सूटेबुल नहीं है और

उनके स्थानों पर एड हाक दूसरों की नियुक्ति कर ली जाती है। आप मुझे कोई भी रिपोर्ट निकाल कर बता दें कि जिस आदमी को आपने एड हाक तरीके से एप्वाइन्ट किया है, जिसके लिए आपने क्राइटीरिया नहीं रखा, कोई तजुर्वा नहीं रखा, कुछ नहीं रखा और सीधे अफसर के मन पर छोड़ दिया, वह चाहे जिसको बहाल करें, कभी क्या उस आदमी को हटाया गया है ?

मैं चाहता हूं कि नीति और नीयत को आप देखें। रिपोर्ट में कहीं भी लिखा नहीं रहता है, इन्जीनियरिंग या कुछ इस तरह से दूसरे अपवादों को छोड़ करके, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइबज के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी उनको पोस्ट्स मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती है, उतनी पोस्ट्स पर उनकी नियुक्ति नही होती है। यह कह दिया जाता है कि वे योग्य नहीं पाये गये। एक लाइन लिखी रहती है, रेलवे सर्विस कमिशन के विज्ञापन को आप देखें या किसी भी सर्विस कमिशन विज्ञापन को आप देखें कि

"अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नही हुये तो उनका स्थान सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को दिया जायेगा।"

इसको ले करके योग्य से योग्य उम्मीदवार हो उसका भी गला घोंट दिया जाता है। इस वास्ते मेरा कहना है कि एड हाक एप्वाइंटमेंटस का जो तरीका है इसको आप खत्म करें सीधे आप कमिशन के द्वारा ही नियुक्तियाँ करगाए।

यह जो रिपोर्ट है इसमें आपने कहा है :

प्राविधिक तथा व्यवसायिक योग्यताओं की अपेक्षा रखने वाली परीक्षाओं, जैसे इंजीनियरी सेवा परीक्षा, स्टेनोग्राफर परीक्षा तथा भू विज्ञानियों की परीक्षा के लिये अनसूजित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके लिये कुछ दे कर निर्धारित स्तर के अनुसार भी पर्याप्त संख्या में नहीं मिल सके।

क्या 31 साल की आजादी के बाद भी आपको इस देश में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं ? जिस समय अंग्रेज आया था तो क्या उसने किसी से पूछा था कि तुम को अंग्रेजी चाहिए या जितने बादशाह आए, क्या किसी ने पूछा कि तुमको फलाँ फलाँ भाषा चाहिए ? यह तो हम लोग ही है जो तीस साल के बाद भी पूछते हैं कि तुम को हिन्दी चाहिए या नहीं, तेलगू, तमिल आदि चाहिये या नहीं। दो सौ वर्ष की गुलामी ने हमारी मानसिकता को इतना जर्जर कर दिया हैं कि हम अपने को गौरवान्वित ही अनुभव नहीं करते हैं और तीस साल के बाद भी कहते हैं—भारत सरकार को भी कहने में शर्म नहीं आती, रिपोर्ट पेश करने में शर्म महसूस नहीं होती—कि इन जातियों के योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। यह नीयत में कमी की चीज परिचायक है। मेरा सरकार पर सीधा चार्ज है, आरोप है—चाहे इस पक्ष कीसरकार रही हो या उस पक्ष की हो—कि हरिजनों ओर आदिवासियों के मामले में वह कभी सीरियस नहीं रही है। मैं समझता हूं कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए पांच साल का समय काफी होता है। आप स्कूलों और कालेजों में चले जाएं। वहाँ आपको साइंस के विद्यार्थी हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में विद्याध्ययन करते हुए मिल जाएंगे।

हरिजन आदिवासी मिल जाएंगे उनको चुन कर आप उनके नाम नोट करें और उनको प्राइम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में, एटमिक एनर्जी कमिशन में, ऊर्जा मंत्रालय में, इंजीनियरिंग विभाग में या जिस किसी विभाग के लिए आपको आवश्यकता हो अभी से एक सैल बना करके आप उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें और चार-पाच साल में ट्रेन हो जाने के बाद आप उनको नियुक्त कर सकते हैं। इस तरह से लाखों की तादाद में आपके पास ये लोग अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो नीयत का अभाव है। जो होशियार चोर होता है वह जब चोरी करने जाता है तो जेब में रोटी का टुकड़ा रख लेता है और जहाँ उसको चोरी करनी होती है वहाँ वह उस टुकड़े को कुत्ते के आगे फेंक देता है और वह चोरी करने में मस्त हो जाता है और कुत्ता रोटी खाने में। सवेरे से शाम तक अखबारों में, रेडियो में सभी जगहों पर हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, हरिजनों आदिवासी, मुसलमान नाम से सुनाई देते हैं। नियत का बिल्कुल अभाव है और रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी। मैं कहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए 5 साल का पीरियड काफी होता है जिसमें वह किसी भी विभाग में उसकी नियुक्ति कर सकती है। सरकार को प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक सैल खोलना चाहिए जिसमें स्कूल और कालेज से निकले हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह तैयार हो सकें। उस विभाग की यह जिम्मेदारी रहेगी कि उस विभाग में जब भी आवश्यकता होगी वह ट्रेन्ड शिड्यूल्ड कास्ट को भर्ती करायेगा।

बेकारी की समस्या को कैसे सौल्व कर सकते हैं। आपके आँकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख लोग रोजगार के दफ्तर में अपना नाम दर्ज कराये हुए हैं। लेकिन देहात में कितने परसैंट लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल में 2 परसैंट भी नहीं हैं जो रोजगार के कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराते हैं। क्योंकि वह उसकी उपयोगिता को समझते ही नहीं हैं। वह जानते हैं कि रोजगार के दफ्तर में एक हफ्ते, में 5 रुपये खर्च करके नाम दर्ज करायेंगे और दो साल के बाद भी न तो उनको कोई चिट्ठी आयेगी और न कोई रोजगार मिलेगा। अगर कुछ रोजगार मिल भी जायेगा तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए वह लोग नाम ही दर्ज नहीं करवाते हैं। आज 3 करोड़ के लगभग नौजवान बेरोजगार हैं। जब इतने लोग बेरोजगार हों तो आप कैसे उनको रोजगार दे पायेंगे ? सरकार के पास यह भी हथियार नहीं है कि वह इस बारे में ऐसा कर सके। कि राइट टू जाब दे दिया जायेगा। हम शुरू से यह यह माँग करते आ रहे हैं। कि जो नौजवान लड़का आये जो इस देश में पैदा हुआ है, उसे राइट टू जाब दीजिये। उसका क्या कसूर है कि आप उसे राइट टू जाब नहीं देते हैं, लेकिन वह नहीं दे सकते हैं। हम मांग करते हैं कि अन-एम्पलायमेंट अलाउंस दीजिए, लेकिन वह भी नहीं दे सकते हैं। हम कहते हैं कि 25 साल तक लड़का जवान रहता है, 26 साल का होने पर नौकरी में नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि यह उम्र का सिलसिला खत्म कर दीजिए अगर 50 साल के को भी नौकरी मिलती है, तो उसको लिया जाना चाहिए। जब आप 25 साल तक नौकरी दे ही नहीं सकते हैं तो उसका क्या कसूर है। 50 साल में भर्ती होकर वह 5 साल ही काम कर लेगा। लेकिन वह भी नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना है कि जब कुछ नहीं कह सकता तो वह लड़का क्या करेगा, वह गलत मार्ग पर चलेगा, हिंसा की तरफ भागेगा, कोई दूसरा काम करेगा। इसलिये रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। मैं सरकार से कहूंगा कि आप सर्वेक्षण करवाइये। हमारे साथी ने ठीक ही कहा कुछ हरिजन आदिवासी परिवार डैवलप कर रहे हैं। मैं कहता हूं

कि आप सारे हिन्दुस्तान में जितने परिवार हैं, सबका सर्वेक्षण कराइए और प्राथमिकता नौकरी में उसको दीजिए जिस परिवार का एक भी आदमी चपड़ासी की नौकरी में भी नहीं है। इस तरह से प्राथमिकता दीजिए और हर परिवार के कम से कम एक आदमी को एम्पलायमेंट दीजिए। इसमें सबसे लास्ट में आई. ए. एस. के परिवार को रखिए। आप इस तरह से देखेंगे कि 5 साल के अन्दर ऐसा कोई परिवार नहीं होगा हिन्दुस्तान में जिस परिवार के किसी एक आदमी को भी हम नौकरी न दे सकें। अगर आप नौकरी नहीं दे पाते हैं तो उसको रोजगार दीजिए, रोजगार नहीं दे पाते हैं। तो लघु उद्योग दीजिये। अगर यह तीन बातें आप करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि सरकार कुछ कंकरीट काम कर रही है।

आज पूरा पूर्वांचल जल रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है। अगर विदेशी का मामला सौल्व हो जाएगा तो कल क्या वहाँ आर्थिक क्रांति नहीं चल सकती है ? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वगैरा जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ के नौजवान जब-जब कोई सरकार बनती है तो उसकी ओर जिज्ञासा से देखते हैं कि यह सरकार कुछ करेगी, कहीं से कोई रोड़ा-पत्थर उठाकर रख देगी और बेरोजगारी की समस्या का हल करेगी। लेकिन 2,4,5 साल के बाद जब फ्रस्टेशन आएगा, वहाँ निराश की स्थिति आएगी, विस्फोटक स्थिति बनेगी तब आप देखेंगे कि किस तरह से पूर्वांचल आपके हाथ से जा रहा है। इसी प्रकार मुझे आशंका है कि कुछ दिन बाद यह हिन्दुस्तान जो कि आर्यावर्त कहलाता है, इन्डिया डैट इज भारत, हमको लगता है कि पूर्वांचल खतरे में है, उसको बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या ले डूबेगी। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

मैं आफिशल लैंग्वेज कमेटी का मैम्बर हूं। प्रत्येक डिपार्टमेंट में 90 परसैंट या 99 परसैंट हिन्दी जानने वाले लोग हैं, लेकिन सारे का सारा काम अंग्रेजी में चलता है। हमारे यहां डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड पर सी. पी. डबल्यू. डी. का फोर्थ ग्रेड का एक लेबर आया। उसने कहा कि इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए, जिसपर लिखा था "रिसीव्ड टू सोफाज," जबकि सोफा एक था। हमने कहा कि इस कागज पर दो साफे लिखा है। उसने कहा कि इस पर दस्तखत कर दीजिए, वर्ना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उससे कहा कि क्या एक सोफा घर से लाकर दोगे, हिन्दी में क्यों नहीं लिखते हैं। उसने जवाब दिया कि यहाँ तो अंग्रेजी ही चलती है। फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी से जबरन अंग्रेजी में लिख कर दस्तखत कराने के लिए कहा जाता है।

जहाँ तक विदेश सेवा का सम्बन्ध है, लोगों को सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बाद सीधे सेवा में भेज दिया जाता है। जिस व्यक्ति को भारत की जानकारी नहीं है, जिसको पता नहीं है कि भारत में सासाराम कहां है, चम्पारन कहां है, यू० पी० या तामिलनाडू कहाँ है, वह विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां (एटा) : क्या विदेशों में यह पूछा जायेगा ?

श्री राम विलास पासवान : जब विदेश में हमारा एम्बैसेडर खड़ा होता है, तो समझा जाता है कि भारत खड़ा है। हम लोग यहाँ पर अपनी-अपनी कॉंस्टीट्युएन्सी के लिए खड़े होते हैं। लेकिन विदेश में हमारा राजदूत सारे भारत के लिए खड़ा होता है। लेकिन उसको भारत के किसी भाग की कोई जानकारी नहीं होती है। वह तो सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता

है—वह यह भी जानता है कि अंग्रेजी में बाप को पापा और मां को मम्मी कहा जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को सदा विदेश सेवा में ही न रहने दिया जाए, बल्कि उन्हें देश की अन्य सेवाओं में भी लगाया जाए, ताकि उन्हें अपने देश और विदेशों की जानकारी प्राप्त हो सके। तभी वे विदेशों में हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

सरकार पूरे हिन्दुस्तान में उद्योगों का जाल बिछाना चाहती है, लेकिन इस काम के लिए को कैडर नहीं है। सरकार के पास हर मर्ज की एक ही दवा है—यूनिवर्सिटी हो या कोई अन्य पोस्ट हो, सब जगह आई. ए. एस. के लोगों को लगा दिया जाता है। इसलिये सरकार एक इंडियन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सर्विस शुरू करे। उसके अंतर्गत सब प्रकार के उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाये। ऐसा कैडर बनाने से देश भर में उद्योगों का विस्तार होगा, अनएम्पलायमेंट को दूर करने और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब प्रकार रिपोर्ट प्रति वर्ष आती रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी रिपोर्ट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आती है। इसका कारण यह भी है कि सरकार ने यह अधिकार भी नहीं दिया है। अगर सरकार की नीति सौ फीसदी अच्छी हो, लेकिन उसका कार्यान्वयन करने की शक्ति दो परसैंट भी न हो तो उससे अच्छा यह है कि भले ही नीति पचास फीसदी अच्छी हो, लेकिन उसको लागू करवाया जाए।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि यह सदन हिन्दुस्तान की सर्वोच्च सस्था है, उसके माननीय सदस्यों की राय को दृष्टि में रखते हुए वह कारगर कदम उठायें और देखें कि सही कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं।

*** श्री ईस मोहन (कोयम्बूटूर)** : अध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के 28वें प्रतिवेदन पर अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं कुछ शब्द बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे आशा है कि यह महान सदन और यहां पर उपस्थित माननीय सदस्य आज से 75 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में हमारे श्री थनथाई पेरियार द्वारा प्रारम्भ किये गये और श्री अन्ना द्वारा सराहनिय रूप में सराहे गये पथ दर्शक आत्म-सम्मान आन्दोलन के बारे में जानते होंगे, जिसमें समाज के निम्नतम वर्गों से आने वाले लोगों के उद्धार हेतु, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये और समाज के उन उपेक्षित वर्गों के मुख्य मानवाधिकारों को दिलाने के लिये जोरदार सिफारिश की गई थी। जसटिस पार्टी ने जिसके नाम से ही इस आन्दोलन का स्वीकृत लक्ष्य लक्षित होता है अर्थात इसे तमिलनाडु में दलित लोगों के लिये समान अवसर और ईमानदारी लाने के लिए खड़ा किया गया था और यह शासक दल बन गया। उस समय ये जो जन संख्या के कुल 3% लोग थे, उन्होंने रोजगार के अवसर और शैक्षिक सुविधाएं अपने लिए ही 100% की 100% कर रखी थी। इस अन्याय को कम करने के लिए तमिलनाडु की तत्कालीन सत्ताधारी जसटिस पार्टी ने सामुदायिक सरकारी आदेश (जी. ओ.) उद्घोषित किया जो बाद में सामाजिक समानता के लिए आधार बन गया, जिससे पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार के और शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित हो गये।

*तमिल में दिये गये भाषण को अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम इस बात का इच्छुक है कि इस समुदायिक सरकारी आदेश (जी.ओ.) को देश के अन्य तमाम राज्यों में लागू किया जाये, जिससे पिछड़े-वर्गों जैसे समाज के उपेक्षित वर्गों को रोजगार और शैक्षिक अवसरों में अपना अधिकारपूर्ण अंश प्राप्त हो सके। स्वान्त्रयोत्तर जब इस सरकारी आदेश (जी.ओ.) को असंवैधानिक घोषित करना चाहा तो, तमिलनाडु के लोगों ने इसके विरोध का झंडा बुलन्द किया। इस शती के महानतम लोकतन्त्रवादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तमिलनाडु की जनता की उचित भावनाओं की कद्र करते हुए संविधान में संशोधन किया और दलितों के उद्धार के लिए इस जी.ओ./सरकारी आदेश को वैधानिक समर्थन प्रदान किया। हम मानव कल्याण के इस प्रकाश-स्तम्भ के आभारी है। आज उनकी सुपुत्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी देश की कर्णधार हैं। देश की सभी पिछड़ी जातियों को संघलोक सेवा आयोग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदों में, नौकरियों में चयन के समान अवसर मिलने चाहिये। मैं मांग करता हूँ कि उन नौकरियों के लिये उन्हें आरक्षण मिलना चाहिये जिनका चयन सं०लो० से० आ० करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य भाषाओं—असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मिरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू और उर्दू का उल्लेख करना चाहता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग इन सभी राजभाषाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर देने की प्रत्याशियों को अनुमति देता है। परन्तु, प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही तैयार किए जाते हैं। क्या यह उचित है, मैं जानना चाहता हूं। संविधान में दी गई इन अन्य राजभाषाओं में भी प्रश्न-पत्र तैयार करने में संघ लोक सेवा आयोग के लिए कोई गम्भीर समस्या नहीं उठनी चाहिये जो अंग्रेजी और हिन्दी में तो प्रश्न-पत्र तैयार करता ही है। इस बारे में यह बहाना बनाया जा रहा है कि यदि इन सभी राजभाषाओं में प्रश्न-पत्रों को तैयार किये जाने लगे तो उनका पहले से ही पता लग जाने की सम्भावना है। मुझे यह कहते हुए तनिक भी झिझक नहीं हैं कि यह एक निराधार भय हैं और इस तर्क में कोइ जान नहीं है, क्योंकि इन तमाम वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग अंग्रेजी और हिन्दी में प्रश्न-पत्र तैयार करता आया है और अब तक प्रश्न-पत्र कभी भी पहले से पता नहीं चले तो इन सभी 15 राजभाषाओं में भी प्रश्न-पत्र तैयार करने से किसी प्रकार का प्रकटन नहीं होगा।

महोदय, संघ लोक सेवा आयोग आवेदन पत्रों के साथ 50 रुपये और 100 रुपये का शुल्क भी लेता है। मैं समझता हूं कि ये शुल्क बहुत ज्यादा है और गरीब प्रत्याशी की पहुँच से बाहर है। यदि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को देशभर में सर्वव्यापक बनना है तो यह आवश्यक है, कि शुल्क को पर्याप्तरूप में कम किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो नौकरियों के लिए उम्मीदवार के लिए चुने जाते हैं, उनको वास्तविक नियुक्ति आदेश मिलने से पूर्व कई मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन उम्मीदवारों पर आश्रित परिवारों को नौकरी मिलने तक और भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने तक मासिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। इस प्रकार जो कुल खर्चा होगा उससे सरकार पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह चयन दिनांक से नियुक्ति दिनांक तक थोड़े समय के लिए ही होगा।

महोदय मैं एक और महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख भी करता हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का साक्षात्कार नई दिल्ली में होता है। जबकि भारतीय पुलिस सेवा का साक्षात्कार राज्यों की राजधानियों में होता है, उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु के लिए यह मद्रास में होते हैं, मुझे विस्मय होता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये साक्षात्कार राज्यों की राजधानियों में क्यों नहीं हो सकते। गरीब उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान से चल कर यहाँ इतनी दूर पहुँचने में और यहां ठहरने में कठिनाई होती है। वे इतने भारी खर्च को वहन नहीं कर सकते। मेरे जैसे जो गरीब उम्मीदवार हैं वे दिल्ली में रहने के भारी खर्चे से अवगत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमन मोहन जी, क्या आप चलते फिरते साक्षात्कार चाहते हैं ?

श्री ईरा मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार भी राज्यों की राजधानियों में होने चाहिये, जैसा कि भारतीय पुलिस सेवा में किया जाता है ? इससे उम्मीदवारों का वित्तीय-बोझ पर्याप्त रूप में कम हो जायेगा।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मामले का जिक्र करना चाहता हूँ। प्रशिक्षण के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को उनके सम्बन्धित राज्य संवर्गों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। जबकि उनके वेतन और भत्ते तो राज्य सरकारों को देने पड़ते हैं परन्तु भ्रष्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को वे दण्डित नहीं कर सकते। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत है। परिणाम स्वरूप ऐसे भ्रष्ट भा० प्र० से० या भा० पु० से० के अधिकारियों की मनमानियां, के सामने राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। दक्ष प्रशासन निश्चित करने के लिए, गम्भीर भूलें या गलतियां करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होनी चाहिये।

मुझे बोलने के लिये कुछ समय देने के लिये मैं आपका आभारी हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री पी. ए. संगमा (तुरा) : कोठारी आयोग की सिफारिश पर, संघ लोक सेवा आयोग ने एक वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया था कि संविधान की आठवीं अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली क्षेत्रीय भाषा का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र होना चाहिये। मैंने दोनों ओर के मित्रों की बातें सुनी है जो बड़े जोश-खरोश से कह रहे हैं कि अंग्रेजी को हटाया जाना चाहिये और क्षेत्रीय भषाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा हिन्दी को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जहां तक हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात है, उस पर मैं कतई आपत्ती नहीं करता, परन्तु देश के कई भागों में एक समस्या है, विशेषकर मेरे क्षेत्र में अर्थात उत्तरी क्षेत्र में। हमारे देश में सहस्रों भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। स्वयं मेरी गारो जनजाति में भी, सात भाषाएँ उपयोग में लाई जाती है। यदि आप नागालैण्ड की बात करें तो नागाओं की 17 भाषाएँ है और यदि आप अरुणाचल की बात करें तो उसकी भी 17 जनजातियाँ और 17 भाषाएँ हैं। यदि आप संविधान की आठवीं अनुसूचि को देखें तो आप पायेंगे कि केवल 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है। देश के उन भागों के लोग जिनकी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची के अन्तर्गत मान्यता नहीं मिली है यदि वे आठवीं

अनुसूची में सम्मिलित की गई भाषाओं में से किसी को शिक्षा का माध्यम न बनाएं तो आप उस क्षेत्र के लोगों से इस परीक्षा में बैठने की आशा कैसे कर सकते हैं ? जनता पार्टी क्षेत्रीय भाषा के इस अनिवार्य प्रश्न-पत्र को लागू करने की सिफारिश पर बहुत जोर दे रही थी। छठी लोक सभा के सदस्यों को याद होगा कि इसी सदन में मैंने इस समस्या को उठाया था और इस मामले को लेकर सदन को स्थगित कर दिया गया था। यह कहा गया था जहाँ तक मेरे क्षेत्र का प्रश्न है, हम तो इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं" हम कहते रहे हैं कि शेष देश में क्षेत्रीय भाषा के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को लागू बेशक कर दें परन्तु कम से कम देश में हमारे क्षेत्र के लोगों को तो इससे छूट मिलनी चाहिये और क्षेत्रीय भाषा के अनिवार्य प्रश्न-पत्र के बदले एक वैकल्पिक प्रश्न-पत्र हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिये होना चाहिये। यह केवल एक वर्ष के लिए किया गया है। गत वर्ष क्योंकि हम सभी ने माँग की थी और क्योंकि पर्याप्त रूप में आन्दोलन हुए थे तो इसे एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस मुद्दे विशेष के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है। क्या सरकार इस छूट को बढ़ाने जा रही है जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को क्षेत्रीय भाषा के अनिवार्य प्रश्न-पत्र में छूट मिल सके। मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जहाँ तक हमारे क्षेत्र का सम्बन्ध है क्षेत्रीय भाषाई प्रश्न-पत्र के बदले में एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार किया जाना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर पर्याप्त चर्चा होती रही है। अब ही नहीं अपितु कई वर्षों से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में भारत सरकार बड़ी प्रयत्नशील है जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उद्धार हो सके। परन्तु यदि कोठारी आयोग की इस सिफारिश को मान लिया जाए तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोग घाटे में रहेंगे और इससे नीति सम्बन्धी संघर्ष होगा। अतः मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों को, जिनकी भाषाओं को आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित नहीं किया गया है, एक वैकल्पिक प्रश्न-पत्र करने की अनुमति दी जाए।

अब, जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का संबंध है—मैं अनुसूचित जाति से हूँ—मेरे विचार से यही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शेष को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न नहीं है संघर्ष तो अमीर-गरीब के बीच है, और यह ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों का सघर्ष है। भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों की उन्नति के लिए, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऊंचा उठाने के लिए जो भी कदम उठाए, उनमें आज तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। भारत सरकार ने बहुत से शिक्षण केन्द्र खोले हैं। यह अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं और यह जारी रहना चाहिए। परन्तु अभी भी हम समस्या को हल नहीं कर सके हैं क्योंकि मुख्य कारण इसका वह शिक्षा-आधार है, जो यहाँ प्रचलित है। जैसा कि मेरे से पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, यह आशा कैसे की जा सकती है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का अथवा गाँव में रह रहे ब्राह्मण अथवा अन्य उच्च जाति के छात्र, जहाँ स्कूलों की तथा अच्छी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की पर परीक्षा में स्पर्दी हो सकता जोकि देश में एक उच्चतम परीक्षा है।

इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के प्रयत्न किये जायें। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर वहां के स्कूलों की दशा का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि हालात चिन्ताजनक हैं। हम लोगों में से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं तथा हम जानते हैं कि वहां लोग किन हालात में रह रहे हैं। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ, जोकि एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पिछले सत्र के बाद मैं वहां गया था। मैं डेढ़ महीने तक एक गांव से दूसरे गाँव में जाता रहा। आपको यह जानकर दुःख होगा कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे ज्ञापन हैं जिनमें उन्होंने अपने जिले के मानचित्र माँगें हैं। प्राथमिक स्कूलों में उनके जिले के मानचित्र नहीं हैं। वे चाहते हैं कि क्षेत्र का संसद सदस्य सरकार से जिले के नक्शे दिये जाने की बात चलाये। मेरे पास ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि उनके स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं तथा उन्होंने स्कूलों में ब्लैक बोर्डों की मांग की है। यदि हमारे स्ललों की यह दशा है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह बालक बालिकाएं अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या निर्वाचन से पूर्व आपने उन्हें यह वस्तुएं उपलब्ध कराने का वचन दिया था ?'

श्री पी. ए०. संगमा : मैंने उन्हें यह आश्वासन नहीं दिया था। परन्तु छठी लोक सभा में मैंने गारी पर्वतीय क्षेत्र में स्कूलों की दशा का उल्लेख किया था। उन शिक्षकों द्वारा बहुत सी हड़तालें की गयीं जिन्हें 7-8 या 9 महीनों से वेतन नहीं दिये गये थे। मैंने ये मामले बहुत बार सभा में उठाये थे। इस बार भी प्रश्न की सूचना दी थी। परन्तु मुझे इस प्रकार का उत्तर मिल जाता, 'हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि आपका प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हर संविधान के छटी अनुसूचि में स्वायत उपबन्धों के अंतर्गत आता है। इस बारे में स्थिति यही है।

मेरा कथन है कि यह अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य का प्रश्न नहीं है। जिन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलता है, वे निश्चय ही ऊंचे उठ जायेंगे। ब्राह्मण तथा अन्य ऊंची जातियों के उन बच्चों को जिन्हें अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं हैं कभी ऊंचे नहीं उठ पायेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं में सुविधाओं को सुधारा जाए। यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है परन्तु गृह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकता है। मैं समझता हूं कि यही वास्तविक बात है।

मुझे भारतीय प्रशानिक सेवा की परीक्षा में बैठने वाले बहुत से बालक/बालिकाओं का पता है जिन्होंने उक्त परीक्षा में बैठते समय रेलगाड़ी पहली बार देखी है। हमारे क्षेत्र पूरी तरह अलग-थलग है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में से आसाम ही ऐसा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन है। अन्य राज्यों में कोई रेलवे सुविधा नहीं है। स्नातक लड़कों ने भी रेल का केवल चित्र देखा है रेल नहीं देखी। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे तथा साक्षात्कार के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय एवं दार्शनिक मामलों इत्यादि पर चर्चा कर पायेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाये।

अच्छे स्कूल खोले जाएं, उनको वित्तीय सहायता दी जाये। हमारे देश में नगरों में अनेक अच्छे स्कूल हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्कूल ही नहीं हैं। हमारे क्षेत्र की इन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। मैंने इन समस्याओं की ओर संकेत कर दिया है।

मेरी भारत सरकार से अपील है कि जहाँ तक हमारे क्षेत्र का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय भाषा में अनिवार्य पत्र को समाप्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर—उपस्थित नहीं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया) : श्रीमान्, क्या मैं आपको "उप-सभा नयागारा अवर्गल" शब्दों से संबोधित कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बशर्ते कि इसका अर्थ बताया जाये। अन्यथा कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा देंगे।

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उपयोगी चर्चा हुई है। संसद के पहले सत्र में राज्य सभा में तथा आंशिक रूप से इस सभा में इस पर चर्चा हुई थी।

संघ लोक सेवा आयोग को केन्द्र तथा राज्यों में प्रशासन चलाने के लिए प्रतिभा की खोज के लिए उपयोगी माध्यम बनाने के लिए बहुत से उपयोगी सुझाव दिये गये थे। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का सामान्य मत था कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों से उम्मीदवारों के चयन की व्यवस्था होनी चाहिए। सदस्यों के भाषणों का यह एक समान आशय था। मैं सदस्यों के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन वर्षों में इस महत्वपूर्ण पद के लिए अधिकारी-तंत्र व्यवस्था में कुछ सामाजिक मैटर आर्थिक बाधाएं रहीं तथा इन पदों पर समाज के कुछ सुविधा प्राप्त वर्गों का ही वहाँ प्राधिकार रहा है। सरकार का तथा संघ लोक सेवा आयोग का प्रयत्न रहा है कि वहाँ पर असमानताएं दूर की जाएं। परन्तु कुछ प्रतियाशील व्यक्तियों को जो हालात और वातावरण के कारण जिनमें कि उनका पालन-पोषण होता है। अच्छी शिक्षा से वंचित रहते हैं तथा इन सभी वर्षों में उपेक्षित रहे हैं। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में प्रयत्न किये जा रहे हैं कि समाज में असमानता को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय बरते जायें ताकि समाज के उपेक्षित वर्ग को ऊँचे पदों में सफलता पूर्वक भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो सके।

कुछ वर्षों से शिक्षा-पूर्व परीक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए पहले से ही तिरुचीरापल्ली और इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को प्राशिक्षण देने के लिए दो परीक्षा पूर्व केन्द्र खुले हुए हैं। वर्ष 1974 से 1978 के दौरान 177 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। जिनमें से 65 सफल हुए। इस समय अखिल भारतीय सेवाओं में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए इलाहबाद, शिलांग, मद्रास, जयपुर, पटियाला, हैदराबाद और दिल्ली में सात केन्द्र हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए शिक्षण आवास, भोजन, चिकित्सा, लाइब्रेरी का पूरा व्यय सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए 12 केन्द्र हैं। आशुलिपिक परीक्षा में प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय के सहयोग से एक विशेष योजना तैयार हुई है। दिल्ली में 9 केन्द्रों तथा गाजियाबाद में एक केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष 500

उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाता है। सरकार इन सुविधाओं की पर्याप्तता पर निरन्तर विचार करती रहेगी। हम स्वयं अनुभव करते हैं इन सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये प्रशिक्षण केन्द्र पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग इन व्यक्तियों को अन्य छात्रों के समक्ष लाने के लिए और सुविधाएं देने पर निरन्तर विचारशील रहे हैं।

दूसरा प्रश्न दूर-दूर से फैले हुए क्षेत्रों के व्यक्तियों को सुविधाएं देने के लिए नये केन्द्रों की स्थापना के बारे में है। अब हम इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग को विचारार्थ तथा उचित कार्यवाही के लिए भेज रहे हैं।

साक्षात्कार सम्बन्धी मामला यहाँ पर वाद-विवाद के दौरान निरन्तर उठाया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडियन इस पर विशेष बल देते रहे हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : श्री कोडियन विशेष बल देते रहे हैं। यदि वह इसमें सफल हो जाते तो हम उन्हें लोक सभा में न पाते। लोक सभा की यह भारी क्षति होती।

साक्षात्कार के मामले पर सरकार का यह निश्चित मत है कि इस परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार के कद, उसके सौन्दर्य वाक्यातुर्य आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह परीक्षा केवल नीतियों, कार्यक्रमों तथा संविधान के प्रति उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए ली जाती है। मेरा यह मत नहीं है कि चुने जाने वाले छात्र सत्तारुढ़ दल की विचारधारा के प्रति वचन बद्ध हो।

श्री जंगपार्लसिंह (हरिद्वार) : यह तो केन्द्र का सर्विस कमीशन तथा राज्यों के सर्विस कमीशन हर केण्डीडेट के बारे में थानों से पूछते हैं और उनसे रिपोर्ट मांगते हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : श्रीमान्, हमारा संविधान समाजवाद, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचन बद्ध है। संविधान के प्रति यही वचनबद्धता उम्मीदवारों के चयन के लिए मार्ग-दर्शन का कार्य करती है क्योंकि अन्ततः इन्हीं व्यक्तियों ने सरकार चलानी है और उसके धर्म निरपेक्ष, समाजवादी एवं लोकतंत्री रूप की रक्षा करनी है। इसलिए, इस उद्देश्य से हमने साक्षात्कार के महत्व को बहुत घटा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2050 में से केवल 250 अंक साक्षात्कार के लिए रखे गये हैं···

श्री पी० के० कोडियन : यह काफी है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसा निकाय है जो कार्यपालिका से स्वतन्त्र है। यह संविधान के अन्तर्गत निर्मित स्वतन्त्र निकाय है और राष्ट्रपति तथा इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए हमें संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण के बारे में कुछ मूलभूत विश्वास होना चाहिए। इसी कारण सरकार संघ लोक सेवा आयोग में पर्याप्त रुचि लेती रही है ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके। संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में सरकार अत्यन्त सावधान रही है तथा इस बारे में सचेष्ट रही है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन हमारे देश के हालात की समग्रता का द्योतक हो।

यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि केवल ये 250 अंक भी सभी तरह का अन्तर उत्पन्न कर देते हैं। मैं माननीय सदस्यों को केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मामले पर गहराई से विचार करें कि क्या यह व्यक्तित्व परीक्षण आवश्यक है अथवा नहीं। सरकार के दृष्टिकोण

से सभा के समक्ष इस समय बताये गये विभिन्न कारणों से यह आवश्यक है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि इन 250 अंकों के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग यह देखेगा कि किसी परीक्षार्थी के ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र से आने के कारण भेदभाव न किया जाये वस्तुतः क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल सकता है अथवा क्या वह बुद्धिमता पूर्ण ढंग से लिख सकता है, कि परीक्षा लिखित परीक्षा हो जाती है। अतः, मैं महसूस करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक तो यह व्यक्तित्व परीक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ढूँढ निकालने के लिये आवश्यक है।

श्री पी. के. कोडियन (अडूर) : स्पष्टीकरण करते हुए आपने बताया है कि इस व्यक्तित्व परीक्षण को उम्मीदवार की तत्काल प्रतिक्रिया को जानने के विचार से रखा गया है किन्तु आप जानते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवार सामान्यतयः उतना सुसष्ट उच्चारण नहीं कर सकते जितना कि नगरीय क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा स्तर ऊंचा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि वे उच्च स्तर के जीवन यापन करने वाले परिवारों से सम्बन्धित हों। ग्रामीण लोग नगरीय लोगों की तुलना में सुस्पष्ट उच्चारण करने वाले नहीं होते हैं नगरीय क्षेत्रों से आने वाले उम्मेदवारों से तुरन्त प्रतिक्रिया मिल जाती होगी।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : इसी कारण से हमें घटाकर कम से कम कर दिया गया है। मैं इस लिये जानता हूँ कि मैं भी गाँव से सम्बन्धित हूँ। मैं ग्रामों से आने वाले उम्मेदवारों के बारे में जानता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : यह बात सही है। यह शत प्रतिशत होना चाहिए।

क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लिये जाने के बारे में, सरकार का दृष्टिकोण यथासंभव उन्हें इस योग्य बनाने का है जिससे वे क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर पत्र लिखने में समर्थ हो सकें। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है। इस पद्धति को लागू किये जाने के पश्चात अपनी मान्यता प्राप्त भषाओं में अपना उत्तर पत्र लिखने वाले उम्मेदवारों की प्रतिशततः अधिक नहीं है। इनके आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं। आप के अपने राज्य तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थक समझा जाता है, भी मेरे विचार में आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जायेंगे कि वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने को पसद करने वालें उम्मेदवारों की संख्या 10 है, जो कुल व्यक्तियों का 14 प्रतिशत बैठती है। वेशक मेरा राज्य इस मामले में कुछ वेहतर है। अंग्रेजी में उत्तर देने वाले की संख्या 5,916 है, जो कि 86.78 प्रतिशत वनती है। अतः श्री कोडियन के इस तर्क में जोर है कि क्षेत्रीय प्रापओं को अनिवार्य रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। वस्तुतः राज्य सरकारों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिये। मैं सभा को यह सूचित करते हुये प्रसन्न हूँ कि अनेक राज्यों ने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध बनाने पर गम्भीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। और वे क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा न केवल माध्यमिक शिक्षा में किन्तु कालेज की शिक्षा में भी होना चाहिए। यह वहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : यह ठीक है। राज्य सरकारे ऐसा कर रही हैं। हिन्दीभाषी लोगों में उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना कार्य वेहतर नहीं दिखाया है।

केवल 803 व्यक्तियों ने अपनी परीक्षायें हिन्दी में दी हैं यह केवल 11.79 प्रतिशत बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अभिप्राय है कि शेष लोगों ने अंग्रेजी में परीक्षा उत्तर दिये।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : शेष व्यक्तियों ने अंग्रेजी में परीक्षा उत्तर दिये। अतः, श्रीमान् जी, ऐसा वातावरण बना हुआ है। यदि श्री राम विलास पासवान वहां होते, तो मैं बहुत ही प्रसन्न होता उन्होंने हिन्दी की वकालत की है और वस्तुतः ठीक ही किया है,किन्तु जब तक इस देश में ऐसा वातावरण बना रहेगा कि अंग्रेजी को सामाजिक प्रतिष्ठा का चिन्ह समझा जायेगा और यह भावना बनी रहेगी कि अंग्रेजी जानने वाले लोग जीवन में सफल रहते हैं तब तक बार बार समझाये जाने के बावजूद भी हमारे बालक अंग्रेजी को पसंद करते रहेंगे।

इसके साथ ही, श्रीमान् जी किसी के मन में यह भावना नहीं रहनी चाहिये कि हम देश से अंग्रेजी को निकाल फैंका जायेगा श्री संगमा ने यह भय व्यक्त किया है। यदि किसी को अपनी क्षेत्रीय भाषा से प्यार है, तो इस भावना से एक व्यक्ति अंग्रेजी का विरोधी नहीं बन जाता। अंग्रेजी एक स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। जितना अधिक हम दूसरी भाषाओं से सीखते हैं उतना ही अधिक हमारा ज्ञान बढ़ता है और यदि हम अपनी भाषा में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को शामिल कर लें, तो उससे हमारी भाषा समृद्ध होगी। श्री संगमा की प्रार्थना के सम्बन्ध में कि उस छूट का कुछ और समय के लिये बनाये रखा जाना चाहिये, श्रीमान् जी, इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विभागीय पदोन्नति समितियों के सम्बन्ध में, मैं श्री कोडियन को यह बताना चाहता हू कि इस विभागीय प्रोत्साहन समितियों के बारे में कुछ विलम्ब हुआ है और इन विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बार होनी चाहिए। इसमें कुछ विलम्ब हुआ है और इसे संबंधित मंत्रालय और विभागों क नोटिस में लाया गया है इससे बचा जाना चाहिये।

अस्थायी नियुक्तियां विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक में विलम्ब से संबंधित हैं। जब वे पदोन्नतियां नहीं करती, तो अस्थायी नियुक्तियों को तो करना ही होता है, किन्तु हम विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक नियमित रूप से न होने के लिए पूर्ण रूप से मंत्रालयों अथवा विभागों को दोषी नहीं कह सकते। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसमें कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयां भी होती है। हम इन सभी कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं और इन विभागीय पदोन्नति समितियों की प्रक्रिया को सुधारना चाहते हैं ताकि इनकी बैठक कम से कम वर्ष में एक बार हो और उस बैठक में सिफारिशें की जाये। मैं श्री कोडियन को बताना चाहता हूं कि विभागीय पदोन्नति समितियों की नियमित रूप से बैठक के न होने के कुछ ठोस कारण हैं विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक में विलम्ब का होना प्रायः वरिष्ठता और परिणाम स्वरूप होने वाले मुकदमों के कारण अनिवार्य हो जाता है। नियुक्तियों में विलम्ब भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न देने के कारण भी होता है ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि वर्तमान नियमों और अदेशों के संदर्भ में सभी मामलों में नियमित नियुक्तियां की जानी जाहिये। और इन्हें भर्ती नियमों के बनाये जाने अथवा इनमें परिवर्तन किये जाने तक इन नियुक्तियों को रोका नहीं

जाना चाहिये। हमने अस्थायी नियुक्तियों के बारे में भी आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। मैं श्री कोडियन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में, ग्रुप-क और ग्रुप ख के पदों के मामले में, एक वर्ष से अधिक के लिये अस्थायी नियुक्तियाँ संघ लोक सेवा आयोग की सहमति के बिना संबंधित विभागों द्वारा नहीं की जा सकती। संघ लोक सेवा आयोग को विलम्ब से भेजे गये मामले अथवा उन मामलों के बारे में जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया, गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाता है और संबंधित विभागों को समुचित पग उठाने का परामर्श दे दिया गया है।

मैं इस संबंध सभा का ध्यान प्रतिवेदन में उल्लिखित इस विशिष्ट टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस संबंध में कुछ सुधार हुआ है। बेशक आपने इस का उल्लेख किया है, 'कुछ' का अर्थ कुछ भी नहीं है। मैं उससे सहमत हूँ। किन्तु हम इन सभी मामलों में अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं।

सरकार विलम्ब तथा कालान्तर की समस्या पर, जो आयोग के विज्ञापनों एवं वास्तविक नियुक्ति के बीच हो जाता है भी ध्यान केन्द्रित किए हुये हैं, प्रत्याशियों का चयन करने के बाद प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में जो विलम्ब होता है, उस पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। श्रीमान जी, अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चिकीत्सीय परीक्षण काकार्य भी साथ ही साथ कर लिया जाये ताकि इसमें बाद में अधिक समय न लगे।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के न मिलने और उन्हें भर्ती न किए जाने का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में श्री कोडियन का ध्यान कुछ मामलों तथा विशेष रूप से तकनीकी पदों के मामलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज के इन वर्गों से हमें इन पदों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पाये हैं। यही कारण है कि आरक्षित स्थानों को भरने में विलम्ब हुआ है या हम उतने लोगों को नहीं ले सके हैं जितनी कि आरक्षण में व्यवस्था थी। परन्तु श्री कोडियन ने पदोन्नति सम्बन्धी मामले का उल्लेख किया था और कहा था कि पदोन्नति अपर्याप्त रही है। मैं सदस्य महोदय को यही बताना चाहता हू। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत पद आरक्षित है। सम्भवत: यह पदोन्नति के बारे में भी यही उल्लेख कर रहे है कि उसके लिए भी 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 7 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है और इस सम्बन्ध में कोई यह नहीं चाहेगा कि संविधान के अन्तर्गत जो कोटा उनके लिए आरक्षित रखा गया है···

श्री र जनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि टेकनिकल सर्विसिज में यह प्राबलम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नानटेकनिकल सर्विसिज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा पूरा है या नहीं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : कुछ तकनीकी सेवा में भी है, कुछ श्रेणियां ऐसी भी हैं, जहां कि गैर तकनीकी पद भी होते हैं। इस प्रकार के पदों के लिए हमें पर्याप्त लोग नहीं मिलते हैं। हम इसके लिए अपना भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। इन लोगों को पर्याप्त तथा उनका अपेक्षित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके बाद अन्ततः तमिलनाडु से आने वाले सदस्य महोदय ने राज्यों में सेवा कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक नियन्त्रण की बात की है मैं इस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

प्रो० मधुदन्डवते (राजापुर) : माननीय मन्त्री महोदय मुझे व्यवधान के लिए क्षमा करें । हमें रेलवे में ऐसा अनुभव हुआ है । जब किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे और जो लोग परीक्षा में शामिल हुए, उनका समीकरण भी उचित स्तर का नहीं था, तो हमने उनके लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किये ताकि वह अधिक योग्यता प्राप्त कर सकें और ऐसा ही हुआ कि वह अनुभव से अधिक योग बन गये ।

श्री पी० वेंकटासुब्या : मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा । जहां तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का चयन राज्यों तथा केन्द्र के पदों पर सेवा करने के लिए ही किया जा सकता है । राज्य सरकारों को इन अधिकारियों की अपने कार्यकाल के दौरान की गई त्रुटियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं होती है। चूंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः ऐसे अधिकारियों के प्रति न्याय बरतते हुए तथा संविधान के अनुच्छेद 311 में किए गये प्रावधान के अन्तर्गत, इन अधिकारियों को सेवा से हटाने या उनकी सेवा निवृति के लिए बाध्य करने का निर्णय अन्ततः राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जा सकता है इसे राज्य के कृत्यों या प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता ।

आशा है कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । मैं एक बार फिर आपका तथा चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : अखिल भारतीय सेवाओं के लिए साक्षात्कार बोर्ड केवल दिल्ली में ही साक्षत्कार के लिए बैठता है । यह सुझाव दिया गया था कि यह बोर्ड देश के विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों में जाकर प्रत्याशियों का साक्षात्कार करें। दूसरे अखिल भारतीय सेवाओं में दक्षिण के लोगों का प्रतिनिधित्व इतना नहीं है जितना कि इधर के लोगों का है। ऐसा निरन्तर देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि मानों दक्षिण के लोग इसके लिए उपयुक्त···

श्री पी० वेंकटासुब्यया : माननीय सनस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचार, सहानुभूतिपूर्वक दिए विचारार्थ हेतु संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिये जायेंगे । मैं प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के 28वें प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों पर आयोग की सलाह न मानने के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर जो 30 जनवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रताव स्वीकृत हुआ

अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में, या और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक 27 मार्च, 1980 को सदन में पेश किया गया था और तब से लेकर अब तक लगभग 3 महीने का समय व्यतीत हो गया है। इस लिए मैं यह उचित समझता हूं। कि सदन के माननीय सदस्यों की याद ताजा करने के लिये मैं इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में एक दो बात कह दूं।

भारत सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय जल विवाद अधिनियम. 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण का गठन नर्मदा नदी के जल विवाद का निपटारा तथा नर्मदा घाटी के जल को गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में बांटने के उद्देश्य से अक्तुबर, 1969 में किया गया था। न्यायधिकरण द्वारा अगस्त, 1978 को अपना प्रतिवेदन भेजा गया। जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है, केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों ने न्यायाधिकरण को कुछ और तथ्य भेजे। इन तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने अपेक्षित व्याख्या तथा दिशा निदेश सहित अपना अगला प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेज दिया। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत, न्यायाधिकरण का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 के सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। अब न्यायाधिकरण का निर्णय सभी सम्बद्ध पक्षो के लिये अंतिम तथा बाध्य बन गया है और सभी सम्बद्ध पक्षों द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को अन्तिम माना जायगा। न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों का अब भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार नर्मदा घाटी नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि न्यायाधिकरण के निदेशों तथा निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सके। सम्बद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श करके केन्द्रीय सरकार को नर्मदा नियंत्रण अधिकरण के लिए 3 स्वतन्त्र सदस्यों की नियुक्ति करनी है। न्यायाधिकरण ने यह निदेश भी दिया है कि इस कार्य के लिए एक पुर्नरीक्षण समिति का गठन भी किया जायेगा जिसके सभापति केन्द्रीय सिंचाई मंत्री होंगे तथा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के मुख्य मंत्री इसके सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के निर्णयों का पूर्नरीक्षण किया जायेगा। न्यायाधिकरण ने यह सुझाव भी दिया है कि एक परामर्श समिति का गठन किया जाना चाहिए। जिससे सभापति सिंचाई विभाग, भारत सरकार के सचिव हो तथा यह समिति बांध तथा सरदार सरोवर परियोजना बिजली-घर को शीघ्र क्रियान्वित सुनिश्चि करें। न्यायाधिकरण द्वारा यह निदेश भी दिया गया है कि जहां तक व्यवहारिक हो सके, गुजरात में प्रथम 7 सदस्यों की नियुक्ति वाले प्राधिकरण का गठन, इनकी अधिसूचना के तीन महीने के अन्दर अन्दर हो जायेगा, न्यायाधिकरण ने ही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करने का आदेश किया है। परन्तु इसके साथ ही यह नहीं समझा जाना चाहिये कि प्राधिकरण को कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं और उसका गठन केवल न्यायाधिकरण के निष्कर्षो तथा निदेशों के आधार पर ही हो जायेगा। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को किसी प्रकार

की कानूनी निकाय के नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। यदि आदेश दिया जाये तो केन्द्रीय सरकार को न्यायाधिकरण द्वारा बनाये गये किसी भी तंत्र में भागीदार बनना अनिवार्य होगा तथा न्यायाधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जायेगा। अतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह मामले में अपेक्षित कदम उठाये। अतः इसी उद्देश्य से 27 मार्च, 1980 को सदन में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और वही अब सदन के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत है। विधेयक के साथ ही उसके उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी कथन भी दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

*** कुमकुम एन नटराजन (पेरियाकुलम)** : श्री मान जी, मैं अपने दल दाविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूँ जिसके पारित हो जाने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण को सभी सम्बद्ध निर्णयों के बारे में योजना तैयार करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। यह सांविधिक विधेयक बहुत पहले बन जाना चाहिए था जिससे कि इस प्रकार के न्यायधिकरणों के अपने निर्णयों को लागू किया जा सकता।

मैं अपने देश के लोगों के लम्बे समय से संजोये जा रहे इस स्वप्न का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें उन्होने कल्पना की है कि महान गंगा नदी को देश की महान् कावेरी नदी के साथ जोड़ा जाना चाहिये। यद्यपि इसके बारे में दशकों से चर्चा चली आ रही है। परन्तु फिर भी अभी तक इस दिशा में या इसे क्रियान्वित करने के लिए तनिक भी कार्यवाही नहीं कीगई है। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलने के साथ साथ उत्तरी भारत में बराबर आने वाली बाढ़ से जहां मुक्ति मिलेगी वहाँ दक्षिण भारत में पड़ने वाले भयंकर सूखे से भी राहत मिल जायेगी। इससे कई हजार बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस लाभकारी योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार को शीघ्र ही योजना बनानी चाहिये।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, जहां तक तमिलनाडु की बात है, पड़ोसी राज्यों-केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश से जल विवाद अभी निपटाये नहीं जा सके हैं। ऐसी बात नहीं है कि तमिलनाडु को पड़ोसी राज्यों से जल का लालच है। यह तो सभी जानते है कि तमिलनाडु में सिंचाई के लिये और पीने के पानी की कमी है। उदाहरण स्वरुप 14 अप्रैल 1976 को यह निर्णय लिया था कि मद्रास शहर को पीने का पानी आन्ध्र प्रदेश की नदी कृष्णा से पहुँचाया जायेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवन राम, तमिलनाडु के राज्यपाल श्री के० के० शाह महाराष्ट्र के तत्कालीन सम्बन्धित मन्त्री श्री कट्टल और तत्कालीन कर्नाटक मन्त्री श्री सुभाष आचार ने इस सम्बन्ध में एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए थे विश्व-बैंक भी इस कार्य के लिये 200 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृती देने के लिए राजी

* तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

हो गया था। लेकिन यह योजना खटाई में ही पड़ी रह गई। यदि इस योजना को लागू कर दिया जाये तो कृष्णा नदी से मद्रास शहर को 15 टी. एम. सी. पानी मिलने लगेगा। मैं अपनी प्रधान मन्त्री महोदया, श्रीमती इन्दिरा गांधी का आभारी हूँ जिन्होने हाल ही में तमिलनाडु की जनता को आश्वासन दिया है कि कृष्णा नदी का जल मद्रास शहर को पीने के लिए दिया जायेगा। जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है मैं श्री एम० जी० आर० की अध्यक्षता वाली ढाई वर्ष तक शासन करने वाली तमिलनाडु सरकार की अक्रमणता की निन्दा किये बिना नहीं रह सकता

में इस सत्य का हवाला देना चाहूँगा कि कावेरी जल विवाद अभी भी हल नहीं हुआ है यही उचित समय है कि भारत सरकार एक न्यायधिकारण गठित करें और कावेरी जल विवाद शीघ्र समझोते के लिए इसको सौंप दे।

कर्नाटक सरकार ने काबिनी और वरूण बाँध परियोजनाओं पर कार्य अगरंभ कर दिया जिनके सम्पूर्ण होने पर तमिलनाडु को कावेरी के जल में उसके उचित हिस्से से वंचित किया जा सकता था। कावेरी के जल के बिना सारा तमिलनाडु एक सूखाग्रस्त क्षेत्र बन जाता। इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मेरे नेता डा० कालेन्गर करुणानिधि मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने को उद्यत थे। केन्द्र के हस्तक्षेप के कारण उन्होने मामले को छोड़ दिया। मुझे अब पता चला है कि ये बांध कर्नाटक में बनाये जा रहे हैं। यदि होता है तो तमिलनाडु को कावेरी से उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पायेगा। अतः कावेरी जल विवाद को हल करने के लिये एक न्यायधिकरण की स्थापना परमावश्यक है। कावेरी घाटी प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव भी आया था। मैं मांग करता हूँ कि इस प्राधिकरण की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिये। जैसा कि हमारे नेता डा० कलिगनर करुणा नीधि ने जोर देकर कहा है कावेरी जल तमिलनाडु के लोगों के लिए जीवनदायी है और कावेरी से जल प्राप्त करना उनका अहरणीय जन्मसिद्ध अधिकार है। श्री एम. जी. आर. के लिये यह उचित नहीं है कि वे कावेरी जल की पूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य से सौदा करें और कावेरी जल की पूर्ति के लिए तमिलनाडु से कुछ और दें। समापित महोदय इसी प्रकार, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी अब बेकार जा रहा है। यदि केरल सरकार से कोई समझोता होता है, जिसका इस जल के बारे में कोई उपयोग नहीं है और यदि हम इस जल की धारा को मोड़ सकते हैं तो आवर्तित सूखे की चपेट में लड़खड़ाने वाला तमिलनाडु का समस्त दक्षिणी सम्भाग तमिलनाडु का अन्न भण्डार बन जायेगा। पश्चिम की ओर बहने वाली इन नदियों से तमिलनाडु को केवल 1000 से लेकर 1500 टन मीट्रिक क्यू सेक जल चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि इस विवाद को भी तुरंत हल करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।

मेरे विचार से हमारे देश में 200 से भी अधिक जल-विवाद हैं। इस प्रकार के विवादों को और आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा क्यों कि मानव का जीवन स्रोत जल को मानव की भलाई के लिये ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। इन पुराने लटके हुए जल विवादों को हल करने की दिशा में भारत सरकार कों तुरन्त उत्साहपूर्ण और साहसपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिएं।

इन शब्दों के साथ, पीठ को धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, इस विधेयक की सीमा बहुत सीमित है। हमारे देश में प्रायः सभी राज्यों में इस तरह के अन्तर्राज्यीय जल-विवाद चले आ रहे हैं और उनको दुरुस्त या ठीक करने में मेरे ख्याल से बहुत ढिलाई बरती जा रही है। हमारे देश की ये नदियाँ हमारे देश की निधि हैं, अगर इनका ठीक से प्रयोग किया जा सके तो सिंचाई के मामले में, विद्युत उत्पादन के मामले में बहुत ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की बातें जिस पैमाने पर होनी चाहियें, वे नहीं हो पा रही हैं।

इस विधेयक के जरिये ट्रिब्युनल के फैसलों को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाय, कोई समिति बने, उस समिति का काम किस तरह से चले, उसके अधिकारी कौन हों, कर्मचारी कौन हों— इन्हीं तमाम बातों का जिक्र इसमें है। यह सब तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपकी मारफत मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जिन नदियों का विवाद बाकी है, उनका हल भी शीघ्र से शीघ्र निकाला जाना चाहिए या जिन राज्यों के साथ न्याय नहीं हुआ है, उन राज्यों के साथ न्याय हो—इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बिल का सहारा लेते हुए एक विवाद की तरफ मंत्री महोदय और उनकी सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। उस विवाद का सम्बन्ध तीन राज्यों से है—उस योजना का नाम 'बाण सागर योजना' है। बाण-सागर योजना का सम्बन्ध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से है। यह विवाद बहुत पुराना है। 1973 में इस विवाद का हल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों को चलाने वाले नेताओं ने आपस में मिलकर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन मेरी समझ में कोई सही रास्ता नहीं निकला। होना तो यह चाहिए था कि किसी भी राज्य को घाटा नहीं होना चाहिए था, क्षति नहीं होनी चाहिए थी और बगैर कोई नुकसान उठाये तीनों को फायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

16 सितम्बर, 1973 को जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उस पर बिहार के मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र, जो सौभाग्य से आज भी बिहार के मुख्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने हस्ताक्षर किये थे। प्रधान मंत्री उस समय श्रीमती इन्दिरा गाँधी थी, जो आज भी प्रधान मंत्री हैं, उन्हीं की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए थे। उस समय के सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव भी उस समय उपस्थित थे। इस सवाल को यहां उठाने का मेरा उद्देश्य यह है कि उस समझौते पर फिर से विचार होना चाहिए। उसका फैसला तीनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने किया था, किसी ट्रिब्यूनल ने नहीं किया था और उस समझौते के मुताबिक मेरी दृष्टि में बिहार को नुकसान हुआ है। उस समझौते से पहले बिहार को सोन नदी की नहरों द्वारा 14 मिलियन एकड़ फिट पानी मिलता था, लेकिन उस समझौते के बाद अब केवल 7·75 मिलियन एकड़ फिट हो गया है। आप जानते हैं बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, सिंचाई के मामले में भी पिछड़ा हुआ है, नहरों की व्यवस्था तीन-चार या पाँच जिलों तक ही सीमित है और वह भी दक्षिण बिहार के जिले हैं, जैसे पटना, गया, भोजपुर, रोहतास, इस तरह के कुछ जिलों तक ही नहरें सीमित हैं। तो हम इतना जरूर चाहेंगे कि कोई भी समझौता हो, उसके द्वारा जो सुविधा उन्हें पहले मिलती थी, वह सुविधा उन्हें मिलती रहे, उससे उनको वंचित न किया जाए लेकिन इस समझौते के मुताबिक बिहार को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की सिंचाई होनी चाहिए, हम सब चाहेंगे, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश

की भी सिंचाई होनी चाहिए लेकिन सिंचाई के साथ-साथ मध्य प्रदेश की सरकार उससे बिजली का उत्पान भी करना चाहती है और इसलिए उसने ज्यादा पानी लेने की कोशिश की है, इस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। हमारे जो सिंचाई मंत्री जी हैं, वे बिहार के मुख्य मत्री रहे हैं और उनको इस योजना की पूरी जानकारी है। इसलिए मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि···

सभापति महोदय : यह जो बिल है, इसके अन्तर्गत यह नहीं आता है। आप थोड़ा इससे हट कर बोल रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : इस बिल की जो सीमा है, वह मैं जानता हूँ लेकिन मुझसे पहले माननीय सदस्य ने कावेरी का सवाल उठाया था और उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा।

सभापति महोदय : वह भी गलत था और यह भी गलत है। आप जब बजट पर बोलें तब इन बातों की चर्चा कर सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बिल का सहारा लेकर मैं यह सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि कावेरी का सवाल उठाया गया और उस वक्त आपने नहीं रोका। अगर उस वक्त आप रोकते, तो मैं इस पर न बोलता और केवल नर्मदा तक ही अपने को सीमित रखता।

सभापति महोदय : थोड़ा सा कह दिया जाए, तो चल जाएगा लेकिन पूरा भाषण नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा रेफर करेंगे, तो चलेगा।

श्री केदार पांडे : इस बिल का स्कोप बहुत कम है।

श्री रामावतार शास्त्री : उस स्कोप का सहारा लेकर कुछ बातें कही जा सकती हैं और कुछ बातें कही भी गई, इसलिए मैंने भी इसका जिक्र किया। तो मैं यह समझता हूँ कि इस बिल में कोई कान्ट्रोवर्सी की बात नहीं है।

ट्रिब्यूनल जो फैसला करेगा, उसको किस तरह से अमल में लाया जाए, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। ट्रिब्यूनल का फैसला कागजों को ही सुशोभित न करे बल्कि उसको कार्यान्वित भी करना चाहिए। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में बहुत असंतोष है। इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। वाण सागर का ही सवाल नहीं है, तमिलनाडू के माननीय सदस्य द्वारा कावेरी का सवाल भी उठाया गया। हमारे बंगाल, उड़ीसा और बिहार की बहुत सी नदियों के बारे में समझोते होते रहे हैं। किसी भी राज्य को क्षति न पहुँचनी चाहिए, मेरा कहना यही है। यदि किसी राज्य को क्षति पहुँचा कर विवाद का हल निकालना चाहते हैं, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज मुल्क में हुई हैं और आगे भी होने का खतरा है। इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बात की जाए कि जिन राज्यों का नुकसान हुआ है, उन को नुकसान न हो। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चहिए क्योंकि देश हमारा सब का है। हम सब की तरक्की चाहते हैं और खास कर पिछड़े हुए राज्यों की प्रगति अवश्य चाहते हैं। तो मेरा इतना ही मतलब था कि अन्याय किसी राज्य के साथ न हो। अगर लोगों में असंतोष होगा, तो आन्दोल होगा। आज आप देख रहे हैं कि पूर्वी इलाकों में आन्दोलन चल रहा है, आसाम में आन्दोलन चल रहा है। इस तरह की चीजें न हों, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं यह कह कर समाप्त करता हूँ कि यह बिल ठीक ही है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मन्त्री महोदय द्वारा अभी-अभी पुरः स्थापित किये गये विधेयक का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। कुछ भी हो, मैं न्यायाधिकरण की कार्यान्विती अथवा जिस ढंग से हमारे देश में समस्याओं को हल किया जाता है, से प्रसन्न हूं। कागज की कुछ कतरनों का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि जल स्रोतों के लगभग 20% का ही उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे देश में 80% प्राकृतिक जल स्रोत बेकार चले जाते हैं। इसका हमारे देश में खाद्य और ऊर्जा उत्पादन पर गम्भीर कुप्रभाव पड़ता है।

जिस ढंग से विधेयक प्रस्तुत किया गया है उससे और मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। कम से कम, इस क्षण तो सरकार ने इसमें भाग लेने की पहल की है, जिससे समय आने पर खाद्य और ऊर्जा के उत्पादन के मामले में अच्छा परिणाम निकलेगा। मैंने यह भी पाया है कि ऐसे आठ राज्य है जिनमें गम्भीर जल-विवाद 1947 और 1951 से चले आ रहे हैं। इस देश में आखिर ऐसा क्यों होता है ?

राज्यों के बीच ऐसे विवाद क्यों हैं ? जैसा कि श्री नटराजन ने बताया है जल बेकार चला जाता है। राज्यों के बीच जल-स्रोतों को लेकर उठ खड़े हुए विवादों को यथा शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। इसीलिये तो मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियों में कहा है कि मुझे न्यायाधिकरण की कार्यान्विती से असीम अप्रसन्नता है। जल-स्रोतों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए जल-बोर्ड और अन्य स्वायत्त- निकायों को अपने कार्यों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। न्यायाधिकरण अब तो केवल जल-विवाद को ही देख रहा है। परन्तु केवल उससे ही हमारी राष्ट्रीय समस्याएं हल नहीं होगी।

एक और भी समस्या है—बांध कमजोर और असुरक्षित होते चले जा रहे हैं। क्या हमें उस बारे में सोचना नहीं चाहिए तथा यह देखना नहीं चाहिए कि यदि बांध टूट पड़े तो उस दशा में खतरे को टालने के लिए क्या किया जाय ? ये ऐसे मामले जिन पर बहुत पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था और उनका समाधान ढूंढ़ना चाहिए था।

सभापति महोदय यह देखने के लिए मेरी ओर देख रहे हैं कि क्या मैं विधेयक पर बोल रहा हूँ। विधेयक के बारे में एक नयी धारा 6-क पुरःस्थापित की गई है। धारा 6-क की उपधारा (2) के उप-खण्ड (झ) और (ञ) में कहा गया है :

"(झ) प्राधिकरण के निर्णय जिनका पुनरीक्षण किया जायेगा"

(ञ) इस प्रकार का पुनरीक्षण करने वाली समिति का संविधान और इस प्रकार की समिति द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया, और"

जब तक पुनरीक्षण और कार्यान्वयन के लिए समय निश्चित नहीं कर दिया जाता तब तक इस पर अन्तिम निर्णय लेना सम्भव न हो सकेगा। प्रदत्त विधान के ज्ञापन को पढ़ने पर मैं पाता हूँ कि पृष्ठ 6 पैरा 2 में यह कहा गया है :

"इस नई धारा 6-क की उप-धारा (2) में वे मामले गिनाए गए हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार योजना तैयार कर सकती है।"

इसमें यही कहा गया है। एक विधियक नियम है 'अपनी सीमा में काम करो' अर्थात प्रदत्त प्राधिकरण उस शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता जिसके अधीन इसका गठन किया जाता है। अतः जब तक उसकी समीक्षा अन्तिम निर्णय लेने के लिए कोई समय निश्चित नहीं

किया जाता तब तक इसमें विलम्ब पर विलम्ब होता रहेगा। इसलिए शीघ्र और अन्तिम निर्णय लेने और उसके कार्यान्वयन के लिए उप धारा (2) के उप-खण्ड (झ) और (ञ) का समय निश्चित किया जाए जिससे कि उस धारा की व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहने पाए। विधेयक पर मेरी यही एकमात्र टिप्पणी है मुझे बेहद खुशी है कि इस विवाद में केन्द्र भाग लेने के लिए आगे आया है 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धि और कमजोर वर्गों के लिए अन्य कल्याण योजनाएं चालू करने के लिए यह आवश्यक है कि जल-स्रोतों पर समझौतो के लिए केन्द्र सरकार को पहल करके आगे आना चाहिए।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा (चिकमगलूर) : यह विधेयक नर्मदा जल-विवाद से सम्बद्ध है। इस संशोधन सरकार को किसी भी नदी के लिए नदी घाटी प्राधिकरण गठित करने की शक्ति मिल जायेगी।

सभापति महोदय : यह तो विशेषकर नर्मदा जल-विवाद के लिए है।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : सरकार को एक राष्ट्र जल नीति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात् भी हमने कोई राष्ट्रीय जल नीति निरुपति नहीं की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे राज्य भी हैं जिनमें से किसी को नदी से 10% जल ही सिंचाई के लिए मिलता है और दूसरे देश को सिंचाई के लिए 40% जल मिलता। अतः आपको कुछ न कुछ प्राथमिकता तो निश्चित करनी ही पड़ेगी। जब तक सरकार कोई राष्ट्रीय जल नीति निरुपित नहीं करती तब तक न्यायाधिकरणों के समक्ष जल-विवादों को निपटाने के लिए उचित निर्देशन के अभाव में कठिनाईयों खड़ी होती रहेगी। अतः महोदय, मुझे विश्वास है कि इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के प्राधिकरण का गठन करते समय उन सभी नदियों के लिए नदी घाटी प्राधिकरण के गठन का निर्णय वे नहीं लेंगे जिनके बारे में न्यायाधिकरण निर्णय लें चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : नर्मदा वार्टर के मामले में राजस्थान के साथ किस प्रकार का अन्याय हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी एक नदी माही नदी इसकी एक सबसिडियेरी नदी है और यह तय हुआ था कि राजस्थान में जो माही नदी पर बांध बनेगा उसके पानी से पाँच लाख एकड़ जमीन राजस्थान में सिंचाई के नीचे लाई जायेगी। इस प्रकार का जो फैसला किया गया था :

सभापति महोदय : यह जो सारी चीज है इस पर आप बजट जब आएगा तब चर्चा कर सकते हैं। यह जो बिल आया है उस में यह सब नहीं आता है। इस वास्ते अच्छा होगा यदि आप इसकी चर्चा अब न करें।

श्री केदार पांडे : बात यह है कि चार राज्यों का झगड़ा था नर्मदा नदी के ऊपर, उसके पानी के बटवारे के बारे में, डैम वगैरह की कस्ट्रकशन का वह सब फैसला हो गया है। ट्रिब्यूनल का फाइनल फैसला आ गया है। अब उसको अमली जामा पहनाना है। उसके लिए यह बिल है और एक शार्ट सा एमैंडमेंट है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सुप्रीम कोर्ट में अपील हमने कर रखी है। फैसला पैंडिंग हैं। इसलिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : यह रिपोर्ट के बाहर की बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है ट्रिब्यूनल में ऐसी व्यवस्थायें होनी चाहिए ताकि यदि किसी राज्य सरकार के साथ पानी के बटवारे के बारे में अन्याय होता है, वह न हो और उसको ठीक प्रकार से पानी उपलब्ध हो सके। इसके वास्ते कुछ फैक्टस बतलाने पड़ेंगे कि किस तरीके से यह फैसला हमारे खिलाफ है।

श्री केदार पांडे : ट्रिब्यूनल ने किया है जिस के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यह अबीलेबल नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सुप्रीट कोर्ट में हमने अपील कर रखी है।

श्री केदार पांडे : नान अबीलेबल है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अपील पैंडिंग है।

श्री केदार पांडे : नहीं है।

सभापति महोदय : देखिये, आप इस सम्बन्ध में जो कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बारे में फिर समय मिलेगा, जब बजट पर बहस होगी, उस समय बोल सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसी के बारे में मैं तो कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : वह डिवेट अच्छी नहीं होगी, इस तरह से हम इस हाउस में नहीं कर सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं ट्रिब्यूनल के बारे में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उस समय आप जरूर टाइम लीजिये, लेकिन इस समय नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो ट्रिब्यूनल में फैसले किये जाते हैं उनमें सारी बातों को रखा जाना चाहिए जिससे सब सरकारों को उसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय : यह विधेयक बहुत ही सीमित है, उसके बाहर जाकर हम कुछ नहीं बोल सकेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, सबजैक्ट मैटर के बारे में तो बोल सकते हैं। जैसे कावेरी रिवर के बारे में बोल रहे थे, वह तो रैलेवेन्ट नहीं है। मगर जो रैलेवैन्ट है, नर्वदा वाटर के सम्बन्ध में जो डिस्प्यूट है, उसके बारे में तो कह सकते हैं।

आमतौर पर यह होता है कि जब पार्लियामेंट और असेम्बलीज में इस प्रकार का बिल उपस्थित होता है, तो उसके बारे में बोला जाता है कि इसका स्कोप कहाँ तक है। किसी तरीके से उसके बारे में कोई ठोक से निर्णय नहीं हुआ तो उसके सम्बन्ध में कह सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ट्रिब्यूनल ने जो हमारे खिलाफ फैसला दिया है, जो पानी हमको मिलना चाहिए था 5 लाख एकड़ घनफुट, वह नहीं मिल रहा है। इसके साथ राजस्थान के दो जिले हैं, बाड़मेर और जालौर, जो कि बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके हैं। शुरू में यह तय किया गया था कि इस प्रकार की कोई योजना बनाई जायेगी जिससे बाड़मेर और जालौर को पानी दिया जा सकेगा और उसके बाद जिस प्रकार का फैसला किया गया है ट्रिब्यूनल से उससे इनको पानी के बारे में बिल्कुल वंचित कर दिया गया है।

जो कडाणाबाँध बनाया गया है, जिससे राजस्थान को पानी मिलना चाहिए था, उससे भी वंचित करके सारे का सारा पानी गुजरात को दिया गया है। इसलिए हमारे ये दो जिले बिल्कुल सूखे हैं। अगर इनको भी इसके माध्यम से पानी दिया जाता तो निश्चित तरीके से लाखों मन अनाज इसमें पैदा होता और उससे हमारे यहाँ भी खुशहाली होती। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में कुछ विचार करके राजस्थान के उन पिछड़े इलाकों को, जो बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ मेहरबानी कीजिये।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलोर दक्षिण) : सभापति महोदय, विधेयक के उद्देश्य और लक्ष्य में यद्यपि यह बात विशेषकर कही गई है कि यह नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण आदि से सम्बद्ध है तथा विधेयक के कुछ खण्डों का हवाला देकर तथा तमिलनाडु के मेरे मित्र का भाषण सुनने के बाद मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ बोलने की प्रेरणा हुई है।

सभापति महोदय : यह कोइ पूर्वोदाहरण नहीं बन सकता। तमिलनाडु के मित्र का भाषण पूर्वोदाहरण नहीं बन सकता। हमें सही नियमों का पालन करना चाहिये। यदि आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप कहें।

श्री सी. टी. दंडपाणि (पोल्लाची) महोदय, जैसा कि आपने कहा है इसे पूर्वोदहरण नहीं माना जा सकता। तमिलनाडु से द्रविण मुनेत्र कषगम के सदस्य ने अपना पहला भाषण दिया है। अतः इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री टी. आर. शमन्ना : महोदय, तमिलनाडु के सदस्य ने कावेरी और कृष्णा के विवादों का जिक्र किया। अतः मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है। यहां केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त कर रही है तथा न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और ऐसी ही कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन यहां जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि इससे पहले कि केन्द्रीय सरकार मामले में कोई निर्णय ले, सम्बन्धित राज्य से सलाह ली जानी चाहिये और निर्णय लेने से पूर्व उनके मत को ध्यान में रखना चाहिये। अन्यथा विवाद को वास्तविक और उचित नहीं कहा जा सकेगा।

अगली बात यह है कि कावेरी-विवाद और कृष्णा-विवाद लम्बे समय से विलम्बित चले आ रहे हैं। यह दोनों ही राज्यों के लिए आवश्यक, न्याय संगत, उचित और सहायक होगा यदि कोई निर्णय ले लिया जाये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेने से पूर्व कर्नाटक राज्य से सलाह करेगी और उनके विचार जानकर ही किसी निर्णय पर पहुँचेगी। और इसीलिए चाहे मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जल विवादों को और इसी प्रकार के विवादों को नियन्त्रित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कुछ शक्तियाँ होनी चाहिये, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक सम्बन्धित राज्यों से सलाह मशविरा नहीं किया जाता और वे सन्तुष्ट नहीं हो जाते तब तक उसमें लिया जाने वाला निर्णय न्यायसंगत नहीं हो सकता अतः केन्द्रीय सरकार से मेरी अपील है कि मामले में किसी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों से सलाह करनी चाहिये।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : उसी समय जितना जल्दी संभव हो विवादों का निपटारा किया जाना चाहिये, ताकि वे सालों न चलें क्योंकि इससे किसी राज्य को कोई

लाभ नहीं है। निर्णय बिना किसी अनावश्यक देरी के लेना चाहिये और ऐसा करते समय सम्बन्धित राज्य से सलाह लेना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय मत्री।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उनके उत्तर देने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि वे नर्मदा-अधिनिर्णय को लागू कर रहे हैं ?

श्री केदार पांडे (बेतिया) : जब मैंने पहले यहां बोला, आप नहीं थे।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं यहां था।

श्री केदार पांडे : मैंने सदन को पहले से ही बताया है कि चार राज्यों-गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद था।

नर्मदा नदी 800 मील लम्बी है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और आखिरी बांध का अन्तिम सिरा गुजरात में है। गुजरात पानी इकट्ठा करने के लिए ऊंचा बांध बनाना चाहता था, और नर्मदा के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में विवाद था। खोसला समिति की सिफारिश को गुजरात और महाराष्ट्र ने स्वीकार किया किन्तु मध्य प्रदेश ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए अधिकरण की आवश्यकता पड़ी।

यह लम्बा निर्णय है। उसमें बहुत सी बातें अन्तर्निहित हैं। मुख्य निर्णय एक ऐसी मशीनरी व्यवस्था स्थापित करने के बारे में था जो अधिकरण के निर्णयों को क्रियाचयन करेगी-एक नर्मदा नियत्रण प्राधिकरण होगा। सिंचाई मंत्री के सभापतित्व में एक पुनरीक्षण समिति का निर्माण किया जाना चाहिये, उस समिति के सम्बन्धित मुख्यमंत्रीगण सदस्य होंगे। यही दो मुख्य बाते हैं जिसे इस विनियमन के द्वारा प्रभावी बनाना है क्योंकि इसके लिए ससद का अधिनियम होना चाहिये, यही विधि विशेषज्ञों का निर्णय है। इसलिये हम इस विधेयक को लाये हैं इसका बहुत सीमित क्षेत्र है।

1966 के मूल अधिनियम की धारा 6 संशोधित की गई है और उसमें अतिरिक्त धारा 6 ए जोड़ी जा रही है। मात्र यही चीज पारित की जानी है इस स्थिति में अधिकरण के निर्णय को अच्छा उचित एवं वैधानिक ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा। जिससे अधिकरण का अस्तित्व वैध बन जायेगा और उसके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

मैंने सदन को यह पहले से ही बता दिया है कि इस अधिकरण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने की थी और उच्च न्यायालयों के न्ययाधीश भी इसके सदस्य थे। अतः इसका पुनर्वलोकन केवल पुनरीक्षण समिति के द्वारा किया जा सकता है।

श्री सतीश अग्रवाल : सविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि अधिकरण के निर्णय को मात्र इसलिये चुनौती दी जा सकती कि इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने की थी। यह एक विसंगत बात है।

श्री केदार पांडे : अधिकरण में उल्लिखित निर्णय के अनुसार पुनरीक्षण समिति के द्वारा इसका पुनर्वलोकन किया जा सकता है।

अतः, यह एक अलग बात है। जहां तक बहुत से सदस्यों के द्वारा उल्लिखित दूसरे नदियों का सम्बन्ध है यथा-वनसागर बांध, गंगा से लेकर कावेरी तक, मैं सोचता हूं कि ये इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। गंगा से कावेरी की योजना कुछ साल पहले तैयार की गई थी जब

डा. के. एल. रावमंत्री थे। उसके बाद इसका पूर्णतः परीक्षण किया गया था। अब इंजीनियर लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है कि गंगा को कावेरी की तरफ मोड़ा जा सके।

श्री के. टी. कोसलराम (तिरुचेंडूर) : आपके पहले पूर्वाधिकारी ने मुझे लिखा था कि यह सम्भव है।

श्री केदार पांडे : अब इंजीनियर कहते हैं कि यह संभव नहीं है यही वैज्ञानिकों की अद्यतन राय है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सोचता हूँ कि इस उद्देश्य के लिए एक कुशल समिति की नियुक्ति की गई थी क्या इसकी नियुक्ति की गई और यदि हाँ तो क्या इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

सभापति महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय को इन प्रश्नों के जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री केदार पांडे : मैंने इस बात का उल्लेख इसलिये किया क्योंकि उन्होंने यह प्रश्न उठाया।

श्री नवल किशोर शर्मा : अगर वे इस विषय का उल्लेख न करते तो हम ये प्रश्न ही न उठाते।

श्री केदार पांडे : विधेयक में इस संबन्ध में कोई सुधार नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर हैं।

मैं सदन से इस विधेयक को पारित करने के लिए निवेदन करता हूँ।

श्री सतीश अग्रवाल : आपके द्वारा सदन में प्रस्ताव रखे जाने के पूर्व, एक शंका है उसे दूर किया जाना चाहिए।

श्री केदार पांडे : इस संबन्ध में कोई शंका नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : मंत्री महोदय ने बताया कि उनके सभापतित्व के अन्तर्गत जिस समिति क गठन किया किया जायेगा उस समिति को न्यायाधिकरण के द्वारा दिये गये निर्णय को बदलने का अधिकार होगा।

श्री केदार पांडे : पुनरीक्षण करने के लिये।

श्री सतीश अग्रवाल 'पुनरीक्षण करने' का मतलब 'बदलना' होता है।

श्री केदार पांडे : न्यायाधिकरण के निर्णय में ही पुनरीक्षण करने के लिए प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

नर्मदा नियंत्रण प्रधिकरण और पुनरीक्षण समिति ये ही न्यायाधिकरण के दो मुख्य निर्णय है।

श्री सतीश अग्रवाल : आप इस विधेयक के द्वारा इन दो प्राधिकरणों को वैध बना रहे हैं।

श्री केदार पांडे : हम न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : यही मैं कह रहा हूं कि नर्मदा ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय दिया है उस के अन्तर्गत दो अधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। उसी दृष्टि से इस प्रकार का संशोधन विधेयक आप सदन के सामने लाये हैं। आपने यह कहा कि ट्रिब्यूनल का कोई भी निर्णय

जो है उसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन वह जो रिव्यू कमेटी आपकी बन रही है...

श्री केदार पांडे : वह ट्रिब्यूनल के डेसीशन के अंदर है।

श्री सतीश अग्रवाल : हाँ, ट्रिब्यूनल के डेसीशन के अन्दर ही मैं कह रहा हूँ। उसके डेसीशन के अनुसार ही आप कानून में संशोधन ला रहे हैं। तो इस रिव्यू कमेटी को क्या यह अधिकार है कि वह ट्रिब्यूनल ने कोई डेसीशन दिया है उसमें किसी प्रकार का कोई रिव्यू करके तब्दीली कर सकती है ? अगर नहीं कर सकती है तो उस का जूरिस्डिक्शन क्या है ?

श्री केदार पांडे : नर्मदा कंट्रोल एथारिटी का जो डेसीशन होगा, उसमें दूसरा प्राविजन है कि उसको वह रिव्यू कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अपने उत्तर के दौरान मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया था कि न्यायाधिकरण के द्वारा जो भी निर्णय लिये जायेंगे उन्हें लागू किया जायेगा। अगर निर्णय दिया गया, उस स्थित में आप उसे न्यायालय में जाकर चुनौतों नहीं दे सकते हैं। मेरे कानून के प्रारंभिक ज्ञान के अनुसार, न्यायाधिकरण के द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय पर, जब तक कि संविधान में यह उल्लिखित न हो कि ये विशेष विषय वाद योग्य नहीं है आप हमेशा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और-ये दरवाजे बंद नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय ने जो बयान किया है उसे रिकार्ड में शामिल किया गया होगा वह उन्हें तकलीफ में डालेगा।

मैं, मंत्री महोदय से कहता हूँ कि वे अपने वक्तव्य में सुधार करें।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे इस विषय पर अपना विचार दें। यह एक विशुद्ध कानूनी विषय है और कानूनी राय की अपेक्षा माननीय मंत्री से नहीं की जाती है।

प्रो० मधु दन्डवते : यह कानूनी राय का प्रश्न नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट वक्तव्य दिया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। उन्होंने यह मामला उठाया है।

सभापति महोदय : यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है। संविधान में इसका उपबंध किया गया है। अगर आप इस विषय पर कोई कानूनी राय चाहते हैं तब माननीय मंत्री यहाँ कानूनी राय देने के लिये अपेक्षित नहीं हैं और अगर यदि वे गलत कानूनी राय देते हैं तो वे बाध्य नहीं है।

प्रो० मधु दन्डवते : आपको भी संदेह है कि उनके विचार गलत हैं

सभापति महोदय : मैं गलत या सही, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि माननीय मंत्री से सदन में कानूनीराय देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उन्होंने जो भी विचार व्यक्त किये हैं उनका माना जाना आवश्यक नहीं है,

श्री सतीश अग्रवाल : क्या उन्होंने पुनरीक्षण समिति के कार्य को सही ढंग से समझा है जिसका गठन इस संशोधन विधेयक के द्वारा किया जाना है ?

सभापति महोदय : एक आदमी को सभी दस्तावेजों को पढ़ना होगा, कानून को पढ़ना होगा संधि को पढ़ना होगा संविधान को पढ़ना होगा, तभी वह अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यह किसी के लिए संभव नहीं कि एकाएक विचार दे सके।

श्री सतीश अग्रवाल : सदन के समक्ष जो संशोधन विधेयक है न्यायाधिकरण के निर्णय का अनुशरण करते हुये माननीय मत्री विधेयक में दो प्रावधान निगमित (शामिल) करना चाहते हैं यह संशोधन विधेयक पुनरीक्षण समिति बनाने के लिए ही लाया गया है। पुनरीक्षण समिति का कार्य क्या है इसे सदन जानने का अधिकारी है।

सभापति महोदय : हम लोग बहुत सीमित विषय पर विचार कर रहे हैं। आप लोग माननीय मत्री से बहुत सारे विषयों पर राय माँग रहे हैं। जब तक वे ससी पहलुओं का अध्ययन नहीं करते, तब तक उनके लिये उत्तर देना संभव नहीं। अतः हमें उनसे यह नहीं पूछना चाहिये कि मामला उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में याअधिकार क्षेत्र से परे। अगर वे यह कहते हैं कि 'हाँ' और वह मामला अधिकार क्षेत्र में नहीं है तब अधिकार क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो सकता और यदि वे 'नहीं' कहते हैं और वह अधिकार क्षेत्र में है तब अधिकार क्षेत्र खतम नहीं हो जाता है।

श्री सतीश अग्रवाल : नर्मदा जल विवाद अधिकरण में हुये खर्च का क्या होगा ? इसका उत्तर वे नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय : खर्च के सम्बन्ध में और उन सभी चीजों के सम्बन्ध में आप प्रश्न पूछ कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : आखिर हमने इस अधिकरण पर लाखों रूपये खर्च किया है। हम न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने जा रहे हैं। सदन को इसे जानने का हक है। उन्होंने हमें यह बताना चाहिये।

श्री केदार पांडे : 330 करोड़ रुपये खर्च हुआ है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे प्रश्न न पूछें। अगर आप सभी सूचना जानने में रुचि रखते हैं तो आप प्रश्न पूछ और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : विधेयक न्यायाधिकरण से सम्बन्धित है। अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितनी राशि इस पर राज्यरोष से खर्च की गयी तो आप इसे इन्कार कैसे कर सकते हैं ?।

सभापति महोदय : अगर यह सूचना उनके पास उपलब्ध है तो वे उसे दे सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वे कह सकते हैं कि "मैं नोटिस चाहता हूँ।" आप इसे टाल नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं टाल नहीं रहा हूँ। यह मेरा निर्णय नहीं है। यह आपको सोचना चाहिए।

श्री एच. चन गौडा नन्जे हसन : मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार दूसरी नदियों के लिए ऐसी घाटी प्राधिकरणों की नियुक्ति के लिये 6 A के प्रावधान का सहारा नहीं लेगी।

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। प्रश्न यह है :

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न इस प्रकार है :

"खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री केदार पांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारत सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड बड़ौदा को मार्च 1973 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन पांच साल के लिये अपने हाथ में ले लिया था। कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन केन्द्रीय सरकार के द्वारा 1978 के अधिनियम (78 का 13) हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन एवं हस्तान्तरण) के बनने पर 1 अप्रैल 1978 से हुआ। उपक्रमों को उसी तारीख को राज्य सरकार को दे दिया गया था और गुजरात ट्रेक्टर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (जी.टी.सी.एल.) के नाम से क्रियाकलापों को चलाने के लिये एक नई कम्पनी बनाई गई।

अधिनियम में अन्य बातों के साथ कम्पनी के दायित्विकों परिसमाप्त करने का प्रावधान है। इसका अनुसरण करते हुये कम्पनी (भूतपूर्व हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड) को हस्तगत करने के पूर्व के दायित्वों को पूरा करने के लिये भुगतान आयुक्त को क्षतिपूर्ति की राशि 150 लाख रुपये दिये गये हैं। अधिनियम में संलग्न सूचि में उन वर्गों को दिखाया गया है जिनको भुगतान होना है। ऐसा सोचा गया था कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिये गये ऋण को भी उक्त राशि से भुगतान किया जायगा। जैसाकि 'उद्देश्यों और कारणों' के वक्तव्य में बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की पुस्तिकाओं में दिये गये विवरण से इन ऋणों को कम्पनी को हाथ में लेने के पूर्व के ऋणों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

संशोधन करने वाले विधेयक में इस बारे में विशेष व्यवस्था की गई है।

श्रीमान, मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस साधारण से संशोधन के प्रतिकूल मैंने कुछ नहीं विरोध करना है। मुझे केवल कुछ बातें कहनी हैं। जब मूल अधिनियम पारित हुआ था तब उसमें व्यवस्था थी कि अधिकार में लिए जाने की अवधि से पहले के ऋण तथा देनदारियाँ जमा कर्त्ताओं को वापस की जायेगी। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये गये ऋणों के निपटारे के बारे में जो व्यवस्था स्टेट बैंक ने की है उसे क्रियान्वित किया जा सके। मेरा प्रश्न अत्यन्त सरल है। 1978 का अधिनियम 13 1978 में पारित हुआ था। परन्तु तब से यह कम्पनी सही रूप में कार्य नहीं कर रही है। यह ऐसी वस्तुओं का निर्माण करती रही हैं जो हमारे कृषि उत्पादन के लिए अनिवार्य हैं। अधिग्रहण करने के समय ट्रैक्टर का मूल्य 15000 से बढ़कर 40000-50000 प्रति ट्रैक्टर कर दिया गया। अधिग्रहण के बाद इस कम्पनी की उपलब्धियाँ क्या हैं ? क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं। क्या उसके बाद वे मूल्य में कोई कमी ला पाये अथवा उत्पादों में गुणात्मक सुधार कर पाये ? अभी तक इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय के पास यह सिद्ध करने के लिए कोई तथ्य है कि अधिकार में लिए जाने के बाद की गई कार्यवाही फैक्टरी की रुग्णता दूर करने तथा ट्रैक्टरों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त सहायता देने में सफल हुई।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए भी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। अधिग्रहण पूर्व अवधि के क्षति पूर्ति के रूप में ऋण दाताओं को देने के लिए 115 लाख रुपए पृथक रखे गये। उसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि आदि का धन भी सम्मिलित है। मेरी जानकारी के अनुसार सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों को भारी धन अभी भी देय है। भविष्य निधि की राशि के निपटारे के लिए क्या व्यवस्था की गई है, यह मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी ओर मुझे पता चला है कि इसके लिए कुछ नहीं किया गया। इस लिए समक्ष प्रबन्ध एवं बेहतर निष्पादन अभी भी संभव नहीं हो सका है।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि जिस ट्रैक्टर की 1973 में 15000 रुपये लागत थी वह अब 40000-50000 रुपए में बिक रहा है। इस प्रकार अधिग्रहण के बाद वास्तविक लाभ क्या हुआ। इसे सभा में स्पष्ट किया जाये। हमारा अनुभव यह है कि कुछ उद्योगों के बारे में जिन्हे अधिकार में लिया गया अथवा रुग्ण मिलों के रूप में अधिकार में लिया गया, उनमें कोई प्रभावी सुधार नहीं लाये जा सके, वैसा ही इस कम्पनी के बारे में हुआ है। यद्यपि मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं, फिर भी मुझे एक सन्देह है। आप वित्तीय संगठनों से लिए गये ऋणों एवं अन्य धनों की अदयगी का दायित्व ले रहे हैं। परन्तु हिन्दुस्तान ट्रैक्टरस लिमिटेड के उचित संचालन एवं उचित प्रबन्ध की क्या स्थिति है ?

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। कई मामलों में यह पाया गया कि प्रबन्धक अपना दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। दूसरी ओर प्रबन्धकों द्वारा कदाचार किये जाते हैं। परिणाम स्वरुप अधिकाहीत: इस प्रकार के उद्योग रुग्ण हो जाते हैं मैं सरकार से इनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए विधेयक लाती है। प्रबन्ध के अधिग्रहण के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

इस प्रकार के उद्योग को अधिकार में लिए जाने अथवा राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या नीति है जिनका कि आप अब राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। इसे स्पस्ट किया जाना चाहिए।

दूसरी बात दीर्घ अवधि तक सेवा करने वाले कर्मचारियों की देय राशि के बारे में है। यहाँ यह उल्लेख नहीं किया गया कि क्या ऐसी देय राशियाँ देदी गई हैं या नहीं इसके अतिरिक्त आप इस उद्योग का प्रबन्ध किसे सौंप रहे हैं अथवा इसे आप किसको सौंप रहें हैं। तुलन-पत्र से ही यह पता चल सकता है कि इसे सुचारु रुप से चलाया जा सकता है अथवा नहीं। मैं यह नहीं जान पाया कि क्या यह कम्पनी प्रगति कर रही है अथवा नहीं। केवल तुलन-पत्र से ही यह पता चलेगा। दूसरी ओर रुग्णता थी। अभी भी पहले का सा कुप्रबन्ध जारी है। मुझे सन्देह है कि वर्तमान प्रबन्ध इस विधेयक के पारित होने के बाद भी सफल होगा अथवा नहीं।

इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि ट्रैक्टर कारखाने के बारे में वास्तविक विवरण दें तथा बतायें कि किसानों को सप्लाई किये जाने वाले ट्रैक्टरों के मूल्य में कितनी कमी हुई है। कम से कम इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि इसे स्पष्ट कर दिया जाये तो सन्देह पैदा नहीं होगा। जब भी किसी रुग्ण कारखाने को अधिकार में लिया जाता है। तो रुग्णता: बनी रहती है। परिणाम स्वरुप वहां काम करने वाले बहुत हानि में रहते हैं इन शब्दों के साथ मैं सभा के समक्ष संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानकर्षण प्रस्ताव लेते हैं।

श्री चरणजीत चानना : मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया मुझे एक ही मिनट दीजिए। मैं समझता था कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। ऐसा आयास हमें अपनी ओर से मिला था।

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टाचार्य, कल सभा में क्या हुआ वह आपने नहीं सुना। आप कल की कार्यवाही देखें तो आपको पता चल जायेगा कि क्या हुआ। अन्यथा भी ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिये थी।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : हर किसी से भूल होती है।

अध्यक्ष महोदय . आप वाद-विवाद को देखें तो आपको पता चल जायेगा। हम इस विधेयक को कुछ मिनट और दे सकते हैं।

श्री जेवियर मराकल : (एर्णाकुलम) मंत्री महोदय द्वारा अभी पुर:स्थापित किये गये संशोधनकारी विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। 1973 में जब प्रबन्ध हाथ में लिया गया था तब इस फर्म की देनदारी 150 लाख रुपए थी। 1978 में विधेयक पुर:स्थापित करते समय जार्ज फर्नांडिज ने उसके दो कारण बताये थे। एक कारण लोक हित था और दूसरा कारण इसको भारी हानि होना था। इन दो कारणों ने सरकार को कम्पनी को पूरी परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएं हाथ में लेने पर बाध्य किया। 1978 में विधेयक के खण्ड 5 के बाद मैं देखता हूँ कि देनदारी बढ़कर 392 लाख रुपए हो गई है और खण्ड 9 के अध्ययन से पता चलता है कि 250 लाख रुपए अधिकार में लेने के लिए प्रबन्धकों को दिये जाने थे। इस प्रकार इस फर्म को अधिकार में लेने पर और इसकी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को अधिकार में लेने पर विपुल राशि खर्च करनी पड़ी परन्तु कारण एवं उद्देश्य बताने वाला विवरण अत्यन्त अस्पष्ट है। इससे

यह स्पष्ट नहीं होता कि ऋण की कितनी राशि भारतीय स्टेट बैंक को दी जानी है। यदि आप उद्देश्यों तथा कारणों संबन्धी विवरण के अंतिम वाक्य को देखें, जोकि निम्न प्रकार हैं :

अधिकार में लिये जाने के बाद लिए गये स्टेट बैंक के ऋणों को जहां तक उन्हें अधिकार में लिये जाने से पूर्व ऋणों को निपटाने के लिए लिया गया हो तो उन्हें वही दर्जा दिया जाना चाहिए जोकि अधिकार में लिये जाने के पहले के ऋणों को प्राप्त है।"

इसमें संदिग्धता है। मुझे वित्तीत ज्ञापन से देयता के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है राष्ट्र सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर भारी धन व्यय कर रहा है तथा हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि सरकारी क्षेत्र लाभ पर चलें, हानि में नहीं। इस संशोधनकारी विधेयक के बारे में मुझे यही कहना है। यह अधिकार में ली गई देयता देय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कैसे दी जायेगी। विधेयक को प्रस्तुत करते समय इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए था। इस टिप्पणी के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है यह बिल पूरी तरह से एक फोरमल बिल है। मैं इस बिल के जरिए से सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी ट्रैक्टर बनाने की कम्पनियाँ हैं, उनकी जो फक्शनिंग है, वह निश्चित तौर पर देश की जो आवश्यकता हैं, उसके अनुकूल नहीं है। हमारा कृषि प्रधान देश है। देश के तथा कृषि के विकास के लिए ट्रैक्टरों की आवश्यकता निर्विवाद है। फिर भी हम लोगों का अनुभव ऐसा है कि आज इन ट्रैक्टरों के उत्पादन तथा वितरण के सिलसिले में अव्यवस्था है जो काफी चिन्तनीय है। इस कारण से देश की कृषि को काफी नुकसान हो रहा है। स्थिति नाजुक है। किसानों में ट्रैक्टरों की भूख है, वह इनकी जोरों से मांग करता है। स्थिति इतनी नाजुक है कि जो ट्रैक्टर दिए भी जाते हैं उनको देने में भी जम कर भ्रष्टाचार होता है। किसानों को आसान शर्तों पर और सुविधापूर्वक ट्रैक्टर दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों में ज्यादातर आबादी छोटे तथा मझोले किसानों की है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर बनते हैं वे इस तरह के होते हैं कि छोटे और मझोले किसानों की पहुँच के वे बाहर होते हैं। कम्पनियों को हाथ में तो ले लिया जाता है, उनकी लायाविलिटीज को तो सरकार अपने ऊपर ले लेती है लेकिन ट्रैक्टरों की किस प्रकार की मांग है और आवश्यकता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऐसा लगता है कि जो बड़े किसान हैं, जो धनी किसान हैं सरकार की नीतियाँ भी उनके ही पक्ष में जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी इन नीतियों में परिवर्तन करें और ट्रैक्टरों की उत्पाद क्षमता को बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि छोटे और मझोले किसानों को आसान शर्तों पर और सुविधापूर्वक ट्रैक्टर मिल सकें।

ट्रैक्टरों के मामले में हमारी जिम्मेदारी रोजाना बढ़ती जा रही है। आज देश में अकाल की स्थिति है सुखाड़ है और देश का बहुत बड़ा हिस्सा उससे पीड़ित है। किसान जब इस स्थिति से लड़ने के लिए ट्रैक्टरों की मांग करता है तो उसको निराश ही होना पड़ता है। सरकार तथा बैंकों की जो कर्ज देने की नीति है वह भी इस मामले में बाधक है और किसानों को उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो किसान

आगे बढ़ कर सहायता पहुँचना चाहते हैं वह पहुंच नहीं पाते। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

यह बिल एक फार्मल सा बिल है और इसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं उनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री चरणजीत चानना : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं उन सदस्यों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने कुछ मामले उठाये हैं जो अपने आप में सामान्य हैं परन्तु जब मैं उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा तो आप तथ्यों को स्वीकार करेंगे। मैं इस पहलु पर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं दूसरे प्रकार से शुरू कर सकता हूँ कि अग्रता की अनुसूची तैयार की जाये। माननीय सदस्य ने कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी की बात की है। माननीय सदस्य इसे मूल विधेयक में देख सकते हैं। अधिनियम का यह भाग उनकी जानकारी में इसीलिए आया है कि क्योंकि हमने अग्रता अनुसूची में कोई संशोधन नहीं रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास विचाराधीन एक अनुसूची है जिसका भाग 2 कर्मचारियों की भविष्य निधि, वेतनों आदि की अदायगी से सम्बन्धित है जब कभी रुग्णता अथवा अन्य कारणों से अधिग्रहण की आवश्यकता समझी जाती है ये बकाया राशियां एक संस्था द्वारा दी जाती हैं जिसे अदायगी सम्बन्धी आयुक्त कहा जाता है, अदायगी का कार्य उक्त आयुक्त को सौंप दिया गया है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह उठाई है कि एक बार रूग्ण इकाई को अधिकार में ले लिया जाता है तो उसमें सुधार के लक्षण प्रकट होने चाहिएं। यदि ऐसा होता तो इसका अर्थ है कि रोग पुराना है। परन्तु तब भी कुछ सुधार के लक्षण होने चाहिए।

एक कारखाने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए हमें उसके उत्पादन लाभ आदि पर ध्यान देना होता है। मुझे माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामलों के जवाब में आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। 1973 में जब रूग्ण कम्पनी उपचारार्थ सरकारी नियंत्रण में ली गई थी तब उत्पादन 509 हैक्टर था। उसके बाद यह उत्पादन बढ़ा और 1974-75 में 819, 1975-76 में 940, 1976-77 में 1615, 2101, 1977-78 में 2101 और 1978-79 में 1654 ट्रेक्टरों का उत्पादन हुआ। मैं समझता हूँ पहला लक्षण बुरा नहीं है। इससे कम्पनी द्वारा ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि प्रकट होती है। अब मैं दूसरे पहलु अर्थात्, बिक्री को लेता हूं। 1973-1974 में यह 534 थीं, और बाद के वर्षों में यह क्रमशः 725, 954, 1651, 2150 और 2500 रही। कम्पनी के कारबार सम्बन्धी आंकड़ों से शायद आप संतुष्ट होंगे। 1973-74 में इसने 174·64 लाख रुपये की बिक्री की जोकि बाद के वर्षों यानि 1974·75, 1975·76, 1976·77, 1977·78 और 1978·79 में क्रमशः 354·87 लाख, 507·05 लाख 879·26 लाख, 1123·84 लाख और 1510·70 लाख रुपये हो गयी।

माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, कि क्या कम्पनी लाभ दे रही है अथवा अभी भी घाटे में जा रही है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान कम्पनी के हानि लाभ के रूख की ओर दिलाना चाहता हूँ। जब 1973-74 में कम्पनी सरकारी नियंत्रण में ली गई तब उसे 26·59 लाख रुपये की वार्षिक हानि हुई थी। अगले वर्ष यह घटकर 25·46 लाख रुपये रह गई। 1975·76 में यह 34·76 लाख रुपये तक पहुंच गई। 1976·77 में घटकर

8·69 लाख रुपये रह गई। कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के बाद 1977·78 में कम्पनी ने पहली बार 1 25 लाख रुपये का लाभ दिखाया। 1978·79 में लाभ 20 लाख रुपये रहा।

अगली बात जो माननीय सदस्य श्री दीनेन भट्टाचार्य ने उठाई वास्तव में अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों से मेल खाती है तथा उसका सम्बन्ध ट्रेक्टरों की बिक्री से है। माननीय सदस्य ने कृषि क्षेत्र में ट्रेक्टरों के महत्व, उचित वितरण पद्धति, छोटे तथा मध्य वर्ग के किसानों को होने वाले लाभों पर एक बहुत ही रुचिकर भाषण दिया। सदस्य महोदय स्वीकार करेंगे कि इस मामले में हम सब की एक राय है, परन्तु यह पूर्णता भिन्न मामला है इस विधेयक का उद्देश्य कम्पनी को सुदृढ़ बनाना और किसानों को ट्रेक्टर उपलब्ध करना है और कुछ नहीं···

श्री दीनेन भट्टाचार्य : किस कीमत पर।

श्री चरणजीत चानना : मैं उस बात को ले रहा हूँ। माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि जहाँ तक मूल्य निर्धारण का प्रश्न है इसका संबन्ध पूरे मूल्य स्तर, उत्पादन लागत तथा कच्चे माल के मूल्यों आदि से है। और यदि आप इसकी बाजार भाव से तुलना करेंगे तो उसका सम्बन्ध पूँजी की बढ़ती हुई कीमत से स्थापित करना होगा। वास्तव में, हम सदा मुद्रा स्फीति की बात करते आये हैं। जैसा कि आज भी कर रहे हैं। चूंकि इस कारखाने में अब सुधार होने लगा है। इसलिए दूसरी स्थिति हमारे सामने आ सकती हैं। जब हम घाटे में चल रहे हैं तो हम वस्तुओं का उत्पादन व्यय से कम पर बेचना नहीं चाहेंगे। उत्पाद व्यय अधिक है। बाजार भावों के सम्बन्ध में लागत वृद्धि की बात संगत है (व्यवधान)···इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती। आर्थिक सहायता रुग्ण मिलो को दी जाती है, परन्तु वे सदा आर्थिक सहायता पर नहीं चल सकते। ऐसे प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए जिनसे उपकी रुग्णता दूर हो सके। इस संशोधन का सम्बन्ध अति विशेष बात से है जिससे कि हम परिस्थिति को सुधारने की चेष्टा कर रहें हैं। सार्वजनिक निधि अर्थात स्टेट बैंक आफ इन्डिया की देनदारियों की अदायगी की व्यवस्था कर रहे हैं, स्टेट बैंक का सम्बन्ध देश के प्रत्येक व्यक्ति से है।

मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक पर इसी सन्दर्भ में विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का ग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री चरणजीत चानना : मैं प्रस्ताव करता हूं ?

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपुरा के दो जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"बड़े पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं में भारी संख्या में लोगों के हताहत होने के कारण त्रिपुरा के दो जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने का समाचार।"

गृह मन्त्री (श्री जैलसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, 7 जून से त्रिपुरा के अन्दर गम्भीर हिंसा की घटनायें होने के कारण मैं अपने साथियों, वाणिज्य मन्त्री और उपमन्त्री, सिविल सप्लाईज और पुनर्वास, के साथ 11 जून को त्रिपुरा गया था। राज्य सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार 315 आदमियों की जानें गई, सैकड़ों लोग घायल हुए 100 के ऊपर गांवों में घरों को जलाया गया और एक लाख से अधिक व्यक्ति बेघर हो गये और उन्हें सहायता कैम्पों में ठहराया गया है। कुछ लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है कि जान और माल का नुकसान इससे भी ज्यादा हुआ है।

मैंने तथा मेरे साथी मंत्रियों ने उन स्थानों का सर्वेक्षण भी किया, जहां हिंसक घटनायें हुई थीं और यह देखा कि बहुत से गांवों में खाली घरों में उस समय तक भी आग जल रही थी। हम कुछ सहायता कैम्पों और अगरतल्ला हास्पिटल में भी गये, जहां लगभग 500 घायलों को भर्ती किया गया है, और उन दुखी लोगों की करूणापूर्ण और दिल दहला देने वाली कथायें भी सुनीं। हमने उनके प्रति सहानुभूति दिखलाई और बतलाया कि यह सरकार इनके बारे में बहुत चिन्तित है आश्वासन दिया कि सरकार अपराधियों को दन्ड देने के लिये पूरी कोशिश करेगी तथा हिंसात्मक घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को हर प्रकार की सहायता देगी। अगरतल्ला के दौरे के दौरान हम से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि-मन्डल भी मिले।

उपरोक्त हिंसात्मक घटनाओं के बारे में कोई अन्तिम निर्णय अभी इस समय नहीं किया जा सकता। लेकिन यह साफ है कि विभिन्न ग्रुपों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसका एक कारण निश्चित रूप से आसाम के आन्दोलन का प्रभाव भी है। ऐसा लगता है कि हिंसक और समाज विरोधी तत्वों ने स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की।

केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया और सहायता शुरू कर दी। सेना और पैरा-मिलिट्री फोर्सेज तुरन्त भेज दी गई हैं। उनकी टुकड़ियों को हवाई जहाज से भेजा गया और वह भीतरी भागों में तैनात कर दी गई है राज्य सरकार लगभग 715 व्यक्तियों को हिरासत में ले चुकी है लेकिन स्थिति अभी तनावपूर्ण दिखाई देती है और इस पर कड़ी नजर रखना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस सदन की सहानुभूति उन परिवारों को पहुँचाना चाहता हूँ जिनका इन हिंसात्मक घटनाओं के कारण जान व माल माल का नुकसान हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री के बयान को हम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वह असाधारण है। अगर उसे नरमेध की संज्ञा दी जाय तो अतिशोयोक्ति नहीं होगी। स्वतन्त्र भारत में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाना और उनका घरों से निकाला जाना—और दुख की बात यह है कि घरों से जो लोग निकाले गये हैं उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो एक बार उजड़ कर हमारे देश में फिर से बसने के लिए आये थे, आज फिर वे अपने ही देश में शरणार्थी हो गये हैं।

गृह मन्त्री महोदय ने सारे सदन की ओर से मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है और उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट की है, मैं उसमें अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं।

इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव बड़ी तैयारी के बाद ही हो सकते हैं। यह तैयारी कब से चल रही थी ? उपद्रवकारियों के हाथ में हथियार कहां से आए ? विदेशी हथियार उन्हें प्राप्त हो रहे हैं इस तरह के समाचार छपे हैं, उनमें कहां तक सच्चाई है ?

पहले भी इस आशय की खबर मिली थी कि त्रिपुरा में एक त्रिपुर सेना बनी है जो त्रिपुरा को मुक्त करने की बात करती है और सशक्त क्रान्ति के माध्यम से इस प्रकार से पृथक-करण करना चाहती है। एक ओर मिजो नेशनल फ्रन्ट से इनके गठबन्धन की बात कही जाती है, दूसरे यह कहा जाता है कि इनके लोग चटगांव हिल-ट्रैक्ट्स में जाकर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

मन्त्री जी ने आसाम के अन्दोलन को भी इसमें जोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि एक कारण यह है। हो सकता है कि आसाम के आन्दोलन की प्रतिक्रिया वहां हुई हो. मगर मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे कि त्रिपुरा का मामला वर्षों से बिगड़ रहा है। मैं पुराने अखबारों की कतरने देख रहा था।

त्रिपुरा की राजनीतिक क्षति में गहरे अंधकारमय बादल छा रहे हैं। जनसांख्यिकीय असंतुलन और भूमि पर बढ़ते हुए दबाव खाद्य का भाव बढ़ती हुई बेरोजगारी, पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों की परी उपेक्षा निष्क्रिय परन्तु शक्तिशाली नौकरशाही के कारण इस सुरक्षित क्षेत्र में ऐसे हालत पैदा हो गये हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिन्दुओं का निरन्तर आगमन होने लगा है।

इसके बाद त्रिपुरा में कुछ राजनीतिक कदम उठाये गए जिनके अन्तर्गत लोगों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपना शासन चलाने का मौका मिला लेकिन वहां के ट्राइबल्स को ऐसा लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में है, शायद उनकी पहिचान भी समाप्त हो जायेगी।

क्या यह सच है कि त्रिपुरा में जो वर्तमान सरकार है वह चाहती थी कि ट्राइबल एरियाज में आटोनामस डिस्ट्रक्टस बनें, उनकी कौन्सिल हो और वह कौन्सिल अपने जिले का शासन सम्हाले। इस बारे में एक एक्ट भी बना, राष्ट्रपति महोदय ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन वह अमल पर नहीं आ सका क्योंकि शायद वह मामला हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है।

मैं जानना चाहता हू कि राजनीतिक दृष्टि से सारे सवाल को हल करने के लिए इससे पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाये गए ?

अभी तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना पहला कर्तव्य है। इसलिए जिन्होंने हथियार इकट्ठे किए, उनका उपयोग किया और जो बड़े पैमाने पर हत्याकांड के दोषी हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी लेकिन यह आवश्यक है कि केन्द्र और त्रिपुरा की सरकार के बीच में पूरा तालमेल हो। इसमें राजनीतिक स्वार्थों को बीच में आने देने की छूट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी यह माँग आती है, काँग्रेस (आई.) के मित्रों से कि त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये क्योंकि वहाँ की सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सफल नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा क्या इस तरह का विचार सरकार के दिमाग में कहीं है ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अगर नरमेध चलता रहे तो ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह चलता रहे तो केन्द्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर कदम उठाएं। प्रदेश सरकार को समाप्त करने से सारी परिस्थिति और बिगड़ जायेगी और उसको सुधारने की सम्भावना नहीं रहेगी, या फिर आप कहें की प्रदेश की सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में मदद नहीं दे रही है, वह बाधक बन रही है। इसलिए इतना जरूरी है।

दूसरी बात यह कि मन्त्री महोदय अपनी यात्रा के दौरान उनकी यात्रा बहुत छोटी थी, मैं मानता हूं वे तत्काल गए यह यह बहुत अच्छा हुआ—वाणिज्य मन्त्री को अपने साथ क्यों ले गए, यह बात समझ में नहीं आई। उनके अपने कारण होंगे, में उनमें नहीं जानना चाहता। लेकिन आर्थिक दृष्टि से त्रिपुरा की उपेक्षा हुई है। वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए कोई लम्बे चौड़े कार्यक्रम नहीं बन सकते और न चर्चा हो सकती है हो सकता है कि अपनी सहायता के लिए गृह मन्त्री उन्हें ले गये हों कि बगला भाषियों से बात करने में श्री प्रणव मुकर्जी उनकी सहायता कर सकें। गृह मन्त्री जी ने शायद इस सम्बन्ध में उनकी सहायता प्राप्त की हो। त्रिपुरा समस्या के दो पहलू है. एक तो हत्याकांड बन्द करना, हिंसा की समाप्ति और शान्ति की स्थापना और दूसरे ट्राइबल्स में यह विश्वास पैदा करना कि भले ही बड़ी संख्या में लोग आये हैं, बसे हैं, जिससे उनकी आबादी घट गई है फिर भी उनके हितों की, उनके जीवन पद्धति की रक्षा की रक्षा की जायेगी। परन्तु इस तरह का कोई भी वक्तव्य गृह मन्त्री जी का मैंने नहीं समाचार-पत्रों में छपा हुआ नहीं देखा है। एक बयान में आपने यह कहा है कि त्रिपुरा की समस्या आर्थिक नहीं है। लेकिन त्रिपुरा की समस्या आर्थिक भी हैं और ट्राइबल्स द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि इतना बड़ा नरमेध बड़ी तैयारी के के बाद होना चाहिए तो सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी ? त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री दिल्ली में आये हुए थे। (व्यवधान) राज्यों की सी० आई० डी० होती है, उसको हम पहचान सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की इन्टेलिजेंस क्या कर रही थी ? केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध

में पूरी जानकारी थी या नहीं ? क्या उसे आभास था कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याकांड की तैयारी हो रही है ? मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है—मिलिटेंट ऐन्ड ऐन्टी सोशल एलिमेंटस तो यह कौन से तत्व हैं ? (व्यवधान) कांग्रेस के एक सदस्य कह रहे हैं आर० एस० एस० वाले लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब अफगानिस्तान के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो विदेश मंत्री ने आर० एस० एस० को अफगानिस्तान की समस्या के लिए दोषी नहीं ठहराया त्रिपुरा में ये मिलिटेंट कौन हैं, इनका किनके साथ सम्बन्ध है ? बाहर से रुपया आ रहा है और हथियार आ रहे हैं, क्या उसकी रोकथाम की कोशिश की गई है और मंत्री महोदय क्या समझते हैं कि कब तक सारी परिस्थिति पर काबू प्राप्त कर लिया जायगा ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वाजपेयी जी ने कई बातें कही हैं। आखिर में तो वह सवालों पर ही आये, लेकिन उन्होंने कुछ तामीरी बातें भी कही हैं, उनके लिए मैं उनका मशकूर हूँ।

उन्होंने पूछा कि ये हथियार कहां से आये हैं ? हथियार जिनका नाजायज इस्तेमाल हुआ है, वे वहीं बनाए गये थे। जो अब तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कुछ ऐसे असलाह इस्तेमाल हुए हैं। जिनके लाइसेंस सरकार ने दिये थे, वही लाइसेंस के असलाह इस्तेमाल हुए हैं। विदेशी बने हुए या विदेश के शस्त्र पकड़े गए हैं वहां की सरकार ने हम को ऐसा नहीं बताया है और हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं पहुची है।

एक बात वाजपेयी जी ने कही कि जो लोग पहले उजड़ कर आये थे, वे फिर उजाड़े गये यह बात सारी सही नहीं है। बहुत से तो ऐसे लोग घरों से निकाले गये जो सदियों से वहीं बसते थे। वे किसी भी जमाने में किसी दूसरी प्रान्त में भी नहीं थे, वहीं रहते थे और मैंने वहां एक छोटा सा कैम्प भी जो ट्राइबल्ज का था अब देखने यह है कि जो नफ़रत की भावना का आज वहां प्रचार है, कास्टिज्यु, कम्युनलिज्म ट्राइबल्स, नान-ट्राइबल्स का जो प्रचार है, उसको रोका नहीं गया और काफ़ी मुद्दत से वह प्रचार हो रहा था जिसका असर लाजमी तौर पर होना था।

आप यह मानेंगे कि तैयारी पहले की गई होगी, मैं भी आशंका प्रकट करता हूँ कि तैयारी पहले की गई होगी, लेकिन वाजपेयी जी आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे कि त्रिपुरा की सरकार हो या कोई और सरकार हो, कांग्रेस (आई) की सरकार न हो, तब भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो है, वह भेदभाव नहीं रखती है। उनके साथ पूरे सहयोग से चलती है, और हम को ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है कि त्रिपुरा की सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के साथ या उनकी जो आज्ञा का पालन करना जरूरी है उसमें या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सब्जेक्ट में कोई दखल दिया हो। इस लिए यह बात कहना वैसे तो यथार्थ है. इन-प्रिन्सिपल अच्छी बात है कि मिलजुल कर दोनों को काम करना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है, इस में आप को कोई चिन्ता प्रकट नहीं करनी चाहिये। अगर आप यह भी मानेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, वहां पर ड्यूली इलैक्टेड लोगों की सरकार है, वहां के अन्दरूनी मामलात में, छोटी-मोटी बातो में, मदाखलत करना मुनासिब नहीं समझती है। जो स्टेट का सब्जैक्ट है, उसमें बगैर स्टेट की डिमाण्ड के सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट मदाखलत करे या ऐसे समय में की जा सकती है जैसा कि इन दिनों में त्रिपुरा में वाक्य हुआ है, उस के लिए भी आप यह कह रहे हैं कि मदाखलत न करे। आपने

कांग्रेस (आई) के किसी लीडर का कोई स्टेटमेन्ट देख लिया होगा, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई। हमारे किसी कांग्रेस (आई) के नेता ने यह बात नहीं कही कि चूंकि त्रिपुरा की सरकार वहां के अमन और शान्ति में फेल हो गई है, इस लिए वहां की असेम्बली को डिज़ाल्व कर दिया जाय। ऐसी बात हम ने सोची भी नहीं है और हमारे दिमाग में भी नहीं है। हमने तो जितनी मदद उन को चाहिए, उतनी मदद दे दी है, और भी मदद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बात का ख्याल कि कितनी तैयारी उन्होने की है, उनको करनी चाहिए, हमारी सैन्ट्रल इन्टेलिजेन्स को भी करनी चाहिये।

लेकिन हमारी सैन्ट्रल इन्टैलिजेन्स ने जो वक्तन फवक्तन इत्तिला दी, उस के बारे में हमने तमाम हिन्दुस्तान के गवर्नरों और मुख्य मंत्रियों को लिखा था। उसमें कुछ थोड़ी सी स्टेट्स में नफ़रत की भावना और नफरत के प्रचार की बात थी, लेकिन हमने सब को लिखा कि इस बात पर कड़ी निगाह रखी जाय, क्योंकि कास्टइज्म, रीजनलिज्य, लिग्वलिज्म, ये सब चीजें हम को एक दूसरे का दुश्मन बना सकती हैं, इन को रोकने के लिये स्पेशल इन्तजाम करना चाहिये, इन पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। साथ ही साथ हमने यह भी लिखा शायद आ प के पास मेरा वह पत्र और एक पत्र प्रधान मंत्री जी का भी गया हो उनमें इन सारी बातों पर ध्यान रखने के लिये कहा गया था। लेकिन इस में किसी को मजबूर करने का प्रश्न नहीं है और आप भी किसी को मजबूर करने के हक में नहीं है। आप की भी यह राय है कि हम स्टेट गवर्नमेन्ट के साथ मिलजुल कर इस मामले का हल निकालें ताकि आइन्दा के लिये कोई ऐसा वाक्या न हो।

आपने पूछा है कि मिलिटेन्ट ग्रुप्स कौन से हैं, कहां से आते हैं और क्या विदेशी शक्तियों ने कोई दखल दिया है या नहीं दिया है। इसके प्रति मेरा तो यह विश्वास है कि जहां भी डिस्टरबेंस हों, झगड़ा हो, एक दूसरे के खिलाफ भाई का भाई गला काटने को तैयार हो तो दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ऐसे हालत में खुश होती हैं और कोशिश करती हैं कि उसमें दखल दिया जाय ताकि उस मामले को बढ़ाया जाय और उस बढ़ावे में किसी न किसी ताकत का हाथ हो सकता है। उसको आर्गेनाइज करने वाली ताकतें, जैसा मैंने आसाम के प्रति कहा था, परसों, वाजपेयी जी आप हाउस में नहीं थे, मैंने दरख्वास्त की थी, भले ही आपने नेकनीयती से वहां के नौजवानों को आर्गेनाइज किया हो, जो सात हजार के करीब थे, लेकिन इसके फलस्वरूप कोई अच्छी बात नहीं निकली और आज वह बात उनके हाथों में भी नहीं रही। शायद आपने तो सिर्फ इसलिये आर्गेनाइज करवाया हो या आर. एस. एस. ने इसलिये आर्गेनाइज किया हो कि धार्मिक तौर पर भारत की संस्कृति को मजबूत रखने के लिए, नौजवानों में शिष्टाचार पैदा करने के लिए-शायद यह सब किया हो, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ? गैर-हिन्दुओं के मन में नफरत पैदा हुई-यह बुरी बात थी। अब उसको सुधारने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, आर. एस. एस. के नेताओं से अपील करूंगा। मैं ही नहीं कहता, आप खुद ही जाकर देख लीजिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है। इन शक्तियों के पीछे सहायता देने वाले आर. एस. एस. के वालंटीयर्स हैं या नहीं है, मैं इस बात को आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात को आप मानेंगे, कि जब मिलिटेंट फोर्सेज का जिक्र करते हैं तो उनमें आर. एस. एस. भी आती हैं, जो पैरा-मिलिट्री संस्था की तरह से काम करती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा की बात हो रही है, असम की नहीं।

श्री जैल सिंह : इसका मतलब है कि आपने माना, मेरे से इत्तिफाक किया है। इसमें एक कारण यह भी था कि मैंने अपने स्टेटमेंट को बहुत गार्डेड लेंग्वेज में दिया है। मैं यह नहीं चाहता कि उन बातों को हाई-लाइट किया जाय जो बातें वहां होती रही हैं, वह कौन-सा ग्रुप था, कैसे लड़ा, क्यों लड़ा, इन बातों की डिटेल में अगर हम पार्लियामेंट में जायेंगे तो वे हाइ-लाइट होंगी। हम नहीं चाहते हैं कि नफरत बढ़े, हम यही चाहते हैं कि उनको तरीके से सुलझाया जाय।

आपका ख्याल था कि आटोनामस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिए कोई बिल आया था—आप दुरुस्त कहते हैं। त्रिपुरा माहिम जातिया क्षेत्र जिला परिषद् अधिनियम, 1979 की वैधता को गौहाटी उच्च न्यायालय में चुनौति दी गई। इस बात से इत्तिफाक करता हूँ कि उस एक्ट से भी कुछ भावना जरूर पैदा हुई होगी, क्योंकि आटोनामस शब्द से किसी को यह कहना कि मैं आजाद नहीं हूँ स्वतन्त्र नहीं हूँ, मुझे स्वतन्त्रता दी जाय, इस से अलहदगी की भावना पैदा होती है। वाजपेयी जी ने भी माना है कि अलेहदगी की भावना भी वहाँ कुछ काम करती है। आपने यह भी कहा है कि त्रिपुरा को अलेहदा करने के लिए त्रिपुरा की सेना बनी है। मैं इस मामले में आपसे इत्तिफाक करता हूँ कि इस चीज को राजनीतिक तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा-सा एमेंडमेंट कर लीजिए। आप यह कह दीजिए कि पार्टी के तौर पर नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो इस को करना ही है, राजनीति के वगैर सुधारा नहीं जा सकता। हम यहां क्यों आए हैं ? राजनीति में ही आए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपयी : मेरा मतलब पार्टी से ही था, पोलीटीक्ल काटेक्स्ट में नहीं था।

श्री जैल सिंह : शुक्रिया। धन्यवाद आपका। मैं यह कहता हूँ कि राजनीतिक तौर पर तो इस को करना ही पड़ेगा लेकिन आप यह कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर सुधारने के लिए आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शक्तियों को भी साथ लिया जाए। यह बात तो हो सकती है। यह कह दें कि राजनीतिक को छोड़ दो, तो यह समस्या कैसे हल होगी। यह तो हमको और आपको सबको मिल-जुलकर करना है। मेरा ख्याल है कि अटल विहारी वाजपेयी जी तो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको मेरी बातों से तसल्ली हो गई होगी।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं माननीय गृह मन्त्री का आभारी हूं कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्वयं तुरन्त यात्रा की। आपको विदित होगा कि आसाम पर विवाद का उत्तर देते समय गृह मन्त्री आन्दोलन के बारे में जानकारी दे रहे थे। मैं उनसे श्री वाजपेयी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

कल, 11 जून के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार छपा है :

'राज्य में प्रशासन पूरी तरह ठप्प हो गया है तथा गृह-युद्ध की स्थिति बनी हुई है।"

मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि अपनी मौके पर जांच के बाद क्या वह कह सकते हैं कि प्रशासन ठप्प हो गया है तथा राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सुदृढ़ बनाने तथा पुनः शान्ति स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

उसी समाचार पत्र में एक खबर और छपी थी :

"श्री चक्रवर्ती ने अगरतल्ला में संवाददाताओं को बताया कि वर्तमान दंगों में विदेशी शक्तियों के संबद्ध होने का पर्याप्त सन्देह है ।

मंत्री महोदय ने भी त्रिपुरा में प्रेस को इसी प्रकार का वक्तव्य दिया था, कि कुछ विदेशी तत्व इसके पीछे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि कौन-से विदेशी तत्व हैं जोकि कि हम प्रकार दंगे करा रहे हैं ।

उसी समाचार पत्र में एक और समाचार था :

"मुख्य मंत्री ने, जिनसे राज्य गुप्तचर विभाग के बारे में बार-बार प्रश्न पूछे गये थे, बताया कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि बंगला देश के साथ 900 कि. मी, लम्बे बार्डर को तथा मिजो विद्रोहियों के हमलों को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाये । परन्तु केन्द्र ने उनकी बात नहीं सुनी ।"

(श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन हुए)

इस सम्बन्ध में क्या मैं गृह मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि राज्य सरकार ने कब सहायता माँगी थी तथा राज्य में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र ने क्या सहायता दी ।

समाचार में आगे कहा गया है :

"परिस्थिति का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध शक्ति अपर्याप्त हैं ।

परन्तु मंत्रालय के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति तनावपूर्ण है ।

इस बारे में क्या, गृह मंत्री महोदय को संतोष है कि परिस्थिति और नहीं बिगड़ेगी तथा उस पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त शक्ति की व्यवस्था की जायेगी ?

एक और बात है, आज के इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्रों में छपा है कि वहां पुलिस भेजे जाने के बाद तथा जब पुलिस ने कुछ स्थानों पर छापे मारे तब कुछ आधुनिक शास्त्र पकड़े गये, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं : क्या वहाँ पर मिजो विद्रोही दंगा कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

अन्त में जिन लोगों की जानें गई हैं तथा जो लोग बेघर हो गये हैं क्या सरकार ने उन्हें कोई अनुदान दिए हैं ? यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई है तथा क्या गृह मंत्री ने राज्य सरकार से इस मामले पर चर्चा की है ?

मैं जानना चाहता हूं कि तनाव पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या गृह मंत्री सभा की एक समिति गठित करेंगे जिसे 'शान्ति समिति' इत्यादि नाम दिया जा सकता है, ताकि यह मौके पर जाकर स्थिति को शान्त करे ।

मैं, इन प्रश्नों पर गृह मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : आनरेबल मेम्बर साहेबान ने कुछ तो बातें वहा पूछी हैं जो श्री वाजपेयी जी ने पूछी थीं । उनका तो जवाब देना मैं जरुरी नहीं समझता । लेकिन उनका जो यह पूछना है कि वहां की जो सिचुएशन है, जिसके मुतल्लिक मैंने कहा कि टैंस है, उसके लिए जो फोर्सिज भेजी गयी हैं क्या उनसे हमको तसल्ली है या नहीं, इसके बारे में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हम और फोर्सिज वहां भेजना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है वह

बिल्कुल शांत नहीं हुई है । बी. एस० एफ० आदि की चार पलटनें वहां भेजी गयी हैं । कुछ मिलिट्री को भी कहा है कि वे भी कुछ अलर्ट रहें ।

आपने एक्स ग्रेशिया ग्रांट उनको कितनी दी गई है इसके बारे में भी पूछा । यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यह छोटी-सी बात तो है नहीं । यह बहुत बड़ा मामला है । इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती है । वह कितनी ग्रांट देती है इसका भी सवाल है । लेकिन हमने यह भरोसा उनको दिलाया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटदोनों मिल कर उन मुसीबत लोगों की पूरी-पूरी और ज्यादा से ज्यादा सहायता करें ।

श्री चिन्तामणि जेना : विदेशी शक्तियों और मिजो विद्रोहियों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जैलसिंह : फारेन पावर की बात मेम्बर साहिबान कह रहे हैं । अगर आनरेबल मेम्बर यह बात कहें तो मैं उसे कांट्रेडिक्ट कैसे करूँ ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अपने विस्तृत वक्तव्य में माननीय गृह मंत्री ने एक महत्वपूर्ण पहलु की उपेक्षा की है, यदि वे इस मामले का स्थाई समाधान चाहते हैं तो इस पहलू की उन्हें चर्चा करनी होगी । इस पहलू का सम्बन्ध वर्तमान आंदोलन के कारणों से है । पैराग्राफ 4 में माननीय गृह मत्री केवल इतना कहते हैं :

'अत्याचार के कारणों का इतने शीघ्र सही पता लगाना संभव नहीं है ।"

मैं यह कह सकता हूँ कि अत्याचार या अत्याचारों के कारणों को देखना प्रत्येक का काम है और ये कारण उनकी यह सही शिकायक हैं—अथवा आदिवासी लोगों का यह उचित भय है कि उनके ही देश में धीरे-धीरे इन्हें हटाया व परिसमाप्त किया जा रहा है ।

अगर आप जनसांख्यिकीय आँकड़ों को समय-समय पर देखेंगे तो पायेंगे कि आदिवासियों की जनसंख्या एक समय वास्तविक रूप से सौ प्रतिशत थी वह 1941 जो जनगणना के अनुसार केवल 48·57 प्रतिशत रह गई । यह जनसंख्या घटकर 1951 की जनगणना में 30·88 प्रतिशत हो गई और अद्यतन जनगणना 1971 में वह फिर से घटकर 28·95 प्रतिशत रह गई है। दूसरों का अनुपात कुल जनसंख्या की तुलना में बढ़ रहा है । सन् 1941 में दूसरे समुदायों की आबादी 51·43 प्रतिशत थी, 1951 में वह 69·91 प्रतिशत थी और 1971 में वह 71·05 प्रतिशत हो गई थी । राजनीतिक नेतृत्व एवं आर्थिक अवसर उन्हें न देना और जनसांख्यिकीय परिसमाप्ति करना इस आंदोलन के कारण हैं । उस राज्य के मुख्य मंत्री श्री नृपेन चक्रवर्ती स्वतः कुछ साल पहले पश्चिम बगाल से आये थे । त्रिपुरा सरकार में मुश्किल से कोई आदिवासी मंत्री होगा ।(व्यवधान)

आप ही बताइये कि कुल मंत्रियों में कितने आदिवासी हैं । यही मेरा निवेदन है कि आदिवासियों के लिए 19 सुरक्षित स्थान को फिर से घटा कर 17 कर दिया गया है । संसद सदस्यों में दस साल पूर्व केवल एक सदस्य त्रिपुरा से आये और वहाँ से एक भी आदिवासी संसद सदस्य नहीं हैं । —(व्यवधान)

उन्होंने त्रिपुरा उपजाति समिति का उल्लेख किया है किन्तु दूसरे उग्रवादी संगठन, अमार बंगाली जो वहां काम कर रहा है उसका जिक्र नहीं किया है । मार्सिस्ट वामपंथी सरकार वहाँ आदिवासियों का विश्वास खो चुकी है। वह, वे ही मार्सिस्ट राजनीति हैं जो बड़ा बंगाल जो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं आसाम के कचार और सिलचर जिलों से मिलकर बनेगा, के विचार को फैला रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वे वक्तव्य न दें बल्कि प्रश्न पूछें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सदन की यह पहले से ही परम्परा रही है कि शुरू में कोई प्रारम्भिक भाषण करें और यह परम्परा आज भी व्याना-कर्षण में है और यह इस प्रकार का ही वक्तव्य है जो मैं दे रहा हूँ। मैं अपने वक्तव्य का समापन यह कहते हुये करता हूँ कि वाम-पंथी सरकार जो वहां सत्ता में है, ने आदिवासियों का विश्वास खो चुकी है और समस्या का समाधान नहीं कर सकती है।

वेलोनिया ऐसे क्षेत्रों में एक है जहां कई महत्वपूर्ण एवं बहुत दुखद घटनाएं इस वर्ष के मई और उसके बाद में, घटी जिसमें पूर्णत: पुलिस की टुकड़ी का पहरा लगाया गया है। और इस टुकड़ी का निर्माण केवल मार्सिस्ट केडरों के द्वारा हुआ है, जो करीब तीन वर्ष पूर्व वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद बनाया गया था।

वर्तमान स्पष्ट तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आदिवासी जो वहां की जनता का एक बड़ा भाग है, उन्होंने सरकार में विश्वास खो दिया है। और सरकार स्थिति को नियंत्रण में रखने में समक्ष नहीं है। क्या मंत्री महोदय कानून और व्यवस्था के विघटन और शायद भारत की आजादी के बाद की पहली इतनी बड़ी सामूहिक हत्या की घटना को देखकर वहाँ के प्रशासन को हाथ में लेगी और राष्ट्रपति शासन लागू करेगी ? (···व्यवधान) यही एक मात्र रास्ता भारत सरकार के पास है। गृह मंत्री महोदय यह बतावे कि क्या वहाँ वे राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं चाहते हैं अगर ऐसा है तो उसके लिए कारण बतावे ? मैं गृह मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद सभी सम्बन्धित दलों को समस्या के दीर्घकालीन एवं स्थाई समाधान के लिए बातचीत द्वारा समझौता करने की कोशिश करें।

श्री जैल सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात पर फिर जोर दिया है कि वहाँ के आन्दोलन के क्या कारण हैं, वह बतायें। मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में इसका जवाब दिया था कि अभी कोई नतीजा निकालना अच्छा नहीं होगा और जो बातें उन्होंने कहीं हैं, मैं उन्हीं को एवायड करना चाहता था।

जो ट्रायबल और नान-ट्रायबल का आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार होता है, उससे ज्यादा नफरत पैदा हुई है, कारण यह भी एक है, मैं इससे इत्फाक करता हूँ, लेकिन जो उनका ख्याल है कि ट्रायबल लोगों को डर है कि उनकी संख्या कम हो जायेगी और कम होती गई है, और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ गई है, इस बात का डर है, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ट्राइबल को, किसी भी एरिये के लोगों को उनके वे-आफ लाइफ को जो उनका ट्रैडीशनल वे आफ लाइफ है, उसने डिस्टर्ब नहीं होने देगी, उनके कल्चर, उनके रवायालात और रस्मो-रिवाजों को हर तरह से प्रोटैक्ट करेगी। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि भारत में बसने वाले लोग किसी भी प्रान्त के सिटीजन हों, उनको किसी भी प्रान्त में रहने का हक अगर हम नहीं देते तो भारत की एकता टूट जायेगी। इसलिये हम उनका सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं। ट्रायबल्स की जो जरूरतें हैं, उसका अध्ययन करने के लिये मैं चाहूँगा कि मेम्बर साहेबान उसका अध्ययन करें, सरकार की यह पूरी मंशा है कि उनके रस्मो-रिवाज, उनका रहन सहन और उनकी ट्रेडीशनल लाइफ को प्रोडेक्ट करने के लिये आवश्यक कदम उठाये और यह सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ ट्राइबल्स से भी यह प्रार्थना

करूंगा कि वह दूसरे प्रान्तों में रहें, वहां काम करें यहां सैंटर में काम करें ताकि हमारे सब लोगों में एक नेशनल भावना पैदा हो।

दूसरा जो उनका ख्याल है कि ट्राइबल का मन्त्री कोई नहीं है, तो ट्राइबल का एक मंत्री है एजूकेशन मिनिस्टर। उस एजूकेशन मिनिस्टर के प्रति भी ओर सी० एम० के प्रति भी थोड़ा कहा गया, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। वहां की सरकार सी०पी०एम० की हो या और किसी की हो, ऐसे नाजुक समय में सरकार को कमजोर करना ठीक नहीं। (व्यवधान) वहां के लोगों की इलैक्टेड गवर्नमेंट है, उसको हम तोड़ने की कोशिश करें, यह ठीक नहीं।

गुप्ता जी आप बैठे-बैठे बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कहता हूं कि इस मामले में पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिये, जो आपके मेम्बर कर रहें हैं।

श्री जैल सिंह : वह आपको कह रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिये।

श्री जैल सिंह : वे भी यही बात कहते हैं।

श्री ईन्द्रजीत गुप्त : जो यहां बोल रहे हैं, वही वहां कर रहे हैं।

सभापति महोदय : सदन का समय 6 बजे खत्म होता है। रेप्लाई देने के लिए समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री जैल सिंह : मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। मैंने बताया है कि ट्राइब का एक मंत्री भी है और रिजर्व्ड सीटें भी हैं। मुझे जो इतिला मिली है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। 16 रिजर्व्ड सीटें हैं, लेकिन ट्राइब्ज के 18 नेम्बर्ज है। दो मेम्बर जेनरल सीटों पर जीत कर आये हैं। उनका सरकार में पूरा हिस्सा है। यह बात सही है कि मुख्य मंत्री ट्राइबल्ज में से नहीं है. दूसरे जो बंगाली लोग हैं, उनमें से आये हुए हैं।

मैं मेम्बर साहबान से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि अगर कोई आदमी चीनी, चीनी कहता रहे, तो उससे मुंह मीठा नहीं होता है, जब तक कि वह ला कर न दी जाये। एक दूसरे को यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि तुम पार्टी की बात करते हो। हम सब पार्टी की बात करते हैं— करनी पड़ती है। न करें, तो राजनीति चल नहीं सकती है। लेकिन कुछ मसले ऐसे भी आते हैं, जिन्हें पार्टी बाजी से ऊपर उठ कर देखना चाहिए। देश की पार्टी के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस (आई) का सिद्धांत यह है कि देश बचना चाहिए, पार्टी बचे या न बचे। हम देश को पार्टी से ऊपर रखना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है की आप भी यही भावना पैदा करें कि अगर कभी पार्टी का नुक्सान होता हो, तो उसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन देश का नुकसान न हो।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : प्रेजिडेंट्स रूल के बारे में भी सवाल पूछा गया है।

श्री जैल सिंह : मैं ने पहले ही कह दिया है कि हमने प्रेजिडेंट्स रूल के बारे में कोई गौर नहीं किया है।

श्री टी. एस. नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : सभापति महोदय, आज सारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र बड़े खतरे में है। मंत्री महोदय के मुताबिक ही विदेशी ताकतें वहां कुछ शोर-गुल कर रही हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मंत्री महोदय को अब तक यह पता नहीं चला हैं कि आर्म्ज किस देश से आये हैं, किस रास्ते से आये हैं। इस बात का पता क्यों नहीं चला है कि वे आर्म्ज कहां से आये हैं ? मैं जानता चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जो विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, उनमें कौन-कौन से देश इनवाल्व्ड हैं और क्यों हैं।

हिन्दुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा जन-संहार नहीं हुआ है और फिर भी मंत्री महोदय ने रिपोर्ट दी है कि उसमें 315 व्यक्तियों की जानें गईं। लोगों में जो चर्चायें चल रही हैं, उनमें कहा जाता है कि हजारों आदमी मारे गये हैं, लेकिन उसको छिपाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अच्छे-अच्छे विदेशी हथियारों से लोगों को मारा गया, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या राय रखते हैं।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, मेम्बर साहेबान की एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ सकी। वे बार.बार पूछते हैं कि कौन-कौन सी विदेशी ताकतें दखल दे रही हैं। हमने तो यह कहा ही नहीं है कि विदेशी ताकतें दखले दे रही हैं। कुछ मेम्बर कहते हैं और हम उस पर गौर कर लेते हैं। लेकिन अगर विदेशी ताकतें दखल देंगी, तो क्या वे दिखाई देंगी ? वे तो छिप कर ही दखल देंगी। इसलिए मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि सरकार किसी ताकत पर, किसी विदेशी हुकूमत पर इस बात को दोष नहीं लगाती कि फलां हुकूमत हमारे अन्दरूनी मामलों में दखल देती है। हमने तो जनरल बात कही है कि हम किसी भी मुल्क के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं। अगर हमारे अन्दरूनी मामलों में कोई दखल देगा, तो हम उसका जवाब मजबूती से देंगे और उसमें कोई ढील नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : उसका हाथ काट देंगे।

श्री जैल सिंह : हां, वह तो मैंने कह दिया। अगर हाथ दिखाई दिया कि कोई मदाखलत कर रहा है, तो हाथ हो, पांव हो, कोई भी हो फिर वह काट देंगे।

वह जो उनका शुबहा है कि 315 से ज्यादा मौतें हुई हैं हो सकता है कि मृत्यु ज्यादा हुई हों या न हुई हों। लेकिन मैंने अपने स्टेटमेंट में पहले यह कह दिया था कि मेरे पास भी कुछ लोग आए, उन्होंने शुबहा प्रकट किया और चिन्ता व्यक्त की कि सी एम ने जो आप को बताया है उससे ज्यादा मृत्यु हुई हैं। लेकिन इस बात का तो पता चल जायगा। बगैर देखे या गिने हुए कैसे जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा हुई है या नहीं ?

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मंत्री महोदय के उत्तर के पैरा 4 में आगे और स्पष्टीकरण पाने या प्रश्न पूछने की गुंजाइश ही खतम कर दी गयी है। फिर भी मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

यह अत्यंत दुखद बात है कि ऐसी बड़ी व भयावह घटना खासकर उस समय घटी जब सदन में आसाम और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में गत तीन दिनों से बहस चल रही थी केवल इतना ही नहीं इससे आने वाली घटनाओं का स्पष्ट आभास होता है इसका मतलब यह है कि राज्य आसूचना और केन्द्र आसूचना विभाग दोनों ही अपना कर्त्तव्य पूरा करने में या शक्ति का उपयोग करने में असफल रहे अथवा जिम्मेदर अधिकारियों ने आसूचना विभाग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार काम नहीं किया। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या राज्य या केन्द्र आसूचना विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया था कि ऐसी स्थिति तैयार हो रही है और यदि हाँ तो रोकथाम करने के लिऐ कोई कार्यवाही की। गई और वह कौन सी कार्यवाही थी। मुझे आशा है गृहमंत्री महोदय इस संबंध में सभा को बतायेंगे।

दूसरा इस सबंध में गंभीर संदेह पैदा होता है कि क्या ऐसी गंभीर स्थिति हमारेदेश के स्थापित्व सुरक्षा और एकता को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि ऐसी घटना सामरिक महत्व केस्थान

में हमारे देश की सीमा में घट सकती है। भौगोलिक राजनैतिक एवं भौगोलिक सामरिक महत्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी देशों के द्वारा पैसों के बल पर वहाँ उग्रवादी दल तैयार किये जा रहे हैं तथा ये सैनिक दल चीन से अपना सैनिक एवं राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा वे दल इन संवेदन शील क्षेत्रों में क्रियाशील है, ऐसे कौन से कदम उठाये गये हैं कि इस प्रकार की घटनाए न हो।

तीसरा, इतनी बड़ी आबादी इस अत्याचार के शिकार होकर दहशत की स्थिति में है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कौन कौन से उपाय किये गये हैं या इस भयभीत जन समुदाय को राहत या सहायता पहुचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार किया जा रहा है।

श्री जैलसिंह : मेम्बर साहब का यह शक है कि हमारा जासूसी विभाग और स्टेट का गुप्तचर विभाग जो था उसने वक्त पर इत्तिला नहीं दी। एक बात मैंने पहले ही कह दी है कि जहाँ जहाँ भी हमको इस बात की इत्तिला मिली थी कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत का प्रचार हो रहा है और नफरत के प्रचार के नतीजे यही हो सकते हैं कि कुछ लोग जोश में आकर एक को मारना शुरू करते हैं, दूसरे उसको मारना शूरू करते हैं और गड़बड़ बढ़ जांती है, तो जहाँ भी ऐसी इत्तिला मिलती थी वहाँ आवश्यक कदम उठाते रहे हैं। मगर स्टेट गननमेंट जो ड्यली एलेक्टेड गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का ही देखना फर्ज था कि हम को क्या कहती है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको कहा और जब स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमारे आइ० की रिपोर्ट हमको मिली तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को इत्तिला दी और जब स्चेट गवर्नमेंट ने हम से मदद मांगी तो हमने उसको मदद दी। इसलिए इस बात पर जाना कि गुप्चर विभाग ने क्यों नहीं इस मामले में बताया कोई माने नहीं रखता।

साथ ही साथ यह जो कहा है कि आप बताएं कि वह पश्चिमी ताकतें हैं, या पूरी ताकतें कौन हैं जो दखल देती हैं, मैं समझता हूं कि सेशन के इन्टरेस्त में यही बात है कि मुझ से कुछ न कहलवाया जाय और मैं समझता हूं कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए।

जहांतक रिलीफ का सम्बन्ध है, मैंने पहले कह दिया है कि रिलीफ वर्क के लिए हम यह भी सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ सलाह मश्विरा करें। यहाँ से कुछ अफसर जाने हों तो उनको भेज देगे। साथ ही हम पब्लिक कोआपरेशन भी लगे। जो सोशल संस्थाएं हैं, एजूकेशनल संस्थायें हैं, धार्मिक संस्थायें हैं, जो भी ऐसी संस्थायें सेवा के लिए तैयार होंगी, इन्सानियत की खिदमत के लिए तैयार होंगी, उनके सहयोग का लाभ उठाया जायेगा। साथ ही पर्जरी की जो भावना है, नफरत की भावना है उसको भी दूर करने के लिए सरकार पूरा यत्न करेगी।

सभापति महोदय : अब सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 6·11 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा 13 जून, 1980/23 ज्येष्ठ, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6